त्रयोदश माला, खंड 31, अंक 5

शुक्रवार, 21 फरवरी, 2003

2 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 55
Date 7.9.03

(खण्ड 31 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)

अंक 5, शुक्रवार, 21 फरवरी, 2003/2 फाल्गुन, 1924 (शक)

विषय

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 61, 63, 64 और 68 3-31

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 62, 65 से 67 और 69 से 80 31-54

अतारांकित प्रश्न संख्या 606 से 702 और 704 से 834 54-355

सभा पटल पर रखे गए पत्र 355-368

राज्य सभा से संदेश 368

सभा का कार्य 369

सदस्यों द्वारा निवेदन

अयोध्या में मंदिर निर्माण के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में 373-388

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

स्थगन प्रस्ताव के बारे में 388

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित 413-414

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक—विचाराधीन . . 414

विचार करने के लिए प्रस्ताव 414-429

श्री हरिन पाठक 414-416

श्री शिवराज वि. पाटील 416-420

श्री अनादि साहू 421-429

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 429

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित	429
(एक) **संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 323 का संशोधन)**	
श्री कोलुर बसवनागौड	429-430
(दो) व्यापक हिंसा और अन्याय से पीड़ित व्यक्तियों को राहत तथा प्रतिकर और उनका पुनर्वास विधेयक	
श्री जी. एम. बनातवाला	430
(तीन) **नियोजन केन्द्र (रिक्तताओं की अनिवार्य अधिसूचना) (संशोधन) विधेयक (धारा 3 का संशोधन)**	
श्री कोलुर बसवनागौड	431
(चार) **संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 171 का संशोधन)**	
श्री कोलुर बसवनागौड	431
(पांच) **दयाभूत प्राणांत (विनियमन) विधेयक**	
श्री उत्तमराव ढिकले	432
(छह) **भू–संरक्षण विधेयक**	
श्री उत्तमराव ढिकले	432
(सात) **संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 83 का संशोधन)**	
श्री उत्तमराव ढिकले	433
(आठ) **लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक**	
श्री उत्तमराव ढिकले	433
(नौ) **निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (संशोधन) विधेयक (धारा 2 का संशोधन)**	
डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा	434

(दस) सांस्कृतिक विरासत संरक्षण विधेयक

श्री जी. एम. बनातवाला 434-435

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक—विचाराधीन
(अनुच्छेद 44 आदि का लोप)

योगी आदित्यनाथ 435-440

लोक सभा

शुक्रवार, 21 फरवरी, 2003/2 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में प्रधान मंत्री जी ने अत्यधिक खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बनेगा।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में भोजशाला वाले मामले में निर्दोष लोगों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है।...*(व्यवधान)* वहां कई लोग मारे गए हैं। बच्चे मारे जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सब लोग बैठिए। मुझे प्रश्न काल शुरू करना है। जब मैं खड़ा हूं तो आप सब बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं। मुझे प्रश्न काल शुरू करना है। कृपया बैठिए।

प्रश्न संख्या 61।

(व्यवधान)

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी, आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जीरो आवर में बोलने का समय दूंगा। आपको जो कुछ कहना है, जीरो आवर में कहिए। प्रश्न काल शुरू हो रहा है। आप सब लोग बैठिए। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव है। मैं आपको जीरो आवर में बोलने की इजाजत दूंगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। बसुदेव आचार्य जी, मुझे इसकी जानकारी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आपका नाम भी उनके साथ है। रामदास जी, आप अभी बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी, आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न काल के बाद बोलने की इजाजत दूंगा। आचार्य जी, मैं अभी किसी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पास आपका और श्री रामदास आठवले दोनों के कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस हैं। मैं इस विषय में जीरो आवर में दोनों को बोलने की इजाजत दूंगा। आचार्य जी आपका भी नोटिस है।

(व्यवधान)

श्री शिवराजसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, भोजशाला वाले मामले में हमने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका यदि कोई भी विषय होगा तो

आप प्रश्न काल के बाद उसे उठा सकते हैं। अभी उसे नहीं उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। यह बहुत हो गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप अभी बैठिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बाद में भी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठिए। मैंने एडजर्नमैंट मोशन नामंजूर किए हैं।

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मैंने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कार्य स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

मैं आपको जीरो आवर में परमिशन दूंगा।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नई वस्त्र नीति

***61. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के साथ अनुबंध पर किए गए हस्ताक्षर के मद्देनजर नई वस्त्र नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नई नीति भारतीय वस्त्र उद्योग और इससे संबंधित अन्य वस्त्र उद्योगों के हितों की किस हद तक रक्षा करती है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय वस्त्र नीति–2000, अन्य बातों के साथ–साथ विश्व में बदल रहे परिवेश, विशेष कर आयात पर मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को धीरे–धीरे समाप्त करने तथा वर्ष 2004 के अन्त तक वस्त्र और क्लोदिंग के विश्व बाजार के एकीकरण के लिए शुल्कों के स्तर को कम करने की, विश्व की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सामने आ रही चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रख कर बनाई गई थी।

(ख) और (ग) इस नीति का उद्देश्य एक ऐसा सुदृढ़ और गतिशील वस्त्र उद्योग बनाना है जो स्वीकार्य कीमतों पर अच्छी क्वालिटी के कपड़े का उत्पादन करने और बनाए रखे जा सकने वाले रोजगार तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में अधिकाधिक योगदान देने और विश्व बाजार में अधिक अंशदान करने के लिए आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम हो सकेगा। इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं :

- उद्योग को आयात प्रवेश के दबाव को सहन करने और घरेलू बाजार में प्रमुख भूमिका बनाए रखने के लिए सुसज्जित बनाना।
- नियंत्रण और विनियमों को उदार बनाना ताकि वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्र अत्यधिक प्रतियोगी परिवेश में कार्य करने में सक्षम बन सकें।
- उद्योग को पर्यावरण मानकों के अनुरूप विश्व श्रेणी की अत्याधुनिक विनिर्माण क्षमताएं बनाने के लिए सक्षम बनाना और इस उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ–साथ क्षेत्र में अनुसंधान और विकास दोनों को प्रोत्साहन देना।
- हमारे बुनकरों और शिल्पकारों के परंपरागत ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बनाए रखना तथा सुदृढ़ बनाना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के विशेष प्रयास करते हुए उद्योग की उन्नति कर उत्पादकतापरक रोजगार का विस्तार करना।

लक्ष्यों में, अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं :

- वस्त्र और परिधान निर्यात के मौजूदा स्तर को बढ़ाकर वर्ष 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर तक करने

के लक्ष्य को प्राप्त करना जिसमें परिधानों का योगदान 25 बिलियन अमरीकी डालर होगा।

- उद्योग के समस्त विनिर्माण क्षेत्रों को शामिल करते हुए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना।

- कपास प्रौद्योगिकी मिशन के कारगर क्रियान्वयन के द्वारा कपास की उत्पादकता में कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने हेतु लक्ष्य को प्राप्त करना।

- निजी क्षेत्र को देश के विभिन्न भागों में विश्व श्रेणी, पारि–अनुकूल एकीकृत वस्त्र परिसरों और वस्त्र प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने में प्रोत्साहन देना।

- परिधान उद्योग को लघु उद्योग के आरक्षण से हटाना।

इस ढांचे के अन्तर्गत सभी प्रमुख वस्तुओं, संगठित और विकेन्द्रीकृत वस्त्र उद्योग के क्षेत्रों और खण्डों को शामिल करते हुए क्षेत्र विशिष्ट नीतिपरक मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए थे।

यह माना जा रहा है कि नीति में समग्र वस्त्र उद्योग को अपनी पूर्ण संभाव्यता पहचानने, विश्व स्तरीय उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे मूल प्रश्न का जो जवाब प्रेषित किया है, वह पूरा का पूरा भ्रामक है। हमें उस जवाब से कोई संतोष नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, भारत कई वर्षों से यूरोपियन यूनियन को वस्त्र निर्यात के मामले में नम्बर एक पर था लेकिन आज पिछड़ कर नम्बर चार पर आ गया है। कपड़ा निर्यात कोटा समाप्त होने के बाद...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम ट्रैजरी बैंचिज को कंट्रोल करिए। सदन में खामोशी आ गई है लेकिन ये लोग फिर से शोर मचाने लगे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रकाश परांजपे जी, अभी आप कुछ न बोलिए। अभी प्रश्न काल शुरू हुआ। आप कृपया कोआपरेट करिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, भारत कई वर्षों से यूरोपियन यूनियन को वस्त्र निर्यात के मामले में नम्बर एक पर था लेकिन आज पिछड़ कर नम्बर चार पर आ गया है। कपड़ा कोटा निर्यात समाप्त होने के बाद भारतीय कपड़ा उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए सरकार ने अब तक कोई सुनिश्चित और प्रभावी नीति नहीं बनाई है। माननीय मंत्री जी ने वस्त्र उद्योग को पुनरुद्धार करने के लिए जिस टी.यू.एफ.एस. के गठन किए जाने का जिक्र किया है, मेरी जानकारी के अनुसार 31 दिसम्बर, 2002 तक उसने कुल पूंजी का 25 प्रतिशत ही डिसअम्बर्समेंट किया है। वर्तमान समय में भारतीय वस्त्रों के विरुद्ध एंटी–डम्पिंग का केस भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बनाया जा रहा है जबकि हमारे देश में सर्वाधिक सस्ती मैनपॉवर है। दुनिया के कई देशों से ज्यादा कॉटन और जूट हमारे देश के किसान पैदा करते हैं, फिर भी हम इस क्षेत्र में निरन्तर पिछड़ते चले जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि सरकार सूती कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिए तथा देश में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कपड़ा उत्पादन बढ़ाने के लिए एवं कपास किसानों को प्रेरित करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाने जा रही है?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने बताया कि मूल प्रश्न के उत्तर में जो डिटेल्ज दी गई हैं, वे भ्रामक हैं, यह बात सही नहीं है। जहां तक भारत से टैक्सटाइल्ज के विदेश निर्यात का सवाल है, वह बढ़ रहा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 1997 में यह 9555 मिलियन डालर था जो 1997–98 में बढ़कर 9797 मिलियन डालर और 2001 में 11995 मिलियन डालर हो गया। आज हमने 15000 मिलियन डालर का टारगैट तय किया है और वह टारगैट भी हम अवश्य अचीव करेंगे।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय मंत्री जी, कृपया सरकारी योगदान के बारे में भी बताते जाइए।

श्री काशीराम राणा : माननीय सदस्य ने सूती कपड़े के निर्यात के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस निर्यात में सूती कपड़ा भी सम्मिलित है। उसका ग्रोथ भी बढ़ता जाता है। मूल प्रश्न पूछा गया था कि कपास उत्पादन के लिए सरकार ने क्या किया है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि कपास के ज्यादा उत्पादन के लिए कपास उत्पादकों को रिम्युनरेटिव प्राइस देने के लिए कॉटन टैक्नोलोजी मिशन शुरू किया गया है। कॉटन में कनटैमिनेशन ज्यादा होने के कारण यह विदेशों में कम दाम पर बिकता है, इसलिए इसे कम करने

के लिए और यार्न बिलकुल नॉर्मल हो, इस कॉटन टैक्नोलोजी मिशन को शुरू किया गया है। गत दो वर्षों से इसका अच्छी तरह से इम्पलीमेंटेशन हो रहा है। इस कारण आज कॉटन उत्पादकों को अच्छा दाम मिल रहा है।

जहां तक टी.यू.एफ.एस. के सही इस्तेमाल का सवाल है, जब से यह शुरू हुआ है, तब से 1782 एप्लीकेशन्स स्वीकृत की हैं। इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 12384 करोड़ रुपये है। उसमें से 6101 करोड़ रुपये का लोन सैंक्शन है। इसमें से 4203 करोड़ रुपया डिसबर्स कर दिया गया है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय मंत्री जी ने कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया था?

श्री काशीराम राणा : हम टोटल 25 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित करके चले हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उसमें से आपने केवल 4000 करोड़ रुपये का डिसबर्समेंट किया है।

श्री काशीराम राणा : हमने 25 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था लेकिन भारत सरकार ने जब इसे अप्रूव किया था तो कहा कि यदि यह 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक भी होगा, तो भी हम देंगे।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : 25 हजार करोड़ में से 4 हजार करोड़ रुपये डिस्बर्स किया है। क्या इससे ज्यादा नहीं होगा?

श्री काशीराम राणा : 12 हजार करोड़ रुपये की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आप उसे ध्यान में क्यों नहीं रखते? फिर भी टी.यू.एफ.एस. के माध्यम से टैक्सटाइल इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए हम कोशिश करते हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। इन्होंने निर्यात बढ़ोतरी की बात की है, उसमें इन्होंने टैक्सटाइल का निर्यात किया है या बने–बनाए, सिले–सिलाए कपड़ों का निर्यात किया है। मंत्री जी आपको इन दोनों को अलग–अलग करके बताना चाहिए था, जिससे पता लगता कि वास्तव में टैक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी फ्लरिश हुई है। आपने दोनों को एक साथ जोड़कर बता दिया।

मेरा दूसरा सप्लीमेन्टरी यह है कि हिंदुस्तान में 124 कॉटन इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण विभिन्न चरणों में करके एन.टी.सी. को तथा तीन कॉटन इंडस्ट्रीज को बी.आई.सी. को सौंपा गया था, जिसमें से बी.आई.सी. की तीनों यूनिटें कानपुर में हैं। इनमें दो इकाइयां लक्ष्मी रतन कॉटन मिल और अर्थर्टन कॉटन मिल का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1995 में किया गया था। संसद में पारित इस अध्यादेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इन मिलों में नियोजित कर्मचारियों का नियोजन निरंतर बनाए रखने एवं विभिन्न किस्मों के कपड़े तथा सूत के विनिर्माण, उत्पादन और वितरण की उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए बहुत अधिक धनराशि का विनिधान करना आवश्यक है। मेरी जानकारी के अनुसार इन दोनों मिलों में न तो उत्पादन प्रक्रिया शुरू की गई है और न ही मिलों में एक पैसे का विनिधान किया गया है। सिर्फ श्रमिकों और कर्मचारियों को बिना काम के बैठाकर वेतन भुगतान किया गया है। राष्ट्रीयकरण के बाद जब उत्पादन प्रक्रिया ही शुरू नहीं की गई तो घाटा किस प्रकार से हुआ और अब इन मिलों की चल–अचल सम्पत्तियों को बेचा जा रहा है। मेरा कहना है कि जो कुछ भी इन्होंने इनवैस्टमेंट किया है, वह केवल तनख्वाहों पर किया हैं। सात साल तक मजदूरों को बैठाकर तनख्वाहें दी गईं, उसी को यह इनवैस्टमेंट बताते हैं। उत्पादन का प्रोसैस शुरू ही नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन मिलों का राष्ट्रीयकरण इनकी चल–अचल सम्पत्तियों के बेचने के लिए ही किया गया थ। यदि नहीं, तो आज के हालात में जब कि ज्यादातर कर्मचारियों को एम.वी.आर.एस. दिया जा चुका है, क्या सरकार एन.टी.सी. एवं बी.आई.सी. की एक–एक यूनिट फिर से चालू करेगी। जैसा आश्वासन आप सहित पिछले कपड़ा मंत्रियों ने दिया है एवं वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने कानपुर के फूल बाग मैदान में अपने चुनाव भाषण के दौरान कहा था कि अगर उनकी सरकार केन्द्र में आई तो कानपुर की सारी मिलों की चिमनियां धुआं उगलने लगेंगी–ये शब्द बाकायदा टेप करके कानपुर के पत्रकारों के पास रखे हुए हैं। आज स्थिति यह है कि एन.टी.सी. की पांचों मिलें बंद हैं और बी.आई.सी की तीनों मिलें बंद हैं। माननीय मंत्री जी ने कई बार आश्वासन दिया, हमें तथा हमारे कर्मचारी नेताओं को भी आश्वासन दिया कि हम बी.आई.सी. और एन.टी.सी. की एक–एक यूनिट चालू करेंगे। लेकिन अभी तक...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, प्रश्न और उत्तर दोनों छोटे होने चाहिए, तभी अनेक लोगों को प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। जायसवाल जी, आपके कितने प्रश्न हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय

मंत्री जी बता दीजिए। मेरा वही प्रश्न है कि क्या एन.टी.सी. और बी.आई.सी. की एक–एक मिल आप चालू करेंगे, जिससे कि शेष कर्मचारियों का समायोजन हो सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न और उत्तर दोनों लम्बे नहीं होने चाहिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : आज कानपुर एकदम डाइंग सिटी हो गया है। वहां बड़ी हालत खराब है।...*(व्यवधान)* आज बड़ी मुश्किल से मुझे प्रश्न करने का मौका मिला है।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, कानपुर में जो एन. टी.सी. की मिलें हैं, वे बहुत सालों से बंद हैं और जो रिवाइवल प्लान बी.आई.एफ.आर. ने अप्रूव किया, उसमें कानपुर की जो एन.टी.सी. मिल हैं, वे सभी अनवॉयबल हैं। उत्तर प्रदेश में मऊ और नैनी में सिर्फ दो मिलें ऐसी हैं, जो वॉयबल हैं, जिन्हें हम मॉडर्नाइज करके चलाने जा रहे हैं। जहां तक बी.आई. सी. का सवाल है,,,*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। मैंने पूछा था कि आपने उसमें किस चीज में इनवैस्टमैन्ट किया है। आपने प्रोडक्शन का प्रोसैस शुरू नहीं किया, केवल वहां के मजदूरों को सात–सात साल तक बैठाकर तनख्वाहें दी हैं और आपने कुछ नहीं किया। आपने कोई कच्चा माल नहीं भेजा, मिलों की मशीनों को आपने दुरुस्त नहीं कराया तो घाटा कहां से हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, जब इन सभी मिलों का नेशनलाइजेशन हुआ, तब सभी मिलें ऐसी हालत में थीं कि उन्हें ठीक से चलाने के लिए उन्हें मॉडर्नाइज करना जरूरी था लेकिन मॉडर्नाइजेशन करने के लिए जितना पैसा चाहिए था, वह पैसा न होने की वजह से, कई मिलों का मॉडर्नाइजेशन किया गया और कई मिलों का नहीं किया गया, क्योंकि उनकी मशीनरी बिल्कुल काम नहीं कर सकती थीं।

जहां तक बी.आई.सी. की मिलों का सवाल है, यह बात सही है कि बी.आई.सी. की जो तीन मिलें हैं–एल्गिन–1 और 2 और कानपुर टैक्सटाइल मिल, उसमें से एक मिल एल्गिन–1, जैसा माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था, इसके मुताबिक उसकी प्रोपोजल ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय प्रधान मंत्री जी ने आठों मिलों के लिए कहा था, ये एक मिल की बात कर रहे हैं। आठों मिलों को चालू किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी, इस तरह से नहीं चल सकता। आपको मंत्री जी का उत्तर सुनना पड़ेगा।

श्री काशीराम राणा : एक मिल एल्गिन–1 शुरू करने के लिए सरकार ने प्रपोजल बनाया है। एक मिल के बारे में हाई कोर्ट में प्रपोजल भी पेश किए। हाई कोर्ट से हमने एक मिल चालू करने के लिए परमीशन मांगी है क्योंकि हाई कोर्ट ने लिक्विडेटर बैठा दिया था तीनों मिलों के लिए। इसके लिए जरूरी है कि हाई कोर्ट की मंजूरी मिलनी चाहिए। उसकी मंजूरी लेने के लिए हमने 120 करोड़ रुपए की लागत से एल्गिन–1 मिल शुरू करने के लिए प्रपोजल रख दिया है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद बी.आई.एफ.आर. के पास प्रस्ताव रखा जाएगा।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : एन.टी.सी. का आपने जवाब नहीं दिया है। क्या एन.टी.सी. की एक यूनिट भी आप चालू करेंगे?

श्री काशीराम राणा : जी नहीं, उसकी कोई संभावना नहीं है।

श्री दिलीप संघाणी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि एक कॉटन टैक्नोलॉजी मिशन बनाया गया है। इस कॉटन टैक्नोलोजी मिशन ने आज तक कितनी प्रगति की और इस मिशन के अंतर्गत गुजरात में कितनी मार्केट याड्र्ज़ और जिनिंग फैक्ट्रीज़ को उसका लाभ मिला है? अमरेली जिले की बाबरा तहसील में कोआपोरेटिव जिनिंग फैक्ट्री की मदद करने की मांग केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लंबित पड़ी है। उनको जल्दी से जल्दी कितने समय में मदद मिलेगी?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, देश में कपास की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और हमारे पास कपास उत्पादकों को अच्छा दाम दिलाने के लिए सरकार ने एक टैक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन बनाया है। कृषि विभाग और हमारा मंत्रालय दोनों साथ मिलकर इस मिशन को चला रहे हैं। जो काम इसका हमारे पास है मिनिमिशन 3 और 4, उसमें अच्छी मार्केटिंग करके अच्छा दाम देना शामिल है। इसके लिए जरूरी है कि मार्केट यार्ड अच्छे हों, और जिनिंग और प्रोसैसिंग भी ठीक

तरह से काम करे। अभी तक हमने 102 मार्केट यार्ड अप्रूव किए हैं, जिनकी कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट 180 करोड़ रुपए है, और जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 89 करोड़ रुपए है। जो जिनिंग और प्रैसिंग फैक्ट्री हमने अप्रूव कर दी है, जिसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका है, जिसकी प्रोजैक्ट कॉस्ट थी 271 करोड़ रुपए, उसमें भारत सरकार का शेयर 47 करोड़ रुपए है। जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में 27 मार्केट यार्ड को स्वीकृति दी है जिसमें हमारा शेयर 22 करोड़ रुपए है। हमने 107 जिनिंग और प्रैसिंग फैक्ट्री को माडर्नाइज किया है जिसकी प्रोजैक्ट कॉस्ट 115 करोड़ रुपए थी, हमने उसमें 21.94 करोड़ रुपए दिया है। जो हमारे पास लंबित प्रपोज़ल्स हैं, हम उन प्रपोजल्स को अगर वे हमारे नॉर्म्स में आता है तो हम अप्रूव कर देते हैं। हम चाहते हैं कि देश में कपास उत्पादक किसानों को अच्छा दाम मिले और उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए हम ध्यान देते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार कोटा प्रणाली जारी रखने की अनुमति देगी? वस्त्र उद्योग में आज यह प्रणाली सबसे बड़ी खामी बन गई है।

माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करने वाले विद्युत करघा, हथकरघा और कृषि आधारित करघों को फिर से चालू करने का है? ये गरीबी की रेखा से नीचे वालों के लिए काफी लाभकारी थे।

क्या सरकार का विचार इन करघों को पुनः चालू करने का है?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत स्पष्ट और विशिष्ट प्रश्न है।

श्री काशीराम राणा : जहां तक कोटा प्रणाली का संबंध है, वह समझौते में है। समझौते में कहा गया है कि ए.टी.सी. मात्रात्मक या कोटा प्रतिबंधों को दिसम्बर, 2004 के अंत तक समाप्त कर दिया जाएगा।

एम.एफ.ए. व्यवस्था के बाद से, सरकार वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए बहुत से कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि 2004 में जब कोटा प्रणाली समाप्त हो जाएगी तब अपने विश्व बाजार के प्रतिस्पर्द्धियों से प्रतिस्पर्द्धा कर पाएंगे।

जहां तक हथकरघा और अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की निधि दी गई है और यह ठीक काम कर रही है। मैंने राज्य सरकारों से भी इस बृहद और महत्त्वपूर्ण दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना से लाभ उठाने का आग्रह किया है।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उद्योगों के सभी निर्माण एककों में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का चरणबद्ध तरीके से शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वयन करें।

[हिन्दी]

आपने सबके बारे में लिखा है, लेकिन मुम्बई में जो एन.टी.सी. मिलें हैं, पहले उनके लिए कितने फंड का प्रोविजन किया था और एन.टी.सी. मुम्बई की मिलों के लिए आपने कितने पैसे दिए हैं? मैं जानना चाहता हूं कि मुम्बई में एन.टी.सी. मिलों के माडर्नाइजेशन के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आपके ही क्षेत्र में एनटीसी की 7 मिलें हैं और मेरे क्षेत्र में 18 मिलें हैं। अभी फिनले मिल की एक दीवार गिर गई। जुपिटर मिल की हालत ऐसी है कि कभी भी मजदूरों को वहां हानि हो सकती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो लोग वीआरएस में जा रहे हैं, आपने उनके लिए वीआरएस तो मंजूर किया है लेकिन वह पैसा उनको नहीं मिल रहा है। जो टैम्पोरेरी वर्कर्स हैं, जो 25–30 साल से अभी तक टैम्पोरेरी वर्कर्स हैं, क्या उनको आप परमानेन्ट करेंगे क्या नई पॉलिसी में आपने इसे इनक्लूड किया है?

श्री काशीराम राणा : जहां तक मुम्बई की एन.टी.सी. मिलों को मॉडर्नाइज़ करने का सवाल है, जो रिवाइवल प्लान बीआईएफआर ने अप्रूव किया है, उसी के अनुसार हम मॉडर्नाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने महाराष्ट्र सरकार से भी बातचीत शुरू की है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा मिलों की जमीनों को यूटीलाइज करके, मिलों को मॉडर्नाइज कर सकें। इसके लिए हमने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से भी दो बार बात की है। उन्होंने भी हमें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। पहले हम यह कर रहे हैं कि जो अनवायेबल मिल हैं उनके वर्कर्स को हम पहले वीआरएस दे रहे हैं। अभी तक हमने करीब 20–20 हजार वर्कर्स को वीआरएस पूरे देश में दे दिया है।

श्री मोहन रावले : लेकिन उसका पैसा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। वित्त मंत्री जी भी यहां बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा : वही बात मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए बॉन्ड निकाले और उस बॉन्ड में से 600 करोड़ रुपए हमने एमवीआरएस के लिए डिस्ट्रिब्यूट किए हैं। माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं, जो भी हमारे पास अनवायेबल मिल की एप्लीकेशन होंगी, जैसे–जैसे फंड एवेलेबल होगा हम तुरंत उनको दे देंगे। हम और बॉन्ड भी इश्यू करने जा रहे हैं।

श्री मोहन रावले : टैम्पोरेरी वर्कर्स के बारे में मैंने पूछा था। वे बेचारे 25–30 सालों से अभी तक टैम्पोरेरी वर्कर्स हैं। टैम्पोरेरी वर्कर्स के बारे में मंत्री जवाब देना चाहें तो बोलें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 62–श्री भेरूलाल मीणा, अनुपस्थित।

अब हम प्रश्न संख्या 63 पर चलते हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों की देश में बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इस प्रश्न को टेकअप किया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : सदन में प्रश्न आ गया तो सदन की संपत्ति हो जाती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि जिन माननीय सदस्य का प्रश्न है, वह यहां उपस्थित नहीं हैं, फिर मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री शीशराम सिंह रवि : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे टेकअप किया जाए। इसके लिए मैंने लिखकर भी आपको दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री रघुनाथ झा : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ले लिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि प्रश्नकर्ता यहां उपस्थित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस आसन पर एक दिन देवेन्द्र प्रसाद यादव जी बैठे हुए थे। हमने सवाल किया था। आसन से व्यवस्था दी गई थी–चूंकि यह सदन की सम्पत्ति है, इसलिए यदि कोई माननीय सदस्य चाहे, तो सवाल पूछ सकता है और उसके बारे में हमने सवाल पूछा था। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : जो नियम है वह मैं आपको बता रहा हूं कि सब प्रश्न समाप्त होने के बाद, यदि मंत्री चाहें, तो मैं इस प्रश्न को पूछने की इजाजत दे सकता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर, मंत्री इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शीशराम सिंह रवि : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सवाल पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए लिखकर दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मुझे इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा भी देने को तैयार हूं।

जो नियम है, उसके अनुसार बाकी प्रश्न पूरे होने के बाद मैं इस प्रश्न को ले सकता हूं। पहले जो लिस्ट मेरे सामने है, वह जब पूरी हो जाएगी, तब मैं इस प्रश्न को लूंगा। तब तक यानी आपको प्रश्न काल के अंतिम क्षण तक बैठना पड़ेगा। जब सब प्रश्न पूरे हो जाएंगे, लिस्ट समाप्त हो जाएगी और प्रश्न काल का समय बचा रहेगा, तब मैं इस प्रश्न पर आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत जरूरी है। गन्ना किसानों की स्थिति देश में खराब है। इस प्रश्न को देने वाले माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो क्या हुआ। यह सदन की सम्पत्ति है इस पर हमें प्रश्न पूछने की इजाजत दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। देखिए, कल भी यह प्रश्न सदन में उपस्थित किया गया था और मैंने कहा था कि इस विषय पर मैं खास चर्चा दे रहा हूं।

दूसरी बात यह है कि प्रश्नकर्ता सदन में उपस्थित नहीं है। इसलिए यह प्रश्न अभी नहीं आ सकता है, लेकिन प्रश्न–सूची समाप्त होने के बाद, यदि मंत्री तैयार हों, तो वे उत्तर दे सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि पहले प्रश्नों की लिस्ट पूरी होनी चाहिए। यदि प्रश्न काल में लिस्ट पूरी हो जाएगी, तो आप प्रश्न जरूर कर सकते हैं। इससे आगे जाकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये सब बातें आप जानते हैं। मैं नियम के अनुसार मंत्री जी को इजाजत दूंगा। बीच में इजाजत नहीं दूंगा। कृपया आप बैठिए।

प्रश्न संख्या 63, श्री बीर सिंह महतो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। अब हम सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि : अध्यक्ष महोदय, मैंने लिख कर दे रखा है। मुझे इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए समय जरूर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको नियम का पोस्टर भेजूं। कृपया बैठिए।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपके अधिकार में आता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो मेरे अधिकार में है, वह मैं दे सकता हूं।

[अनुवाद]

कृपया बैठिए। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रश्न संख्या 63।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल का निर्यात

***63. श्री बीर सिंह महतो : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के गेहूं और चावल का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) सरकार द्वारा इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं :

(i) गेहूं, गेहूं उत्पाद तथा गैर–बासमती चावल के मामले में कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के पास पंजीकरण कराने जैसी प्रक्रिया संबंधी प्रतिबंध नहीं है।

(ii) खाद्यान्नों के निर्यात से संबंधित मामलों पर उठाए जाने वाले अपेक्षित कदमों की समीक्षा करने के लिए निर्यात संबंधी स्थायी समिति की नियमित रूप से बैठक होती है।

(iii) एक स्थिर मूल्य व्यवस्था के लिए, केन्द्रीय पूल से गेहूं तथा चावल के निर्यात के पेशकश मूल्य को 3 महीनों की अवधि के लिए निर्धारित किया जाता है; इसके साथ स्टाक को उठाने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया जाता है।

(iv) निर्यातकों को विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल सुपुर्दगी उपरान्त खर्चों तथा अन्य संबंधित खर्चों की अनुमति दी जा रही है। विगत दो वर्षों अर्थात 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान निर्यातों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(मात्रा हजार टन में)

(मूल्य : करोड़ रुपये में)

जिंस	अप्रैल 2000–मार्च 2001 (अनंतिम)		अप्रैल 2000–मार्च 2001 (अनंतिम)	
चावल	1531.29	2932.20	2198.19	3163.44
गेहूं	813.49	415.09	2649.38	1330.21

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय, कोलकाता।

देश द्वारा यू.एस. डालर के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा निर्यातकों द्वारा अनुबंधित दरों पर निर्भर करेगी। देश में प्राप्त होने वाला वास्तविक धन निर्यातकों द्वारा स्टाक की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम को दिए गए मूल्य की तुलना में अधिक होगा।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो : भारत अब विश्व में चावल के दूसरे तथा गेहूं के छठे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। उत्तर में यह कहा गया है कि पिछले दो वर्षों यानी वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान निर्यात का कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर थाईलैंड, अमरीका और वियतनाम का प्रभुत्व है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि (क) सरकार ने चावल और गेहूं के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं किया और (ख) क्या मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने का हमारे निर्यात प्रयासों पर बुरा प्रभाव पड़ा है?

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि चावल और गेहूं दोनों में निर्यात के संबंध मैं हमारी आज जो स्थिति है, उसके बारे में हम आगे और क्या करने जा रहे हैं, और हमारा क्या लक्ष्य है, इस बारे में कुछ नहीं लिखा है।

महोदय, मैं आपके जरिए माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमारा देश सन् 1988–99 तक गेहूं और चावल का आयात करता था, आज वहीं हम चावल का निर्यात करने में दुनिया में दूसरे नम्बर पर और गेहूं में छठे नम्बर पर आए हैं तथा उत्पादन में हमारा स्थान दूसरे नम्बर पर है। जहां 60 के दशक में पीएल–480 के अंतर्गत लाल गेहूं मंगाया जाता था और उसे खाया जाता था। इसकी जानकारी हम सब को है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि पिछले दो वर्षों में हमने 71.92 लाख टन चावल और गेहूं का निर्यात किया है। आपने जानना चाहा कि निर्यात में दूसरे देशों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए हम और क्या करने जा रहे हैं ताकि हम ज्यादा निर्यात कर सकें। हमने सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। गैर–बासमती चावल आदि के मामले में 'अपीडा' से किसी भी प्रकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। हमने तीन महीने की अवधि के लिए एडवांस में सब लोगों को आफर भी दी है। उसमें भी 45 दिन पहले उन्हें सूचित किया है। अगर निर्यात में चावल और गेहूं का उठान कम हो तो एक महीने का ग्रेस पीरियड भी दिया है। आज हमें गेहूं और चावल के निर्यात के लिए जो लक्ष्य रखने चाहिए थे, वे हमने निर्धारित इसलिए नहीं किए, क्योंकि देश के गरीबों और देश की विषम परिस्थितियों को देखते हुए, हमारे पास जो स्टाक है, उसके मुताबिक न्यूनतम 243 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल जो हमारे पास होना चाहिए, गत वर्ष 1–1–2002 को हमारे पास 580 लाख मीट्रिक टन स्टाक था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उत्तर शार्ट में देना चाहिए और प्रश्न भी शार्ट में पूछिए।

श्री बीर सिंह महतो : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार गेहूं और चावल के निर्यात पर सब्सिडी देती है और अगर देती है तो उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए सरकार के पास मोनिटरिंग की क्या व्यवस्था है? गत तीन वर्षों के दौरान सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के कितने मामलों की जानकारी सरकार के पास आई है? क्या यह सच है कि जब निर्यात के लिए कोई व्यवसायी आवेदन करता है तो उसमें पक्षपात होता है। गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल निर्यात करने हेतु, अलाटमेंट के दौरान क्या भ्रष्टाचार की कोई सूचना सरकार के पास आई है और अगर आई है तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, सरकार सब्सिडी देती है और सब्सिडी का जो लक्ष्य है उसे देकर अगर हम टोटल वर्क देखें, तो हमें स्टाक न रखने के कारण अप्रैल–सितम्बर 2002 अवधि के दौरान 346.67 करोड़ रुपए की बचत हुई है। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा कि जिन लोगों को आवंटन किया जाता है, उसमें दुरुपयोग की अगर कोई शिकायत

आती है तो उसके लिए सरकार के पास मोनिटरिंग की व्यवस्था है, जिसके तहत उसकी जानकारी लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

श्री खारबेल स्वाइं : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो ओईसीडी क्ट्रीज़ हैं, वे अपने एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर के लिए हर दिन एक बिलियन डालर सब्सिडी देते हैं, जो कि लगभग 4,800 करोड़ रुपए एक दिन की है। साल में जहां वे 350 बिलियन डालर सब्सिडी देते हैं, वहीं डेवलपमेंट असिस्टेंस दूसरे देशों को सिर्फ 50 बिलियन डालर देते हैं। इन हालात में नेचुरली उन देशों का जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसके दाम बहुत कम रहते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जब सब्सिडी के कारण उनकी कीमतें बहुत कम रहती हैं तो भारत सरकार कैसे चावल और गेहूं का निर्यात कर सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सब्सिडी देने का सवाल है, सब्सिडी के साथ विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो आपकी समझौते के आधार पर मापदण्ड और मानदण्ड तय हुए हैं, उनके अनुसार ही सरकार निर्यात करने के लिए अपने लक्ष्यों को और उन लक्ष्यों से अधिक से अधिक निर्यात, जो हमार बफर स्टाक है, उससे ज्यादा जो हमारे पास स्टाक है, हम कर सकें, इसी तुलनात्मक दृष्टि से विश्व व्यापार संगठन के मानदण्डों के अंतर्गत हमने निर्यात किया है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने उत्तर में दावा किया है कि 71 लाख टन अनाज इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए ये गेहूं 4.50 रुपए किलो देते हैं और एक्सपोर्ट 4.30 रुपए किलो करते हैं, इसके माने 20 पैसे किलो गरीबी की रेखा से नीचे अपने यहां के जो लोग हैं, उनसे 20 प्रति किलो अधिक लेते हैं, और विदेशियों से 20 पैसे कम लेते हैं, यही मतलब समझा जाए। हम सराकर से जानना चाहते हैं कि यह जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों से भी कम दाम पर विदेश के लोगों को ये अनाज दे रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? इसमें कितनी सब्सिडी लगती है? इन्होंने 71 लाख टन एक्सपोर्ट करने का, विदेश भेजने का जो दावा किया है, वह कौन–कौन से देश में कितना–कितना अनाज भेज़ा गया? ये यहीं के एक्सपोट्र्स को अनाज 4.30 रुपए में दे देते हैं और यहां के लोग उसे यहीं बेच लेते हैं, क्योंकि इकोनोमिकल प्राइस 8.50 रुपए रखा हुआ है और विदेश के के नाम पर 4.30 रुपए किलो दे रहे हैं। क्या सरकार इस बात को सदन को बताएगी कि सब्सिडी के साथ जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वह एक्सपोर्ट इसी देश में बिक रहा है, विदेश नहीं जा रहा है। आप बताएं कि किस देश को अपने कितना अनाज दिया, विदेश में भेजा, क्या इस सदन को आप बताएंगे? यह एक्सपोर्ट के नाम पर बड़ा भारी घोटाला है, बताइए।

श्री सुभाष महरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, उसमें पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 6.52 करोड़ परिवारों को, 36 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों को राशन दिया जाता है। उसमें भी अन्त्योदय योजना में दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल दिया जाता है। जहां तक राशनकार्डधारियों की बात है, जो आपने बताया, उन्हें उसी रेट से अनाज दिया जाता है। लेकिन सूखे कि स्थिति देश में बनी हुई है, उसमें फ्री आफ कास्ट भी दिया जाता है। जहां तक आपने पूछा है कि विदेशों को जो भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है, उसका दाम कम है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा और हमारे द्वारा जो अनाज विदेशों में भेजा जाता है, हमारी जो स्टाक रखने की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बाद हमारे पास न्यूनतम अनाज के अलावा जो बचता है, उसके आधार पर भेजा जाता है। स्टाक को रखने में अगर तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें, उस स्टाक को हमारे गोदामों में रखने का जो रखरखाव का खर्च आता है, उससे ज्यादा हमें निर्यात करने से रुपया मिलता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मंत्री जी यह स्पष्ट कर दें, मेरी जानकारी है कि 4.50 रुपए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को और विदेश वालों को ये 4.10 और 4.20 रुपए किलो दे रहे हैं। यदि सही एक्सपोर्ट इन्होंने किया है तो किस देश को कितना एक्सपोर्ट किया? हम दावा करते हैं कि वह अनाज एक्सपोर्टर लोग कम दाम में खरीदकर यहीं बेच रहे हैं और उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये सब्सिडी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। यह बड़ा भारी घोटाला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, कृपया सब लोग बैठिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि दूसरा प्रश्न हो, तो उत्तर दिया जाए।

श्री सुभाष महरिया : माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि वर्तमान में हम 2001–2002 और इससे पूर्व का जो हमारे पास कच्चे चावल का जो स्टाक था, उसकी कीमत 6260 रुपए प्रति मी. टन के हिसाब से रखी गई, यानी वह 6 रुपए 26 पैसे प्रति किलो हुई। वर्ष 2001–2002 और इससे पूर्व सेला चावल की कीमत 6615 रुपए प्रति मी. टन

रखी गई है। इसी प्रकार से गेहूं को अगर हम देखें तो हमारे पास स्टाक में 2001-02 और 2000-01 का जो गेहूं था, उसकी कीमत 4810 रुपये प्रति मी. टन रखी गई है, यानी वह 4 रुपए 81 पैसे प्रति किलो हुई जो कि राशन कार्डधारारियों को दिए जाने वाली राशि से ऊपर रखी गई है। वर्ष 2002–2003 के गेहूं के स्टाक के लिए जो राशि रखी गई, वह करीब 4950 रुपए प्रति टन रखी गई है, यानी वह 4 रुपए 95 पैसे प्रति किलो हुई। हम राशनकार्डधारियों को जो गेहूं और चावल देते हैं, उससे कम राशि न रखकर उससे ऊपर राशि रखी गई है। फिर भी विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार हमें उनसे प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए यह राशि देनी पड़ रही है अन्यथा हम इससे ऊपर राशि देते। जब विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिस्पर्द्धा में इससे ऊपर राशि आएगी तब हम इससे ऊपर राशि ले जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान केरल की एक कठिनाई की तरफ दिलाना चाहता हूं। केरल के आटा मिल मालिक पूरी तरह से गेहूं पर निर्भर हैं जो कि पंजाब से लाई जा रही है। अब उत्तर–पश्चिम रेलवे के मुख्य माल परिवहन प्रबन्धक द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें एफ.सी.आई. की ओर से केरल राज्य के लिए खाद्यान्नों की लदाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। अन्य क्षेत्रों को छूट देते हुए उन्होंने एक दूसरा आदेश भी निकाला है। परन्तु त्रिचुर या केरल को इसमें कोई छूट नहीं दी गई है, इसके परिणामस्वरूप काफी संख्या में अब केरल की आटा मिलें लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं।

इन खाद्यान्नों अर्थात एफ.सी.आई. के माध्यम से गेहूं प्राप्त करने के लिए पंजाब और अन्य क्षेत्रों के अलावा हम और कहीं नहीं जा सकते। अब रेल के डिब्बे और माल नहीं दिया जा रहा है। आटा और मैदा जो कि केरल से खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है, बंद हो गया है। एक ओर तो निर्यात कम हो गया और दूसरी ओर लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा हैं करेल के लिए गेहूं की पर्याप्त मात्रा जारी किए बिना लोग विशेषकर केरल के मिल मालिक और उनके कर्मचारी किस प्रकार कार्य करेंगे? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मूल सवाल का इससे कोई वास्ता नहीं है। इस बारे में, श्री ई. अहमद साहब का पत्र भी मेरे पास आया था। इस समस्या में एफ.सी.आई और फूड डिपार्टमेंट का कोई हाथ नहीं है बल्कि जो रैक्स हैं, उनकी कमी थी। उस कमी के बारे में हमारी रेलवे मिलिस्ट्री से लगातार बात होती आई है। निश्चित तौर पर श्री ई. अहमद ने जो प्रश्न उठाया है, उसे हम एग्जामिन कर रहे हैं। यह अकेले वहां का मामला नहीं है, देश भर का मामला है। उसे कैसे जल्दी ठीक किया जा सके, इसमें हमारी मिनिस्ट्री लगी हुई है और रेलवे मिनिस्ट्री से लगातार बात कर रही है। रैक्स का जो मामला है, वे दो मिनट में नहीं बनाए जाते लेकिन हम कोशिश में लगे हैं।

अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री में फ्लोर मिल हो, ड्राउट एरियाज में जो लोग सीवियरली सफर कर रहे हैं या बी.पी.एल. फैमिलीज़ को अनाज पहुंचाना हो, इन सब मामलों के निपटाने में हम लोग लगे हुए हैं और इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों का कार्यकरण

***64. डा. नीतिश सेनगुप्ता :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां 100 प्रतिशत या लगभग 100 प्रतिशत विदेशी नियंत्रित कंपनियों का दर्जा प्राप्त करने और उनको स्टाक एक्सचेंजों की सूची से बाहर निकालने के लिए वर्तमान उदारीकरण नीति का लाभ उठा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कदम से परिवर्तित (फ्लोटिंग) स्टाक की अत्यधिक कमी होने और भारतीय शेयर धारकों के लिए अच्छे लाभांश वाले शेयर लेने के अवसरों की कमी, दोनों तरह से भारतीय स्टाक बाजार पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। ऐसा कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) यहां मुख्य चिन्ता स्वभावतः असूचीयन संबंध में नहीं है किंतु असूचीयन के मामले में निवेशक के संरक्षण को उपायों के बारे में है। तदनुसार, सेबी द्वारा गठित एक समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, सेबी ने 17 फरवरी, 03 को सेबी (प्रतिभूतियों का असूचीयन) मार्गनिर्देश, 2003 जारी किए। इन मार्गनिर्देशों में यह प्रावधान है कि कंपनियां एक प्रतिवर्तित बही निर्माण प्रक्रिया के जरिए शेष शेयरधारकों को एक निकासी मार्ग की पेशकश करने के पश्चात ही स्टॉक एक्सचेंजों से स्वैच्छिक असूचीयन करा सकती हैं। यह तंत्र निदेशकों को मूल्य निर्धारण का विकल्प देगा और बाजार में पूर्णतः पारदर्शी होगा। इसके अतिरिक्त, प्रोमोटर निवेशकों के पिछले 26 सप्ताहों की उच्च तथा निम्न कीमतों के औसत के आधार पर एक सम मूल्य प्रस्तावित करेगा।

ये मार्गनिर्देश एक्सचेंजों से किसी कंपनी के असूचीयन को ध्यान में रखते हुए छोटे निवेशकों के हितों का संरक्षण करेंगे।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, मुझे मंत्री जी के उत्तर से निराशा हुई है। मैं नहीं समझता कि शेयर बाजार से आंकड़े मंगाकर तथ्य जानने का कोई प्रयास किया गया है। अगर ऐसा किया जाता, तो मुझे विश्वास है कि यह उनकी जानकारी में अवश्य आता कि काफी बड़ी संख्या में एक–सौ–एक प्रतिशत विदेशी पूंजी वाली विदेशी कंपनियां वापिस जा रही हैं और अपने को शेयर बाजार की सूची से हटवा रही हैं। उन्होंने प्रमुख मुद्दे को ही तोड़–मरोड़ दिया है। मुझे लगता है कि वे सैन्य भाषा के अधिक आदि हैं। यह कहकर कि निवेशकों को सुरक्षा देने की तरफ ध्यान दिया गया है उन्होंने भुलावा देने का प्रयास किया है, परन्तु प्रश्न यह नहीं था। मेरे प्रश्न में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारतीय शेयरधाराकों को लाभकारी कंपनियों के शेयर लेने के अवसरों से वंचित किया जा रहा है। पहले लगभग दो दशकों तक सरकार की नीति में इस बात पर जोर दिया जाता था कि लाभकारी विदेशी कंपनियों तथा अच्छा लाभांश देने वाली कंपनियों को भारतीय शेयरधाराकों को सम्मिलित करने के लिए बाध्य किया जाए। ऐसा सत्तर और अस्सी के दशकों के दौरान किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस नीति को समाप्त किए जाने के बारे में जानकारी है। यदि हां, तो क्या इसे संसद की जानकारी में लाया गया है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहले यह नीति संसद द्वारा स्वीकृत की गई थी।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दिए प्रमाण उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर देने में टालमटोल कर रहा हूं। महोदय, ऐसा नहीं है, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या काफी संख्या में कंपनियां सूची में से अपना नाम हटवा रही हैं। मैंने अपने उत्तर में कहा था, कि ऐसा नहीं है। ऐसा सामान्य तौर पर नहीं कहा जा सकता। मैं आपको अभी बता सकता हूं कि कितनी कंपनियां सूची में से हट गई हैं, लेकिन मेरी मंशा यह नहीं है।

1997–1998 और 2002–2003 के बीच वास्तव में कुल 62 कंपनियों के नाम सूची में से हटाए गए। इन 62 कंपनियों में से 41 भारतीय कंपनियां हैं और 21 को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जा सकता है, जो कि लगभग 30 प्रतिशत है–मैं अपनी किसी भी कल्पना से इन्हें बहुत अधिक संख्या नहीं कह सकता। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि ऐसी बात एक भूतपूर्व राजस्व सचिव और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री द्वारा कही गई है। अर्थशास्त्री अपने द्वारा कही गई बातों और शब्दों के चयन में काफी सावधान रहते हैं। अतः उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसमें कोई सुधार करना नहीं चाहता। लेकिन मैं वास्तविक स्थिति और तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूं।

दूसरे भाग में उन्होंने भारतीय शेयरधारकों, भारतीय निवेशकों द्वारा भारत में आने के इच्छुक बहुराष्ट्रीय निगमों में 26 प्रतिशत तक के शेयर प्राप्त करने वाले प्रावधान के बारे में पूछा है कि क्या ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं किया गया है। क्या इसका पूरी तरह पालन किया जाता है? नहीं, इसका पूरी तरह पालन नहीं किया जाता।

वित्त मंत्रालय लगातार कंपनियों से इस प्रावधान के पालन के लिए आग्रह करता रहा है। उन्होंने तर्क दिए हैं कि मूल प्रावधान किए जाने के बाद से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थितियों में काफी उदारता लाई गई है, आप अभी भी 26 प्रतिशत तक के भारतीय निवेश का बोझ हम पर क्यों लाद रहे हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत में निवेश लाने या विदेशी निवेश प्राप्त करते समय जो स्थितियां थीं, वही रहेंगी। उन्हें पूर्व प्रभाव से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे जो निगम भारत में आए थे और उन्होंने यहां निवेश किया था, उन पर भारतीय निवेशकों को 26 प्रतिशत तक निवेश के अवसर उपलब्ध कराने की बाध्यता रहेगी। उन्हें इस प्रावधान का पालन करना ही होगा।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इनमें से काफी बहुराष्ट्रीय कंपनियां,

श्री चिदम्बरम, जब वे वित्त मंत्री थे, द्वारा प्रदत्त सीमा शुल्क में डब्ल्यू.टी.ओ. की समय सीमा से भी पहले कमी करना तथा डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा कमी करना जैसे उपहारों का लाभ उठा रही हैं ताकि भारत में उनका निर्माण कार्य एकदम बन्द हो जाए और भारतीय बाजार ताइवान, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाइलैंड और अन्य स्थानों पर चल रहे उनके कारखानों के उत्पादों से भर जाएं। यदि एक सीमा तक हम पुराने उपनिवेशवाद के समय में नही लौट रहे जब कि भारत दूसरे देशों के उत्पादों के लिए एक बाजार और कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला मात्र था, तो इस संबंध में क्या सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं? कृपया उनका ब्यौरा दें।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा मेरे पूर्व वित्त मंत्री के बारे में व्यक्त की गई राय से मैं सहमत नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छी नीति होगी कि मुझसे अपने पूर्व रहे सब वित्त मंत्रियों पर टिप्पणी करने का आग्रह किया जाए, तब मुझे उचित रूप से अपना उत्तरदायित्व पूरा करने में काफी कठिनाई होगी।

दूसरे भाग में कहा गया है कि क्या भारत कहीं और बनी वस्तुओं का गोदाम तो नहीं बन रहा है। फिर से मैं कहूंगा कि एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, जो कि एक उत्कृष्ट संस्थान भी चला रहे हैं, द्वारा यह एक निराशाजनक प्रश्न पूछा गया है। वास्तव में देश के निर्माण क्षेत्र विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र ने इस वर्ष 7 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। अगर भारत और कहीं बनी वस्तुओं का भण्डार होता तो यह संभव नहीं था। किसी भी प्रकार के उपनिवेशवाद, राजनीतिक या डालर–साम्राज्यवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अपने शिष्यों को गलत पाठ पढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी जो जवाब दिया है, उसमें एक बात वह भी महसूस करते हैं कि कोई दिशा–निर्देश न होने की वजह से विदेशी कंपनियां 'सेबी' और उसके नियंत्रणों से मुक्त होना चाहती थीं ताकि वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और इसीलिए हम लोगों ने सवाल उठाया कि दिशा–निर्देश देने का क्या सरकार का कोई इरादा है? माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि 17 फरवरी को ही दिशा–निर्देश जारी किए हैं यानी अभी चार दिन पहले ही हुए हैं और उसके पहले लगातार मीडिया में आता रहा और लोगों ने भी इस बात को महसूस किया कि कहीं ये लोग हमारे यहां की कंपनियों पर कब्जा न कर लें। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कितनी विदेशी कंपनियों ने सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन किया है और मंत्री जी यह भी बताएं कि सरकार इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर किस प्रकार की निगरानी रख रही है? वैसे आपने अपने जवाब में कहा है कि इसको हम अलग–अलग नहीं कर सकते लेकिन इस प्रकार का डर सारे लोगों में है और ऐसा होता है ताकि वित्तीय संस्थानों को वे धोखा न दे सकें। ऐसा बार–बार अपने यहां हुआ है, अतः इस बात को भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि आपके दिशा–निर्देश हाल ही में आए हैं और हम लोग उनसे अवगत नहीं हैं। वे कंपनियां ऐसी गतिविधियों में संलिप्त न हों जिससे स्टॉक मार्केट के कार्यक्रम को नुकसान न हो। कृपा करके माननीय मंत्री जी इस बात को साफ बताएं।

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आपका ऐसा कहना कि क्योंकि दिशा–निर्देश नहीं थे, इसलिए यह सब समस्या खड़ी हुई है, यह अपने आप में तथ्यों से परे है। दिशा–निर्देश थे लेकिन उनका पालन पूरी तरह से नहीं हुआ है, यह सही है। ये दिशा–निर्देश वैसे आप देखें कि अप्रैल, 1998 से लागू हुए थे और ये डीलिस्टिंग के बारे में है।...*(व्यवधान)* अभी 17 फरवरी को ही हुए हैं...*(व्यवधान)* क्योंकि मुझे भी नौकरी अभी मिली है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 17 फरवरी को 'सेबी' ने इस बारे में बहुत ही विस्तृत तौर पर दिशा–निर्देश दिए हैं। आपके प्रश्न का दूसरा पहलू था कि कौन–कौन सी कंपनियां हैं या कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने इनका पालन नहीं किया है, विशेषकर 26 प्रतिशत प्रावधान का, इसमें आप चाहे तो मैं नाम पढ़ दूं लेकिन नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सदन का समय जाएगा परन्तु अपने आप में भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां हैं और कुल मिलाकर लिस्टेड कंपनियां हैं। 21 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने दिशा–निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। मुझे 21 कंपनियां स्वीकार्य भी नहीं हैं परंतु यह महसूस नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी कंपनियों ने इनका पालन नहीं किया है लेकिन 21 कंपनियों ने निश्चित रूप से से इनका पालन नहीं किया है। मैंने अभी–अभी बात दोहराई है कि जिन नियमों के तहत ये कंपनियां आई थीं, उनके आने के बाद अगर रूल्स में कुछ बदलाव आया है तो वह बदलाव इन पर लागू नहीं होगा। उन्हें उन्हीं रूल्स का पालन करना पड़ेगा, जिन रूल्स के तहत वे आए थे और 26 प्रतिशत इंवैस्टमैंट की ऑपरच्यूनिटी जो भारतीयों को देनी थी, वह देनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 65, श्री टी.एम.सेल्वागनपति —अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 66, श्री इकाबाल अहमद सरडगी—अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 67, श्री आदित्यनाथ योगी —अनुपस्थित

श्री चिन्मयानन्द स्वामी —अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 68, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

[हिन्दी]

भारतीय वस्तुओं का पेटेन्ट

+

68. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वेद, आयुर्वेद, गायत्री मंत्र, नीम, बासमती चावल और कढ़ी आदि जैसी प्राचीन विरासत को अनेक देशों ने पेटेन्ट करा लिया है;

(ख) क्या हमारी विरासत जैसे औषधीय पौधों और अन्य परंपरागत वस्तुओं का भी पेटेन्ट कराने के लिए अन्य देशों के बीच होड़ लगी हुई है;

(ग) यदि हां, तो विदेशियों द्वारा हमारे देश की प्राचीन विरासत के पेटेंटीकरण को रोकने हेतु सराकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस मामले में क्या सावधानियां बरती गई हैं?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) एक विवरण–पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 6 पेटेंटों सहित, बौद्धिक संपदा अधिकारों को विभिन्न देशों के संप्रभुतासंपन्न विशेषाधिकारों के तहत उनके अपने–अपने पेटेंट कानूनों के अनुसार प्रदान किया जाता है, और इनका प्रभाव उनके क्षेत्राधिकार तक ही सीमित होता है, अर्थात ये उक्त कानून केवल उसी देश में प्रभावी होते हैं जहां उन्हें प्रदान किया जाता है। फिर भी वेद, आयुर्वेद, गायत्री मंत्र पेटेंटनीय नहीं हैं। पेटेंट केवल किसी ऐसे संसाधान अथवा उत्पाद के लिए ही प्रदान किए जाते हैं जो पेटेंटनीयता के मानदण्डों को पूरा करते हों अर्थात उसमें नवीनता, आविष्कार और औद्योगिक व्यवहार्यता के गुण मौजूद हों। भारत की प्राचीन विरासतों, जैसे वेदों, आयुर्वेद, गायत्री मंत्र, आदि को पेटेंट करा लिए जाने संबंधी सूचना वास्तविक रूप में सही नहीं हैं और इसे व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसे शब्दों के प्रचलन से अलग करके देखा जाना चाहिए, जिसके लिए वाणिज्यिक और अन्य संगठन द्वारा उपयुक्त कानूनों के तहत व्यापार चिह्न पंजीकरण की मांग की जाती है/उसे प्राप्त किया जाता है।

जब कभी भी किसी ऐसी मद के बारे में पेटेंट प्राप्त करने संबंधी सूचना मिलती है, जिन्हें पेटेंटनीय नहीं समझा जाता और जिनसे भारतीय हितों पर प्रभाव पड़ता है, तो यह निर्धारित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि क्या संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के तहत इस प्रकार के पेटेंट को चुनौती दी जा सकती है। पूर्व में, घाव भरने के लिए हल्दी के उपयोग पर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पेटेंट प्रदान किया गया था, जिसे सफलतापूर्वक चुनौती दी गई तथा इसे संबद्ध देश के पेटेंट कार्यालय द्वारा रद्द भी कर दिया गया है। इसी प्रकार, यूरोप में नीम के फफूंदनाशक गुण पर प्रदान किए गए एक पेटेंट को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। बासमती राइसलाइन और अनाज पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किए गए पेटेंट के दावों को भी चुनौती दी गई, क्योंकि इनसे भारत के वाणिज्यिक हितों के प्रभावित होने की संभावना थी। तत्पश्चात यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेड मार्क आफिस द्वारा उक्त दावे रद्द कर दिए गए थे और पेटेंट के शीर्षक में भी संशोधन किया गया। सामान्यतः किसी पेटेंट को ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुनौती दी जाती है जिनके हित प्रभावित होते हैं/खतरे में पड़ जाते हैं।

(ग) और (घ) परम्परागत ज्ञान का पेटेंट किए जाने से संरक्षण करने हेतु मौखिक ज्ञान सहित उपलब्ध स्थानीय ज्ञान के जरिए आविष्कार की प्रत्याशा को पेटेंट का विरोध किए जाने अथवा इसका प्रतिसंहरण करने के एक आधार के रूप में सम्मिलित करने के लिए पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के जरिए भारतीय पेटेंट कानून में उपबंध समाविष्ट किए गए हैं। कोई भी आविष्कार, जो कि वास्तव में, एक परम्परागत ज्ञान है अथवा जो परम्परागत रूप से ज्ञात संघटक अथवा संघटकों के ज्ञात गुणों का समुच्चय

अथवा उसकी नकल है, को भी गैर–पेटेंटनीय बना दिया गया है।

जैव–संसाधनों का संरक्षण करने के लिए, उक्त कानून में, भारत में पेटेंटों के लिए आवेदन करते समय, आविष्कार में प्रयुक्त जैव–सामग्री के स्रोत और भौगोलिक उद्गम का अनिवार्यता प्रगटीकरण करने से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं। पेटेंट का विरोध करने और यदि पेटेंट प्रदान कर दिया गया है, तो इसका प्रतिसंहरण करने, के आधारों के रूप में उक्त का अप्रकटीकरण अथवा गलत प्रकटीकरण को सम्मिलित करने के लिए भी उपबंध समाहित किए गए हैं।

इनके अतिरिक्त, सरकार परंपरागत ज्ञान के आधार पर गलत ढंग से पेटेंटों को प्रदान करने पर रोक लगाने हेतु औषधीय पौधों के क्षेत्र में ऐसे परम्परागत ज्ञान के डिजिटल आंकड़ा आधार का विकास कर रही है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश के लोगों को बराबर जानकारी होती रहती है कि कभी वेदों को पेटेंट, कभी गायत्री मंत्र का पेटेंट और कभी गोमूत्र का पेटेंट हो गया। इसके अलावा चूहेदानी का भी पेटेंट हो गया है और कभी कढ़ी, नीम तथा हल्दी का भी पेटेंट हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी से प्रश्न पूछें, क्योंकि समय कम है और उत्तर नहीं आएगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जो आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों से बनाई गई दवाएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की चीज हैं, जिनको हमारे पुरखों ने अनुसंधान करके हजारों–लाखों वर्षों से हासिल किया था, उनके बारे में विदेशों से हमें जहां–तहां सुनने में आ रहा है कि विदेशी इन चीजों को पेटेंट करा रहे हैं। इस विरासत की सम्पत्ति को पेटेंट होने से रोकने के लिए और जो इंटलैक्चुअल प्रापर्टी राइट्स कानून बना हुआ है, उसके तहत हमारी विरासत की सुरक्षा हो सके, उसके लिए आपने क्या सावधानी बरती, आप क्या करने जा रहे हैं? इसके साथ ही क्या हमें इस बात की जानकारी मिल सकती है कि कौन–कौन मुल्क कब–कब हमारी चीजों को पेटेंट करा रहे हैं और उसे खाली कराने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि आपको उत्तर नहीं चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने ध्यान नहीं दिया है कि इसके विश्लेषण क्या होंगे। जहां तक पेटेंट का विषय है, ये तमाम चीजें हमारी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हैं जैसे वेद हैं, इनका पेटेंट नहीं हो सकता, यह आप स्पष्ट रूप से सुन लें। इनके बारे में जो आप चर्चा सुनते हैं वह मूलतः ट्रेड रजिस्ट्रेशन के बारे में होती है, जो ट्रेड लेबल्स होते हैं, उनके बारे में है। मैं सदन को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक ज्ञान की वस्तुएं हैं, जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी चाहे पीढ़ीगत तरीके से हो या सामान्य रूप से जो पब्लिक गवर्नेंस के सब्सटांस हैं, उसके बारे में जानकारी हो, तो उनका पेटेंट नहीं किया जा सकता। जिनके बारे में आपने वर्णन किया है कि विदेशों में आयुर्वेद, गोमूत्र का पेटेंट हुआ है या आपने नीम और बासमती के बारे मे कहा तो मैं कहना चाहता हूं कि जब नीम और बासमती की आप चर्चा कर ते हैं, इनका पेटेंट नहीं हो सकता, सिर्फ इनका ट्रेड रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट होता है, वह भी उस देश में जहां पर जाकर कोई ये चीजें रजिस्टर्ड कराते हैं। पारम्परिक रूप से इनके रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है। इन्होंने यह प्रश्न उठाया कि सरकार इस संबंध में क्या कर रही है। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि जहां तक पेटेंट का मामला है, यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य पेटेंट के बारे में कह रहे हैं या ट्रेड मार्क के बारे में कह रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन सब चीजों का पेटेंट नहीं हुआ है, न ही इनको पेटेंट किया जा सकता है। अगर किसी विषय को पेटेंट किया जाना है तो उसके लिए मूलतः तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहली है नोवल्टी होनी चाहिए यानी नयापन होना चाहिए, दूसरी चीज है कि उसका इंवेंशन यानी आष्किार होना चाहिए और तीसरी चीज है कि उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलटी होनी चाहिए यानी औद्योगिक उपयोगिता होनी चाहिए। इन तमाम चीजों में यह क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती है इसलिए इनका पेटेंट सम्भव नहीं है। अगर आप विस्तार से चाहेंगे तो मैं और भी बता सकता हूं।

जहां तक सरकार के प्रयासों के बारे में इन्होंने चर्चा की है, मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : उत्तर को सदन में सभा पटल पर रखा जा सकता है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं स्पष्टीकरण दे सकता हूं और गहोदय मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर बहुत बड़ा है तो इसे रखा जा सकता है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : बहुत कम समय बचा है... *(व्यवधान)* मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सरकार के प्रयासों के बारे में जो इन्होंने चर्चा की है तो सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक ट्रैडीशनल नॉलिज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें 35 हजार फार्मूलेशन्स हैं। इनमें 14 आयुर्वेदिक टैक्स्ट्स पांच भाषाओं में हैं। हिंदी के अलावा फ्रैंच, इंग्लिश, स्पेनिश और जापानी में ये टैक्स्ट्स हैं। इन सब चीजों का डाटा–बेस हम सारी दुनिया को दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* बिहार सरकार के पेटेंटीकरण के बारे में कुछ बोलेंगे तो मैं कुछ और उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गन्ने की खरीद

*62 **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों ने पिछले वर्ष की 95–100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसानों से गन्ना खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले वर्ष के बजट में चीनी पर से नियंत्रण हटाने और प्रति माह चीनी जारी करने के बदले तीन माह में एक बार चीनी जारी करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आदेश जारी करने के क्या कारण है;

(घ) क्या चीनी मिल मालिकों ने खुले बाजार में सस्ते दर पर लेवी चीनी बेचने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है, क्योंकि 1213 रुपए प्रति क्विंटल की दर के बावजूद लेवी चीनी के खरीददार नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों द्वारा सामना किए जा रहे संकटों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1996 के उपबंधों के अधीन गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य तय करती है। पिछले चीनी मौसम (2001–2002) में, गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 62.05 रुपए प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया था, जोकि 8.5 प्रतिशत की रिकवरी स्तर से संबद्ध। चालू चीनी मौसम के लिए, केन्द्रीय सरकार ने गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 8.5 प्रतिशत की रिकवरी से संबद्ध कर 69.50 रुपए प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों को चालू मौसम में गन्ने की खरीद करनी है।

जनवरी–मार्च, 2002 की तिमाही के लिए मुक्त बिक्री चीनी तिमाही आधार पर रिलीज की गई। इसके बाद चीनी उद्योग के शीर्ष संगठनों के अभ्यावेदन पर मासिक रिलीज प्रणाली को बहाल कर दिया गया।

(घ) और (ङ) चीनी मिल मालिकों से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) गन्ना उत्पादकों तथा चीनी उद्योग के हित में हाल में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक :

20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक सृजित किया गया है, जिसमें 412 करोड़ रुपये चीनी विकास निधि से मुहैया किए जाएंगे; 374 करोड़ रुपये बैंकों द्वारा बफर स्टाक के प्रति रिलीज किए जाएंगे। इस प्रकार, किसानों को गन्ना मूल्य बकाया धनराशि के भुगतान के लिए 786 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी।

(ii) 2002-2003 चीनी मौसम के लिए गन्ना के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में 5.00 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि

केन्द्रीय सरकार ने 2002–2003 के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य को पूर्व में 64.50 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया था जो 8.5 प्रतिशत की रिकवरी स्तर से संबद्ध है इसमें इस स्तर से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत बिन्दु की अधिक रिकवरी पर

0.76 रुपये का प्रीमियम देय होगा। गन्ना उत्पादकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 2002–2003 मौसम के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में 5 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर अर्थात 69.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया जो 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से संबद्ध है। इसमें इस स्तर के प्रत्येक 0.1 प्रतिशत बिन्दु की अधिक रिकवरी पर 0.82 रुपये का प्रीमियम देय होगा। फैक्ट्रीवार सांविधिक न्यूनतम मूल्य दिनांक 09.01.2003 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

(iii) आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति

यह निर्णय किया गया है कि चीनी फैक्ट्रियों को आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाए। चीनी की निर्यात खेपों पर आए आंतरिक ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। इसी प्रकार, चीनी की निर्यात खेपों के प्रति 350 रुपये प्रति टन की दर पर महासागरीय भाड़ा हानि के निष्प्रभावीकरण के लिए अब प्रतिपूर्ति की जाएगी।

[अनुवाद]

ऋण विनिमय योजना

***65. श्री टी. एम. सेल्वागनपति** : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण विनिमय योजना (डेब्ट स्वैप स्कीम) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जो सरकार की प्रस्तावित ऋण विनिमय योजना से सहमत हो गए हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा योजना में सुधार करने हेतु दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन सुझावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) ऋण विनिमय योजना का उद्देश्य वर्तमान कम ब्याज दर पर अल्प बचत वाले मौजूदा लो कूपन एवं खुला बाजार ऋणों का उपयोग करना है, ताकि राज्य विगत में भारत सरकार से अनुबंधित महंगे ऋणों की अदायगी समय से पहले ही कर सकें। चालू वर्ष में राज्यों को सितम्बर से अदा किए जाने वाले निवल अल्प बचत ऋणों की 20 प्रतिशत राशि का उपयोग विगत ऋण को पहले अदा करने के लिए किया जाएगा। इसकी अनुपूर्ति उसी प्रयोजन हेतु खुले बाजार से 10,000 करोड़ रुपये का ऋण लेकर की जाएगी। 2003–04 में 30 प्रतिशत निवल अल्प बचतों का उपयोग बाजार से अतिरिक्त ऋण लेकर विनिमय के लिए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2004–05 में, विनिमय निवल अल्प बचतों और खुले बाजार से अतिरिक्त ऋण के 40 प्रतिशत तक प्रभावित होगा।

(ख) सरकार की प्रस्तावित ऋण विनिमय योजना से सभी राज्य सहमत हो गए हैं। जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने 2003–04 से ऋण विनिमय योजना में भाग लेने का निर्णय लिया है तथा अन्य सभी राज्य चालू वित्तीय वर्ष में सितम्बर से इस योजना में भाग लेने के लिए सहमत हो गए हैं।

(ग) और (घ) नकदी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि 20 प्रतिशत निवल अल्प बचत ऋणों को उच्च लागत वाले ऋण को चुकाने के लिए चालू वर्ष के दौरान समायोजित नहीं किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने संशोधित ऋण विनिमय योजना 2002–03 निरूपित की, जिसमें राज्यों को देय अल्प बचत ऋणों की 20 प्रतिशत निवल राशि का उपयोग भारत सरकार को उच्च लागत वाले ऋणों का विनिमय करने के लिए किया जाएगा।

खाद्य तेल की कीमत

***66. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा वर्ष 2002 के दौरान सबसे अधिक थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों में प्रत्येक माह के दौरान किए गए इन तेलों के आयात का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2003 के दौरान इनका कितनी मात्रा में आयात किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या हाल ही में खाद्य तेलों की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने और खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) हाल के वर्षों के दौरान आयात की गई खाद्य तेलों की मात्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष (अप्रैल–मार्च)	खाद्य तेलों का आयात*
1	2
1999–2000	41.96
2000–2001	41.77
2001–2002 (अनंतिम)	42.14
2002–2003 (अप्रैल–अक्तूबर, 02)	24.83

*स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय।

(ख) खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। अप्रैल–अक्तूबर, 2002 के दौरान 24.83 लाख टन खाद्य तेल आयात किए गए थे, जबकि 2001 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 27.99 लाख टन खाद्य तेल आयात किए गए थे। फिलहाल, सरकारी खाते पर खाद्य तेल आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले कुछ महीनों के दौरान देश में खाद्य तेलों के मूल्य निम्नानुसार रहे हैं :

(मूल्य रु. प्रति क्विंटल में)

	15.2.2003 की स्थिति के अनुसार मूल्य	15.11.2002 की स्थिति के अनुसार मूल्य	तीन माह में प्रतिशत अन्तर	15.08.2002 की स्थिति के अनुसार मूल्य	छह माह में प्रतिशत अन्तर
सरसों का तेल	4000	4250	–5.88	3780	+5.82
मूंगफली का तेल	5450	4730	+15.22	5150	+5.83
सोयाबीन का तेल	4060	4210	–3.56	3720	+9.14
सीसम का तेल	4800	4500	+6.67	4210	+14.01
सूरजमुखी का तेल	4700	4900	–4.08	5050	–6.93
बिनौले का तेल	4100	4150	–1.20	3850	+6.49
नारियल का तेल	5850	5475	+6.85	4750	+23.16
वनस्पति (15 लीटर पैक)	670	675	–0.74	640	+4.69

स्रोत : एकोनोमिक टाइम्स/बिजनेस लाइन

(ङ) इस संबंध में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) खाद्य तेलों के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस पर दी गई है,

(ii) खाद्य तेलों के आयात शुल्क के ढांचे की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और मूल्यों तथा उपलबधता की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है,

(iii) अल्प–बीजक को रोकने के लिए पाम तेल और इसके उत्पादों तथा सोयाबीन तेल के लिए समय–समय पर प्रशुल्क कीमत निर्धारित की जाती है,

(iv) वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए क्रूड सूरजमुखी के तेल अथवा सैफलोवर तेल और परिष्कृत रेप, कोलजा अथवा सरसों तेल के लिए कुल आयात के औसत प्रशुल्क दर कोटे पर रियायती शुल्क की दर की अनुमति है।

[हिन्दी]

सरकारी प्रतिभूतियों का एक्सचेंज आधारित व्यापार

***67. श्री योगी आदित्यनाथ :**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक) की एक्सचेंज आधारित व्यापार करने के संबंध में अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतिभूतियों के संबंध में एक्सचेंज आधारित व्यापार करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) जी, हां। तीन स्टाक एक्सचेंजों, नामशः नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एन.एस.ई.), मुम्बई स्टाक एक्सचेंज (बी.एस.ई.) तथा ओवर दि कांउटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओ.टी.सी.ई.आई.) में 16 जनवरी, 2003 से सरकारी प्रतिभूतियों का स्क्रीन आधारित व्यापार आरम्भ हो गया है।

(ख) आरम्भ में, सभी बकाया तथा नवीन रूप से निर्गमित केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों का एन.एस.ई., बी.एस.ई. तथा ओ. टी.सी.ई.आई., के स्वचालित, अज्ञात आदेश चालित प्रणाली पर व्यापार होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेबी के परामर्श से राजकोषीय हुण्डियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां एवं अन्य प्रतिभूतियां, जो सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में पात्र हैं, चरणबद्ध रूप से शामिल की जाएंगी।

प्रणालियों, प्रक्रमों तथा प्रक्रियाओं के बारे में बाजार तथा इसके भागीदारों की अच्छी जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक्सचेंजों में सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार के लिए इक्विटी व्यापार मॉडल अपनाने का निर्णय किया गया है। अनुमति प्राप्त एक्सचेंजों में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार उसी तरीके से किया जाएगा, जैसा कि इक्विटी व्यापार के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में सभी खुदरा एवं अन्य निवेशकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टाक एक्सचेंजों की देशव्यापी, अज्ञात, आदेश चालित, स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार आरम्भ किया गया है। इससे निवेशकों को विद्यमान बचत लिखतों, यथा तदनुरूपी अवधि की बैंक जमाओं का विकल्प प्राप्त होगा।

इसके अतिरिक्त, यह देश भर के विभिन्न निकायों, यथा ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों, भविष्य तथा पेंशन निधियों को भी आसानी से, पारदर्शितापूर्ण तथा सुरक्षित तरीके से सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार में भागीदारी के लिए सक्षम बनाएगा।

केलकर समिति की रिपोर्ट

***69. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केलकर समिति ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें कौन सी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ग) वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री के सलाहकार श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में गठित दो समितियों की सिफारिशें बजट प्रक्रिया के भाग के रूप में विचाराधीन हैं, जिन पर वर्तमान में टिप्पणी नहीं की जा सकती।

चीनी के उत्पादन और निर्यात पर कर/शुल्क

***70. श्री रतन लाल कटारिया :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चीनी के उत्पादन और निर्यात पर कितना कर/शुल्क लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार चीनी मिलों को कुछ प्रोत्साहन देगी ताकि किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) चीनी के उत्पादन पर केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शुल्क लगाए जाते हैं :

(रुपये प्रति क्विंटल में)

शुल्क/कर	मुक्त बिक्री की चीनी	लेवी चीनी
मूल उत्पाद शुल्क	34	17
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	37	21
चीनी उपकर	14	14
जोड़	85	52

2. गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग के हित में हाल में निम्नलिखित प्रोत्साहन लागू किए गए हैं :

(i) 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक

हाल ही में 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक सृजित किया गया है, जिसमें चीनी विकास निधि से 412 करोड़ रुपये दिए जाएंगे; बफर स्टाक के कारण बैंकों द्वारा 374 करोड़ रुपये रिलीज किए जाएंगे। इस प्रकार किसानों के लिए गन्ना मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु 786 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध हो जाएगी।

(ii) आंतरिक ढुलाई और समुद्री भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति

यह निर्णय किया गया है कि चीनी कारखानों को आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाए। चीनी की निर्यात खेपों पर पड़ने वाले आंतरिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की अनुमति पहले ही दे दी गई है। इसी प्रकार चीनी की निर्यात खेपों पर 350 रुपये प्रति टन पर समुद्री भाड़ा खर्च के निष्प्रभावीकरण की अब प्रतिपूर्ति की जाएगी।

लघु उद्योगों और मध्य श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज दर

***71. श्री राम रघुनाथ चौधरी :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय लघु और मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज दर कम करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) बैंकों द्वारा इन औद्योगिक इकाइयों को बेहतर ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) बैंक लघु औद्योगिक इकाइयों को इकाइयों की अर्थक्षमता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। 5 करोड़ रुपये तक की उधार सीमाओं के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का परिकलन इकाई के अनुमानित वार्षिक कारबार के न्यूनतम 20 प्रतिशत की सरलीकृत विधि के आधार पर किया जाता है। बैंक लघु औद्योगिक इकाइयों को 25 लाख रुपये तक का संमिश्र ऋण भी प्रदान करते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु औद्योगिक इकाइयों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर में किसी कटौती का सुझाव नहीं दिया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज की दर इस समय ब्याज दरों में गिरावट की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करनी चाहिए और अच्छे पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड वाली लघु औद्योगिक इकाइयों को मूल उधार दर (पीएलआर) की तुलना में कम विस्तार प्रदान किया जाए।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण संवितरण की प्रणाली में सुधार करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। ये निम्नलिखित हैं :

(1) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई उनकी कुल निधियों में से, कम से कम 40 प्रतिशत संयंत्र एवं मशीनरी में 5 लाख रुपये तक निवेश करने वाली इकाइयों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और 20 प्रतिशत संयंत्र एवं मशीनरी में 5 लाख रुपये और 25 लाख रुपये के बीच निवेश करने वाली इकाइयों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस प्रकार, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों का

60 प्रतिशत अति लघु क्षेत्र में लघु इकाइयों को मिलना चाहिए।

(2) अति लघु क्षेत्र का संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण के लिए उधार सीमा में वृद्धि करके 1 लाख से 5 लाख रुपये करना। लघु उद्योगों को ऋण के प्रवाह में और सुधार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि बैंक इकाइयों के पिछले अच्छे कार्यनिष्पादन रिकार्ड और वित्तीय स्थिति के आधार पर ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता को समाप्त करने की सीमा विद्यमान 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर सकते हैं।

(3) बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखा खोलें। इसके अलावा, समग्र रूप से इस क्षेत्र को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों को लघु उद्योग क्षेत्र को 60 प्रतिशत या इससे अधिक अग्रिम प्रदान करने वाली सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाओं के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(4) संमिश्र ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना।

(5) न्यूनतम 20 प्रतिशत अनुमानित वार्षिक कारबार के आधार पर कार्यशील पूंजी के परिकलन के लिए उधार सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना।

(6) अति लघु क्षेत्र तक बैंकों की पहुंच में वृद्धि करना, अति लघु क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों या अन्य वित्तीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अन्तर्गत शामिल करना।

(7) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा नई ऋण गारंटी योजना शुरू किया जाना, जिसके अन्तर्गत 25 लाख रुपये तक के संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण इस योजना के अन्तर्गत गारंटी के लिए शामिल किए जाते हैं।

(8) राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना की सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक करना।

(9) कमजोर वर्गों को अग्रिम के अंतर्गत गणना के लिए कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत ऋण सीमा 25,000/– रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 50,000/– रुपये कर दी गई है।

(10) अति लघु क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत निवेश निर्धारित करना।

खाद्यान्नों संबंधी विश्व व्यापार संगठन की बैठक

***72. श्री नवल किशोर राय :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर 2002 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा आयोजित बैठक में विकसित देशों ने अनेक कृषि उत्पादों को विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मुद्दे पर भारत द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में लिए गए अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विभिन्न सदस्यों से प्राप्त विशिष्ट निविष्टियों के आधार पर कृषि करार के तहत वार्ताओं के संभावित तौर तरीकों पर विचार विमर्श जारी रखने के लिए डब्ल्यूटीओ की कृषि संबंधी समिति की विशेष सत्र में बैठक अनौपचारिक रूप से 18–20 नवम्बर, 2002 को तथा औपचारिक रूप से 22 नवम्बर, 2002 को हुई थी। कृषि संबंधी समिति की बैठक दिसम्बर, 2002 में नहीं हुई थी।

हालांकि कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के क्षेत्र से किसी

कृषि उत्पाद को अलग रखने के लिए किसी विकसित सदस्य देश द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है तथापि यूरोपीय समुदाय, जापान, नार्वे और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ विकसित सदस्य देशों ने चावल, मांस एवं मांस उत्पादों, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों जैसे उत्पादों में लोचशीलता का प्रस्ताव किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के रख रखाव, पशु कल्याण जैसी गैर व्यापारिक चिंताओं तथा उत्पादन की अलाभकारी स्थितियों वाले क्षेत्रों में व्यावहारिक घरेलू कृषि क्षेत्र के अन्य पहलुओं पर समुचित ढंग से विचार किया जा सके। अतः इन सदस्यों ने उत्पादों के बीच अलग अलग प्राथमिकताओं पर ध्यान देने, टैरिफ दर कोटा के अन्तर्गत वर्तमान मात्राओं को बनाए रखने, अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करने के लिए आयात में किसी वृद्धि के खिलाफ वर्तमान विशेष रक्षोपायों का दायरा बढ़ाने तथा इस प्रकार की गैर–व्यापारिक चिंताओं के निवारण हेतु सरकारी सहायता के लिए कमी संबंधी वचनबद्धताओं से छूट हेतु चुनिंदा टैरिफ कमियों का प्रस्ताव किया है।

(ग) भारत ने उल्लेख किया है कि विकासशील देशों द्वारा बाजार पहुंच से संबंधित आगे की वचनबद्धताएं समस्त व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी, विकासशील देशों के निर्यात हित के समस्त कृषि उत्पादों पर विकसित देशों द्वारा सभी प्रकार की निर्यात इमदाद की समाप्ति और इन उत्पादों की बाजार पहुंच में पर्याप्त वृद्धि पर निर्भर करती हैं। तथापि, विकासशील देशों द्वारा बाजार पहुंच संबंधी किसी वचनबद्धता में उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों, विकास संबंधी जरूरतों, खाद्य एवं आजीविका की सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास की जरूरतों का पूरा–पूरा ध्यान रखा जाएगा। भारत ने उल्लेख किया है कि वार्ता हेतु अधिदेश में यह प्रावधान है कि विकासशील देशों के लिए विशेष और अलग प्रकार का व्यवहार कृषि वार्ताओं के समस्त तत्वों का अभिन्न अंग होगा।

(घ) वार्ताएं 1 जनवरी, 2005 तक सम्पन्न होंगी।

[अनुवाद]

खाद्यान्न का भंडारण

***73. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के भंडारण और पारगमन में चोरी के कारण कितनी धनराशि की हानि हुई;

(ख) भविष्य में ऐसी हानियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को और अधिक खाद्यान्न प्रदान करने का है जहां ऐसी हानियां अधिक हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) खाद्यान्नों के भंडारण और ढुलाई में चोरी/उठाईगिरी के कारण भारतीय खाद्य निगम को हुई धनराशि संबंधी हानि (1999–2000 और 2000–2001 के लिए) के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्नानुसार दी गई है

वर्ष	अदा की गई राशि (लाख रु. में)
1999–2000	40.74
2000–2001	30.23 (अनंतिम)

(ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की चोरी/उठाईगिरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं :

(i) चारदीवारी की कांटेदार तारों से बाड़ लगाने, गोदामों में रोशनी की व्यवस्था करने और गोदामों को सुरक्षित रखने के लिए शैडों में उचित रूप से ताला लगाने' जैसे भौतिक उपाय करना।

(ii) खाद्यान्नों के स्टाक की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम के सुरक्षा कार्मिकों (और होम गार्डों) को तैनात करना।

(iii) संवेदनशील डिपुओं पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल को लगाना।

(iv) चोरी/सुरक्षा कमियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए डिपुओं की विभिन्न स्तरों पर आवधिक सुरक्षा निरीक्षण तथा औचक जांच की जाती है।

(v) चोरी होने पर मामले के जांच करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करना।

मार्ग में खाद्यान्नों की चोरी/उठाईगिरी को रोकने के लिए रेलवे द्वारा किए गए निवारक उपाय निम्नानुसार हैं :

(i) संवेदनशील केन्द्रों की पहचान करना और संवेदनशील खंडों में मालगाड़ियों की सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया जाना।

(ii) रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यार्डों और अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंडों में गहन बीट पैट्रोलिंग किया जाना।

(iii) चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिए संवेदनशील डिपुओं में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करना।

(iv) चुनिंदा रेलशीर्ष ट्रांसशिपमेंट और गंतव्य/परेषण केन्द्रों पर विशेष दस्ते द्वारा जांच किया जाना।

(v) इलैक्ट्रानिक लारी तोल सेतु स्थापित करना और उनका औचक निरीक्षण करना।

(vi) अपराधियों और चोरी की गई सम्पत्ति को लेने वालों को पकड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के बीच गहन समन्वय स्थापित करना।

(vii) आपराधिक आसूचना के आधार पर अपराधियों/चोरी की सम्पत्ति लेने वालों के परिसरों में छापे मारे जाते हैं और छानबीन की जाती है ताकि उन्हें पकड़ा जा सके।

(viii) वैगनों की हानि/क्षमता से अधिक सामान ढोने से बचने के लिए इनका उचित चिह्नांकन करना और लेबल लगाना।

(ix) कुप्रेषणों से बचने और उन्हें मालगाड़ी से कटने से रोकने के लिए वैगनों पर धातु की टेप का इस्तेमाल करना।

(x) उचित समय के अन्दर गंतव्य पर न पहुंचने वाले प्रेषणों की तेजी से खोज और उनसे सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए आंचलिक रेलवे कार्यालयों में "नॉट रिसिव्ड सेल्स" स्थापित किए गए हैं।

(xi) भारतीय खाद्य निगम के कार्मिकों को नियमानुसार किराए का भुगतान करके एस्कॉर्ट के रूप में खाद्यान्नों की मालगाड़ियों की ब्रेक वैन में यात्रा करने की अनुमति भी दी गई है; भारतीय खाद्य निगम को अपने परेषण की और सुरक्षा करने के उपाय के रूप में रेलवे सील के साथ-साथ अपनी सील लगाने की अनुमति भी दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष आर्थिक जोनों में प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियम

***74. श्री अनन्त नायक :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) में अनिवासी भारतीयों को प्रबंध निदेशक नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से नियम लागू होते हैं;

(ग) क्या सरकार ने अब उन नियमों को समाप्त कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो अब बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) विशेष आर्थिक जोनों में प्रबंध निदेशक के पद पर अनिवासी भारतीयों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तथापि, कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसार प्रबंध निदेशक की नियुक्ति हेतु व्यक्ति को उसकी नियुक्ति से पूर्व 12 माह की अवधि तक भारत में निवासी होना चाहिए। इस शर्त में दिनांक 30.9.2002 की गजट अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 670(अ) के तहत किए गए इस आशय के संशोधन के जरिए विशेष आर्थिक जोनों की कम्पनियों के लिए छूट प्रदान की गई है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में अनिवासी है, विदेश में संबंधित भारतीय मिशन से उचित रोजगार वीजा प्राप्त करने के बाद ही भारत में प्रवेश करेगा। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति के लिए वीजा के आवेदन पत्र के साथ कम्पनी एवं प्रधान नियोक्ता की प्रोफाइल तथा उसकी नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापारिक संबंध

***75. श्री जी. गंगा रेड्डी :**
श्री के. पी. सिंह देव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोई व्यापार समझौता विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या दक्षिण अफ्रीका के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध बनाने की योजना के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (च) भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 22 अगस्त, 1994 को एक द्विपक्षीय व्यापार करार किया है। करार में समानता और परस्पर हित तथा लाभ के सिद्धान्तों पर दोनों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्यिक संबंधों और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। इसमें कार्यकरण की समीक्षा करने और एक संयुक्त सरकारी समिति जिसमें क्रमशः 10 से अधिक भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि नहीं होंगे, की स्थापना करके इस करार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने का प्रावधान है। आईएसएसीए (भारत दक्षिण अफ्रीका वाणिज्यिक सहयोग) नामक इस समिति की दूसरी बैठक प्रिटोरिया में जून, 2002 में हुई थी।

वाणिज्यिक विभाग ने उप सहारा अफ्रीका में भारतीय निर्यातों की वृद्धि करने के लिए 31 मार्च, 2002 को फोकस अफ्रीका कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में दक्षिण अफ्रीका सहित भारत के 7 मुख्य व्यापारिक भागीदारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय सरकारी और व्यावसायिक शिष्टमंडल आईएसएसीए की दूसरी बैठक के साथ संयोग करने के लिए जून, 2002 में जोहान्सबर्ग गया था।

भारत और दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क यूनियन (एसएसीयू) जिसका दक्षिण अफ्रीका सदस्य है, के बीच एक अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) पर विचार विमर्श किया जा रहा है। करार की रूपरेखाएं तैयार करने के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्य दल गठित किया गया है। संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक दक्षिण अफ्रीका में दिसम्बर, 2002 में आयोजित की गई थी और अगली बैठक मार्च/अप्रैल, 2003 में नियत की गई है।

वस्त्र क्षेत्र संबंधी एन. के. सिंह समिति

***76. डा. मन्दा जगन्नाथ :**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र के लिए गठित एन. के. सिंह समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफरिशों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ङ) श्री एन. के. सिंह की अध्यक्षता में गठित संचालन समूह ने वस्त्र उद्योग में निवेश और विकास पर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट को गुप्त रखा गया है। समिति ने वस्त्र उद्योग की राजकोषीय शुल्क संरचना, ऋण की आवश्यकता और वित्तीय पुनर्संरचना के संबंध में सिफारिशें की हैं। सरकार ने अभी तक सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

जनजातीय विकास सहकारी निगम

***77. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य के लिए जनजातीय विकास सहकारी निगम का गठन करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक इस निगम का गठन कर लिया है;

(घ) शेष राज्यों द्वारा निगम का गठन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इसके लिए राज्यों को कोई अनुदान प्रदान कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन राज्यों को वर्ष–वार और राज्यवार कुल कितनी राशि प्रदान की गई जिन्होंने इस निगम का गठन कर लिया है;

(छ) क्या अनुदान प्राप्त करने वाले कई राज्यों ने अब तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(झ) चूककर्ता राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उन राज्यों के नाम, जिन्होंने अब तक विभिन्न नामों से इस प्रकार के निगम गठित किए हैं, नीचे दिए गए हैं :

आंध्र प्रदेश	बिहार	केरल
गुजरात	मध्य प्रदेश	उड़ीसा
मणिपुर	महाराष्ट्र	मेघालय
राजस्थान	त्रिपुरा	पश्चिम बंगाल

(घ) यह योजना भागीदारी प्रकृति की है और इस योजना में रुचि रखने वाले राज्य इसकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) से (ज) सूचना विवरण के रूप में है।

एक प्रमुख कारण यह है कि जिन राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं वे अपने निगम को निधियां समय पर जारी नहीं करतीं।

(झ) राज्यों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अतिरिक्त अनुदान जारी किए जाते हैं।

विवरण

(रुपए लाख में)

योजना	राज्य	1999–2000 निर्मुक्त निधियां/ उपयोगिता प्रमाणपत्र	2000–2001 निर्मुक्त निधियां/ उपयोगिता प्रमाणपत्र	2001–2002 निर्मुक्त निधियां/ उपयोगिता प्रमाणपत्र
1	2	3	4	5
राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम	आंध्र प्रदेश	300.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।	150.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।	520.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।
	गुजरात	150.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी आना है।	*150.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी आना है।	
	केरल	130.00/2002–03 में उप–योगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।		
	उड़ीसा	200.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।	192.00/उपयोगिता प्रभाणपत्र प्राप्त हो गया है।	200.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।
	राजस्थान	25.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।	शून्य	251.61/उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
	महाराष्ट्र	–	350.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।	200.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
	त्रिपुरा	50.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।	–	62.06/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।
	पश्चिम बंगाल	50.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।	–	
	मेघालय		–	47.00/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।

*गुजरात राज्य सरकार को भूकम्प के कारण विशेष मामले के रूप में निधियां जारी की जाती हैं।

चाय की बिक्री

***78. श्रीमती मिनाती सेन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2002 में नए प्रावधान जोड़े जाने के कारण देश में चाय उत्पादकों को अपने उत्पाद बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप अनेक चाय बागान बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) यह सच नहीं है कि देश में चाय उत्पादक नीलामी नियमों में परिवर्तनों के बारे में चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 और इसके अंतर्गत जारी निर्देशों को लागू करने के कारण अपने उत्पाद की बिक्री करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 और नीलामी नियमों में परिवर्तन एक प्रतिष्ठित परामर्शदात्री फर्म जिसने भारत में चाय के प्राथमिक विपणन का अध्ययन किया था, की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित किए गए थे। अध्ययन का उद्देश्य पारदर्शिता और उचित कीमत का पता लगाने के लिए नीलामियों के जरिए चाय के विपणन की प्राथमिक प्रणाली को मजबूत करने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों के साथ क्रेताओं के कानूनी हितों की रक्षा करना था। इन उपायों का छोटे और बड़े उत्पादकों के सभी वर्गों और सभी चाय उपजकर्ता राज्यों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। देश में कुछ चाय बागानों को पिछले कुछेक वर्षों में चाय की कीमतों में निरंतर गिरावट आने और उत्पादन की लागतों में वृद्धि होने के कारण बंद कर दिया गया है। इन कारकों का चाय बागानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 को इस समस्या के निराकरण के लिए तैयार किया गया है। प्रारंभ में कुछ व्यवधानों के बाद नई व्यवस्था और नीलामी प्रणाली का सुधरी हुई पारदर्शिता और कीमत खोज के साथ अनुकूलन हो गया है।

भारतीय चाय उद्योग के सामने आ रही है कठिनाइयों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 2002 में एक ऋण राहत पैकेज की घोषणा की है जिसमें वर्तमान संकटों के दौरान उद्योग की सहायता करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों आदि से चाय क्षेत्र द्वारा प्राप्त बकाया ऋणों की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण करने का प्रावधान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु चाय उपजकर्ताओं और क्रीत पत्ती कारखानों के लिए 5 फरवरी, 2003 को एक अलग राहत पैकेज की भी घोषणा की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पश्चिम बंगाल, केरल, असम और त्रिपुरा राज्यों में बंद चाय बागानों का गहन अध्ययन करने और उनकी कार्यक्षमता तथा पुनरुद्धार करने के उपायों के एक पैकेज का सुझाव देने हेतु विशेषज्ञ समितियों का गठन भी किया है। समितियों द्वारा मार्च, 2003 तक अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

खाद्य तेल उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***79. श्री राजैया मल्याला** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेल उत्पादन क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना व्यापार स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने देश के तेल उद्योग पर विपरीत प्रभाव डाला है; और

(घ) यदि हां, तो घरेलू खाद्य तेल उद्योग को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) भारत में आर्थिक तथा वित्तीय सुधारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता त्वरित आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका को प्रबुद्ध रूप से मान्यता देना रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को वनस्पति तेल तथा वनस्पति क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 48 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारतीय बासमती चावल पर प्रतिबंध

***80. श्री वी. वेत्रिसेलवन** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका को निर्यात किए जा रहे बासमती चावल में कमी आई है;

(ख) क्या अमरीकी सरकार ने भारतीय बासमती चावल पर प्रतिबंध लगा दिया है और अनेक खेपों को वापस लौटा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को अमरीकी सरकार के समक्ष उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) पिछले 4 वर्षों और अप्रैल–नवंबर, 2002 की अवधि के दौरान अमरीका को निर्यात किए गए बासमती चावल की कुल मात्रा और मूल्य इस प्रकार हैं

वर्ष	मात्रा (एमटी)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1998–1999	4982	20.09
1999–2000	16372	70.71
2000–2001	35964	129.84
2001–02(पी)	26589	94.00
2002–2003 अप्रैल–नवंबर 2002(पी)	22283	74.61
अप्रैल–नवंबर, 2001	20511	64.41

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)
(पी) अनंतिम आंकड़े

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण

606. श्री प्रबोध पण्डा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल से नाबार्ड को मिली परियोजनाओं, प्रस्तावों का परियोजनावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान परियोजनावार परियोजनाओं को कितना धन आवंटित किया गया;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा किए गए धन के दुरुपयोग संबंधी मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2000–2001, 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) परियोजनाओं और उनके लिए दी गई संस्वीकृतियों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि राज्य सरकारों द्वारा

निधियों के दुरुपयोग का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 2000–2001, 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान पश्चिम बंगाल में ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत मंजूर परियोजनाओं के ब्यौरे

(करोड़ रु.)

परियोजनाएं	2000–2001		2001–2002		2002–2003 (दिनांक 14.2.2003 की स्थिति के अनुसार)	
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर धनराशि	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर धनराशि	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर धनराशि
लघु सिंचाई	235	8.43	1113	18.98	22	3.61
बड़ी सिंचाई						
ग्रामीण पूल	23	41.75	13	71.67	1	5.56
जल विभाजक प्रबंधन						
बाढ संरक्षण	3	4.92	12	22.18	12	3.88
ग्रामीण सड़क	93	248.51	64	216.53	10	20.37
जल–निकास	4	.25	1	5.13	1	1.53
मत्स्य बंदरगाह						
प्राथमिक विद्यालय			1822	59.54	1207	38.68
जन स्वास्थ्य			1036	16.97		
ग्रामीण पेय जल					137	1.75
प्रणाली सुधार विद्युत क्षेत्र	16	100.37	26	63.41	67	147.77
कुल	374	413.23	4087	474.41	1457	223.15

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से ऋण

607. डा. (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री योगी आदित्यनाथ :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से भारत को वित्तीय सहायाता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने राज्यों ने उक्त धन का उपयोग किया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता	हस्ताक्षर की तारीख	समाप्ति तारीख	ऋण राशि	31.1.2003 तक किया गया संवितरण
1.	एपी–जिला गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश	आइडीए	12.5.2000	31.12.2005	111.0	16.97
2.	एमपी–जिला गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम	मध्य प्रदेश	आइडीए	5.12.2000	30.6.2006	110.1	7.12
3.	राजस्थान–जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	राजस्थान	आईडीए	19.5.2000	31.12.2005	100.5	5.44
4.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनः संरचना	उत्तर प्रदेश	आईडीए	8.03.2002	31.10.2007	149.2	5.0
5.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना	राजस्थान	आईडीए	15.3.2002	31.3.2008	140.0	5.2
6.	कर्नाटक सामुदायिक आधारित तालाब प्रबंधन	कर्नाटक	आईडीए	4.6.2002	31.1.2009	98.9	2.2
7.	आंध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबंधन	आंध्र प्रदेश	आईडीए	8.10.2002	31.3.2008	108.0	2.5
8.	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति अभिकरण	केरल	आईडीए	4.1.2001	31.12.2006	65.5	6.29
9.	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई	कर्नाटक	आईडीए	8.3.2002	31.12.2002	151.6	4.55
10.	कलकत्ता पर्यावरणीय सुधार परियोजना	पश्चिम बंगाल	एडीबी	18.12.2002	30.6.2007	250.0	3.8

[अनुवाद]

वनों में रहने वाली जनजातियों का कल्याण

608. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों में रहने वाली जनजातियों के कल्याणार्थ क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वन क्षेत्रों के सिमटने के कारण इन जनजातियों के वैकल्पिक जीविकोपार्जन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार के यह बात ध्यान में आई है कि कुछ जनजातियां पेड़ों की जड़ों और जंगली घास–फूस/पौधों को खाकर जी रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) और (ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जनजातियों का वनों के साथ सहजीवी संबंध है, यह मंत्रालय मुख्य रूप से लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए वर्ष 1992–93 से राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को अनुदान की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। ये निगम बिचौलियों को हटाकर लघु वन उत्पाद के संग्रहण के लिए जनजातियों को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में कार्य करते हैं।

इस योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियां नीचे दी गई हैं :

(रुपए लाख में)

1999–2000	905.00
2000–2001	842.00
2001–2002	1280.67

(ग) से (ङ) ऐसा कोई विशेष मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

[हिन्दी]

झारखंड से उगाहा गया राजस्व

609. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उगाहे गए राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उगाहे गए इस राजस्व में से झारखंड का शेयर कितना है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र से झारखंड को कितना धन आवंटित किया गया?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य से वसूले गए केन्द्रीय राजस्व के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

झारखंड से वसूला गया राजस्व

(रुपए करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	आयकर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
1999–2000	इस अवधि के दौरान झारखंड	1621.00
2000–2001	के लिए अलग से आंकडे तैयार नहीं किए गए	1840.88
2001–2002	400.10	1645.50

सीमा शुल्क के संबंध में, अलग–अलग राज्यों के राजस्व की वसूली देना संभव नहीं है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल केन्द्रीय राजस्व वसूली से झारखंड से वसूले गए केन्द्रीय राजस्व का हिस्सा (प्रतिशतता) निम्नानुसार है

वित्तीय वर्ष	आयकर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (रुपए करोड़ों में)
1999–2000	रखे नहीं	2.60
2000–2001	गए	2.69
2001–2002	0.58	2.26

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा झारखंड राज्य को जारी की गई निधियों की कुल राशि निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	राशि (रुपए करोडों में)
1999–2000	लागू नहीं
2000–2001	1076.54
2001–2002	2724.03

किसानों का ऋण माफ किया जाना

610. श्री मान सिंह पटेल :
श्री हरि भाई चौधरी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण को माफ करने के संहिताबद्ध नियम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कभी किसानों के दस हजार रुपए तक के ऋण को माफ किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मामले में कोई अधिसूचना जारी की गई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चावल का निर्यात

611. श्री जय प्रकाश : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात नीति में परिवर्तनों के कारण चावल का निर्यात अप्रतिस्पर्द्धात्मक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों की लेखा परीक्षा

612. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंकों के खातों की जांच के लिए नियुक्त किए गए लेखा परीक्षक सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं, जैसाकि माधोपुर मर्केन्टाइल को–आपरेटिव बैंक के मामले में हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) गलत सूचना देने के लिए लेखा परीक्षकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सहकारी बैंकों की सांविधिक लेखापरीक्षा संबंधित राज्यों के राज्य सहकारी अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधान, जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, सहकारी बैंकों पर लागू नहीं है। तथापि, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचना देने में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1993 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य सहकारी समितियों के सभी पंजीयकों को मार्गनिर्देश जारी किए थे, जिसमें सहकारी बैंकों के कोटि निर्धारण (रेटिंग) के प्रयोजन के लिए विभिन्न पैरामीटर निर्धारित किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि कुछ मामलों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई लेखापरीक्षा रेटिंग संबंधित बैंकों की वास्तविक वित्तीय स्थिति और अन्य गतिविधियों के अनुरूप नहीं थी। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 2002 में प्रारंभिक उपचारात्मक कार्रवाई के अनुरोध सहित ऐसी भिन्नताएं सहकारी समितियों के पंजीयक के ध्यान में लाने की प्रणाली शुरू की थी। तथापि, चूककर्ता लेखापरीक्षकों, यदि कोई हो, के विरुद्ध कार्रवाई राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है।

कम बीजक वाले आयात

613. श्री ए. सी. जोस : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में लौंग और इलायची का कम बीजक पर बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या चेन्नई और मुम्बई पोर्ट के राजस्व आसूचना निदेशालय ने इस तरह के किसी आयात का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इलायची और लौंग के कम बीजक वाले ऐसे आयात पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) देश में लौंग और इलायची के आयात में कम बीजक के कुछ मामले जानकारी में आए हैं। मुम्बई स्थित सीमा शुल्क प्राधिकारियों और डी.आर.आई. द्वारा इस संबंध में पता लगाए गए मामलों के विवरण इस प्रकार हैं :

जिंस	2000–2001		2001–2002		2002–2003 (जनवरी 2003 तक)	
	मामलों की संख्या	जब्त किए गए मालों का मूल्य (करोड़ रु. में)	मामलों की संख्या	जब्त किए गए मालों का मूल्य (करोड़ रु. में)	मामलों की संख्या	जब्त किए गए मालों का मूल्य (करोड़ रु. में)
लौंग	2	6.07	1	0.54	शून्य	शून्य
इलायची	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	0.78

(घ) सीमा शुल्क प्राधिकारी लौंग और इलायची सहित सभी प्रकार के मालों के आयात में कम बीजकों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए सजग और चौकस हैं।

इंडियन नेशनल रूरल बैंक की स्थापना

614. प्रो. ए. के. प्रेमाजम :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड के चेयरमैन, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारु बनाने तथा इसे सुदृढ़ करने के लिए सभी 196 ग्रामीण बैंकों को एक साथ मिलाकर एक इंडियन रूरल बैंक स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) देश में सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन करके भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एनआरबीआई) बनाने के मामले पर सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वर्ष 1992–93 के दौरान विचार किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्गठन के लिए कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन–पत्रों का "अकेले मामले" के आधार पर शोधन करके उनका पुनर्गठन किया जाए। तदनुसार, अब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन–पत्रों के शोधन और नई पूंजी लगाने सहित व्यापक पुनर्गठन हेतु 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 187 क्षेत्रीय बैंकों को लिया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ नीतिगत परिवर्तन शुरू किए गए हैं। इन परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन में योजनाबद्ध तरीके से सुधार लाने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना एवं समझौता ज्ञापन (डीएपी/एमओयू) स्थापित करना आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान संबंधी मानदंड सहित विवेकपूर्ण मानदंड शुरू करना;

(ii) व्यवसाय पोर्टफोलियो एवं कार्यकलापों का विविधीकरण;

(iii) घाटा उठा रही शाखाओं के पुनर्स्थापन एवं विलय सहित शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाना;

(iv) ब्याज दर संरचना का अविनियमन; और

(v) प्रायोजक बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के प्रबंधन में बेहतर भूमिका प्रदान करना आदि।

इन पहलों के सकारात्मक परिणाम निकले हैं और 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 167 बैंकों ने लाभ की सूचना दी है और 86 बैंकों ने संचयी घाटों को समाप्त कर दिया है।

[हिन्दी]

महिलाओं को सहायता

615. श्री शिवाजी माने : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं को नाबार्ड द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने जिलों को लाया गया और कितनी महिलाओं को सहायता प्रदान की गई, उसका कार्यक्रमवार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वह बैंकों को कृषि और कृषितर गतिविधियों के लिए जो लिंग आधारित नहीं है, आगे उधार देने के संबंध में अनुमोदित प्रयोजनों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। तथापि, उसके पास महिलाओं के विकास के लिए, उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए अनन्य संवर्द्धनात्मक योजनाएं भी हैं। महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) नाबार्ड ने महाराष्ट्र में ग्रामीण महिलाओं को कृषितर विकास सहायता (अरविन्द) योजना के अन्तर्गत कौशल उन्नयन के लिए 215 महिलाओं को कुल 9.49 लाख रु. की अनुदान सहायता मंजूर की है। गतिविधियों में मिट्टी के खिलौने और गुड़िया, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी, ऊनी गलीचा बनाना और सिले–सिलाए वस्त्रों का निर्माण शामिल है।

(ii) नाबार्ड ने महाराष्ट्र में ग्रामीण महिलाओं के कृषितर उत्पादों की विपणन (महिमा) योजना के अन्तर्गत 372 महिलाओं को 10.24 लाख रु. की अनुदान सहायता मंजूर की है।

(iii) नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में महिला विकास कक्षों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान कर रहा है। महाराष्ट्र में, ऐसे 11 कक्ष, 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, 5 सहकारी बैंकों में और महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में एक कक्ष स्थापित किए गए हैं। महाराष्ट्र में महिला विकास कक्षों वाले 7 बैंकों के मामले में 2001–2002 के दौरान महिलाओं को ऋण प्रवाह की राशि 68.23 करोड़ रुपए थी, जो इन बैंकों के कुल ऋण प्रवाह का लगभग 3 प्रतिशत है।

(iv) 31 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में स्व–सहायता समूह कार्यक्रम के अन्तर्गत 21683 स्व–सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिसमें से 90 प्रतिशत (लगभग) महिला स्व–सहायता समूह हैं। राज्य के सभी 30 जिलों से 3 लाख से अधिक महिला सदस्यों को नाबार्ड से 47.78 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता और 28.64 करोड़ रु. की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई है।

(v) महाराष्ट्र में आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, महाराष्ट्र के ठाणे एवं नासिक जिलों के 3 पर्वतीय खंडों में विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कल्याण गतिविधियों के माध्यम से 14000 आदिवासी परिवारों और 1000 भूमिहीन महिलाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

(vi) महाराष्ट्र में इंडो–जर्मन जल–विभाजक (वाटर शेड) विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य के 21 जिलों में 100 जल–विभाजक (वाटर शेड) विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 16396 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

(ग) महाराष्ट्र में अरविन्द एवं महिमा योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रमों के जिला–वार कवरेज और महिलाओं की संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

नाबार्ड की संवर्द्धनात्मक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र में महिलाओं के जिला–वार एवं कार्यक्रम–वार कवरेज का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	गतिविधि	शामिल जिला	शामिल महिलाओं की संख्या	मंजूर की गई सहायता
1	2	3	4	5
(i)	**अरविन्द**			
1.	मिट्टी के खिलौने एवं गुड़िया बनाना	भद्रावती एवं चन्द्रपुर	20	2.00
2.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण ईडीपी	सिंधुदुर्ग	90	0.48

1	2	3	4	5
3.	ऊनी गलीची बनाना	लातूर	20	2.65
4.	बेकरी	लातूर	40	3.26
5.	सिले–सिलाए वस्त्रों का निर्माण	अहमदनगर	45	1.10
	जोड़		215	9.49
(ii)	**महिमा**			
1.	पोषक (मदर) यूनिट की स्थापना एवं विपणन	पुणे	332	7.43
2.	मसालों का विपणन	पुणे	40	2.81
	जोड़		372	10.24

[अनुवाद]

केरल में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

616. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रोत्साहन संबंधी पैकेज

617. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों को औद्योगिक प्रोत्साहन संबंधी पैकेज देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पैकेज का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पैकेज के अन्तर्गत उद्योगों का आधुनिकीकरण और नए उत्पाद नहीं लाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किए हैं। इन पैकेजों की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) इस नीति के अन्तर्गत उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा नए उत्पादों को शामिल किया गया है जिनसे पर्याप्त विस्तार होता है।

विवरण

1. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 24 दिसंबर, 1997 को नई पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति और अन्य रियायतों की घोषणा की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित परिकल्पना है

क. औद्योगिक ढांचागत सुविधाओं का विकास

1. 15 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा शर्त के तहत, विकास केन्द्रों का संपूर्ण व्यय केन्द्रीय सहायता के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

2. आई आई डी केन्द्रों के मामले में, भारत सरकार और सिडबी के बीच निधि–पोषण (फंडिंग) स्वरूप को 2 : 3 से बदलकर 4 : 1 कर दिया जाएगा और भारत सरकार से दी जाने वाली निधियां अनुदान के रूप में होंगी।

ख. परिवहन राजसहायता योजना

1. मौजूदा निबंधन और शर्तों पर, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए परिवहन राजसहायता 31.3.2007 तक आगे बढ़ा दी गई है।

ग. नए औद्योगिक एककों और उनके पर्याप्त विस्तार हेतु राजकोषीय प्रोत्साहन

1. सरकार ने विकास केन्द्रों और सभी आई आई डी

सी को 10 वर्षों की अवधि के लिए पूर्ण करमुक्त क्षेत्रों में बदले जाने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2. विकास केन्द्रों में स्थित उद्योगों को, अधिकतम 30 लाख रुपये की सीमा शर्त के तहत, उनके द्वारा संयंत्र और मशीनरी में किए जाने वाले निवेश के 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता भी दी जाएगी।

3. इन केन्द्रों पर आवधिक ऋणों और कार्यशील पूंजी के आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों तथा पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (नेडफी) की समर्पित शाखाएं/काउंटर होंगे।

4. उत्पादन आरंभ होने के पश्चात दस वर्षों की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज राजसहायता दी जाएगी।

5. इसी प्रकार दूसरे विकास केन्द्रों अथवा आई आई डी सी अथवा राज्यों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किए गए औद्योगिक परिसरों/पार्कों/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले नए औद्योगिक एककों अथवा उनके पर्याप्त विस्तार के लिए भी समान लाभ प्रदान किए जाएंगे।

घ. प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के मानदण्डों में छूट

1. पी एम आर वाई का दायरा व्यापक बनाया जाएगा ताकि इसमें सभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य कार्यकलापों को शामिल करने के लिए बागवानी, सूअर पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, छोटे चाय बागान, आदि को शामिल किया जा सके। प्रत्येक लाभभोगी के लिए उसके पति/पत्नी सहित 40,000 रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम पारिवारिक आय सीमा होगी तथा ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। कारोबारी क्षेत्रों को छोड़कर 2 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं सहायता के लिए पात्र होंगी। 1 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए समानान्तर गारंटी पर जोर नहीं दिया जाएगा। 5 लाख तक के सामूहिक वित्त–पोषण की अनुमति होगी। स्कीम में 15 प्रतिशत की दर से राजसहायता मिलेगी जिसके लिए अधिकतम सीमा 15,000 रुपये होगी। सीमान्त धन, परियोजना लागत के 5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक बदल सकता है ताकि राजसहायता और सीमान्त धन का योगदान परियोजना लागत का 20 प्रतिशत हो जाए। पी एम आर वाई में मौजूदा दर से ही उद्यमिता प्रशिक्षण घटक जारी रहेगा।

ङ. अन्य प्रस्तावित प्रोत्साहन

1. पूर्वोत्तर में औद्योगिक एककों के लिए एक व्यापक बीमा योजना, भारतीय सामान्य बीमा निगम लि. के परामर्श से तैयार की जाएगी और केन्द्र सरकार द्वारा 10 वर्षों की अवधि के लिए 100 प्रतिशत प्रीमियम की राजसहायता प्रदान की जाएगी।

2. केन्द्र सरकार द्वारा एन ई सी के जरिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को 20 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा ताकि वह इस क्षेत्र के लिए अनुकूलतम उद्योगों और ढांचागत सुविधाओं हेतु तकनीकी–आर्थिक अध्ययनों को वित्त–पोषण प्रदान कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा इस बात पर विचार किया जा सकता है कि नेडफी एक ऋण खिड़की 'ऋण खरीद खिड़की' (डेट परचेज विंडो) की स्थापना करे जो विनिर्माता एककों का ऋण खरीदे विशेषकर सरकारी विभागों को की गई आपूर्ति के संबंध में ताकि इन एककों के लिए निधियों के ब्लॉक होने (रुकने) की समस्या कम हो जाए।

4. पूर्वोत्तर में बाजारों के विकास के लिए यहां के उत्पादों को पड़ोसी देशों में निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा, विशेषकर बांगलादेश, म्यांमार और भूटान को।

5. राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्निर्माण हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

6. पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से में भूमि की सामुदायिक जोत का स्वरूप ऐसा नहीं है कि पारंपरिक बैंक ऋणों के तहत आवश्यक समानांतर गारंटी के दृष्टि से उपयुक्त हो। इस मामले पर विचार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन किया है। पूर्वोत्तर

क्षेत्र के लिए 'गारंटी' की उचित प्रणाला तैयार की जाएगी।

च. पहलों के अन्तर्गत सहायता जारी करने की प्रक्रिया

1. यह स्वीकृत है कि नामोद्दिष्ट अभिकरण एस एल सी की सिफारिशों के आधार पर परिवहन राजसहायता बजट की राशि जारी करे। यह प्रस्ताव है कि एन ई डी एफ आई को पूर्वोत्तर राज्यों में परिवहन राजसहायता जारी करने के लिए केन्द्रीय अभिकरण के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाए। एन ई डी एफ आई को इस सेवा के लिए प्रशासनिक व्यय का भुगतान किया जाए जिसका निर्णय आई डी बी आई के परामर्श से किया जाए।

छ. ग्रामीण और लघु उद्योग (बी एस आई) क्षेत्र का विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनकर सेवा केन्द्रों (डब्ल्यू एस सी) और गुवाहाटी में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान को बुनकरों को प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण सहायता देने के लिए समुचित रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम पूर्वोत्तर क्षेत्र को अट्टी के रूप में धागे की आपूर्ति करने को प्राथमिकता देगा। सिल्क की सभी चार किस्मों को मिल गेट मूल्य योजना के अन्तर्गत रखा जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र को, बाजार परिसरों और स्थायी प्रदर्शनी सुविधाओं की स्थापना करने की योजना में, प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हस्तशिल्प के विकास के लिए एक नया डिजाइन केन्द्र स्थापित किया जाएगा। शिल्पियों के कौशल का उन्नयन करने के लिए मास्टर क्राफ्टमैन के जरिए एक अग्रिम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नया वाणिज्य केन्द्र खोला जाएगा और मौजूदा वाणिज्य केन्द्र का नवीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। केन्द्रीय सिल्क बोर्ड अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता देगा।

2. जम्मू और कश्मीर के लिए पैकेज

प्रस्तावना : जम्मू और कश्मीर सरकार ने पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के आधार पर राज्य में उद्योगों का विकास करने के लिए एक विशेष पैकेज हेतु अनुरोध किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास में पीछे रह गया है, उसके लिए सुनियोजित अन्तरायक रणनीतियों की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि राज्य औद्योगिक विकास में तेजी लाई जा सके और निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके।

पैकेज की मुख्य विशेषताएं : जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायतों को दिनांक 14 जून, 2002 के कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी किया गया था। पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- नये औद्योगिक एककों के वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से और मौजूदा एककों को अपना पर्याप्त विस्तार करने पर, 10 वर्षों की अवधि के लिए 100 प्रतिशत उत्पाद–शुल्क से छूट। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 14 नवम्बर, 2002 को उत्पाद–शुल्क छूटों से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।

- दिनांक 22 अक्तूबर, 2002 को अधिसूचित केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2002 के अन्तर्गत सभी नए एककों और पर्याप्त विस्तार करने पर मौजूदा एककों को संयंत्र और मशीनरी में किए जाने वाले निवेश के 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होगी।

- दिनांक 22 अक्तूबर, 2002 को अधिसूचित केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 2002 के अन्तर्गत सभी नए एककों और पर्याप्त विस्तार करने पर मौजूदा एककों को कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज राजसहायता दी जाएगी।

- दिनांक 22.10.2002 को अधिसूचित केन्द्रीय व्यापक योजना के अन्तर्गत सभी नए एककों और पर्याप्त विस्तार करने पर मौजूदा एककों को पूंजीगत निवेश पर 100 प्रतिशत तक बीमा प्रीमियम उपलब्ध होगा;

- आयकर अधिनियम की धारा 80(i)ख के अन्तर्गत आयकर छूट, जम्मू और कश्मीर के लिए लागू मौजूदा छूट के अनुसार जारी रहेगी।

- भारत सरकार और सिडबी के बीच एकीकृत अवसंरचना विकास विकास केन्द्रों के वित्तीयन पैटर्न को 2 : 3 से बदलकर 4 : 1 कर दिया जाएगा।

- सरकार के 1.00 करोड़ रुपये की राशि के आरंभिक योगदान से फुटवियर और चमड़ा उद्योग के

लिए डिजाइन–सह–संसाधन केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

- वस्त्र मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यथा लागू सहायता पैकेज जम्मू और कश्मीर राज्य को भी प्रदान करेगा।

पैकेज के अन्तर्गत रियायत के लिए अपात्र उद्योग तम्बाकू के सिगरेट/सिगार, विनिर्मित तम्बाकू व प्रतिस्थापक, अल्कोहलिक पेयों का आसवन/यवासवन और ब्रांडेड सॉफ्ट पेयों के विनिर्माण हैं।

3. सिक्किम के लिए पैकेज

प्रस्तावना : सिक्किम सरकार ने पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के आधार पर राज्य में उद्योगों का विकास करने के लिए एक विशेष पैकेज हेतु अनुरोध किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य औद्योगिक विकास में पीछे रह गया है, उसके लिए सुनियोजित अन्तरायक रणनीतियों की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि राज्य औद्योगिक विकास में तेजी लाई जा सके और निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके।

पैकेज की मुख्य विशेषताएं : सिक्किम राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायतों को दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14(2)/2002–एसपीएस के तहत जारी किया गया था। पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

योजनाओं के अन्तर्गत प्रोत्साहन

- नए औद्योगिक एककों और मौजूदा एककों को अपना पर्याप्त विस्तार करने पर, 10 वर्षों की अवधि के लिए 100 प्रतिशत उत्पाद–शुल्क तथा आयकर से छूट।

- दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 को अधिसूचित केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2002 के अन्तर्गत सभी नए एककों और पर्याप्त विस्तार करने पर मौजूदा एककों को संयंत्र और मशीनरी में किए जाने वाले निवेश के 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होगी।

- दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 को अधिसूचित केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 2002 के अन्तर्गत सभी नए एककों और पर्याप्त विस्तार करने पर मौजूदा एककों को कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज राजसहायता दी जाएगी।

- दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 को अधिसूचित केन्द्रीय व्यापक योजना, 2002 के अन्तर्गत सभी नए एककों और पर्याप्त विस्तार करने पर मौजूदा एककों को पूंजीगत निवेश पर 100 प्रतिशत तक बीमा प्रीमियम उपलब्ध होगा।

- भारत सरकार और सिडबी के बीच एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्रों (आई आई डी सी) के वित्तीयन पैटर्न को 2 : 3 से बदलकर 4 : 1 कर दिया जाएगा।

- पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के अनुसार विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता को प्रति केन्द्र 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- सिक्किम की निषेध सूची में प्रदूषण करने वाले कागज और कागज उत्पाद, सिगरेट, तम्बाकू तथा एरेटेड वाले पेय ब्रांड सम्मिलित हैं।

4. उत्तरांचल राज्य तथा हिमाचल प्रदेश के लिए पैकेज

प्रस्तावना : माननीय प्रधान मंत्री ने 29 से 31 मार्च, 2002 तक उत्तरांचल दौरे की अवधि के दौरान अन्य बातों के साथ–साथ यह घोषणा की थी कि उत्तरांचल सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट दी जाएगी। ऐसे प्रोत्साहन पाने के पात्र उद्योग पर्यावरण अनुकूल होने के साथ–साथ स्थानीय रोजगार सृजन करने की क्षमता तथा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने वाले होंगे।

पैकेज की मुख्य विशेषताएं : उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायतें दिनांक 7 जनवरी, 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(10)/2001–एनईआर के तहत जारी की गई हैं। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

योजनाओं के अन्तर्गत प्रोत्साहन

- नये औद्योगिक एककों और पर्याप्त विस्तार करने पर मौजूदा एककों को 10 वर्षों की अवधि के लिए 100 प्रतिशत उत्पाद–शुल्क से छूट।

- वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से सम्पूर्ण उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए 5 वर्षों की आरंभिक अवधि हेतु 100 प्रतिशत आयकर की छूट और उसके बाद अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए कम्पनियों के लिए 30 प्रतिशत और कम्पनियों से इतर के लिए 25 प्रतिशत की आयकर छूट।

- दिनांक 8 जनवरी, 2003 को अधिसूचित केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2003 के अन्तर्गत सभी नए एककों और पर्याप्त विस्तार करने पर मौजूदा एककों को संयंत्र और मशीनरी में किए जाने वाले निवेश के 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होगी।

- भारत सरकार और सिडबी के बीच एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्रों के वित्तीयन स्वरूप को 2 3 से बदलकर 4 : 1 कर दिया जाएगा।

- पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के अनुसार विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रति केन्द्र को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- वस्त्र मंत्रालय की दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार और दोनों राज्यों के बीच निधियन स्वरूप 50 : 50 से बदल कर 90 : 10 कर दिया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यथा अधिसूचित अपना प्रोत्साहनों का पैकेज उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों को भी प्रदान करेगा।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उत्तरांचल को दुर्गम क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल करेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य को पहले ही दुर्गम क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है।

- कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के लिए आय में छूट (अर्थात 18–35 वर्षों से 18–40 वर्ष) और राजसहायता (प्रति उद्यमी 15,000/– रुपये की अधिकतम सीमा की शर्त के अध्यधीन परियोजना लागत का 15 प्रतिशत की दर से) की व्यवस्था करेगा।

- स्थानीय संसाधनों का पर्यावरण की अनुकूल विधि से उपयोग करने के लिए कुछ उद्योगों को और उन उद्योगों को, जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं वित्तीय रियायतों का लाभ लेने से अपवर्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिनांक 1.2.1989 की समय–समय पर यथा संशोधित दून घाटी अधिसूचना दून घाटी क्षेत्र में लागू रहेगी और इसके तहत अधिसूचित उद्योगों को उत्तरांचल राज्य के दून घाटी क्षेत्र में इस नीति के तहत वित्तीय रियायतें पाने से अपवर्जित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

राज्यों के ऋणों पर ब्याज दरें

618. श्री महबूब जाहेदी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार लघु बचत योजनाओं में ब्याज दरें धीरे–धीरे कम कर रही है जिससे राज्यों को उनके विकास संबंधी परियोजनाओं के मद में दिए जाने वाले निवेश के संबंध में संकट के दौर से गुजरना पड़ सकता है।

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें ऋण और वेतन संबंधी बिलों के भारी बोझ से जूझती रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) हाल के वर्षों में, सरकार ने विभिन्न अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अर्थव्यवस्था के समग्र ब्याज दर ढांचे के अनुरूप करने के लिए इनकी पुनरीक्षा की है तथा इन्हें पुनर्निधारित किया है। इस तरह का अंतिम पुनर्निधारण प्रशासित ब्याज दरों को समतुल्य परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत वार्षिक लाभ से बेंचमार्क करके उन्हें बाजार निर्धारित बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर अधिकांश अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 50 आधार बिन्दु की कमी द्वारा संशोधित करके किया गया।

तथापि, ब्याज दरों में संशोधन के बावजूद अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत संग्रहणों में वृद्धि होती रही है। इसके अतिरिक्त, इसी विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुसरण में

1 अप्रैल, 2002 से निवल अल्प बचत संग्रहणों में राज्यों का हिस्सा 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः निवल अल्प बचत संग्रहणों में अपने हिस्से के कारण राज्यों को उपलब्ध निधियों में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है।

राज्य सरकारों को अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी के लाभ को, निवल अल्प बचत संग्रहणों के उनके हिस्से के एवज में उनके द्वारा निर्गमित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज दर में साथ-साथ कमी करके अंतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को उनकी ब्याज देयताओं में कमी करने के लिए निवल अल्प बचत संग्रहणों के उनके बढ़ते हुए हिस्से तथा कम ब्याज दरों पर वर्तमान बाजार उधारों का उपयोग करके विगत में लिए गए उच्च लागत वाले ऋणों की समयपूर्व अदायगी के लिए समर्थ बनाया गया है।

[हिन्दी]

रेशम उत्पादन

619. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रेशम का उत्पादन बढ़ाने की रणनीति को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई रणनीति का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार की गई रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए रणनीति का उद्देश्य फार्म पर और फार्म पश्चात क्रियाकलापों में गुणवत्ता और उत्पादकता में सहायता प्रदान करके शहतूती रेशम और गैर-शहतूती रेशम उत्पादन को, अनुमानित 24150 टन शहतूती रेशम (जिसमें 6700 मी. टन द्विफसलीय रेशम शामिल है) और 2300 टन गैर-शहतूती रेशम के लक्ष्य में से उत्पादन को वर्ष 2001-2002 (अनंतिम) में अनुमानित 16400 टन शहतूती रेशम और 1580 टन गैर-शहतूती रेशम, तक पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। इन उपायों में जहां कहीं भी व्यवाहारिक हो, द्विफसलीय रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को अपनाना, रीलिंग और कीटपालन की उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना, उन्नत बीज आपूर्ति प्रणालियां रोपण के क्षेत्र का विस्तार तथा विविधीकरण और उत्पादों का विकास आदि शामिल हैं। अनुसंधान व विकास और प्रौद्योगिकी का अन्तरण तथा राज्यों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं द्वारा जटिल इनपुट की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। दसवीं योजना अवधि के दौरान प्लान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 450 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

[अनुवाद]

मलेशिया से खाद्य तेल

620. श्री अमर राय प्रधान : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया और इंडोनेशिया से आयातित खाद्य तेल घरेलू खाद्य तेल से काफी सस्ते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में उड़ेला गया खाद्य तेल मानव उपभोग के लायक है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कौन-सी परिस्थितियां हैं जिनके तहत ये देश भारत में सस्ती दरों पर अपने खाद्य तेलों को उड़ेल रहे हैं; और

(ङ) विदेशी कम्पनियों/देशों द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ेले जा रहे प्रत्येक खाद्य तेल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) तेल की मांग और देशीय आपूर्ति के बीच अन्तर है। घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने नारियल के तेल को छोड़कर पाम तेल और इसके घटकों सहित खाद्य तेलों का खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात करने की अनुमति दी है। इस प्रकार, पाम तेल और इसके घटकों सहित खाद्य तेलों का आयात, आयातकों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करेगा। आयातित खाद्य तेलों की गुणवत्ता की पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जांच की जाती है।

पैन नम्बर

621. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश जाने के इच्छुक यात्रियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने पैन नम्बरों का उल्लेख करें;

(ख) यदि हां, तो इस शर्त को अनिवार्य बनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे लोगों को जिनके पास पैन नम्बर नहीं है, बिना कठिनाई के विदेश यात्रा करने हेतु क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) आयकर नियमावली, 1962 के नियम, 114ख में यह अपेक्षा की गई है कि ऐसे व्यक्तियों को जो किसी विदेश यात्रा के संबंध में किसी एक समय पर 25 हजार रुपये से अधिक की धनराशि का नकद भुगतान करते हैं, कतिपय विनिर्दिष्ट पड़ोसी देशों अथवा तीर्थ यात्रा के स्थलों के बारे में छोड़कर स्थायी खाता संख्या अथवा सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो किसी विदेश यात्रा के संबंध में किसी एक समय पर 25000/– रुपये का नकद भुगतान कर रहा है, वह एक संभावित करदाता है। अतः, स्थायी खाता संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य बनाया गया है ताकि लेन–देनों को सत्यापित किया जा सके।

(ग) स्थायी खाता संख्या न रखने वाले व्यक्ति सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या का उल्लेख कर सकते हैं। स्थायी खाता संख्या और सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या दोनों के न होने की स्थिति में, ऐसे लेन–देनों का विवरण देते हुए फार्म–60 में घोषणा की जानी होगी।

चाय के पौधों के पुनः रोपने के लिए राजसहायता

622. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के पौधों के पुनः रोपने के लिए चाय बोर्ड द्वारा दी गई राजसहायता मुश्किल से पर्याप्त होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या चाय बोर्ड चाय के पौधों के पुनः रोपने के लिए राजसहायता बढ़ाने पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) चाय बोर्ड द्वारा उपलब्ध की गई राजसहायता नाबार्ड द्वारा यथा संगणित प्रति हेक्टेयर रोपण की यूनिट लागत की 25 प्रतिशत होती है। यूनिट लागत में रोपण एवं 5 वर्ष तक रख रखाव शामिल होता है। चाय बोर्ड द्वारा समय–समय पर रोपण की यूनिट लागत के अनुरूप राजसहायता की दर में संशोधन किया जाता है और इन दरों में 1.04.2002 से उर्ध्वगामी संशोधन किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस

623. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 26 जनवरी, 2003 को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सीमा शुल्क संबंधी प्राधिकरण को मजबूत करने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। चूंकि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, अतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इस वर्ष 24 जनवरी, 2003 को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विश्व सीमा शुल्क संगठन के महासचिव और नेपाल की महामहिम सरकार के सीमा शुल्क महानिदेशक न्यू सीमा शुल्क गृह, नई दिल्ली के मुख्य समारोह में शामिल हुए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में, हाल ही में संवर्ग पुनर्गठन और विभिन्न प्रचालनात्मक स्तरों पर नए पदों का सृजन करके देश में सीमा शुल्क कार्यालयों को सुदृढ़ बनाना, सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार के लिए प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए सीमा शुल्क द्वारा विशेष बल दिया जाना और सुकर, बाधारहित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली, आदि की व्यवस्था करना शामिल है।

आयकर में छूट

624. श्री रामदास आठवले :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने वर्ष 2000 और 2001 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त लोगों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिनांक 25.11.1993 को आयकर आयुक्त बनाम जे. विसलक्षी मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, देखिए आई.टी.आर. भाग 206 पृष्ठ संख्या 531, करदाताओं के इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत उनके सेवानिवृत्त होने के उपरान्त उन्हें दी जाने वाली अनुग्रह राशि पर उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 89(1) के अन्तर्गत आयकर में छूट दी जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे सभी करदाताओं को इस तरह की राहत दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (च) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89(1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प दिया है, द्वारा अधिनियम की धारा 10(10ग) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक प्राप्त मुआवजे की धनराशि के मामले पर राहत की पात्रता के संबंध में कानून मंत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

संदेहास्पद ऋण

625. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं को बड़े ऋणों का पुनर्नियमन करने की अनुमति प्रदान की है जिससे कि ऐसे ऋणों को संदेहास्पद ऋणों की श्रेणी में रखा जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या ऐसी संभावना है कि कुछ बैंक इस प्रावधान का दुरुपयोग कर सकते हैं;

(घ) क्या इस नीति से बीआईएफआर के अन्तर्गत पहले से दिए ऋणों पर असर पड़ने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बीआईएफआर के हवाले की गई यूनिटों पर इस नई नीति का क्या असर पड़ेगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) बीआईएफआर, डीआरटी तथा अन्य कानूनी कार्यवाहियों के क्षेत्र से बाहर आंतरिक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित अर्थक्षम निगमित कंपनियों के कंपनी ऋणों के पुनर्गठन के लिए सामयिक और पारदर्शी तंत्र प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी, 2003 को संशोधित कंपनी ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) योजना जारी की है।

(ग) जी, नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि योजना में दिए गए मार्गनिर्देशों का दुरुपयोग न किया जाए।

(घ) से (च) सीडीआर मार्गनिर्देशों के अनुसार बीआईएफआर वाले मामले सीडीआर प्रणाली के अन्तर्गत पुनर्गठन के पात्र नहीं होंगे। तथापि, बड़े मूल्य वाले बीआईएफआर के मामलों पर सीडीआर प्रणाली के अन्तर्गत पुनर्गठन के लिए विचार किया जा सकता है यदि यह सीडीआर स्थायी (कोर) समूह द्वारा विशेष रूप से अनुशंसित हो। स्थायी समूह सीडीआर प्रणाली के अन्तर्गत विचार के लिए अलग–अलग मामले के आधार पर आपवादिक बीआईएफआर मामलों की सिफारिश इस शर्त के अध्यधीन कर सकता है कि पैकेज को क्रियान्वित करने से पूर्व उधारदाता संस्थान बीआईएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी करें।

आयात पर निगरानी के लिए जांच प्रकोष्ठ

626. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संवेदनशील चीजों के बेशुमार आयात पर निगरानी रखने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के अन्दर एक स्थायी जांच प्रकोष्ठ स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने डी जी एफ टी में किसी स्थाई जांच प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की है। तथापि, एक ऐसा अंतर मंत्रालयी स्थाई दल है जो संवेदनशील मानी गई लगभग तीन सौ मदों के आयात की निगरानी करता है। प्रति माह डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है जो इंटरनेट पर http://www.nic.in/eximpol पर भी उपलब्ध है।

कर छूट संबंधी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

627. श्री रामजी मांझी : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1999 के प्रतिवेदन संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर) के पैरा 3.1.8 में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि 1994–95 से 1996–97 के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि की शत–प्रतिशत निर्यात इकाइयों द्वारा कर छूट के 105 मामलों में से 41 मामलों में छूट देने में अनियमितता बरती गई जो कुल मिलाकर 9422.90 लाख रुपये थी और इस प्रकार 6213.86 लाख रुपये कम कर वसूला गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कर ली है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यद्यपि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पैरा सं. 3.1.8 द्वारा, जो 1999 की रिपोर्ट सं. 12 के पृष्ठ संख्या 57 पर है, उन तथ्यों का उल्लेख किया है जिन्हें इस प्रश्न के भाग (क) में पुनः प्रस्तुत किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त संगत महत्वपूर्ण दस्तावेजों में न्यून कर निर्धारण के 33 मामलों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुल 6365.01 लाख रुपये कम कर की वसूली की गई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। ऐसे 33 मामलों में से, 27 मामले स्वीकार नहीं किए गए थे, एक मामले को अंशतः स्वीकार किया गया था और केवल 5 मामले मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए गए थे जिनमें 626.03 लाख रुपये का कर प्रभाव अंतर्ग्रस्त है।

(घ) इन मामलों में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पहले ही भेजी जा चुकी हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से विधीक्षाकारी टिप्पणियां भी प्राप्त कर ली गई हैं।

विवरण

1999 की रिपोर्ट सं. 12 के पैरा 3.1.8 के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त महत्वपूर्ण संगत दस्तावेज

क्र.सं.	पैरा सं.	कर–निर्धारिती मैसर्स	सी.आई.टी. प्रभार	कर–निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1–3	8.1	ट्रेण्ड गार्मेन्ट्स प्रा. लि.	तमिलनाडु–IV	1995–96	56.62 261.13
	–	इंटरफिट इंडिया लि.	कोयम्बटूर	1994–95 1995–96	9.90 (पी) 132.25

1	2	3	4	5	6
4–5	8.2	टाटा टी लि.	प.बं.–VI कोलकाता	1993–94 1994–95	1756.32
6	8.3(क)	मिड इंडिया इंडस्ट्रीज	इंदौर, म.प्र.	1995–96	35.77
7	8.3(ख)	प्युअ हीलियम (आई.) प्रा. लि.	सिटी–I, मुम्बई	1992–93	125.11
8	8.3(ग)	अमालगम फूड्स लि.	केरल	1995–96	31.76 (पी)
9–10	8.4(क)	जसवाल ग्रेनाइट्स लि.	आंध्र प्रदेश हैदराबाद	1994–95 1995–96	31.46
11–12	8.4(ख)	केमवेल इंटरनेशनल प्रा. लि.	कर्नाटक–I	1994–95 1995–96	7.15
13	8.5(क)	साकेथ इंडिया लि.	दिल्ली–VII	1993–94	342.90
14	8.5(ख)	डीएसक्यू साफ्टवेयर लि.	तमिलनाडु–IV	1995–96	208.68
15	8.5(ग)	एशियन पेराक्साइड लि.	तमिलनाडु–V	1993–94	146.50
16	8.6(क)	सोसिएडेड–डी फोमेंटो इंडिया लि.	पणजी, गोवा	1995–96	201.98
17–18	8.6(ख)	दक्कन ग्रेनाइट्स लि.	आं.प्र., हैदराबाद	1993–94 1994–95	35.83
19–20	8.7(1)	मून रॉक एजेंसी प्रा. लि.	कर्नाटक–I	1994–95 1995–96	88.36
21–22	(2)	इंडेक्स कम्प्यूटिंग प्रा. लि.	कर्नाटक–II	1995–96 1996–97	169.15
23–26	(3)	सोसिएडेड–डी फोमेंटो इंडिया लि.	पणजी, गोवा	1992–93 से 1995–96	2373.88
27	(4)	मेफेयर एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लि.	तमिलनाडु–IV	1995–96	63.44
28	(5)	चामुन्डी टैक्सटाइल्स (सिल्क मिल्स) लि.	मदुरई	1993–94	24.98
29–31	(6)	राजापलायम मिल्स लि.	मदुरई	1994–95 से 1996–97	67.44 115.67 (पी)
32	(7)	रॉल्को प्रा. लि.	कोयम्बटूर	1993–94	18.98 22.01 (पी)
33	(8)	युनाइटेड ग्रेनाइट्स लि.	कोयम्बटूर	1995–96	37.74

जिला अदालतों में पब्लिक नोटरी की कमी

628. श्री भान सिंह भौरा : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न जिला अदालतों में पब्लिक नोटरी के अतिशय अभाव के कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आम जनता की दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से पब्लिक नोटरी की नियुक्ति हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) सरकार को किसी जिले में नोटरी पब्लिक की कमी ज्ञात नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन सर्कल

629. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सहकारी सर्कल की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है और इस वर्ष के लिए इसकी प्रस्तावित गतिविधियां क्या हैं; और

(ख) इससे राज्य की जनजातीय जनसंख्या को किस सीमा तक सहायता मिली है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) ऐसा कोई संगठन इस मंत्रालय के तत्वावधान में अथवा इसकी सहायता से कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बांग्लादेश को टैरिफ में छूट

630. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत ने बांग्लादेश से निर्यात होने वाली 111 वस्तुओं पर टैरिफ में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ा है;

(घ) क्या टैरिफ छूट से दोनों देशों को लाभ होता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को सम्पन्न सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) के अंतर्गत व्यापार वार्ताओं के चौथे दौर के दौरान भारत ने बांग्लादेश सहित सार्क के अल्पविकसित सदस्य देशों को कुल 111 मदों पर टैरिफ रियायतें प्रदान की हैं। इनमें से, 107 मदें बांग्लादेश की तथा अन्य चार मदें मालदीव की अनुरोध सूची से हैं। इन मदों का विवरण दिनांक 20 जनवरी, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 13/2003 सीमाशुल्क में उपलब्ध है।

(ग) भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए व्यापार की मात्रा के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(मूल्य लाख रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02
1.	निर्यात	292,287.13	418,871.50	275,728.38	427,168.66	477,957.97
2.	% वृद्धि		43.31	–34.17	54.92	11.89
3.	आयात	18,884.54	26,252.50	33,865.95	36,778.27	28,194.03
4.	% वृद्धि		39.02	29.00	8.60	–23.34
5.	कुल व्यापार	311,171.66	445,124.00	309,594.32	463,946.92	506,152.00
6.	% वृद्धि		43.05	–43.05	49.86	9.10

(घ) और (ङ) भारत को भी साप्टा वार्ताओं के चौथे दौर में बांग्लादेश से 29 मदों पर टैरिफ रियायतें प्राप्त हुई हैं। टैरिफ रियायतों के परस्पर आदान–प्रदान से बेहतर बाजार पहुंच उपलब्ध कराकर दोनों देशों को लाभ होता है।

खाद्यान्न कोटा

631. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों विशेषकर कर्नाटक राज्य का खाद्यान्न कोटा इस तथ्य के बावजूद घटा दिया है कि उन्होंने खाद्यान्न का मौजूदा कोटा बनाए रखने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित प्रत्येक राज्य द्वारा खाद्यान्नों की मांग का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आवंटन किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) कर्नाटक के लिए खाद्यान्नों के आवंटन में कोई कमी नहीं की गयी है। तथापि, सभी राज्यों के लिए लागू दिशा–निर्देशों के अनुरूप 1.4.2002 से कुछ राज्यों के लिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों हेतु खाद्यान्नों का कोटा कम किया गया था।

(ग) और (घ) 2002–2003 के दौरान राज्यों द्वारा उनके खाद्यान्नों का कोटा बहाल करने के लिए किए गए अनुरोधों का ब्यौरा बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों द्वारा अपना गरीबी रेखा से ऊपर का कोटा बहाल करने के लिए किए गए अनुरोधों को बताने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	अनुरोध
1	2	3
1.	मेघालय	गरीबी रेखा से ऊपर का चावल का आवंटन बढ़ाकर 9530 टन और गरीबी रेखा से ऊपर का गेहूं का आवंटन बढ़ाकर 3000 टन प्रति माह करने हेतु।
2.	मिजोरम	गरीबी रेखा से ऊपर के चावल का आवंटन 6810 टन प्रति माह पर बहाल करने हेतु।
3.	नागालैण्ड	गरीबी रेखा से ऊपर के चावल का आवंटन पूर्व के 4825 टन पर और गरीबी रेखा से ऊपर के गेहूं का आवंटन 2000 टन प्रति माह पर बहाल करने हेतु।

[हिन्दी]

मतदाता सूची

632. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के नाम को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले की जांच करने और मतदाता सूचियों से ऐसे बांग्लादेशियों के नाम हटाने हेतु कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति

633. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :
श्री के. येरननायडू :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बनाई गई औद्योगिक नीति से लाभान्वित होने वाले पूर्वोत्तर राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस नीति के अन्तर्गत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और ऐसे सार्थक निवेश से कितने लोगों को रोजगार मिला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 24 दिसम्बर, 1997 को एक नई पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एन ई आई पी) की घोषणा की थी। एन ई आई पी पूर्वोत्तर क्षेत्र में उस समय शामिल किये गये सात राज्यों नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए लागू है।

(ख) सिक्किम राज्य को वर्ष 2002 की अधिसूचना संख्या 68 दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 के अन्तर्गत पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया गया था। पूर्वोत्तर औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज सिक्किम राज्य को दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 को प्रदान किया गया था। इसलिए, पूर्वोत्तर परिषद के अन्तर्गत सभी राज्यों को पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति पैकेज के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ग) एन.ई.डी.एफ.आई., पूर्वोत्तर हेतु गठित स्पेशल परपज व्हीकल द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम को छोड़कर) के लिए स्वीकृत कुल ऋण व जुटाए गए रोजगार से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	रोजगार (संख्या में)
2000–01	8324	3852
2001–02	6304	2531
2002–03 (27 जनवरी, 2003 तक)	4565	4224
कुल	19193	10607

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बैंक कर्मचारियों की शिकायतें

634. श्री सालखन मुर्मू :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एस.सी./एस. टी. एंड फीजिकली हैंडीकैप्ड पीपल अपलिफ्टमेंट (आर) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैंक कर्मचारियों की शिकायतों को सरकार के ध्यान में लाया है;

(ख) यदि हां, तो इस एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बैंकों विशेषकर बीकानेर और जयपुर स्टेट बैंक को उनकी शिकायतें दूर करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो बैंकों ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई है और डीओपीटी के आदेशों के अनुसार उनके सभी मुद्दों का निपटान कब तक कर दिया जाएगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) संघ ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदोन्नति का मामला उठाया था।

(ग) से (ङ) इस मामले को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के पास भेजा गया था जिसने सूचित किया है कि सरकारी मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि अखिल भारतीय एसबीबीजे अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संघ नामक संघ को बैंक के अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में मान्यता दी गई है और ऑल इंडिया एसोशिएशन फॉर एससी/एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ट पीपल्स अपलिफ्टमेंट (आर) को मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि निकाय के माध्यम से अपने मामले भेजने की सलाह दी गई है।

विदेशी मुद्रा भंडार

635. कुंवर अखिलेश सिंह :
श्री थावरचन्द गेहलोत :
डा. (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री रामदास रूपला गावीत :
श्री जे. एस. बराड़ :
श्री के. येरननायडू :
श्री रामशकल :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार सहित देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना है;

(ख) विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की कितनी धनराशि को सुरक्षित माना गया है;

(ग) देश के विदेशी मुद्रा भंडार में देश–वार कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है;

(घ) निर्यात के कौन–कौन से क्षेत्र विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान कर रहे हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में आने वाले उतार–चढ़ावों के कारण देश के राजकोष को हुए लाभ और घाटे का ब्यौरा क्या है;

(च) 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार कितना बकाया विदेशी ऋण देय है; और

(छ) वर्ष 2003–2004 के दौरान कितने विदेशी ऋण की अदायगी करने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) दिनांक 7 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार, देश की कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां 74.667 बिलियन अमरीकी डालर थीं। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों का विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) में ब्यौरा नीचे दी गई सारणी में निर्धारित है :

सारणी

(बिलियन अमरीकी डालर)

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एसडीआर)	70.972
स्वर्ण	3.688
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	0.007
कुल प्रारक्षित निधियां	74.667

(ख) प्रारक्षित निधि प्रबंधन नीति विवेकपूर्ण रूप से अनेक अभिज्ञेय कारकों और अन्य आकस्मिकताओं के आधार पर बनी है। इन कारकों में, अन्य बातों के साथ–साथ, शामिल हैं : चालू लेखा घाटे का आकार, अल्पावधिक देयताओं (दीर्घावधिक ऋणों पर चालू वापसी–अदायगी देयताओं सहित) का आकार; फोर्ट–फोलियो निवेश में संभव परिवर्तनीयता और पूंजीगत अन्तर्प्रवाहों के अन्य प्रकार; बाह्य आघातों से होने वाले भुगतान–संतुलन पर अप्रत्याशित दबाव; और अनिवासी भारतीयों की प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा जमाराशियों में घट–बढ़। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां इस समय सुखद स्थिति में हैं और वृद्धि–दर, अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र का हिस्सा और जोखिम समायोजित पूंजी प्रवाहों के आकार के अनुकूल हैं।

(ग) एसडीआर बास्केट में मुद्राओं में भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों का ब्यौरा 99.89 प्रतिशत पर था और जून, 2002 के अंत तक एसडीआर बास्केट से बाह्य मुद्राएं 0.11 प्रतिशत पर थीं।

(घ) हाल के वर्षों में सेवाओं के निर्यात ने विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों के संचय में योगदान दिया।

(ङ) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में घट–बढ़ के कारण देश के राजकोष में कोई लाभ–हानि नहीं है।

(च) जून, 2002 (अद्यतन अवधि, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) के अंत तक भारत का विदेशी ऋण बकाया 101.03 बिलियन अमरीकी डालर था।

(छ) वर्ष 2003–2004 के दौरान अनुमानित ऋणशोधन भुगतान (मूलधन जमा ब्याज) 12.5 बिलियन अमरीकी डालर है, जिसमें रिसर्जेंट इंडिया बाण्डों का मोचन शामिल है।

[हिन्दी]

सरकार द्वारा लिया गया ऋण

636. श्री राम टहल चौधरी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्रोत से स्रोतवार कितनी ऋणराशि ली गई;

(ग) मार्च, 2003 तक देश द्वारा विभिन्न स्रोतों से कितनी ऋणराशि प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा गत वर्ष के दौरान कितने ऋण की अदायगी की गई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) केंद्र सरकार विभिन्न स्रोतों जैसे बाजार ऋण, लोक लेखा तथा बहुपक्षीय/द्विपक्षीय स्रोतों आदि से उधार लेती है। प्रतिवर्ष इनके ब्यौरों का सरकार के प्राप्ति बजट में उल्लेख किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 2002 तक निवल उधार 86269 करोड़ रुपए का था।

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ऋण

637. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के लिए भारत को ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धनराशि का उपयोग करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र के एन 045–आईएन 4555–आईएन कार्यक्रमों के अंतर्गत अभी तक गुजरात, राजस्थान तथा कर्नाटक ने इन निधियों का उपयोग किया है।

क्र.सं.	ऋण	दाता	करार की तारीख	ऋण मुद्रा	ऋण राशि (मिलियन में)	वितरण की समाप्ति तारीख	31.1.03 की स्थिति के अनुसार संचयी उपयोग
1.	एन 045–आईएन आर्थिक सुधार तकनीकी सहायता	आईडीए*	19.5.2000	एक्सडीआर+	33.6	31.12.2005	3.97
2.	4555–आईएन दूरसंचार क्षेत्र सुधार तकनीकी सहायता	आईबीआरडी**	11.8.2000	अमरीकी डालर	62.0	30.6.2004	4.28

*अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ **अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक +विशेष आहरण अधिकार

रूस में व्यापार मेला

638. श्री वाई. जी. महाजन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार रूस में एक भारतीय व्यापार मेला आयोजित करने की तैयारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मेले में कितने उद्यमियों द्वारा भाग लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन 17–21 फरवरी, 2003 तक मास्को, रूस में एक भारतीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। मेले में प्रदर्शित उत्पादों में भारी मात्रा में औषध

और भेषज, सिरमिक ग्रेनाइट, रासायनिक रंग और माध्यमिक उत्पाद, उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिकी और इलैक्ट्रिकल घरेलू उपकरण/घरेलू विद्युत उपकरण, हर्बल/आयुर्वेदिक उत्पाद, इंजीनियरी वैमानिक ऑटोमोबाइल्स और ऑटो–हिस्से पुर्जे, बाइसीकिलें और हिस्से पुर्जे, बिल्डर हार्डवेयर/दस्ती औजार, मशीन/उपकरण और हिस्से पुर्जे, स्टील और स्टील उत्पाद, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प और चपड़ा उत्पाद, स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद, घरेलू रसोई सामान/उपकरण/वस्तुएं (स्टील के अतिरिक्त), चमड़ा और चमड़े का उत्पाद, विद्युत, तेल, पैकेजिंग, प्रसंस्कृत खाद्य/कृषि उत्पाद, प्लास्टिक और रबड़ उत्पाद, कागज/लेखन सामग्री की मदें, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संचार, साफ्टवेयर तथा अन्य प्रौद्योगिकियां, वस्त्र, बैंकिंग और परामर्शी सेवाएं शामिल हैं।

(ग) कुल 214 कंपनियों ने मेले में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।

[अनुवाद]

राजस्थान में कपड़ा मिलें

639. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में सरकारी/गैरसरकारी क्षेत्र में इस समय कार्यरत कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मिलों में कार्यरत मजदूरों की मिलवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसी अन्य कपड़ा मिलें स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) 31.12.2002 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में सरकारी क्षेत्र में 3 सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें (गैर–एसएसआई) और निजी क्षेत्र में 32 मिलें चल रही हैं।

(ख) मिलों में कार्यरत कामगारों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। सरकार की भूमिका सुसाधक की है। सरकार नीतिपरक उपायों और योजनाओं द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास और प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है।

विवरण

31.12.2002 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में चल रही मिलों के नाम सहित उनकी नामावली में कामगारों की संख्या

क्र.सं.	मिलों का नाम	नामावली में कामगार
1	2	3
सरकारी क्षेत्र		
1.	उदयपुर कॉटन मिल्स	475
2.	श्री विजय कॉटन मिल्स	477
3.	महालक्ष्मी मिल्स	528
	कुल	1480
निजी क्षेत्र		
1.	अजय स्पिनर्स लिमिटेड	52
2.	अरहम स्पिनिंग मिल्स	2093
3.	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड	549
4.	संगम स्पिनर्स	1638
5.	श्री राजस्थान टैक्सकैम लिमिटेड	698
6.	सिमरा इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड	52
7.	भारतीय स्पिनर्स लिमिटेड	125
8.	भावल सिंथेटिक्स लिमिटेड	948
9.	एम वी कोटस्पिन लिमिटेड	56
10.	रिफलैक्स टैक्सटाईल्स लिमिटेड	55
11.	प्रेरणा सिंटैक्स	553
12.	जगजननी टैक्सटाईल्स लिमिटेड	35
13.	संगनेरिया स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	152

1	2	3
14.	राजस्थान टैक्सटाईल्स मिल्स	2956
15.	भीलवाड़ा स्पिनर्स लिमिटेड	1717
16.	तिरुपति फाईबर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1150
17.	मोर्डन थ्रेडस (इंडिया) लिमिटेड	618
18.	रिलायंस चैमोटैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1288
19.	जयपुर पोलीस्पिन लिमिटेड	1173
20.	ओरिएंट सिंटैक्स	1760
21.	हैग लिमिटेड	1550
22.	श्री राजस्थान सिंटैक्स लिमिटेड	2528
23.	सुपर सिंकोटैक्स (आई) लिमिटेड	1323
24.	मॉर्डन पोलीस्टर यार्न	241
25.	राजस्थान स्पिनिंग एंड बीविंग मिल्स लिमिटेड	2410
26.	राजस्थान स्पिनिंग एंड बीविंग मिल्स लिमिटेड	690
27.	गिनी इंटरनेशनल लिमिटेड	892
28.	स्वतंत्र भारत मिल्स	337
29.	बांसवारा सिंटैक्स लिमिटेड	2903
30.	राजस्थान स्पिनिंग एंड बीविंग मिल्स लिमिटेड	2109
31.	महाराजा श्री उमेद मिल्स	2581
32.	जे सी टी लिमिटेड	2136
	योग	37368
	कुल योग	38848

कंपनियों के पास जमा का भुगतान न किया जाना

640. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री 29.11.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हीलियस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना ने जमाकर्ताओं को कंपनी लॉ बोर्ड के दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 के आदेशों के अनुसार ब्याज सहित देय किस्तों का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंकों को निर्देश जारी करने के लिए जमाकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा चूककर्ता पक्षकार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) विभिन्न उल्लंघनों के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एमसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायर याचिका पर मई, 2000 में उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार कंपनी चूंकि परिसमापनाधीन है। मामला न्यायाधीन है।

श्रीलंका में चीनी भांडागार

641. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी के लिए श्रीलंका में एक चीनी भांडागार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भांडागार द्वारा कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई परियोजना

642. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले

के लिए समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय सफाई परियोजना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसे वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक को भेज दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना को विश्व बैंक की स्वीकृति हेतु कब तक भेजे जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) 945 करोड़ रु. की लागत वाली इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य के माध्यम से जनसाधारण की जीवन दशा में तथा निरंतर आधार पर सुरक्षित तथा स्वच्छ पेयजल और पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणाली प्रदान कर उत्पादकता में सुधार लाना है।

(ग) जी, हां। निधि देने पर विचार करने हेतु इस परियोजना से संबंधित प्रस्ताव जनवरी, 1999 में विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त न्यायाधीश

643. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, राजस्थान और हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की कदाचारों में कथित संलिप्तता की रिपोर्ट की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो न्यायपालिका की विश्वसनीयता और छवि बहाल करने के लिए इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श किया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के संबंध में उचतम न्यायालय ने निम्नलिखित सूचना दी है :

> "पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के कथित अंतर्ग्रसन की जांच करने के लिए भारत के तब माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा गठित एक तथ्यान्वेषण समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की परीक्षा की गई है और इन-ह्यू प्रक्रिया में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार समुचित कार्रवाई की गई है।"

जहां तक राजस्थान उच्च न्यायालय का संबंध है, न्यायालय ने सूचित किया है कि उक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध अभिकथनों की जांच करने के लिए भारत के तब के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा गठित तथ्यान्वेषण समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

कंपनियों की लेखा परीक्षा और प्रशासन के संबंध में गठित समिति

644. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री पी. डी. एलानगोवन :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीरियस फ्राड इन्वेस्टीगेशन कार्यालय की स्थापना के संबंध में कंपनी लेखापरीक्षा और प्रशासन के संबंध में गठित समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्यालय किस प्रकार कार्य करेगा;

(ग) समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एसएफआई ओ) को व्यवसायिक रूप से सफेद पोश (व्हाइट कॉलर) जुर्म की जांच करने की सामर्थ्यकारी बहुविषयक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। एसएफआईओ में कंपनी विधि, आयकर

सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले अधिकारी होंगे।

(ग) और (घ) समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ इन पहलुओं पर सिफारिशें की हैं, जैसे लेखा–परीक्षा समनुदेशन के लिए गैर योग्यता, गैर लेखापरीक्षा सेवा का निषेध, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा लेखों का प्रमाणीकरण स्वतंत्र गुणवत्ता पुनरीक्षण बोर्ड की स्थापना आदि।

विश्व बैंक सहायता

645. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य विश्व बैंक से अपने ढांचागत समायोजन कार्यक्रम से उत्पन्न आकस्मिकताओं की पूर्ति हेतु व्यापक वित्तीय सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन–कौन से राज्यों ने विश्व बैंक के लिए इन परियोजनाओं की सिफारिश करने हेतु अपनी परियोजनाएं सरकार को भेजी हैं और तत्संबंधी धनराशियां क्या हैं

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। कुछ राज्यों ने भारत सरकार से विश्व बैंक से अपने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के वित्तपोषण हेतु सहायता मांगने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) इन राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। भारत सरकार ने अब तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के लिए विश्व बैंक को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और उनके कार्यक्रमों को तैयार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी, हां। दिशानिर्देशों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

संरचनात्मक समायोजन सहायता सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश

कुछ राज्य सरकारें राजकोषीय तथा संरचनात्मक सुधारों के कार्य में सहायता हेतु बहुपक्षीय संस्थागत निधिकरण को स्वीकार करना चाहती हैं। इन सुधारों का मुख्य केन्द्र बिंदु राजकोषीय घाटे को वहनीय स्तर तक लाना तथा राजस्व और प्राथमिक घाटों को समाप्त करना है। चूंकि, विगत में विभिन्न राज्यों द्वारा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि बहुपक्षीय संस्थाओं से लिए जाने वाले संरचनात्मक समायोजन ऋणों (एसएएल) में कोई एकरूपता नहीं रही है, इसलिए इन संस्थाओं को परामर्श दिया जा रहा है कि वे इन सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व–अपेक्षाओं के रूप में कतिपय सामान्य मानदंडों को सुनिश्चित करें

(i) गरीबी को स्थायी रूप से कम करने के लिए शुरू किए जाने वाले संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को प्रस्तुत करें जिसका उद्देश्य प्राथमिक और राजस्व में बढ़ोतरी करना तथा समेकित राजकोषीय घाटे को, एक मध्यम अवधि (3 से 5 वर्ष) के भीतर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% से कम के स्तर तक सीमित करना हो।

(ii) सब्सिडियों को समाप्त करने तथा विद्युत क्षेत्र की सब्सिडी को समाप्त करने अथवा उसे सीमित रखने के लिए एक दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार करना।

(iii) सिविल सेवाओं में सुधार जिनमें शासन संबंधी प्रशासनिक लागतों को कम करना भी शामिल है।

(iv) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित सुधार जिनमें विनिवेश भी शामिल है।

क्षेत्रक मध्यवर्ती कार्यनीतियों को जारी रखने की आवश्यकता को देखते हुए विशेष रूप से सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के संदर्भ में, संरचनात्मक समायोजन ऋणों के रूप में विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक से वार्षिक वचनबद्धताओं के 20–30% से अधिक मामले नहीं लिए जाएंगे। संरचनात्मक समायोजन ऋण संबंधी कार्यक्रम में गरीबी में कमी लाने तथा क्षेत्र–विशिष्ट पैरामीटरों (आधार ढांचा, शिक्षा आदि), जो सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के संघटक हैं, से संबंधित केन्द्रीय

बिंदुओं को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संरचनात्मक समायोजन ऋणों का उपयोग राजस्व घाटों को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

संरचनात्मक समायोजन ऋण एक पूर्ण विकसित बहु–वर्षीय कार्यक्रम पर आधारित होगा तथा सहमत विशिष्ट सुधार कीर्तिमानों की उपलब्धियों से संबद्ध अनेक किस्तें जारी करने के साथ एकल कार्यक्रम के रूप में इसे तय किया जाएगा। बहुवर्षीय कार्यक्रम की बैंक के परियोजना दस्तावेजों में पूर्ण रूप से रूप–रेखा दी जाएगी जबकि निधियों के आवंटन के लिए कानूनी करारों को अलग–अलग किस्तों के लिए अलग से चलाया जा सकता है।

उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए मॉनिटरिंग योग्य स्पष्ट हिदायतों के साथ इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकारों के अनुरोधों पर इसके बाद भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक और संबंधित राज्यों के साथ विचार–विमर्श किया जाएगा। राजकोषीय सुधार सुविधाओं के प्रति राज्यों की वचनबद्धताओं के आधार पर मूल्यांकन एवं वार्ता की प्रक्रिया चलती रहेगी।

एक बार ऋण का निर्धारण हो जाने और इसे कार्यान्वयन के अधीन रखने जाने पर, जहां राज्य का समायोजन कार्यक्रम छ: महीने पीछे रह जाता है या इसे आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है, वहां समायोजन कार्यक्रम को रोका जा सकता है और शेष वितरित न की गई सहायता रद्द की जा सकती है।

घरेलू बचत दर

646. श्री अकबर अली खांदोकर :
श्री जी. जे. जावीया :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू बचत में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गिरावट के क्या कारण हैं और घरेलू बचत में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचतें निम्नानुसार हैं :

वर्ष	बचत की दर (सकल घरेलू उत्पाद का %)
1999–2000	24.1
2000–2001	23.4
2001–2002	24.0

(ख) सकल घरेलू बचतों संबंधी राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सकल घरेलू बचतों का अनुपात वर्ष 2000–2001 की तुलना में वर्ष 2001–02 में सुधरा है और यह लगभग वर्ष 1999–2000 वाले स्तर पर ही है। सरकार ने घरेलू बचतों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए हैं :

(i) धारा 80ठ के अधीन छूट को बढ़ाकर 15,000/– रु. करना जिसमें विनिर्दिष्ट निवेशों से हुई आय के लिए 12,000/– रु. और सरकारी प्रतिभूतियों संबंधी ब्याज के संबंध में 3000/– रु. शामिल हैं।

(ii) वरिष्ठ नागरिकों और निवेशकों के लिए स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रत्येक कंपनी अथवा किसी म्यूचुअल फंड से प्राप्त 2500/– रु. तक की लाभांश आय के संबंध में सीमा में वृद्धि।

(iii) जीवन बीमा प्रीमियम को सेवा कर से छूट।

(iv) दिनांक 1 अक्तूबर, 2002 से 7 प्रतिशत कर मुक्त और अहस्तांतरणीय बचत बाण्डों की नई योजना की शुरूआत।

अवसंरचना इक्विटी फंड

647. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवसंरचना इक्विटी फंड में निवेश करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अवसंरचना इक्विटी फंड के उपयोग के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लि. (आईडीएफसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने सिद्धान्त रूप में अपना अनुमोदन दिया है। दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद निवेश प्राप्त किए जाएंगे :

क्रमांक	संस्था	धनराशि
1.	आईडीएफसी	1000 करोड़
2.	एलआईसी	100 करोड़
3.	एसबीआई	100 करोड़
4.	जीआईसी	10 करोड़
	कुल	310 करोड़

आईडीएफसी अन्य निवेशकों जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ उनके अंशदान के लिए बातचीत कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में खाद्यान्न भंडारण सुविधा

648. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम की मौजूदा भंडारण सुविधा कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास खाद्यान्न के बढ़ते उत्पादन को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए भंडारण सुविधा बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) उड़ीसा राज्य में भारतीय खाद्य निगम की वर्तमान भंडारण क्षमता [अपनी एवं किराये की/ढकी हुई एवं कैप (ढकी हुई और प्लिंथ)] 4.58 लाख टन है।

(ख) से (घ) जी, हां। उड़ीसा राज्य में 15000 टन ढकी हुई भंडारण क्षमता के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जो 5 केन्द्रों में स्थित हैं। इनके विवरण और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित राशि निम्नानुसार है :

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	केन्द्र/क्षमता (टन में)	निर्धारित राशि	
		2002–03	2003–04
1.	अंगुल/5000		50.00
2.	धेनकनाल/2500		30.00
3.	क्योंझर/2500	50.00	30.00
4.	फुलबनी/2500		30.00
5.	नवरंगपुर/2500		30.00

इसके अतिरिक्त, सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन गोदामों के निर्माण के लिए उड़ीसा को 2.5 लाख टन की क्षमता का आवंटन किया गया है जिस पर कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

झारखंड राज्य के प्रस्ताव

649. श्री ब्रजमोहन राम :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री शिवाजी माने :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनजातीय विकास हेतु झारखंड और महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) और (ख) जी, हां। झारखंड और महाराष्ट्र राज्य सरकार से जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता मांगने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

झारखंड

1. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान
3. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावास
4. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास
5. अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
6. पुस्तक बैंक
7. प्रतिभा उन्नयन
8. राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान

महाराष्ट्र

1. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान
3. अनुसूचिंत जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावास
4. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास
5. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना
6. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
7. अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
8. राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान
9. ग्राम अन्न बैंक।

(ग) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत झारखंड और महाराष्ट्र के राज्य सरकार को अनुदान निर्मुक्त किया गया है। झारखंड सरकार को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भी अनुदान निर्मुक्त कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों को वर्ष 2001–2002 के दौरान तीन वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार्य अनुदान का पहला भाग जारी किया गया। वर्ष 2002–2003 के लिए अनुमोदित परियोजनाओं के लिए द्वितीय भाग की निर्मुक्ति इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

अन्य स्कीमों के अंतर्गत झारखंड सरकार से प्राप्त प्रस्ताव, अनुसूचित जातीय स्कीमों के मानदंडों के अनुसार नहीं थे। राज्य सरकार से, अनुमोदन के अनुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर ली गई है और उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

[अनुवाद]

यू.एस.-64 योजना

650. श्री एन. एन. कृष्णदास :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का विश्वास है कि यूएस–64 योजना के लगभग सभी यूनिट धारकों के मई, 2003 के बाद यूटीआई–I के अपने संबंधित शेयर भुना लिए जाने की संभावना है जो उससे निकलकर अन्य सुरक्षित निवेश संभावनाओं का पता लगाएंगे;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी यूनिटों को भुनाया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार के पास निवेशकों को भुनाई गई राशि को म्यूचुअल फंड योजनाओं अथवा अन्य मासिक आय योजनाओं में पुनः निवेश करने हेतु प्रोत्साहन प्रस्ताव देने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) अलग–अलग निवेशक अपने जोखिम–प्रतिलाभ अवबोध, निवेश क्षेत्र, वैकल्पिक निवेश मार्ग, आदि के आधार पर निवेश/पुनर्निवेश के निर्णय लेते हैं।

(ग) और (घ) यूएस–64 के निवेशकों को परिशोधन के समय नकद भुगतानों के एवज में पांच वर्षीय कर–मुक्त व्यापार योग्य बांडों का विकल्प दिया जाएगा।

सुधार से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन

651. श्री वाई. वी. राव :
श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले बजट में सरकार द्वारा घोषित की गई सुधार से जुड़ी दो योजनाओं शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यू.आर.आई.एफ.) और नगर चुनौती कोष (सी.सी.एफ.) अभी भी क्रियान्वयन के चरण में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यू.आर.आई.एफ.) के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है, क्योंकि केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। नगर चुनौती कोष (सी.सी.एफ.) के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है। शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने सूचित किया है कि डिजाइन भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज, हैदराबाद द्वारा तैयार कर लिया गया है तथा राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों सहित विभिन्न दावेदारों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ परामर्श चल रहा है।

[हिन्दी]

हथकरघा/हस्तशिल्प का विकास

652. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र की वित्तीय/तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प के विश्वव्यापी निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ राज्यों ने बुनकरों को दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं दिया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) सरकार ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से देश में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की वित्तीय/तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

हथकरघा क्षेत्र/हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए कार्यान्वयनाधीन योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

(i) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

उत्पाद विविधता और गुणवत्ता उन्नयन संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधा में सुधार करने के साथ–साथ विपणन, डिजाइन, परामर्श आदि के प्रयासों में सहयोग देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1.4.2000 से दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना नामक एक व्यापक योजना शुरू की गई है। योजना में हथकरघा क्षेत्र और बुनकरों के समग्र विकास हेतु एकीकृत और समन्वित तरीके से वृहत एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर उत्पाद विकास, अवसंरचनात्मक सहयोग, संस्थागत सहयोग, बुनकरों को प्रशिक्षण, उपस्करों की आपूर्ति तथा विपणन सहायता आदि की परिकल्पना की गई है।

(ii) हथकरथा निर्यात योजना

देश से हथकरघा वस्त्रों, परिधानों और अन्य हथकरघा मदों के निर्यात को विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1996–97 के दौरान निर्यात उत्पादों के विकास एवं उनके विपणन की एक योजना शुरू की गई थी।

इस योजना में निर्यात योग्य हथकरघा उत्पादों के विनिर्माण, विकास तथा विपणन के लिए हथकरघा एजेंसियों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान था। इस योजना में निर्यात योगय हथकरघा उत्पादों जैसे : डिजाइन का अभिनवकरण, उत्पाद विविधता, करघों का सुधार, कौशल उन्नयन, पैकेजिंग का सुधार आदि जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया। इस योजना को 10वीं योजना के दौरान 'हथकरघा निर्यात योजना' नाम से जारी रखने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

(iii) मिल गेट कीमत योजना

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से बुनकरों को सभी प्रकार के धागा की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति मिल गेट में विद्यमान कीमत पर सुनिश्चित करा· के लिए इस योजना को वर्ष 1992–93 के दौरान शुरू किया गया।

(iv) डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जिसमें बाजार मांग को पूरा करने और हथकरघा बुनकरों की उत्पादन क्षमता में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों के माध्यम से बुनकरों के कौशल उन्नयन, और बुनकरों को बताई जाने वाली डिजाइन इनपुट्स का विकास, परंपरागत डिजाइनों का संग्रह और डिजाइन, प्रौद्योगिकी और कौशल आधारित घटकों को समन्वित करने के लिए हथकरघा क्षेत्र की विभिन्न एजेंसियों के बीच संपर्क प्रावधान मुहैया कराया जाता है। इस योजना में बुनकर सेवा केन्द्रों और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान को मजबूत करना और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान, बुनकरों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास तथा सहकारिता प्रशिक्षण जैसे घटक शामिल हैं।

(v) विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम

विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम एक समन्वित योजना है जिसमें देश में हथकरघा के विपणन को बढ़ावा देने और हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु हथकरघा बुनकरों और आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार एवं जागरूकता संबंधी घटक, विपणन परिसरों की स्थापना और विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन करना शामिल है।

(vi) कार्यशाला-सह-आवास योजना

यह योजना बुनकरों के लिए रिहाइशी इकाइयां तथा उपयुक्त कार्यस्थल मुहैया कराने के उद्देश्य से वर्ष 1985–86 में शुरू की गई थी ताकि उनकी उत्पादकता, रहन–सहन तथा आय को सुधारा जा सके। योजना के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी कार्यशाला/कार्यशाला–सह–आवास के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

हस्तशिल्प योजनाओं में अम्बेडकर हाटशिल्प विकास योजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार, डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन, विपणन सहायता एवं सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, राज्य हथकरघा विकास निगमों/शीर्ष समितियों को वित्तीय सहायता, निर्यात संवर्धन आदि शामिल हैं। गुवाहाटी, बंगलौर, मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली स्थित 5 क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों ने नई डिजाइनों का विकास तथा औजारों और उपकरणों का सुधार शुरू किया है। इसके अलावा, वस्त्र और कारपेट के विभिन्न गुणवत्ता संबंधी मानदंडों का परीक्षण करने और अद्यतन प्रशिक्षण देने संबंधी सुविधाओं के साथ–साथ अनुसंधान विकास और शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के लिए भदोही, उत्तर प्रदेश में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। केन्द्र तथा राज्य निगमों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक संगठनों को डिजाइन परामर्शदाता तैनात करने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(ग) हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को हस्तशिल्प के संवर्धन और विकास के लिए राज्यवार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। तथापि 9वीं योजना के दौरान अलग–अलग हथकरघा ओर हस्तशिल्प विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को 716.66 करोड़ रुपए अर्थात् हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत 514.46 करोड़ रुपए तथा हस्तशिल्प क्षेत्र के अंतर्गत 220.20 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गई थीं।

(घ) और (ङ) भारतीय हस्तशिल्प का विश्व स्तर पर निर्यात बढ़ाने के लिए क्रेता–विक्रेता मिलन का संगठन, विदेशों में प्रचार, डिजाइन विकास, निर्यात विपणन तथा पैकेजिंग आदि पर कार्यशालाओं का आयोजन, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, विदेशों में विक्रय–सह–अध्ययन दल को प्रायोजित करना,

मुरादाबाद और नई दिल्ली में राष्ट्र स्तरीय डिजाइन केन्द्रों की स्थापना तथा नई दिल्ली में वार्षिक तौर पर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेलों (शरद एवं बसंत) का आयोजन करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

(च) और (छ) हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, मिजोरम, सिक्किम, पांडिचेरी और गोवा सरकार तथा अंडमान व निकोबार और दादरा व नगर हवेली प्रशासनों ने दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। उन सभी से अपने राज्यों के बुनकरों के कल्याणार्थ योजना के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव तैयार करने और भेजने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में संशोधन

653. श्री अधीर चौधरी :
डा. चरण दास महंत :
श्री नरेश पुगलिया :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री भास्करराव पाटिल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यायाधीशों के पक्षपातपूर्ण रवैये पर रोक लगाने हेतु एक अंतर्निहित प्रणाली अपनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) सरकार एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए एक आचार-संहिता तैयार करेगा।

राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने सिफारिश की है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों को समाविष्ट करने वाली एक स्थायी समिति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सभी प्रकार की पथभ्रष्टता की तथा दुर्व्यवहार और अक्षमता की शिकायतों की जांच करने के लिए सशक्त किया जाए। सिफारिशों पर अभी विचार किया जाना है।

मूल्य सूचकांक

654. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुद्रास्फीति की गणना करने और वस्तुओं के मूल्य सूचकांक का अनुमान लगाने हेतु शामिल की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मौजूदा मुद्रास्फीति दर ऐसी उपयोग वाली वस्तुओं की सही स्थिति दर्शाती है जिनकी देश के आम लोगों को आवश्यकता होती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मुद्रास्फीति अनुपात गणना प्रणाली देश के सुविधाहीन और निम्न मध्यमवर्गीय तबके की जनसंख्या की औसत आवश्यकता के संदर्भ में पूरी तरह सही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) वार्षिक मुद्रास्फीति की सूचना देने के लिए भारत में सर्वाधिक व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाने वाला मूल्य सूचकांक है। यह सभी व्यापारों और लेन-देनों में 435 जिंसों के थोक मूल्यों में घट-बढ़ को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक शृंखला में 'प्राथमिक वस्तुओं' का अंशदान 98 मदें, 'ईंधन समूह' का 19 मदें और 'विनिर्माण उत्पादों' का 318 मदें हैं। थोक मूल्य सूचकांक भारत का एकमात्र ऐसा मूल्य सूचकांक है, जो दो सप्ताहों के अल्पतम अन्तरालों से साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध है।

वर्ष 1981-82 से अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों को पर्याप्त रूप से दर्शाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक की आधार वर्ष 1981-82 = 100 वाली पूर्व शृंखला में संशोधन किया गया और 1 अप्रैल, 2000 से संशोधित जिंस कवरेज, आधार वर्ष और

भारण रेखाचित्र वाली एक नई शृंखला लागू की गई। वर्तमान शृंखला का आधार वर्ष 1993–94 = 100 है।

(घ) और (ङ) थोक मूल्य सूचकांक दैनिक प्रयोग वाली 30 अनिवार्य जिंसों की साप्ताहिक मूल्य घट–बढ़ का हिसाब रखता है। इनमें रेशेदार खाद्य–पदार्थ जैसे कि चावल, गेहूं, चीनी, दालें, मोटे अनाज और खाद्य तेल आदि शामिल हैं, जिनका उपभोग देश के सुविधाहीन और निम्नतर मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है।

निर्धन वर्ग के लोगों के लिए फुटकर मूल्य में घट–बढ़ को मापना बेहतर होगा। यह इस समय औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1992 = 100) और कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1986–87 = 100) के माध्यम से किया जाता है। इन दोनों शृंखलाओं के लिए और अधिक अद्यतन आधार वर्ष को अपनाने से लोगों की उपभोग पद्धति में संरचनात्मक परिवर्तनों को और ज्यादा सही रूप में देखा जा सकेगा।

केरल में चावल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता

655. श्री सुरेश कुरुप : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार केरल में चावल और मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या उपरोक्त उपलब्धता राष्ट्रीय औसत के समान है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के अन्य राज्यों में चावल और मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : चावल के संबंध में सूचना निम्नानुसार है :

(क) चावल की राज्यवार प्रति व्यक्ति उपलब्धता का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है।

(ख) अनंतिम रूप से लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2002 के लिए अखिल भारत आधार पर चावल की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता 84.8 किलोग्राम प्रति वर्ष और/अथवा 232.4 ग्राम प्रति दिवस है। उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर को देखते हुए तुलना करना संभव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) और (ख) की दृष्टि में लागू नहीं है।

(घ) पैरा (क) के अनुसार।

मिट्टी के तेल के संबंध में सूचना निम्नानुसार है :

(क) केरल में वर्ष 2002–2003 के लिए मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 7.44 किलोग्राम प्रति वर्ष है।

(ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय औसत 9.35 किलोग्राम प्रति वर्ष है।

(ग) चूंकि 1992–93 तक मिट्टी के तेल के आवंटन में पुराने आधार का मानदंड लागू था, इसलिए केरल में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत के समतुल्य नहीं है।

(घ) देश के अन्य राज्यों में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विवरण में दी गई है।

विवरण

केरल तथा अन्य राज्यों में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तथा राष्ट्रीय औसत के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002–03 के लिए प्रति व्यक्ति आवंटन (किलोग्राम प्रति वर्ष)
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार	16.84
2.	आंध्र प्रदेश	7.48
3.	अरुणाचल प्रदेश	8.97
4.	असम	9.80
5.	बिहार	7.80
6.	चंडीगढ़	15.64
7.	छत्तीसगढ़	7.12
8.	दादरा व नगर हवेली	13.62
9.	दमन और दीव	14.38

1	2	3
10.	दिल्ली	13.70
11.	गोवा	16.37
12.	गुजरात	15.44
13.	हरियाणा	7.40
14.	हिमाचल प्रदेश	9.30
15.	जम्मू और कश्मीर	8.38
16.	झारखंड	8.06
17.	कर्नाटक	9.49
18.	केरल	7.44
19.	लक्षद्वीप	14.43
20.	मध्य प्रदेश	8.24
21.	महाराष्ट्र	14.13
22.	मणिपुर	8.73
23.	मेघालय	8.93
24.	मिजोरम	7.57
25.	नागालैंड	6.70
26.	उड़ीसा	8.65
27.	पांडिचेरी	13.66
28.	पंजाब	11.20
29.	राजस्थान	7.39
30.	सिक्किम	11.85
31.	तमिलनाडु	9.38
32.	त्रिपुरा	9.89
33.	उत्तर प्रदेश	7.59
34.	उत्तरांचल	11.61
35.	पश्चिम बंगाल	9.71
	अखिल भारत	9.35

उपभोक्ता न्यायालय का कार्यकरण

656. श्री ए. नरेन्द्र :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण संबंधी नवीनतम आंकड़े तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में इन न्यायालयों द्वारा कुल कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ग) क्या जिला फोरम द्वारा निर्णय लिए गए मामलों की प्रतिशतता 90 दिनों की निर्धारित अवधि में 32 प्रतिशत से घटकर मात्र 24 प्रतिशत रह गई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे खराब कार्य–निष्पादन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उपभोक्ता न्यायालयों के कार्य–निष्पादन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, राज्य आयोग तथा जिला मंचों द्वारा स्थापना के पश्चात् निपटाए गए मामलों का राज्य–वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। ब्यौरों का रख–रखाव वर्ष–वार नहीं किया जाता।

(ग) से (ङ) देश में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों द्वारा मामलों का निपटान मुख्यतः अपर्याप्त अवसंरचना, स्थगन, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों में अध्यक्षों/सदस्यों के खाली पदों के न भरे जाने से प्रभावित होता है। इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु अभिकरणों द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कतिपय निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 61.80 करोड़ रुपए का एक–बारगी अनुदान दिया जाना।

(ii) राष्ट्रीय आयोग के जरिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों के कार्यकरण की मॉनीटरिंग करना।

(iii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों में अध्यक्ष/सदस्यों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा इन पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों की अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति करने हेतु एक पैनल तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(iv) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को हाल ही में वर्ष 2002 में मुख्यतः इसलिए संशोधित किया गया है ताकि उपभोक्ता मंचों की क्षमताओं में वृद्धि करके उन्हें अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन द्वारा सुदृढ़ बनाकर, प्रक्रिया को सरल बनाकर तथा अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार करके शिकायतों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाया जा सके। मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए किए गए विभिन्न महत्त्वपूर्ण संशोधनों में राज्य आयोग के सदस्यों तथा जिला मंच के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है ताकि राज्य आयोग के सदस्यों तथा जिला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्बाध रूप से चयन करके उनमें पड़े रिक्त स्थानों को यथासमय भरा जा सके। संशोधन में इस आशय का भी एक प्रावधान शामिल किया गया है कि राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग तथा जिला मंच के नियमित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष की हैसियत से कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाए ताकि इन मंचों में कार्यकलाप निर्बाध एवं सुचारु रूप से चलता रहे।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गठन के पश्चात् राज्य आयोग द्वारा निपटाए गए मामले	गठन के पश्चात् जिला मंचों द्वारा निपटाए गए मामले
1	2	3
आंध्र प्रदेश	11472	117976
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	237
अरुणाचल प्रदेश	15	179
असम	685	5702
बिहार	3021	36474
चंडीगढ़	3206	20879
छत्तीसगढ़	0	12853
दादरा और नगर हवेली	0	23
दमन और दीव	0	37
दिल्ली	14866	100271
गोवा	1107	3382
गुजरात	6566	52608
हरियाणा	12644	82568
हिमाचल प्रदेश	6552	29168
जम्मू और कश्मीर	3444	8247
झारखंड	0	11179
कर्नाटक	9709	63289
केरल	14185	118927
लक्षद्वीप	9	38
मध्य प्रदेश	10727	60644
महाराष्ट्र	12172	88426
मणिपुर	41	774
मेघालय	78	252
मिजोरम	50	911
नागालैंड	15	21
उड़ीसा	5546	44769
पांडिचेरी	591	1918
पंजाब	7490	54070

1	2	3
राजस्थान	10498	153087
सिक्किम	21	119
तमिलनाडु	10067	57167
त्रिपुरा	278	949
उत्तर प्रदेश	9285	200227
उत्तरांचल		
पश्चिम बंगाल	6056	39117

भारतीय बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक

657. श्री सुनील खां : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 दिसंबर, 2002 के 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'एफ.आई.आई.रिमेन मार्केट मेकर इन इंडिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। लेख इंगित करता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आई आई) भारतीय पूंजी बाजारों में नकदी की उपलब्धता में उल्लेखनीय अंशदान कर रहे हैं।

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि वर्ष 1998 के सिवाए, विदेशी संस्थागत निवेशकों की निवेश प्रवृत्ति सकारात्मक रही है। एफआईआई ने भारतीय प्रतिभूतियों में (19.2.2002 तक रिपोर्ट किए गए सौदों के लिए) 60354.2 करोड़ रुपए का निवल संचयी निवेश किया है। जनवरी, 2003 माह के लिए मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का कुल नकदी बाजार टर्नओवर 95654.5 करोड़ रुपए है, जिसमें से 9253.3 करोड़ रुपए (या 9.68%) कुल एफआईआई टर्नओवर है।

(ग) यह भारत में संस्थागत निवेशों तथा प्रत्यक्ष निवेशों के जरिए विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की घोषित नीति है। जहां तक संस्थागत निवेश का संबंध है, सेबी में पंजीकृत एफआईआई 10 प्रतिशत की व्यष्टि सीमा और 24 प्रतिशत की समग्र सीमा के साथ या किसी कंपनी की निर्गम पूंजी की क्षेत्रक सीमा तक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में प्रचालन कर सकते हैं।

लोक अदालतों को मामलों का स्थानांतरण

658. श्री हरिभाई चौधरी :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारी संख्या में लंबित मामलों को निपटाने हेतु उच्च न्यायालयों के सेवा संबंधी सभी मामलों को स्थायी लोक अदालतों में स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने हेतु क्या नये कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार समय-समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों से विद्यमान रिक्तियों और ऐसी रिक्तियों को, जिनके उद्भूत होने की संभावना हो, भरने के लिए यथासंभव शीघ्र प्रस्ताव रखने के लिए अनुरोध करती रही है।

कर्नाटक में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

659. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के उत्तरी भाग में, विशेषकर हुबली धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने का है जहां इस उद्देश्य हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात्, हुबली–धारवाड़ में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः, केंद्रीय सरकार के लिए इस विषय में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

नकली वस्तुओं का संकट

660. डा. चरण दास महंत :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग जगत ने विभिन्न क्षेत्रों में नकली वस्तुओं के संकट में वृद्धि के मद्देनजर बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दों के लिए उच्च प्राथमिकता दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में नई दिल्ली में 'नकल से मुकाबला : रणनीति और व्यवहार' विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसमें किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) नकली वस्तुओं के इस संकट की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यागसार राव) : (क) और (ख) इंटरनेशनल एंटी काउंटरफीटिंग कोअलेशन (ओ.ए.सी.सी.), यू.एस.ए. के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा नई दिल्ली में 21–22 जनवरी, 2003 को 'नकल से मुकाबला' पर आयोजित एक सम्मेलन में उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों ने नकली वस्तुओं के संकट और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई थी।

(ग) सम्मेलन में नकली वस्तुओं के मुकाबला करने से संबंधित उन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था जो कि नीतिगत एवं प्रवर्तन दोनों से संबद्ध थे, और इसमें क्षेत्र विशेष मुद्दों को हाथ में लेने की आवश्यकता पर, प्रवर्त्तन को मजबूत करने, नकली वस्तुओं की रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत करने, नकली वस्तुओं से निपटने के लिए सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के लिए उद्योग जगत हेतु रणनीति बनाने और उद्योग तथा भारत सरकार दोनों स्तरों पर स्वैच्छिक कार्यवाही करने पर जोर दिया गया। विचार–विमर्श करने के बाद उक्त सम्मेलन में निम्नलिखित अनुशंसाएं की गईं :

- संकट से मुकाबला करने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना और उद्योग जगत तथा सरकार दोनों द्वारा जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तंत्र बनाना;
- लक्ष्य समूहों अर्थात उपभोक्ताओं, उद्योग, पुलिस, सीमाशुल्क, न्यायपालिका और अन्य दावेदारों के सभी स्तरों पर जागृति पैदा करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूलों का आयोजन करना;
- नकली वस्तु विरोधी संगठनों जैसे कि इंटरनेशनल एंटी काउंटरफीटिंग कोअलेशन, बिजनेस सॉफ्टवेयर एलायंस, विश्व सीमाशुल्क संगठन, वैश्विक नकली वस्तु विरोधी समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चिह्न परिसंघ, काउंटरफीटिंग इंटेलीजेंस ब्यूरो एंटीकाउंटरफीटिंग ग्रुप आदि के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा उनका सहयोग प्राप्त करना;
- बौद्धिक संपदा (आई पी) न्यायालयों की स्थापना करके, बेहतर प्रशिक्षित आई.पी. पुलिस फोर्स एवं स्निग्ध जन–जागृति पैदा करके कुशल तथा प्रभावकारी प्रवर्त्तन हेतु सिफारिश की;
- उद्योग जगत और प्रवर्त्तन एजेंसियों के बीच सुविधापूर्ण तालमेल करना;
- कानूनी, कारपोरेट सुरक्षा, जन–कार्य/उपभोक्ता संबंध, बिक्री और विपणन, सरकारों तथा पैकेज बनाने वालों के साथ–साथ सभी इच्छुक समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल करके उद्योग जगत हेतु बहु–व्यवसाय दलों की स्थापना करना।

(घ) नकली वस्तुओं के संकट को रोकने के लिए, सरकार द्वारा आई.पी.आर. से संबंधित विभिन्न कानूनों को आधुनिक बनाने और उनमें संशोधन करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है और नये व्यापार चिह्न और डिजाइन कानून बनाए गए हैं ताकि उद्योग जगत एवं उपभोक्ताओं को कारगर संरक्षण मुहैया कराया जा सके। क्रियान्वित किए जाने वाले ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के तहत शास्ति उपबंधों का प्रभावपूर्ण निवारण

करने की दृष्टि से विस्तार किया गया है। कुछ अपराधों को संज्ञानयोग्य बनाया गया है और कैद की अवधि को ज्यादा कर दिया गया है। नकली वस्तुओं और इनसे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में आम जनता, प्रयोक्ताओं, प्रवर्त्तन एजेंसियों व तकनीकी संस्थाओं में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

कुल कारोबार शुल्क

661. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सेबी' को विभिन्न एजेंसियों की एसोसिएशनों से पिछले वर्षों के कुल कारोबार शुल्क के बारे में निर्धारित आधार पर पुनः विचार करने से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उसमें अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) दलाली शुल्क के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 1 फरवरी, 2001 के अधिनिर्णय के पश्चात्, अनेक दलाल संघों ने सेबी को अभ्यावेदन दिए जिनमें अधिनिर्णय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगे गए थे।

सेबी ने दलालों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भारत के महान्यायाभिकर्ता से कानूनी राय प्राप्त की। सेबी बोर्ड ने दलालों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कानूनी राय के प्रकाश से विचार किया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय को प्रभावी करने के लिए दि. 20 फरवरी, 2002 को सेबी (शेयर दलाल तथा उप–दलाल) विनियम, 1992 में संशोधन किया।

सेबी ने इसके द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर 28 मार्च, 2002 तथा 30 सितम्बर, 2002 को दो स्पष्टीकरण परिपत्र भी जारी किए हैं।

[हिन्दी]

बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वीआरएस

662. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत सभी चार सामान्य बीमा कंपनियों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है और कर्मचारियों को कितने वर्ष की सेवा अवधि के बाद वीआरएस का लाभ दिया जाएगा; और

(ग) इस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को क्या–क्या लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों में कार्यरत विकास अधिकारियों (श्रेणी–II कर्मचारी) के लिए 2 जनवरी, 2003 को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ की है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज लेने की इच्छा रखने वाले विकास अधिकारी स्वीकार्य सेवानिवृत्ति लाभ के साथ–साथ अपनी सेवा के पूरे किए गए वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए 60 दिनों के वेतन अथवा शेष सेवा के महीनों के वेतन, जो भी न्यूनतम हो, की अनुग्रह राशि के हकदार होंगे। सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की तरफ से विकास अधिकारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कृषि ऋणों संबंधी ब्याज दरें

663. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के प्राथमिकता वाला क्षेत्र होने के बावजूद कृषि ऋण पर ब्याज दर अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की ब्याज दर की तुलना में बहुत ज्यादा है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र में ब्याज दरों को तर्कसंगत और सस्ते स्तर पर लाने और किसानों को आसानी से कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु ऋण देने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) वर्तमान में उधार

दरों को अविनियमित कर दिया गया है और बैंक अपनी मूल उधार दरें (पीएलआर) निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं जो 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए बैंक द्वारा प्रभारित न्यूनतम दर होगी। 29 अप्रैल, 1998 से यह नियत किया गया है कि 2 लाख रुपए और इससे कम की ऋण सीमा के लिए उधार दरें पीएलआर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कृषि उधार लेखों का पर्याप्त हिस्सा 2 लाख रुपए तक की ऋण सीमा के अंतर्गत वसूल हो जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि उधार संबंधी उच्च स्तरीय समिति (आर. वी. गुप्ता) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को उधार देने की प्रक्रिया को सरल करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। बैंकों को आवेदनों, करारों आदि के संबंध में पद्धतियों/फार्मों के सरलीकरण, बैंकों की आंतरिक विवरणियों के युक्तिकरण, शाखा प्रबंधकों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, किसानों को संमिश्र नकदी ऋण सीमा का प्रारंभ, बचत घटकों के साथ नए ऋण उत्पाद शुरू करना, ऋणों का नकद संवितरण, अदेयता प्रमाण–पत्र जारी करना, 10,000/– रु. से अधिक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति आवश्यकताओं से संबंधित मामलों में बैंकों को विवेक आदि से संबंधित इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन की सलाह दी गई थी। आशा की जाती है कि इन उपायों से किसानों द्वारा बैंक से ऋण की आसान पहुंच, कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह तेज करने में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विभिन्न उपाय करने की सलाह भी दी है जैसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) तैयार करना, विशिष्ट कृषि वित्त शाखाएं खोलना, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) शुरू करने तथा प्रत्येक वर्ष विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति में केसीसी जारी करना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा स्थापित ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत राज्यों को सहायता देना, व्यष्टि ऋण वितरण प्रणाली शुरू करना आदि।

श्रीलंका के साथ व्यापार संबंध

664. श्री परसुराम माझी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीलंका के साथ व्यापार संबंध में सुधार करने हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2003–04 और अगले दो वित्तीय वर्षों हेतु इस संबंध में क्या योजना तैयार की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) भारत और श्रीलंका के बीच दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 को नई दिल्ली में एक मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस मुक्त व्यापार करार को दिनांक 1 मार्च, 2000 को सीमा शुल्क अधिसूचना जारी करके लागू किया गया है। इस करार में नकारात्मक सूची में दी गई कुछ सीमित मदों को छोड़कर एक समयावधि के भीतर सभी उत्पादों पर चरणबद्ध रूप से टैरिफ समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। हालांकि, भारत टैरिफ समाप्त करने की प्रक्रिया को 3 वर्ष की अवधि में पूरा करेगा परन्तु श्रीलंका द्वारा यह कार्य 8 वर्ष में किया जाएगा। दिनांक 7 जून, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति (जेएमसी) की पहली बैठक में दोनों पक्षों ने भारत, श्रीलंका मुक्त व्यापार करार की परिधि का विस्तार करने के लिए सेवा व्यापार को शामिल करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमति व्यक्त की है। यह सहमति हुई है कि दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार करार में सेवा व्यापार को शामिल करने के प्रस्ताव को तैयार करने के लिए एक कार्यबल गठित किया जाएगा।

न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति

665. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार का विचार दीवानी मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु ठेके के आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में दीवानी मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सरकार ने ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार दीर्घावधि से लंबित सेशन और अन्य मामलों के निपटारे के लिए राज्यों में त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन किया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि त्वरित निपटान न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

के लिए प्रथम अधिमान, पात्र अधिकारियों में से तदर्थ प्रोन्नति को दिया जाए। ऐसी नियुक्तियों में द्वितीय अधिमान, अच्छे सेवा अभिलेख वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दिया जाना है।

(ग) सरकार द्वारा सिविल मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए किए गए अन्य उपायों में सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन, न्यायालय मामलों के विभिन्न प्रक्रमों के लिए समय–सीमा विहित करना, लोक उपयोगिता से संबंधित विवादों के लिए स्थायी लोक अदालतें, न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरना, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों आदि की पद–संख्या में वृद्धि करना आदि सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

बैंकों की ग्रामीण शाखा

666. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों की शाखाओं की संख्या में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी क्षेत्रों के बैंकों की शाखाओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अधिकाधिक शाखाएं खोलने पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 2000, 2001 और 2002 की स्थिति के अनुसार बैंक समूह–वार वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की कुल संख्या नीचे दी गई है :

बैंक समूह का नाम	31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार शाखाओं की संख्या		
	2000	2001	2002*
1	2	3	4
भारतीय स्टेट बैंक और इसकी अनुषंगियां	5515	5513	5511
राष्ट्रीयकृत बैंक	13856	13755	13722
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	12083	12067	12059
अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1217	1140	1140

*अनन्तिम आंकडे

नीचे दिए गए विभिन्न कारकों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या में आंशिक रूप से कमी आई है :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी में वृद्धि के परिणामस्वरूप कतिपय ग्रामीण केन्द्रों को अर्द्ध–शहरी/शहरी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
2. कतिपय गांवों को शहरी नगर निगम की राजस्व सीमा के भीतर लाया गया है जिसके कारण ग्रामीण केन्द्रों को पुनः वर्गीकृत करना पड़ा है।
3. बैंकों को ग्रामीण केन्द्रों में घाटा देने वाली अपनी शाखाओं को सेटेलाइट कार्यालयों में बदलने की अनुमति दी गई है जिसके कारण ऐसे कार्यलयों को शाखा सांख्यिकी में शामिल नहीं किया गया है।
4. इंडियन बैंक तथा युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जैसे कमजोर बैंकों को बैंक पुनर्गठन योजना के अंतर्गत अपनी घाटा देने वाली कुछ ग्रामीण शाखाओं को बंद करने/उनका विलय करने की अनुमति दी गई थी।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या की राज्य–वार स्थिति विवरण में दी गई है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के खोले जाने को अपने सेवा क्षेत्र के भीतर ग्रामीण केन्द्रों पर अतिरिक्त शाखाएं खोलने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए अलग–अलग बैंकों के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। ग्रामीण केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के बैंक के प्रस्ताव पर संबंधित जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) द्वारा विचार किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से पूर्वानुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की राज्य–वार कुल संख्या

(31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार)

राज्य का नाम	एसबीआई एवं अनुषंगी	राष्ट्रीयकृत बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक*
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार	13	4	17
आंध्र प्रदेश	560	699	1459
अरुणाचल प्रदेश	35	4	39
असम	114	355	469
बिहार	280	959	1239
चंडीगढ़	4	5	9
छत्तीसगढ़	133	169	302
दादरा एवं नगर हवेली	–	5	5
दमन एवं दीव	1	–	1
दिल्ली	28	30	58
गोवा	34	119	153
गुजरात	308	892	1201
हरियाणा	114	328	442
हिमाचल प्रदेश	189	344	533
जम्मू एवं कश्मीर	80	39	119
झारखंड	240	387	627
कर्नाटक	301	856	1157
केरल	69	85	154
लक्षद्वीप	–	9	9
मध्य प्रदेश	330	735	1065
महाराष्ट्र	340	1341	1681
मणिपुर	11	9	20
मेघालय	67	17	84
मिजोरम	16	–	16
नागालैंड	30	3	33
उड़ीसा	312	531	843
पांडिचेरी	3	17	20
पंजाब	247	699	946
राजस्थान	365	540	905
सिक्किम	23	13	36
तमिलनाडु	228	1083	1311
त्रिपुरा	17	32	49
उत्तर प्रदेश	470	1889	3359
उत्तरांचल	202	151	353
पश्चिम बंगाल	346	1173	1519
अखिल भारत	5511	13722	19233

*सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक और इसकी 7 अनुषंगियां तथा 19 राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं।

[अनुवाद]

कपास ओटाई उद्योग का कार्य-निष्पादन

667. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास ओटाई उद्योग अपनी क्षमता का मुश्किल से 35% ही उपयोग कर पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे खराब कार्य–निष्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस उद्योग द्वारा वर्ष–वार कितनी मात्रा में कपास का प्रसंस्करण किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा ओटाई उद्योग की स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जिनिंग और प्रेसिंग उद्योग एक मौसम पर- निर्भर करने वाला उद्योग है जो कि कपास वर्ष, अक्तूबर–सितंबर के दौरान लगभग 9 महीने (अक्तूबर–जून) की अवधि के दौरान चलता है। हाल ही के दौरान किए गए सर्वेक्षण के दौरान देश में इस समय 3342 जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियां हैं जिनमें 902 मिश्रित (जिनिंग और प्रेसिंग दोनों सुविधाओं वाली), 122 प्रेसिंग एकक तथा 2318 जिनिंग एकक शामिल हैं। इसकी पर्याप्त क्षमता है जो लगभग 250 लाख गांठ प्रति वर्ष प्रोसेस कर सकती है। 160 लाख गांठ के औसत घरेलू उत्पादन को ध्यान में रखते हुए जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों का क्षमता उपयोग लगभग 65% है।

(ख) कुछ राज्य सरकारों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रोत्साहन तथा विभिन्न राज्यों में कपास के उत्पादन में उतार–चढ़ाव होने के कारण अतिरिक्त क्षमता का आंशिक रूप से सृजन किया गया है।

(ग) वर्ष 2000–01 के कपास वर्ष के दौरान संसाधित कपास की मात्रा क्रमशः 140 लाख गांठ और 158 लाख गांठ है।

(घ) सरकार ने कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया गया है। टीएमसी के लघु मिशन–4 के अंतर्गत जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण के लिए 25% की दर से पूंजीगत प्रोत्साहन दिया जाता है जो कि अधिकतम 20 लाख रुपये तक सीमित होता है।

सोने और चांदी से निर्मित आभूषण उद्योग

668. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में विशेषकर तमिलनाडु में सोने और चांदी से निर्मित उद्योग विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु में सोने और चांदी से निर्मित आभूषण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु आवंटित प्रतिपूर्ति और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार को तमिलनाडु में सोने और चांदी से निर्मित आभूषण उद्योगों के कार्य–निष्पादन की निगरानी करने में काफी कठिनाई होती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों को धनराशि प्रदान करने और इन पर निगरानी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य सहित समूचे देश में अपने एक्जिम नीतिगत उपर्यों के जरिए सोने तथा चांदी के आभूषणों के निर्यात का संवर्धन/विकास किया जा रहा है। रत्न एवं आभूषणों के निर्यातों को बढ़ाने तथा विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करने के लिए सरकार तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदम निम्नानुसार हैं :

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मध्यावधि निर्यात कार्य योजना तैयार की है;
- जीजेईपीसी और सरकार द्वारा हीरा खनन देशों से अपरिष्कृत हीरों की सीधे खरीद करने की संभावना की निरंतर तलाश की जा रही है;
- आभूषण डिजाइन एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सूरत में सरदार वल्लभ भाई पटेल आभूषण डिजाइन एवं विनिर्माण केन्द्र की स्थापना हेतु निधियां मुहैया की हैं;
- जीजेईपीसी द्वारा विज्ञापनों, प्रचार एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, क्रेता–विक्रेता बैठकों के आयोजन तथा बाजार के खुदरा व्यापारियों से सीधे संपर्क के जरिए विदेशों में भारतीय हीरों और आभूषणों की छवि का संवर्धन किया जाता है;
- जीजेईपीसी परामर्शदाताओं के जरिए बाजार अध्ययन करवाकर नए बाजारों को अभिज्ञात करती है। डिजाइनों में नवीनतम प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए यह

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भारतीय डिजाइनरों को भी भेजती है; और

- जीजेईपीसी भारत से हालमार्क आभूषण के निर्यात का संवर्धन करती है ताकि विदेशों में ग्राहक भारत में निर्मित आभूषणों की गुणवत्ता और शुद्धता के प्रति आश्वस्त हो सकें।

इसके अतिरिक्त 1.4.2002 से लागू नई एक्जिम नीति में इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए गए हैं :

- अपरिष्कृत हीरों के आयात पर सीमाशुल्क को हटाकर शून्य कर दिया गया है और अपरिष्कृत हीरों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है।
- सादे आभूषणों के निर्यात हेतु मूल्यवर्धन संबंधी मानदंडों को 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है। समस्त यंत्रीकृत जड़ाऊ आभूषणों के निर्यात की अनुमति अब 3% के मूल्यवर्धन पर दी जाती है जो कि पहले पूर्णतः यंत्रीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित सोने/प्लेटिनस/चांदी की गैर जड़ाऊ चेनों और चूड़ियों तक ही सीमित था।
- आभूषणों को व्यक्तिगत रूप से लाने ले जाने की अनुमति दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर के अलावा हैदराबाद तथा जयपुर हवाई अड्डों के जरिए दी जाती है।

(घ) जीजेईपीसी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार तमिलनाडु के पंजीकृत सदस्य निर्यातकों को वर्ष 2001–2002 के दौरान एक लाख रुपए की राशि प्रदान/वितरित की गई थी। चालू वित्त के दौरान दिसम्बर, 2002 के महीने तक तमिलनाडु की पंजीकृत सदस्य निर्यातकों को 11 लाख रुपए की राशि वितरित की गई।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सबोर्डिनेट बांडों को जारी करने हेतु बैंकों को अनुमति

669. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सबोर्डिनेट बांडों को जारी करने के लिए विदेशी बाजारों में पैठ बनाने हेतु भारतीय बैंकों को अनुमति देने की नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नई नीति से भारतीय बैंकों द्वारा सुलभ विदेशी ऋण प्राप्त करने की अनुमति देने से उनकी स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी;

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय बैंक विदेशों में ऋण उगाहने के पीछे न फंसे, क्या सुरक्षोपाय करेगा; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस नीति से बैंकिंग जगत में अस्थिरता पैदा न होने देना सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पुनर्गठन कोष

670. श्री रामदास रूपला गावीत :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री बी. बी. रमैया :
श्री के. येरननायडू :
डा. डी. वी. जी. शंकर राव :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग ने वस्त्र इकाइयों की उच्च लागत ऋण के स्थान पर वर्तमान दर पर ऋण की प्रणाली को प्रयोग में लाकर एक वस्त्र परिसंपत्ति पुनर्गठन कोष गठित कर ऋण पोर्टफोलियो का पुनर्गठन करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव पर अभी निर्णय लिया जाना है।

[अनुवाद]

निर्यात प्रोत्साहनों को वापस लेना

671. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात प्रोत्साहनों एवं रियायतों को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त कदम के विरुद्ध कोई ज्ञापन अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) सरकार निर्यात आयात नीति के अंतर्गत निर्यात संवर्धन स्कीमों को वापस लेने पर विचार नहीं कर रही है। वाणिज्य और उद्योग के शीर्षस्थ चैम्बरों, व्यापार एसोसिएशनों और व्यापार तथा वाणिज्य के कुछ वर्गों ने विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों को जारी रखने की मांग की है।

[हिन्दी]

आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र

672. श्री पदमसेन चौधरी :
डा. अशोक पटेल :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रोजगार अथवा विदेश में ठहरने हेतु देश छोड़ते समय आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) वार्षिक बजट कार्रवाई के दौरान कर कानूनों के यौक्तिकीकरण एवं सरलीकरण से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर प्रतिवर्ष विचार किया जाता है तथा सरकार का निर्णय वार्षिक वित्त विधेयक में दर्शाया जाता है।

आईसीआईसीआई का कार्यकरण

673. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई लिमिटेड के कार्यकरण में कतिपय कमियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) आईसीआईसीआई लिमिटेड का 30 मार्च, 2002 को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में विलय हो गया था और उस तारीख से उस हैसियत से उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने भूतपूर्व आईसीआईसीआई लिमिटेड, जिस पर कार्रवाई की जा रही है, की कार्यप्रणाली में कोई कमी नहीं पाई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार एवं उसे सुचारु बनाना

674. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने और उसे सुचारु बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा गई थी और उसके स्थान पर जो व्यवस्था की गई थी उसने इस स्थिति से राज्य को उबार लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फिर से शुरू करने हेतु वर्तमान लक्षित प्रणाली को समाप्त करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके प्रभाव और सुधारों आदि की समीक्षा प्रणाली की कुशलता एवं प्रभावकारिता में सुधार के लिए एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

675. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर–निष्पादनकारी आस्तियां चिंताजनक रूप से बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आज की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक की गैर–निष्पादनकारी आस्तियां कितनी हैं;

(ग) क्या बैंको की गैर–निष्पादनकारी आस्तियों के बढ़ने का मुख्य कारण गैर–प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने एवं निवेश करने की प्रथा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी प्रथा को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) 31 मार्च, 2001 तथा 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) तथा सकल अग्रिमों की तुलना में उनका प्रतिशत नीचे दिया गया है :

	मार्च, 2001	मार्च, 2002
(क) सकल अनुपयोज्य आस्तियां (करोड़ रु. में)	54,672	56,507
(ख) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत	12.4	11.1

हालांकि पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियों में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है लेकिन सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनुपयोज्य आस्तियों के प्रतिशत में गिरावट आई है। 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं। अनुपयोज्य आस्तियां का फैलाव प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं गैर–प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दोनों में है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	बैंक का नाम	सकल अनुपयोज्य आस्तियां
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	15485.87
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर	615.58
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	898.52
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	320.1
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	624.61
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	628.02
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	443.25
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	727.6
9.	इलाहाबाद बैंक	2001.85
10.	आंध्रा बैंक	524.14
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	448.29
12.	बैंक ऑफ इंडिया	3722.41
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	906.42

1	2	3
14.	केनरा बैंक	2112.44
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3375.69
16.	कारपोरेशन बैंक	587.05
17.	देना बैंक	1996.03
18.	इंडियन बैंक	2175.35
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1818.54
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	951.79
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1091.84
22.	पंजाब नेशनल बैंक	4139.86
23.	सिंडिकेट बैंक	1299.13
24.	यूको बैंक	1332.65
25.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2420.48
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	215.50
27.	विजया बैंक	602.69
	कुल	56506.69

न्यायाधीशों के लिए आचरण एवं नैतिकता संबंधी नियम

676. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों के लिए आचरण एवं नैतिकता संबंधी नियम लाने का है ताकि वे प्रणाली के प्रति और जवाबदेह बन सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सरकार एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो, अन्य बातों के साथ–साथ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के लिए एक आचार–संहिता तैयार करेगा।

विदेशी अधिवक्ताओं के लिए विधि क्षेत्र को खोलना

677. श्री सुबोध मोहिते : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सामान्य व्यापार शुल्क संबंधी समझौते के अंतर्गत दी गई प्रतिबद्धता के अनुरूप विदेशी अधिवक्ताओं के लिए विधि क्षेत्र को खोलने में समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे कड़े विरोध से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) चूंकि अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की सुरक्षा करना भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कानूनी कृत्यों में से एक है (देखिए अधिवक्ता अधिनियम, 1951 की धारा 7(1)(घ), अतः, इस विषय पर उसे अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। परिषद् भारत में विदेशी वकीलों के प्रवेश के पूर्णतया विरुद्ध है। परिषद् ने 24 और 25 अक्तूबर, 2002 को हुई अपनी बैठकों में एक संकल्प भी पारित किया था जो निम्नानुसार है :

> "परिषद् ने श्री आर. एल मीणा, विधि सचिव द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित पत्र पर विचार किया जिसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद् से इस विषय पर अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था जिससे कि विधि कार्य विभाग, वाणिज्य विभाग को अपनी टिप्पणियां दे सके। भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने उक्त पत्र पर विचार करने के पश्चात् इस मुद्दे पर अपने पूर्व मत को दोहराया है कि देश में विदेशी वकीलों और विधि फर्मों को प्रवेश की अनुज्ञा न दी जाए। भारतीय विधिज्ञ परिषद् एक बार फिर विदेशी वकीलों के प्रवेश का कड़ा विरोध करती है और विधि और न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय को अपने दृढ़ विचारों से अवगत कराती है। इसे देखते हुए परिषद् के पास इस विषय पर प्रस्तुत करने के लिए और कोई अन्य विचार नहीं है।"

सरकार ने अभी तक इस विषय पर कोई विपरीत मत नहीं बनाया है।

तंबाकू पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

678. डा. बी. बी. रमैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2003 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तंबाकू के संबंध में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा की गई कार्यसूची की मदें क्या थीं; और

(ग) चर्चा के क्या परिणाम निकले?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) सरकार द्वारा ऐसी किसी संगोष्ठी का आयोजन नहीं किया गया था। तथापि, यह मालूम हुआ है कि इंडियन सोसायटी ऑफ टोबैको साइन्स (आईएसटीएस) जो तंबाकू वैज्ञानिकों, व्यापारियों तथा किसानों की एक एसोसिएशन है, ने तंबाकू के संबंध में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी। यह भी मालूम हुआ है कि यह संगोष्ठी मुख्यतः भारतीय तंबाकू की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा उन तौर–तरीकों का पता लगाने पर केन्द्रित थी जिनसे भारतीय तंबाकू को आगे और स्वीकार्यता मिलेगी।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं

679. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से छत्तीसगढ़ में कुछ परियोजनाओं को निष्पादित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में सज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) जी, हां। छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व बैंक की सहायता से नौ बहु–राज्य परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। प्रत्येक परियोजना के संबंध में समापन की तारीख उनके सामने दिखाई गई है :

(i) ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना (31.12.2003)

(ii) हाईड्रोलॉजी परियोजना (31.12.2003)

(iii) क्षयरोग नियंत्रण परियोजना (30.9.2004)

(iv) मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (31.3.2003)

(v) ॥ एच.आई.वी./एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण (31.7.2004)

(vi) रोग प्रतिरक्षण सशक्तिकरण परियोजना (30.6.2004)

(vii) ॥ राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना (31.12.2004)

(viii) प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना (31.3.2003)

(ix) जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना–I (30.6.2003)

[अनुवाद]

निर्यात संवर्द्धन योजना को समाप्त करना

680. श्री के. येरननायडू : क्या **वस्त्र** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु प्रोत्साहन योजना को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कदम पर मिल मालिकों की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बैंकों के बिना दावे की धनराशि

681. श्री महेश्वर सिंह : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न बिना दावे के खातों में जमा धनराशि कितनी है;

(ख) उक्त धनराशि के उपयोग की कार्य प्रणाली क्या है और क्या खाताधारकों के पते पर सूचना भेजने का कोई प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 31 दिसंबर, 2001 की स्थिति (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में अदावी जमाराशि की कुल राशि 468.89 करोड़ रु. थी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों के पास इस समय पड़ी अदावी जमाराशि का अभिनियोजन उनके द्वारा उसी तरह अपने सामान्य व्यवसाय में किया जाता है, जैसा कि किसी अन्य जमाराशि स्रोतों से किया जाता है और ऐसी जमाराशि के लिए ब्याज को प्रत्येक वर्ष ऐसे जमा–खातों में जमा कर दिया जाता है। खाता धारकों के पते पर सूचना भेजने का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अभिकल्प परिषद

682. श्री एस. मुरुगेसन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए अभिकल्प शिखर सम्मेलन के क्या महत्वपूर्ण परिणाम निकले;

(ख) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ के समर्थन की सहायता से राष्ट्रीय अभिकल्प परिषद गठित करने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित राष्ट्रीय अभिकल्प परिषद के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(घ) अगले अभिकल्प शिखर सम्मेलन के किस तिथि को आयोजित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासगार राव) : (क) भारतीय डिजाइन संस्थान ने भारतीय उद्योग की बढ़ती हुई डिजाइन जागृति के मूल प्रयोजन से भारतीय उद्योग परिसंघ की भागीदारी के साथ दिसंबर, 2002 में नई दिल्ली में एक अभिकल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में डिजाइन/उत्पाद विकास संबंधी अनुमदों का आदान–प्रदान करने और 'अभिकल्प के माध्यम से प्रतिस्पर्धी लाभ' प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करने हेतु एक परस्पर मंच की प्राप्ति हुई। इस सम्मेलन से भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में मदद मिली है जो कि विशेष रूप से भारतीय उद्योग द्वारा डिजाइन पर ज्यादा जोर देने, प्रौद्योगिकी को डिजाइन के निकटतम लाने, डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए उद्योग–अकादमियों की भागीदारी और बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजन व संरक्षण करने के लिए डिजाइनरों/संगठनों को प्रोत्साहन देने के क्षेत्रों से संबंधित हैं। विश्व डिजाइन संगठन अर्थात् औद्योगिक डिजाइन समितियों की अंतरराष्ट्रीय परिषद की मौजूदगी से भी इस सम्मेलन के प्रयासों में मदद मिली है जो कि भारतीय उद्योग को विश्व से जोड़ने की दिशा में है।

(ख) ज़ी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अगले अभिकल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में फिलहाल 10–11 दिसम्बर, 2003 में करने का प्रस्ताव है।

मुद्रास्फीति दर

683. श्री के. मुरलीधरन : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम दिन–प्रतिदिन के बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोकने और मुद्रास्फीति दर को बनाए रखने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) 30 अनिवार्य, जिंसों जिनके मूल्य साप्ताहिक आधार पर मॉनिटर किए जाते हैं के समूह में वार्षिक मूल्य वृद्धि केवल 2.4 प्रतिशत है। चावल, गेहूं और कुछ दालों ने केवल 2–3.5 प्रतिशत के बीच की मूल्य वृद्धि दर्ज की। इस समय चीनी का मूल्य विगत कुछ वर्षों की अपेक्षा बहुत कम है। केवल खाद्य तेल के मूल्यों में, उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण तीव्र वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार ने कारगर आपूर्ति प्रबंधन और अनिवार्य जिंसों की आपूर्ति और मूल्यों की सूक्ष्म मॉनिटरिंग के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रणाधीन रखने के लिए संगठित प्रयास किए हैं। खाद्यान्नों की अधिक मात्रा के सरकारी भंडार ने खाद्यान्नों की सुखद आपूर्ति स्थिति सुनिश्चित की है और सूखे की गंभीर स्थिति के बावजूद उनके मूल्यों में सिथरता बनाए रखने के लिए मदद भी की है। सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार की उदार निर्मुक्ति ने समाज के कमजोर वर्गों को वर्धित सहायता प्रदान की है।

विदेशों द्वारा गैर-शुल्क अवरोध लगाना

684. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातकों को कुछ देशों द्वारा लगाए गए गैर–शुल्क अवरोधों का सामना करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त का सामना करने हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति, यदि कोई है, अपनाई गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप टैरिफ अवरोधों के शुरू होने से कई देशों द्वारा गैर–टैरिफ अवरोधों का आश्रय लिया जाता है। ये लेबलिंग प्रथाओं, पर्यावरणीय विनियमनों, प्रतिबंधक सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी शर्तों आदि सहित प्रतिबंधक मानकों, बोझिल विनियमनों और प्रक्रियाओं, बाजार प्रतिबंधों के रूप में हैं। इन गैर टैरिफ अवरोधों से भारत सहित बहुत से देशों की विश्व बाजार में व्यापार की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। भारत गैर टैरिफ अवरोधों विशेष तौर पर हमारे निर्यात हित के मुद्दों का निराकरण करने के मामले को अत्यधिक महत्व देता है।

इस मुद्दे के निराकरण के लिए पहले कदम के रूप में सरकार ने निर्यातकों के साथ अन्योन्य क्रिया करके और इस मुद्दे के संबंध में गहन अनुसंधान करने के बाद मुख्य गैर टैरिफ अवरोधों के संबंध में सूचना एकत्र की है। गैर टैरिफ अवरोधों के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं के शीघ्र और परस्पर संतोषजनक समाधान के लिए इन्हें संबंधित देशों के प्राधिकरणों के साथ द्विपक्षीय रूप से विधिवत ढंग से उठाया जा रहा है। कुछ मुद्दे जिनका समाधान इस प्रकार से नहीं होता है, को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र के जरिए समाधान के लिए उठाया गया है। डब्ल्यूटीओ वार्ताओं में भारत ने विकसित देशों द्वारा उन उपायों जिनसे विकासशील देशों के लिए निर्यात कठिन हो जाते हैं, के प्रयोग की अनुमति न देने के लिए कुछ अन्य विकासशील देशों के साथ प्रस्तावों का सह–प्रायोजन किया है।

[हिन्दी]

निर्यात आयात संवर्धन हेतु इकॉनोमिक ब्लाक

685. डा. अशोक पटेल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, मिस्र एवं दक्षिण अफ्रीका का विचार संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के साथ–साथ उपभोक्ता वस्तुओं के आयात–निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संयुक्त इकॉनोमिक ब्लाक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं। इस समय मिस्र और दक्षिण अफ्रीका के साथ कोई संयुक्त इकॉनोमिक ब्लाक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971

686. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा प्रशासनिक विधियों के पुनर्विलोकन के लिए गठित पी. सी. जैन

आयोग के सुझाव के अनुसरण में न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के उपबंधों का संपूर्णतया पुनर्विलोकन किया गया था और यह विनिश्चिय किया गया था कि इस समय न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में संशोधन न किए जाएं।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

687. श्री अम्बरीश :
श्री वाई. वी. राव :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगले चार वर्षों के लिए एशियाई विकास बैंक से आठ बिलियन डालर की सहायता की मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता की मांग किन क्षेत्रों के लिए की गई है; और

(ग) इस ऋण को प्राप्त करने में कितना समय लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक के हाल ही के कंट्री स्ट्रेटिजी एंड प्रोग्राम मिशन 2003–06 ने भारत को कैलेंडर वर्ष 2003 से 2006 तक 7.5 बिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। ये ऋण परिवहन, ऊर्जा, शहरी आधार ढांचा, वित्तीय, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित हैं। इन ऋणों को प्राप्त करने में लगने वाला समय पारस्परिक रूप में सहमत प्रक्रियात्मक समय–सारणियों पर निर्भर करता है तथा यह अलग–अलग परियोजना के लिए भिन्न–भिनन होगा।

पौधरोपण फसलों का उत्पादन

688. श्री पी. सी. थामस : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान भारत में रबड़, कॉफी, चाय एवं काली मिर्च का उत्पादन कितना है और प्रत्येक फसल की कितने क्षेत्र में खेती की गई और इसका उत्पादन कितना है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान इन फसलों के लिए किसानों को वर्ष वार क्या मूल्य मिला;

(ग) इन फसलों के कृषकों एवं मजदूरों की समस्या का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या केरल के कुछ पौधरोपण क्षेत्रों में भुखमरी से मृत्यु हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रबड़, कॉफी, चाय और काली मिर्च के उत्पादन के साथ–साथ खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और उत्पादकता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन (टन)	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर)	उत्पादकता (किग्रा/हैक्टे.)
रबड़			
1999–00	622265	558584	1576
2000–01	630405	562670	1576
2001–02	631400	566558	1576
कॉफी			
1999–00	292000	340306	947
2001–01	301200	346716	959
2001–02	300600	348995	937
काली मिर्च			
1999–00	58280	192270	300
2000–01	63670	213870	300
2001–02	50800	215480	300
चाय			
1999–00	836510	490200*	1685*
2000–01	848360	507196*	1669*
2001–02	847250	510492*	1672*

*कैलेंडर वर्ष 1999, 2000 और 2001 से संबंधित।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन फसलों के लिए किसानों द्वारा प्राप्त कीमत निम्नानुसार है :

(रु./किग्रा)

वर्ष	रबड़	कॉफी*		चाय*	काली मिर्च
	आरएसएस IV	अरेबिका	रोबस्टा		
1999–00	30.99	81	60	72.79	उ. नहीं
2000–01	30.36	80	40	61.71	174.24
2001–02	32.28	56	29	61.66	80.39

*कैलेंडर वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 से संबंधित।

(ग) रबड़ उत्पादकों के हित की सुरक्षा करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं–वर्ष 1997 से 2001 के दौरान एसटीसी के जरिए बाजार हस्तक्षेप की कार्रवाई, रबड़ की न्यूनतम कीमत को निर्धारित करना एवं उसे अधिसूचित करना, मात्रात्मक प्रतिबंध मुक्त प्रणाली में भी प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध जारी रखना तथा आयातित रबड़ पर भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए गुणवत्ता मानकों को लागू करके प्राकृतिक रबड़ के आयात में होने वाली वृद्धि पर अंकुश लगाना तथा केवल दो पत्तनों अर्थात् विशाखापतनम तथा कोलकाता के जरिए प्राकृतिक रबड़ के आयात को सीमित करना।

कॉफी उत्पादकों की समस्याओं से चिंतित होकर, सरकार ने काफी क्षेत्र के लाभ के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं–कॉफी उत्पादकों द्वारा लिए गए ऋणों के बारे में भुगतान संबंधी कार्यक्रम पुनः तैयार करना, वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों पर लघु उत्पादकों को ब्याज में 5% राहत तथा बड़े उत्पादकों को 3% राहत प्रदान करना, हैंडलिंग लागत कम करने के लिए 50 पै. प्रति कि.ग्रा. की दर से परिवहन इमदाद प्रदान करना इत्यादि।

चाय उत्पादकों तथा चाय बागानों के कामगारों की समस्याओं को कम करने के लिए, भारत सरकार ने त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल सहित असम के बंद हो चुके चाय बागानों के किसानों और कामगारों की समस्याओं पर विचार करने के लिए तीन अलग–अलग समितियां गठित की हैं, विपणन नियंत्रण आदेश 2003 लागू किया है, चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए मध्यावधि कार्य नीति तैयार की है, चाय बागानों एवं कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान संबंधी कार्यक्रम पुनः तैयार करने के अलावा चाय की मांग को बढ़ाने के लिए घरेलू चाय अभियान शुरू किया है।

काली मिर्च के उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि में वृहद प्रबंधन कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयास में सहायता/मदद विषय पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को अपेक्षानुसार फसलों की प्राथमिकता निर्धारित करने और हस्तक्षेप करने के लिए लोचशीलता उपलब्ध होती है।

(घ) केरल के बगान क्षेत्रों से भुखमरी के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्त्र नीति

689. डा. महेन्द्र सिंह पाल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र हेतु कोई नई नीति तैयार की है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में नवगठित राज्यों के लिए एक पृथक् नीति तैयार की है;

(घ) क्या वस्त्र क्षेत्र में नवगठित उत्तरांचल राज्य को कोई सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार की उत्तरांचल राज्य में पुरानी मिलों के पुनरुद्धार की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र नीति–2000 के बाद कोई नई वस्त्र नीति बनाना प्रस्तावित नहीं है। हालांकि, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए एक नयी औद्योगिक नीति जनवरी, 2003 में परिभाषित की गई थी जिसमें वस्त्र उद्योग सहित उद्योग के विकास को रियायत

देने की व्यवस्था है। वस्त्र क्षेत्र के संबंध में घोषणा की गई है कि भारत सरकार तथा इन राज्यों के बीच निधि की पद्धति 90 : 10 के औसत में परिवर्तित होगी तथा वस्त्र मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपने प्रोत्साहन पैकेज का लाभ इन्हें प्रदान करेगा।

(घ) और (ङ) हथकरघा, हस्तशिल्प, ऊन तथा रेशम उत्पादन क्षेत्र में विविध योजनाओं के अंतर्गत उत्तरांचल राज्य को 199.83 लाख रु. की राशि जारी की गई।

(च) और (छ) चूंकि उत्तरांचल राज्य में सरकारी क्षेत्र की कोई वस्त्र मिल नहीं है, अतः कोई पुनरुद्धार योजना प्रस्तावित नहीं है।

रुपये का मूल्य

690. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए का मूल्य कितना है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान रुपए के मूल्य में कितनी बार उतार–चढ़ाव आया;

(ग) रुपए के मूल्य में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) रुपए के मूल्य में स्थिरता लाने और अन्य मुद्राओं के समान ही इसमें स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) 14 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार, मुख्य मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर नीचे दी गई है

(i)	रुपया/अमरीकी डालर	47.86
(ii)	रुपया/यूरो	51.91
(iii)	रुपया/पौंड स्टर्लिंग	77.64
(iv)	रुपया/100 जापानी येन	39.76

(ख) विनिमय दरों में घट–बढ़ बाजार–निर्धारित होती है। विभिन्न विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए में दैनिक उतार–चढ़ाव विदेशी विनिमय बाजार में मांग और आपूर्ति स्थितियों पर निर्भर करता है।

(ग) पिछले छः महीनों (अगस्त, 2002 से जनवरी 2003 तक) के दौरान मुख्य मुद्राओं की तुलना में रुपए में घटबढ़ यह दर्शाती है कि रुपए में पाउंड स्टर्लिंग और यूरो की तुलना में क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 8.5 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ है और इसमें अमरीकी डालर और जापानी येन की तुलना में क्रमशः 1.2 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई है। अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर में घटबढ़ विदेशी विनिमय बाजार में मांग और आपूर्ति स्थितियों पर निर्भर करती है।

(घ) भारत की चालू विनियम दर नीति एक क्रमबद्ध रूप में विनिमय दर घटबढ़ को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण मांग और आपूर्ति स्थितियों की अनुमति देते हुए, नियत दर लक्ष्य के बिना अस्थिरता प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, खरी उतरी है। बाह्य और घरेलू मोर्चे पर अप्रत्याशित प्रतिकूल घटनाक्रमों के बावजूद, भारत की विदेशी स्थिति सन्तोषजनक रही। भारतीय रिजर्व बैंक, देश और विदेश में वित्तीय बाजारों में घटनाक्रमों की बारीकी से मानीटरिंग करते हुए निगरानी, सावधानी और लचीलेपन के दृष्टिकोण का अनुपालन करना और समय–समय पर आवश्यक समझे जाने वाले उपयुक्त मौद्रिक, विनियामक और अन्य उपाय करना जारी रखता है।

[अनुवाद]

भ्रष्ट न्यायाधीश

691. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार एशोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने भ्रष्ट न्यायाधीशों को हटाने के लिए कानून की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बुराई से लड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के जैसे न्यायिक आयोग का सुझाव भी दिया है, जैसा कि दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में 'फाली कॉल्स फार यू एस टाइप पैनल आन करप्ट जजेज' शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कानून बनाने हेतु कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक कानून बनाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार का ध्यान भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष के कथन की ओर आकर्षित किया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अन्य बातों के साथ–साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए एक आचार–संहिता तैयार करेगा।

राजनीति दलों से अनुरोध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों के लिए आचार–संहिता तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन के प्रश्न पर अपने विचार संसूचित करें। चूंकि आयोग का गठन करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करना होगा, अतः इस संबंध में कोई समय–सीमा बताना साध्य नहीं है।

उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना

692. श्री टी. गोविन्दन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने राज्य–व्यापी उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

(लाख रुपए में)

1. उपभोक्ता मामले कक्ष की स्थापना करना	6.35
2. उपभोक्ता पत्रिका का प्रकाशन	18.00
3. पंचायती राज के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना	3.20
4. प्रचार अभियान	3.00
5. वृत्त चित्र फिल्मों का निर्माण	1.50

केरल सरकार को पहले ही जागरूकता कार्यक्रम के लिए अप्रैल, 2002 में उपभोक्ता कल्याण कोष से दो अनुदान प्राप्त हो चुके हैं। तदनुसार, केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि पहले दो कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत कर दें ताकि वर्तमान प्रस्ताव पर विचार किया जा सके।

गोदामों में खाद्यान्न

693. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के विभिन्न गोदामों में निर्धारित 181 लाख टन के न्यूनतम बफर मानदंडों के विरुद्ध अभी भी कुल 333.14 लाख टन खाद्यान्न अधिक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किन–किन वैकल्पिक भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि गोदामों में अत्यधिक खाद्यान्नों का भंडारण न हो क्योंकि इससे खाद्यान्न सड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) 1.1.2003 की स्थिति के अनुसार, खाद्यान्नों का स्टाक 482 लाख टन था, जो कि बफर मानदंड की तुलना में अधिक था।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया जाना

694. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल में रहने वाले मराठी समुदाय को केरल की अनुसूचित जनजाति से हटाने का निर्णय लिया है जबकि कर्नाटक में रहने वाले मराठी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने मराठी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में अपने निर्णय की समीक्षा करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) और (ख) जी, हां। केरल के मराठी समुदाय को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत केरल की अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि केरल सरकार, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग ने इसको निकालने की सिफारिश की थी। कर्नाटक के मराठी समुदाय, जिसे दक्षिणी कनार जिले के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है, को सूची में बनाए रखा गया है क्योंकि कर्नाटक सरकार ने इसको हटाने की सिफारिश नहीं की थी।

(ग) से (च) बाद में केरल सरकार ने मराठी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में बनाए रखने की सिफारिश की थी। केरल सरकार के प्रस्ताव पर इस प्रकार के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए अनुमोदित रीति के अनुसार कार्रवाई की गई है।

विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन

695. श्री महबूब जाहेदी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्वीकरण के युग में औद्योगिक रूप से विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच आर्थिक अन्तराल धीरे–धीरे बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या मूलभूत आवश्यकता और आडंबरपूर्ण विलासिता की वस्तुओं की मांग की पूर्ति के बीच भारी अन्तर है;

(ग) क्या पूंजीवाद व्यवस्था में विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन और अधिकतर लोगों की आवश्यकता की पूर्ति को प्राथमिकता दी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार क्या कदम उठाने की योजना बना रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) आर्थिक वैश्वीकरण में पूंजी और वस्तुओं तथा सेवाओं के वैश्विक व्यापार की बाधाओं को हटाने की अपेक्षा है। वैश्वीकरण रक्षावादी नीतियों से बचता है और यह व्यापार तथा निवेश की बाधाओं को हटाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे अपेक्षाकृत अधिक कुशलता और विकास होता है। तथापि वैश्वीकरण का प्रभाव देश के विकास के स्तर और स्थानीय उत्पादक एककों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत रखने की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने, विश्व के बाजारों में प्रवेश करने की क्षमता, निजी पूंजीगत प्रवाहों की परिवर्तनशीलता को सहन करने पर निर्भर करता है।

चीन, भारत, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया और कोरिया जैसे विकासशील देशों को इस वैश्वीकरण से लाभ हुआ है और ये विश्व की सर्वाधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। इन देशों की 80 देशों में उच्च विकास प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है जिनके लिए विश्व आर्थिक मंच विकास प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (जी.सी.आई.) का संकलन करता है।

विश्व विकास रिपोर्ट, 2002 के अनुसार वर्ष 1999–2000 में उच्च आय वर्ग के देशों तथा कम और मध्यम आय वर्ग के देशों की प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. की विकास दर क्रमशः 3.2% और 4.2% थी जिसके तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) पूंजीवाद प्रणाली 'अहस्तक्षेप नीति' और स्वतंत्र बाजार के सिद्धान्तों पर आधारित है। मांग और आपूर्ति की शक्तियां सभी आर्थिक निर्णयों का निर्देशन करती हैं। यह प्रणाली स्वतः ही विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन अथवा बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं देती है। उपभोक्ता की पसन्द सर्वोपरि होती है।

(घ) दसवीं योजना के लिए सरकार की विकास रणनीति उन क्षेत्रों के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने की है जिनमें जीडीपी की उच्च विकास दर प्राप्त करना और लाभप्रद रोजगार के अवसरों का भी सृजन करने की प्रबल संभावना है तथा विकास के प्रभाव में ऐसे विशेष कार्यक्रमों से समर्थन प्रदान करने की भी है जिनका लक्ष्य ऐसे वर्ग हैं जो सामान्य विकास प्रक्रिया से लाभान्वित नहीं हो पाते।

चाय का निर्यात

696. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों विशेषकर रूस को किस्म–वार और देश–वार कुल कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) क्या परम्परागत चाय का निर्यात अपर्याप्त उत्पादन के कारण प्रभावित हो रहा है;

(घ) क्या सरकार को दक्षिण भारत में लगभग 20 मिलियन किलोग्राम परंपरागत चाय की अनप्रयुक्त क्षमता की जानकारी है;

(ङ) क्या सरकार निर्यात के प्रभाव सहित परंपरागत चाय को विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप निर्यात प्रोत्साहन राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के मात्रा और मूल्य के अनुसार मुख्य देशवार निर्यात के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

मात्रा मिलियन किग्रा में

मूल्य करोड़ रुपए में

देश का नाम	2000		2001		2002 (जनवरी–नवंबर) (अनुमानित)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
रूसी परिसंघ	85.87	621.30	66.88	468.83	40.22	250.11
अन्य सीआईएस देश	9.15	92.81	15.33	156.82	12.02	119.10
इराक	10.87	77.02	16.86	112.36	40.25	260.62
संयुक्त अरब अमीरात	22.13	260.42	23.35	293.59	24.00	281.48
यूनाइटेड किंगडम	20.93	204.84	16.10	145.85	18.73	171.55
संयुक्त राज्य अमरीका	7.47	99.21	6.18	92.83	6.49	88.62
पोलैंड	12.53	68.35	8.27	52.00	6.19	33.11
जर्मनी	4.57	87.63	4.18	71.89	4.42	78.90
अन्य	33.30	387.03	25.44	287.94	22.98	199.73
योग	206.82	1898.61	182.59	1682.11	175.30	1483.22

विभिन्न देशों को किए जाने वाले चाय के किस्म–वार निर्यात का विवरण नहीं रखा जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) और (च) सरकार/टी बोर्ड ने चाय की निर्यात की मात्रा में सुस्पष्ट वृद्धि करने के लिए हैंडलिंग, पैकेजिंग, परिवहन/भाड़ा प्रभारों और मूल्य वृद्धि की आंशिक लागत को पूरा करने के लिए चाय निर्यातकों की सहायता हेतु वर्ष 2001–02 की अंतिम तिमाही के दौरान एक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है। अमीन गांव (असम) स्थिति अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के जरिए निर्यातित चाय के लिए खर्च किए गए अतिरिक्त परिवहन और हैंडलिंग प्रभारों को पूरा करने के लिए उसी अवधि के दौरान सहायता की एक उप–स्कीम भी शुरू की गई थी। इन सब्सिडी स्कीमों को दसवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जा रहा है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

अफगान युद्ध का प्रभाव

163

697. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका/ब्रिटेन–अफगान युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोवा अडसुल) : (क) और (ख) अफगानिस्तान में युद्ध का भारतीय निर्यातों, स्टॉक बाजारों, विदेशी मुद्रा बाजारों और पर्यटन पर कुछ अस्थाई प्रभाव पड़ा था। तथापि, यह प्रभाव अल्पकालिक था क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2000–01 में 4.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2001–02 में 5.6 प्रतिशत की काफी उच्च वृद्धि दर्ज की गई थी।

(ग) नीतियां तैयार करते समय बाह्य प्रभावों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। घरेलू आर्थिक गतिविधि में वृद्धि को बनाए रखने और इस व्यवस्था में और अधिक नकदीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक और ऋण नीति, 2001 की अपनी मध्यावधि समीक्षा में बैंक दर और नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) को घटा दिया है। बाद में, केन्द्रीय बजट में, निवेशों को बढ़ाने और घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई।

निर्यात संबंधी बिक्री का लेन-देन

698. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोचेम ने सरकार से अनुरोध किया है कि अनिवासी एसोशिएट उद्यमी को निर्यात संबंधी बिक्री के लेन–देन को मूल्य निर्धारण संबंधी नियामक अन्तरण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए;

(ख) क्या सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उद्यमों को प्रोत्साहन दे रही है;

(ग) क्या ऐसे लेन–देनों के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए हैं;

(घ) क्या एसोशिएटेड उद्यमों के बीच अमूर्त वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर भी मूल्य निर्धारण संबंधी विनियामक अंतरण प्रयोज्य हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसे दिशानिर्देशों के अभाव में रायल्टी, तकनीकी सेवा शुल्क, लाइसेंस, ट्रेडमार्क इत्यादि के प्रयोग हेतु शुल्क जैसी अमूर्त वस्तुओं के संबंध में कोई उपयुक्त तुलनात्मक लेन–देन नहीं हो पाता है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनिवासी एसोशिएट उद्यमों के लिए निर्यात संबंधी बिक्री के लेन–देन हेतु उचित दिशानिर्देश निर्धारित करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (छ) महोदय, उठाए गए मुद्दे कर नीति से संबंधित हैं। एसोचेम सहित विभिन्न वाणिज्य मंडलों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर वार्षिक बजट प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विचार किया जाता है तथा सरकार का निर्णय वार्षिक वित्त विधेयक में दर्शाया जाता है। इस समय जब बजट कार्रवाई चल रही है, इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं होगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

699. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जा रहे विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विधिक स्वामित्व देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि निर्यात क्षेत्र हेतु 1051 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार छोटे पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) विशेष आर्थिक जोनों से संबंधित नीतियों को विधिक स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय विधान हेतु उपाय शुरू किए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने 17 अलग–अलग राज्यों में अब तक 45 कृषि निर्यात जोनों (एईजेड) को स्वीकृत किया है। इन एईजेड में अनुमानित कुल संभावित निवेश लगभग 1248 करोड़ रु. का हुआ। लगभग 362 करोड़ रु. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जैसी केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय से प्राप्त हुए और 195 करोड़ रु. तथा 691 करोड़ रु. का योगदान क्रमशः राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी उद्यमों द्वारा किया जाएगा।

(ङ) और (च) भारत और उसके पड़ोसी देश अर्थात् पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल तथा मालदीव, सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) के सदस्य हैं जिस पर ढाका में आयोजित 7वें सार्क शिखर सम्मेलन में 11 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किए गए थे। साप्टा के तहत वार्ता का अंतिम उद्देश्य दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को हासिल करना है। कोलम्बो में जुलाई, 1998 में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने यह संकेत दिया था कि भारत व्यापार उदारीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ने को इच्छुक सार्क देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करने पर विचार करने का इच्छुक होगा। श्रीलंका ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक उत्तर दिया था और भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार पर 28 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत–अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय अधिमानी व्यापार करार हेतु एक प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है।

भारत बैंकाक करार का एक पक्षकार भी है, जिसके तहत अन्य भागीदार देशों अर्थात् बंगलादेश, कोरिया गणराज्य तथा श्रीलंका के साथ रियायतों का आदान–प्रदान किया गया है। चीन भी हाल ही में बैंकाक करार में शामिल हुआ है किन्तु इस समय इस करार के तहत भारत और चीन के बीच किसी रियायत का आदान–प्रदान नहीं किया गया है।

कपास की खरीद में एकाधिकार

700. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र की कपास की खरीद में एकाधिकार संबंधी योजना पांच वर्ष और बढ़ाने के लिए स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को स्वीकृत करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार ने जुलाई 2001 में महाराष्ट्र सरकार को कच्चा कपास एकाधिकार खरीद योजना के विस्तार के लिए 30.6.2001 से पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 30.06.2006 तक के लिए अपनी सहमति दी थी।

नकदी जमा अनुपात तंत्र संबंधी समिति

701. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी जमा अनुपात तंत्र को और कारगर बनाने हेतु समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचाराधीन विषय क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी जमा अनुपात संबंधी मामले की जांच करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय समुद्री खाद्य के आयात पर प्रतिबंध

702. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सहित कई देशों ने भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देश कौन–कौन से हैं और ऐसे प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने फ्रांस के प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा के दौरान फ्रांस से इस प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर फ्रांस की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने अन्य देशों द्वारा इस प्रतिबंध को हटवाए जाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सउदी अरब ने हैजे के कथित मामलों के फलस्वरूप वर्ष 1984 में भारतीय समुद्री उत्पादों के आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया था और उक्त प्रतिबंध अब भी जारी है। फ्रांस सहित किसी अन्य मुख्य आयातक देश ने भारतीय समुद्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) सउदी अरब द्वारा भारतीय समुद्री उत्पादों पर से प्रतिबंध उठाने के विषय पर उस देश के साथ विभिन्न मंचों पर विचार–विमर्श किया जा रहा है।

चीनी निर्यात घोटाला

704. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने करोड़ों रुपए के चीनी निर्यात घोटाले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 2000 से आगे प्राथमिकता के आधार पर सभी चीनी इकाइयों में पांच वर्ष की अवधि के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या जांच समिति से इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) केन्द्रीय सरकार ने चीनी के निर्यात के संबंध में कोई उच्च स्तरीय जांच का आदेश नहीं दिया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गोदामों का निर्माण

705. श्री राधामोहन सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भंडारण निगम को अन्य देशों से उनके यहां गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सहायता प्रदान की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी बैंक

706. श्री राजो सिंह : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार और झारखंड में सहकारी बैंक या तो बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि स्थल पर निगरानी के निष्कर्षों तथा अन्य संगत-जानकारियों

के आधार पर यह पाया गया है कि बिहार एवं झारखंड में बड़ी संख्या में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की वित्तीय स्थिति अत्यंत असंतोषजनक थी। वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए इन बैंकों को पर्याप्त समय और अवसर देने के बावजूद ऐसी असंतोषजनक स्थिति का बना रहना जमाकर्ताओं तथा अन्य पणधारकों के हितों के लिए खतरा बन जाता है। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जनहित में झारखंड में डाल्टेनगंज डीसीसीबी तथा बिहार में छपरा डीसीसीबी के आवेदनों को रद्द कर दिया था। जहां तक इन दो राज्यों में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों का संबंध है, तीन बैंकों, नामतः (i) बेगूसराय शहरी सहकारी बैंक लि. बेगूसराय, (ii) पीपुल्स को–ऑ. बैंक लि., मुजफ्फरपुर और (iii) मधेपुरा शहरी सहकारी बैंक लि., मधेपुरा, लाइसेंसों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया था। सांविधिक निरीक्षणों में पता चली गंभीर अनियमितताओं/खामियों के कारण नालंदा शहरी सहकारी बैंक लि., नालंदा के संबंध में लाइसेंस के लिए आवेदन को भी रद्द कर दिया गया था।

[अनुवाद]

विधि आयोग की रिपोर्ट

707. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अपनी 177वीं रिपोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी और जमानत संबंधी विधिक प्रावधानों में परिवर्तन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इन परिवर्तनों को प्रभाव देने वाला संशोधित विधेयक कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) 'गिरफ्तारी से संबंधित विधि' पर 177वीं रिपोर्ट, तारीख 10.11.2002 को पहले ही सदन के पटल पर रखी जा चुकी है।

(ग) गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से विधि आयोग की सिफारिशों पर अपने विचार भेजने के लिए अनुरोध किया गया है क्योंकि 'दांडिक विधि' संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। विधि में परिवर्तन, राज्य सरकारों के विचार प्राप्त होने और सदन के दोनों सदनों में एक संशोधन विधेयक के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के अध्यधीन है, जिसके लिए कोई समय–सीमा नियत नहीं की गई है।

[हिन्दी]

निवेशक हितैषी आर्थिक परिदृश्य

708. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार वातावरण को निवेशकों के अनुरूप बनाने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के आर्थिक परिदृश्य पर तत्संबंधी क्या प्रभाव पड़े हैं; और

(ग) इन कदमों को उठाए जाने के परिणामस्वरूप देश में कितने रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) उदारीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति तथा सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों सहित केन्द्रीय बजट 2002–03 और निर्यात–आयात (एक्जिम) नीति 2002–07 में घोषित विभिन्न उपायों से निवेश के अनुकूल प्रणाली स्थापित करने में मदद मिली है जैसा कि अप्रैल–दिसम्बर, 2002–03 के दौरान देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के अन्तर्प्रवाहों और उन्नत व्यापार निष्पादन से स्पष्ट होता है। ग्रीन फील्ड परियोजनाओं, वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों से देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित हुए हैं।

राजस्व की उगाही

709. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सभी करों, उपकरों और अधिभारों से कुल कितने राजस्व की उगाही की गई है;

(ख) इन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में इसका वर्ष–वार कितने प्रतिशत योगदान रहा; और

(ग) प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त करों की उगाही में कितना व्यय हुआ है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक में लगाए गए तथा वसूल किए गए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से वसूल किया गया कुल राजस्व निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	वसूल किया गया कुल राजस्व		जोड़
	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर	
1999–2000	57,959	1,13,432	1,71,391
2000–2001	68,305	1,19,832	1,88,137
2000–2001	69,198	1,17,222	1,86,420

(ख) इन वर्षों के लिए वसूल किए गए कुल राजस्व की सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) से प्रतिशतता निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	स.घ.उ. से प्रतिशतता	
	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
1999–2000	5.05	5.8
2000–2001	5.72	5.7
2001–2002	5.50	5.6

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक के दौरान इन करों की वसूली पर किया गया व्यय निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	वसूली पर व्यय	
	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
1999–2000	894	1072
2000–2001	929	1197
2001–2002	924	1233

वस्त्र उद्योग के सामने बाधाएं

710. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की वस्त्र उत्पादन मशीनरी ने सरकार का ध्यान उद्योग के सामने आने वाली बाधाओं की ओर आकर्षित कराया है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा क्या समस्याएं/कठिनाइयां बताई गई हैं;

(ग) क्या यह उद्योग भारत में अपनी स्थापित क्षमता के मात्र एक अंश का ही उपयोग कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा उद्योग की कठिनाइयां दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) जी, हां।

(ख) वस्त्र मशीनरी उद्योग, घरेलू वस्त्र उद्योग से मांग में कमी के कारण कठिनाई का सामना कर रहा है। उच्च उत्पादन लागत और राजकोषीय शुल्कों से संबंधित मामले भी इसमें सहयोगी कारण रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान वस्त्र मशीनरी विनिर्माण की क्षमता उपयोगिता निम्नानुसार है :

	वर्ष				
	1997–1998	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002
क्षमता उपयोगिता (प्रतिशतता में)	54	32	31	36	28

स्रोत : भारतीय वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ

सरकार ने उच्च तकनीक वाली वस्त्र मशीनरी की मांग में बढ़ोतरी के मद्देनजर वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) आरम्भ की है। वस्त्र व वस्त्र मशीनरी उद्योग के विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ नीति को प्रतिपादित करने के लिए उनके

विचार जानने के लिए वस्त्र मशीनरी उद्योग की विकास परिषद का पुनर्गठन किया गया है।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

711. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक हस्ताक्षरित समझौतों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन वस्तुओं पर शुल्क में रियायत दी गई है उनकी सूची क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) भारत और श्रीलंका के बीच दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 को नई दिल्ली में एक मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस मुक्त व्यापार करार को दिनांक 1 मार्च, 2000 को सीमा शुल्क अधिसूचना जारी करके लागू किया गया है। इस करार में नकारात्मक सूची में दी गई कुछ सीमित मदों को छोड़कर एक समयावधि के भीतर सभी उत्पादों पर चरणबद्ध रूप से टैरिफ समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। हालांकि, भारत टैरिफ समाप्त करने की प्रक्रिया को 3 वर्ष की अवधि में पूरा करेगा परंतु श्रीलंका द्वारा यह कार्य 8 वर्ष में किया जाएगा।

(ग) जिन वस्तुओं के संबंध में भारत द्वारा शुल्क रियायत प्रदान की गई है, उनकी सूची दिनांक 12 मई, 2000 की अधिसूचना सं. 59/2000-सीमा शुल्क, 12 मई, 2000 की सं. 60/2000-सीमा शुल्क, 1 मार्च, 2001 की सं. 20/2001-सीमा शुल्क, 31 दिसम्बर, 2001 की संख्या-135/2001-सीमा शुल्क, 1 मार्च, 2002 की सं. 24/2002-सीमा शुल्क और 12 नवम्बर, 2002 की सं. 126/2002-सीमा शुल्क के साथ पठित 1 मार्च, 2002 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 26/2000-सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 26/2000-सीमा शुल्क में उपलब्ध है।

बैंक ऋण चूककर्ता

712. श्री गुनीपाटी रामैया :
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :
श्री एन. एन. कृष्णदास :
श्री वाई. वी. राव :
श्री गंता श्रीनिवास राव :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को चूककर्त्ताओं की सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने हेतु प्रतिभूतिकरण कानून के अंतर्गत जारी नोटिसों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंक-वार कितने मामलों में ऐसे नोटिस के जरिए ऋण वसूली की गई है; और

(घ) अशोध्य ऋणों की वसूली करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 31.12.2002 तक 15,316 नोटिस जारी किए हैं जिनमें 570747.18 लाख रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है।

(ग) बैंकों ने नोटिस जारी करने के उपरांत 31.12.2002 तक 7985.80 लाख रुपए की राशि वसूल की है। बैंक-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 10 करोड़ रुपए तक की पुरानी अनुपयोज्य आस्तियों का समझौता निपटान करने के लिए हाल ही में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

विवरण

31.12.2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किए गए नोटिसों तथा वसूल की गई राशि का बैंक-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	जारी किए गए नोटिस	बकाया राशि	वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	680	10024.00	406.00

1	2	3	4	5
2.	आंध्रा बैंक	122	5251.95	226
3.	बैंक ऑफ इंडिया	726	18875.23	414.48
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	105	36784.00	184.00
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	36	1135.16	15.43
6.	केनरा बैंक	628	20010.00	265.00
7.	कारपोरेशन बैंक	23	2883.19	0.00
8.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1902	90541.00	1092.00
9.	देना बैंक	190	31583.00	198.75
10.	इंडियन बैंक	664	26686.80	559.00
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1445	31512.03	1321.08
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1097	17306.00	225.00
13.	पंजाब नेशनल बैंक	1467	19050.95	605.70
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	259	10132.00	197.00
15.	सिंडिकेट बैंक	999	12247.00	432.00
16.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	131	1385.00	125.00
17.	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	658	27967.00	423.00
18.	यूको बैंक	1034	7464.56	200.54
19.	विजया बैंक	1903	20698.00	520.00
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	284	157532.00	166.00
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	–	–	–
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	220	3742.00	261.00
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	–	–	–
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	213	5758.00	21.30
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	447	8076.00	80.58
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	67	3576.85	42.85
27.	स्टेट बैंक त्रावणकोर	16	525.46	3.81
	कुल	15316	570747.18	7985.80

[हिन्दी]

राज्यों का ऋण

713. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से लिए गए ऋणों की क्या स्थिति है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार से अतिरिक्त ऋण का अनुरोध किया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) दिनांक 31.1.2003 की यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों पर वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय की कुल बकाया धनराशि 1,93,653 करोड़ रुपए थी।

(ख) और (ग) उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य सरकारों ने उनके द्वारा झेले जा रहे राजकोषीय भार को ध्यान में रखते हुए उदार शर्तों वाले ऋणों के लिए अनुरोध किया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा राज्यों को सहायता के साथ–साथ आय और व्यय में उनके अस्थायी असंतुलन को ध्यान में रखते हुए योजना और गैर–योजना सहायता अग्रिम भी उपलब्ध कराए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, केन्द्र सरकार ने राजकोषीय भार वहन कर रही कुछ राज्य सरकारों को 3154 करोड़ रुपए के मध्यम आवधिक गैर–योजना ऋण आवंटित किए हैं, जो राज्य सरकारों द्वारा

राजकोषीय समेकन के लिए मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं।

निजी कंपनियों को पैन कार्ड

714. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक आयकर विभाग द्वारा प्राप्त कुल आवेदनों में से कितने प्रतिशत लोगों को पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड जारी कर दिए गए हैं;

(ख) क्या सरकार पैन कार्ड तैयार करने का कार्य निजी कंपनियों को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) करदाताओं के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) 31.1.2003 की स्थिति के अनुसार :

कुल आवेदन पत्र	2,81,48,339
वैध आवेदन पत्र	2,69,02,958
आवंटित किए गए पैन	2,65,94,768
वैध आवेदन पत्रों की तुलना में आवंटित किए गए पैन का %	98.85
जारी किए गए पैनं	2,42,60,007
आवंटित किए गए पैन की तुलना में पैन कार्डों का %	91.22

(ख) और (ग) पैन के आवंटन तथा पैन कार्डों को जारी करने का कार्य बाह्य स्रोतों से कराने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। यह बेहतर करदाता सेवा प्रदान करने तथा आयकर विभाग को कर निर्धारण, जांच तथा राजस्व संग्रहण जैसे अपने प्रमुख कार्यों पर ध्यान करने हेतु सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है।

(घ) करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक रक्षोपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नियम

715. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के अनुरूप कई नए घटकों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के आंकड़ों में केवल इक्विटी एवं तरजीही शेयर पूंजी की नकद प्राप्ति निहित होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.)/आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) की एफ.डी.आई. परिभाषा में इक्विटी पूंजी के अलावा, पुनर्निवेशित आय और संबंधित कंपनियों के बीच अंतः कम्पनी ऋण लेनदेन भी शामिल हैं।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) ने डी. आई.पी.पी. और आर.बी.आई. के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति का गठन किया था जिसने यह सिफारिश की है कि एफ.डी.आई. के घटकों को आई.एम.एफ. द्वारा निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिंगटन) द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, एफ.डी.आई. की संगणना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने से भारत के निवल वार्षिक एफ. डी.आई. अंतर्प्रवाह 2–3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर लगभग 8 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएंगे।

आंध्र प्रदेश में परिधान पार्क

716. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से विशाखापत्तनम जिले में अगनमपुड़ी में परिधान निर्यात पार्क स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उपयुक्त स्थान पर परिधान निर्यात पार्क की स्थापना में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से 'निर्यात हेतु अपैरल पार्क योजना' के तहत विशाखापट्टनम् जिले के अगनमपुड़ी क्षेत्र में 27.53 करोड़ रुपए की लागत से (भूमि की लागत सहित) एक अपैरल पार्क स्थापित करने का परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस योजना के दिशानिर्देशों के तहत गठित परियोजना अनुमोदन समिति (पी.ए.सी.) ने उपर्युक्त परियोजना प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के अंतर्गत अध्यसंरचना विकास लागत (भूमि की लागत के अतिरिक्त) के 75% तक की केंद्रीय सहायता दी जाएगी बशर्ते यह 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, इस पार्क में एक बहिस्राव परिशोधन संयंत्र, शिशु–गृह/गृहों, विपणन/प्रदर्शन की स्थापना हेतु किसी प्रकार के बहुउद्देश्यीय केंद्र/भवन आदि के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक शत–प्रतिशत सहायता तथा किसी प्रकार की प्रशिक्षण सुविधा सृजित करने के लिए 50% तक की सहायता जो 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो, उपलब्ध है। इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता नियमित प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाती है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा इस पार्क के लिए पहले ही भूमि अधिग्रहित कर ली गई है तथा इस स्थल के विकास हेतु सर्वेक्षण करवाया गया है तथा नक्शे को अनुमोदित किया गया है। परियोजना अनुमोदन समिति (पी.ए.सी.) द्वारा दिनांक 18.12.2002 को इस पार्क की क्रियान्वयन संबंधी प्रगति की समीक्षा की गई।

महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून में संशोधन

717. प्रो. ए. के. प्रेमाजम : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने महिलाओं के साथ बलात्कार और उनके यौन उत्पीड़न के संबंध में बने कानूनों में संशोधन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) विधि आयोग ने 'बलात्कार विधियों का पुनर्विलोकन' पर अपनी 172वीं रिपोर्ट में बलात्कार और अन्य नैतिक अपराधों से संबंधित विभिन्न परिवर्तनों की सिफारिश की है। उक्त रिपोर्ट की एक प्रति तारीख 21.12.2000 को सदन के पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

(ग) गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्य सरकारों से, विधि आयोग की सिफारिशों पर अपने विचार भेजने के लिए अनुरोध किया गया है क्योंकि 'दांडिक विधि' संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं।

यू.टी.आई.-II योजना का अधिग्रहण

718. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री एन. एन. कृष्णदास :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री सुनील खां :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.टी.आई. के विभाजित भाग (यू.टी.आई–II) को एसेट मेनेजमेंट कम्पनी (एएमसी) को सौंपा जाएगा और वह इसका निजीकरण करेंगे;

(ख) यदि हां, तो ए.एम.सी. के प्रायोजकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को यू.टी.आई.–II के निजीकरण से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और जीवन बीमा निगम (प्रायोजक) ने यू. टी.आई. म्यूचुअल फंड, यू.टी.आई. ट्रस्टी कम्पनी और यू.टी.आई. परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड का गठन किया है। यू.टी.आई. परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की

अनुसूची II में उल्लिखित स्कीमों का प्रबंधन कर रही है। सरकार और उपर्युक्त प्रायोजकों के बीच 15 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार सरकार पारस्परिक समझौते द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मूल्य पर प्रायोजकों से प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगी। इस युक्ति से यू.टी.आई. के प्रति देयताओं से सरकार का बचाव होगा और यू.टी.आई.–II को सेबी विनियमों के अंतर्गत देश में अन्य म्यूचुअल फंडों की तरह चलाने की अनुमति मिल जाएगी।

वनस्पति का आयात

719. श्री भान सिंह भौरा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पड़ोसी नेपाल से सस्ता वनस्पति आयात करने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में वनस्पति उत्पादक इकाइयों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये आयात विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) समझौते के तहत किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो देश की वनस्पति इकाइयों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) विभिन्न इकाइयों के बंद होने के कारण राज्यवार कितने श्रमिक प्रभावित हुए; और

(ङ) इन श्रमिकों के लिए क्या कल्याणकारी उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ङ) वनस्पति उत्पादन यूनिटें रॉ सामग्री की उपलब्धता से अधिक उत्पादन क्षमता सृजित करने, पुरानी प्रौद्योगिकी, खराब आर्थिक संतुलन, उपभोक्ताओं का साफ्ट तेलों के प्रति रुझान होने, भारत–नेपाल व्यापार संधि के अधीन नेपाल से सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा होने आदि जैसे विभिन्न घटकों के कारण बंद हुई थी। नेपाल से सस्ते वनस्पति के आयात के कारण बंद हुई ऐसी वनस्पति उत्पादन यूनिटों से जुड़े प्रभावित कामगारों की संख्या और इन कामगारों के लिए किए गए कल्याण उपायों के बारे में सही–सही आंकड़े/सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारत और नेपाल के बीच व्यापार भारत–नेपाल व्यापार संधि द्वारा शासित होता है जिसमें नेपाल के उत्पादों के लिए बिना किसी मूल्य वर्धन के भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति थी।

दिसम्बर, 1996 के बाद नेपाल की शाही सरकार द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के आधार पर वनस्पति तेलों सहित नेपाल में उत्पादित कुछ जिन्सें अत्यधिक मात्रा में भारत आ गई थी, जिससे भारतीय घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तदनुसार, 2 मार्च, 2002 को भारत–नेपाल व्यापार संधि की समीक्षा की गई थी और इसे भारतीय उद्योग की चिन्ताओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख संशोधन समाहित करके परिवर्तित किया गया था :

(i) मूल्य वर्धन मानदंडों को पुनः लागू किया गया है, जिसके अधीन 6.3.2002 से एक वर्ष के लिए तीसरे देश के आदानों का अधिकतम 75 प्रतिशत अनुमत किया गया है और उसके बाद तीसरे देश का अधिकतम आदान 70 प्रतिशत तक अनुमत किया गया है।

(ii) तीसरे देश का आदान चार अंक एच.एस. कोड पर नेपाल में उत्पादित तैयार उत्पाद से भिन्न होना है।

(iii) सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन मंजूर करने के लिए नेपाल भारत को आंकड़े प्रदान करेगा। संशोधित संधि में शंका के मामले में भारत द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की समीक्षा किए जाने का प्रावधान है।

(iv) भारतीय उद्योग को हानि होने अथवा हानि होने की संभावना होने पर नेपाल से होने वाले आयातों के लिए सुरक्षा खंड लागू किया गया है। इस खंड के अधीन यदि विचार–विमर्श से समस्या हल नहीं होती है तो भारत नेपाल को दी गई तरजीह सुविधाएं वापस ले सकता है।

(v) वनस्पति वसा (वनस्पति) सहित कुछ वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात के लिए वार्षिक प्रशुल्क दर कोटा निर्धारित किया गया है। वनस्पति के लिए कोटा 1,00,000 टन प्रतिवर्ष है। इस कोटे से अधिक आयात तरजीह प्राप्त राष्ट्र के लिए नियत

शुल्क की सामान्य दरों के अधीन अनुमत है। एक लाख टन तक की वार्षिक प्रशुल्क दर कोटे तक की वनस्पति तेल आयात की अनुमति भारतीय सरणीकरण एजेंसी, केंद्रीय भंडारण निगम के माध्यम से दी गई है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मध्यावधि समीक्षा

720. श्री मानसिंह पटेल :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मध्यावधि समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले;

(ग) क्या उस योजना अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) योजना आयोग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मध्यावधि समीक्षा के पश्चात् सिफारिशें की थीं। इनमें निम्नलिखित हैं :

(i) चावल और गेहूं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर रखने की आवश्यकता है।

(ii) चीनी की पूर्णरूप से विनियंत्रित कर इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर रखा जाए।

(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा और खाद्य राजसहायता गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी तक सीमित होनी चाहिए।

(ग) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यानों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए खाद्यान्नों के निर्गम पैमाने को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह तक बढ़ाया गया है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को 25.7.2000 में संशोधित नहीं किया गया है। एक करोड़ निर्धनों में निर्धनतम परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी जिसमें अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों; गेहूं हेतु 2 रु. प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रु. प्रति किलोग्राम की दर पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न जारी किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित की जाने वाली चीनी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित कर दी गई है लेकिन इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी राज्य/पर्वतीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश शामिल नहीं हैं क्योंकि यहां पर चीनी सभी राशन कार्ड धारकों को दी जाती है।

[अनुवाद]

चीनी और मिटटी के तेल का वितरण

721. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु और केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कितनी चीनी और मिट्टी के तेल का वितरण किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार चीनी और मिट्टी के तेल का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण बंद करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण् हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए तमिलनाडु और केरल को दी गई चीनी और मिट्टी के तेल की मात्रा संलग्नक में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु आवंटित चीनी तथा मिट्टी के तेल की मात्रा :

चीनी आंकड़े टन में

राज्य का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002
केरल	1,53,240	1,46,188	56,436
तमिलनाडु	2,93,644	2,80,073	1,43,420

मिट्टी का तेल आंकड़े टन में

राज्य का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002
केरल	3,02,078	3,09,149	2,69,497
तमिलनाडु	7,32,527	7,32,527	6,34,658

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार

722. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या व्यापक भ्रष्टाचार के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव योजना की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली को सुप्रवाही बनाने एवं इसे और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार ने 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 जारी किया था। आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किए गए किसी भी अपराध के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आपराधिक जवाबदेही बन जाती है। पहचान किए गए क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की जांच के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को भी इस बात की पुष्टि करते हुए उपयोग–प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं कि केन्द्रीय पूल से उठाए गए खाद्यान्न को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निर्दिष्ट लाभभोगियों को वितरित कर दिया गया है।

यूरोपीय इंवेस्टमेंट बैंकों द्वारा लघु उद्योग में निवेश

723. श्री वाई. वी. राव : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक का प्रस्ताव देश में लघु उद्योगों को 50 मिलियन यूरो ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऋणों के वितरण हेतु कोई रणनीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) यूरोपीय निवेश बैंक (ई.आई.बी.) राबो इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को 50 मिलियन यूरो उधार देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, ऋण से भारत में क्रियान्वित होने वाली निवेश परियोजनाओं का आंशिक वित्त पोषण किया जाएगा, जिससे उद्योग तथा संबद्ध सेवाओं, आधारभूत ढांचा, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय संरक्षण तथा दूरसंचार में भारत तथा यूरोपीय संघ के पारस्परिक हित वाली लघु एवं मध्यम आकार वाली निवेश परियोजनाओं के वित्त पोषण में मदद मिलेगी। प्रस्तावित ऋण पर भारतीय प्राधिकारियों की सहमति के लिए ई.आई.बी. से 18.2.2003 को एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) राबो इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लि. परिकल्पित ऋण का उधारकर्ता होगा तथा लाभार्थियों को आगे उधार देगा तथा सरकार ऋण का संवितरण नहीं करेगी।

निवेश बढ़ाने हेतु बैठक

724. श्री कैलाश मेघवाल :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निवेश बढ़ाने तथा विलम्बित निवेश वातावरण की अड़चनें दूर करने हेतु उपायों पर चर्चा करने हेतु उद्योग चैम्बर के साथ बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में फिक्की, सी.आई.आई. और एसोचैम द्वारा क्या राय व्यक्त की गई; और

(घ) उद्योग चैम्बर की राय/मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) जी, हां। वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा उद्योग परिसंघों के बीच दिनांक 6 जनवरी, 2003 को इस बैठक हुई थी। परिसंघों ने इस बैठक में जो मुद्दे उठाए थे उनमें ब्याज दरों और राजसहायताओं को कम करने की आवश्यकता; लचीले श्रमिक कानूनों को अपनाना; बेहतर अवसंरचना के लिए निवेश की व्यवस्था करना; और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्ताव शामिल थे। इन्हें वर्ष 2003–04 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के बजट से पूर्व प्रस्तावों/सिफारिशों को तैयार करने में ध्यान में रखा गया था जिन्हें वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।

बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ी

725. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने हाल ही में स्वीकार किया है कि बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ी से निपटने में भारतीय कानून अपर्याप्त है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आए बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बीमा धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रभावी कानून बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक ऋणों की वसूली

726. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंक कौन से हैं जिन्होंने 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार अपनी गैर–निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली के द्वारा अपनी स्थिति में सुधार किया है;

(ख) क्या उद्यमियों द्वारा बैंकों से ऋण लेने के मामलों में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित 10 बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2002 तक की स्थिति के अनुसार सकल अनुपयोज्य आस्तियों की स्थिति में सुधार दर्शाया है :

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
6. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
7. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
8. केनरा बैंक
9. इंडियन बैंक
10. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।

(ख) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए

ऋण और अग्रिम 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसर 4,14,989 करोड़ रु. से बढ़कर 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार 4,80,681 करोड़ रु. हो गए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में निवेश

727. श्री सुरेश कुरुप : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हुई वैश्विक निवेश बैठक में केरल में नए वित्तीय निवेश की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अन्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार निवेश करने की योजना बना रही है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) केरल में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विश्व के देशों से निवेशकों को प्रेरित करने की दृष्टि से केरल सरकार द्वारा 18–19 जनवरी, 2003 के दौरान कोची में एक विश्व–निवेशक बैठक का आयोजन किया गया था।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था कि जहां केरल के पास अगले कुछ वर्षों में भारी निजी एवं विदेशी निवेशों को समाहित करने की क्षमता है, केरल को सरकारी क्षेत्र के यूनिटों की परियोजनाओ में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के केन्द्रीय निवेश प्राप्त होंगे।

इसके अलावा, बल्लारपाडम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के संबंध में कार्य अगले कुछ महीनों के अंदर शुरू हो जाएगा।

महासागर मालभाड़ा राजसहायता

728. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के चीनी निर्यात को बढ़ावा देने हेतु महासागर मालभाड़े पर राजसहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राजसहायता से चीनी निर्यात को कितना बढ़ावा मिलने की संभावना है;

(घ) चीनी निर्यात का वर्तमान स्तर क्या है; और

(ङ) उद्योग के सामने आ रहे भारी संकट का मुकाबला करने हेतु चीनी उद्योग को क्या प्रोत्साहन दिया गया है/दिए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि चीनी फैक्ट्रियों को 14.2.2003 से 350 रुपए प्रति टन की दर पर महासागरीय भाड़ा हानि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे चीनी के निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा।

(घ) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल, 2003 से अगस्त, 2003 के बीच 509.89 करोड़ रुपए मूल्य की 4.62 लाख टन चीनी निर्यात की गई।

(ङ) हाल के महीनों में, सरकार से चीनी उद्योग को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए हैं :

(i) 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक

20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक पहले ही सृजित किया जा चुका है, जिसमें 412 करोड़ रुपए चीनी विकास निधि से मुहैया किए जाएंगे, 374 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा बफर स्टाक के प्रति रिलीज किए जाएंगे। इस प्रकार, किसानों को गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि के भुगतान के लिए 786 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होगी।

(ii) आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति

यह निर्णय किया गया है कि चीनी फैक्ट्रियों को आंतरिक ढुलाई तथा भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाए। चीनी की निर्यात खेपों पर आए आंतरिक ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। इसी प्रकार, चीनी की निर्यात खेपों के प्रति 350 रुपए प्रति टन की दर पर महासागरीय भाड़ा हानि के निष्प्रभावीकरण की अब प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

विनिवेश कोष

729. श्री सुनील खां : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के माध्यम से कितनी राशि अर्जित की गई है;

(ख) उक्त धन किस कोष में जमा किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विनिवेश के माध्यम से अर्जित धन के सेक्टरवार खर्च का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) सरकार द्वारा विनिवेश के माध्यम से अर्जित राशि का सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम–वार विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश के माध्यम से वसूली गई राशि भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है तथा उससे विनियोग का अनुमोदन संसद द्वारा किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2002–2003 (17.2.03 तक) के दौरान विनिवेश प्राप्तियां

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वसूल की गई प्राप्तियां (करोड़ रु.)
1	2
विदेश संचार निगम लि. घरेलू निर्गम	75.00
भारतीय गैस प्राधिकरण लि. जी.डी.आर. निर्गम	945.00
माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. सामरिक बिक्री	105.45
वाल्को वित्तीय पुनर्संरचना	244.42
वर्ष 1998–99 के दौरान शेयरों की क्रास खरीद की प्राप्तियां जो वर्ष 1999–2000 के दौरान प्राप्त हुई थीं।	459.27
जोड़	1,829.14
भारत अल्युमिनियम कम्पनी लि. (बाल्को)	551.50
बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पैट्रोकैमिकल्स लि. (बीआरपीएल)	148.80
मद्रास रिफाइनरीस लि. (चेन्नई पैट्रोलियम कार्पो. लि.)	509.33
कोची रिफाइनरीज लि. (केआरएल)	659.10
जोड़	1868.73
एचटीएल लि.	55.00
सीएमसी लि.	152.00
भारत पर्यटन विकास निगम	
(i) अशोक बंगलौर	39.41@
(ii) बोध गया अशोक	1.81
(iii) हसन अशोक	2.27
(iv) मदुरई अशोक	4.97
(v) टीबीएबीआर, ममलापुरम	6.13
(vi) आगरा अशोक	3.61
(vii) लक्ष्मी विलास पैलेस, उदयपुर	6.77
(viii) कुतुब होटल, नई दिल्ली	34.46
(ix) लोदी होटल, नई दिल्ली	71.93
उप–योग	171.36
होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	
(i) जुहू, मुम्बई	153.00
(ii) राजगीर	6.51
उप–योग	159.51*
आई बी पी लि.	1,153.68
विदेश संचार निगम लि.	3,689.00**
स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	40.00#

1	2
मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	60.00#
पारादीप फासफेट्स लि.	151.70
जोड़	5,632.25

*प्राप्तियां एयर इंडिया को जाती है।

**इसमें 755 करोड़ रुपए का लाभांश तथा 1,495 करोड़ रुपए का लाभांश तथा विशेष अंतरिम लाभांश शामिल है।

#नकद प्रारक्षित राशि का अंतरण

@न्यूनतम गारटीशुदा वार्षिक भुगतान (एमजीएपी), जमानती जमाराशि तथा व्यवसाय अंतरण प्रतिफल इत्यादि समाहित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	प्राप्त की गई राशि (करोड़ रुपए में)
हिन्दुस्तान जिंक लि.	445.00
इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि.	1,491.00
आईटीडीसी की दस होटल सम्पत्तियां	272.81
मारुति उद्योग लि.	1,000.00
सेंटूर होटल एयरपोर्ट, मुम्बई (होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. की एक इकाई)	83.00
माडर्न फूडस (इंडिया) लि. (25.995 % अवशिष्ट शेयरों की बिक्री	44.07
हिन्दुस्तान जिंक लि. (कर्मचारियों के पक्ष में 1.46% शेयरों का विनिवेश)	6.18
जोड़	*3,342.06

*17.2.2003 तक

सरकारी कर्मचारियों पर सी.बी.आई छापे

730. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 2003 में 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' (दिल्ली संस्करण) में 'एसीज फार डॉग्स एंड कैश इन मैट्रेसेज' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उच्चाधिकारियों में ऐसी प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसने उक्त छापे मारे थे, ने दोनों संबंधित अधिकारियों के मामले में प्रारम्भिक जांच की एक रिपोर्ट भेजी है, जो निम्नानुसार है :

(i) एक अधिकारी के मामले में यह बताया गया है कि तलाशियों के दौरान 3 चैकों और 51.5 लाख रुपए का बैंक अधिशेष, 77 लाख रु. मूल्य की मियादी जमा प्राप्तियां, लगभग 15 लाख रु. मूल्य का 3.7 कि.ग्रा. सोना और दो कारों सहित 70 लाख रु. के मूल्य की संपत्तियों सहित 1.5 करोड़ रु. की नकद धनराशि जब्त की गई थी।

(ii) दूसरे अधिकारी के मामले में यह बताया गया है कि जांच से पता चला है कि उक्त अधिकारी के पास 1.22 करोड़ रु. मूल्य की परिसम्पत्ति (चल एवं अचल) है जिसमें जयपुर में एक बड़ा फार्म हाउस, अहमदाबाद की आलीशान बस्ती में एक फ्लैट, चार वाहन, उनकी पत्नी के लॉकर से प्राप्त 22 लाख रु. की नकदी की बरामदगी, बैंक/लोक भविष्य निधि खाते में बड़ी रकम आदि शामिल हैं।

(ग) संबंधित अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त और केन्द्रीय सतर्कता आयोग से विचार–विमर्श के उपरान्त, यदि आवश्यक हुआ तो आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, आयकर विभाग में पुनर्गठन ढांचा स्थापित किया गया है जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा गहन निगरानी की जा रही है, जो भ्रष्टाचार पर रोक के रूप में कार्य करेगी। आयकर विभाग के सतर्कता तंत्र को भी मौजूदा आयकर निदेशालय (सतर्कता) को प्रोन्नत करके आयकर महा निदेशालय (सतर्कता)

के रूप में सुदृढ़ बनाया गया है। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में चार क्षेत्रीय आयकर निदेशालय (सतर्कता) सृजित किए गए हैं।

रेशम की कीमतें

731. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चीन से आयातित रेशम की कीमतें बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घरेलू बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) घरेलू बाजार के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) से (ग) भारत सरकार ने दिनांक 2 जनवरी, 2003 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 2/2003 के माध्यम से चीन गणराज्य से निर्यात किए जाने वाले और वहां पैदा होने वाले 2ए श्रेणी और उससे कम के आयातित शहतूती अपरिष्कृत रेशम (धागे के रूप में नहीं) के लैंडेड मूल्य और 33.19 प्रति कि.ग्रा. अमरीकी डॉलर की राशि के बीच के अंतर के समतुल्य पाटनरोधी शुल्क लगाया है। उक्त पाटनरोधी शुल्क अंतिम निर्धारण के लंबित रहने तक अस्थायी तौर पर लगाया गया है और यह 1 जुलाई, 2003 तक लागू रहेगा। घरेलू बाजार पर इसके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन इतना जल्दी नहीं किया जा सकता है यद्यपि अपरिष्कृत रेशम और रीलिंग कोयों की घरेलू कीमतों में आंशिक वृद्धि हुई प्रतीत होती है।

(घ) सरकार ने घरेलू बाजार के हितों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) दसवीं योजना अवधि की केन्द्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित रेशम उत्पादन योजनाओं का लक्ष्य ऑन–फार्म और पोस्ट–फार्म क्रियाकलापों में गुणवत्ता और उत्पादकता में सहयोग कर शहतूत रेशम और गैर–शहतूती रेशम उतपादन को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। इन उपायों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय रेशम की गुणवत्ता और उसकी उत्पादकता और लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने के लिए द्विफसलीय रेशम उत्पादन अपनाना, रेशम विकास की प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रौद्योगिकों में सुधार करना, रीलिंग और बुनाई के सामूहिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन और उत्पादक और उद्योग के बीच संपर्कों को मजबूत बनाना और देश के निर्यात हिस्से का विस्तार करने के लिए डिजाइन और करघों के सुधार हेतु इनपुट्स के साथ उत्पादों का विविधीकरण करना शामिल है।

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) कच्चा माल बैंक चलाता है। रेशम उत्पादन में लगे किसानों को उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए राज्य विपणन एजेंसियों को मार्जिन धन प्रदान करती है, और

(3) वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत लागू दर से 5% बिंदु कम पर उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु रेशम क्षेत्र को ऋण अन्य बातों के साथ–साथ उपलब्ध है।

(4) अपरिष्कृत रेशम के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत लाकर उदारीकृत किया जा रहा है जिससे अच्छी कोटि के रेशम की उपलब्धता बढ़ गई है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गेहूं और चावल का कोटा

732. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गुजरात राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 35 लाख परिवारों की बजाय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 21:20 लाख परिवारों को गेहूं और चावल का कोटा आवंटित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की मांग पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) जी, हां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन बिना किसी अपवाद के 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के आबादी प्रक्षेपणों के आधार पर अद्यतन किए गए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों (1993–94) के आधार पर किया जाता है। इस मानदंड का पालन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान रूप से किया जा रहा है और इसमें किसी एक मामले के लिए परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

733. डा. (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री रामदास रूपला गावीत :
श्री परशुराम मांझी :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विश्व बैंक से कितना ऋण लिया गया;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार देश पर विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक का कितना ऋण बकाया है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी ऋण के भुगतान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकार ने विश्व बैंक [अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (आईडीए) तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)] से निम्नलिखित ऋण लिए हैं :

(आंकड़े करोड़ रु. में)

वर्ष	आईडीए	आईबीआरडी	विश्व बैंक (जोड़)
1990–00	3515.56	850.32	4365.88
2000–01	4338.21	6452.13	10790.34
2001–02	4264.44	5713.47	9977.91

(ख) 31.1.2003 की स्थिति के अनुसार आईबीआरडी, आईडीए तथा एडीबी के संबंध में बकाया विदेशी ऋण की राशि क्रमशः 27064.13, 101192.26 तथा 13794.75 करोड़ रुपए है।

(ग) इस वर्ष (31.12.2002 तक) मूल तथा ब्याज के लिए क्रमशः 8089.84 करोड़ रुपए तथा 3064.94 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में एडीबी तथा आईबीआरडी के क्रमशः 1254 मिलियन अमरीकी डालर तथा 1549 मिलियन अमरीकी डालर के दो ऋणों की निर्धारित समय से पहले ही परिपक्वता–पूर्व अदायगी करने का निर्णय भी लिया है।

किसी भी वर्ष–विशेष में वापसी अदायगी उस वर्ष के बजट प्रावधानों के अनुसार की जाती है। भारत सरकार एक विवेकशील विदेशी ऋण प्रबंधन नीति का पालन कर रही है जिसके अंतर्गत बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतों से मिलने वाले रियायती तथा कम खर्चीले ऋण, समस्त विदेशी ऋण की परिपक्वता संरचना को नियंत्रणीय सीमा में रखने, लघु आवधिक ऋण को सीमित रखने, अधिक खर्चीले विदेशी ऋण की पूर्व–अदायगी तथा पूंजी लेखा के संबंध में ऋण–भिन्न प्रवाहों और चालू लेखा के संबंध में निर्यातों तथा अदृश्य प्राप्तियों को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

[अनुवाद]

सहकारी बैंक

734. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरबीआई ने दोषी सहकारी बैंकों के बोर्ड को भंग करने और उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए अधिकार देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 के वर्तमान उपबन्ध भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के निदेशक

मंडल का स्वयं अधिक्रमण करने की शक्तियां नहीं देते हैं परन्तु ये शक्तियां संबंधित राज्य के सहकारी सोसायटी अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) में निहित हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं के हित में और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आरसीएस से निदेशक मंडल का अधिक्रमण करने की मांग कर सकता है। हाल ही में सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्तता देने के उद्देश्य से कुछ राज्य सरकारों ने नए अधिनियमन पारित किए हैं जो उन्हें पर्याप्त परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इन अधिनियमनों के उपबंधों की जांच करते समय यह पाया गया था कि सहकारी समितियों के रूप में इन अधिनियमनों के तहत रजिस्टर्ड यूसीबी को नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 2(च) के अंतर्गत यथा परिभाषित सहकारी समिति के रूप में नहीं माना जा सकता और अतः ये बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के कार्यक्षेत्र से बाहर होंगे। अतः भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसे बैंकों के लिए कोई नियामक शक्तियां नहीं हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्यों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मामला उठाया गया है ताकि यूसीबी को संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2(छछ) में यथा परिभाषित पात्र सहकारी बैंक की परिभाषा के समरूप रजिस्टर्ड किया जा सके और भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक नियामक आदेश जारी करने की शक्तियां भी दी जा सकें।

(ग) धोखाधड़ियों की रोकथाम के लिए उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक कार्यप्रणाली के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में धोखाधड़ियों की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर रहा है। बैंकों ने लाभांश अधिपत्रों, आदि की कपटपूर्ण भुनाई की रोकथाम के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए और आंतरिक निरीक्षणों की प्रणाली शुरू करने के लिए विस्तृत अनुदेश भी जारी कर दिए हैं। बैंकों को खाते खोलने की प्रक्रियाओं, दस्तावेजों की अभिरक्षा, जमाओं के बदले ऋण, बिचौलियों के प्रयोग आदि से संबंधित क्षेत्रों में अधिक सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है।

पूंजी खाता परिवर्तनीयता

735. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारत को पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की दिशा में ले जाने हेतु कोई नौ सूत्रीय सुधार कार्यसूची है;

(ख) यदि हां, तो इस सुधार कार्यसूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर भारतीय और विदेशी व्यापार एवं उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) केन्द्रीय वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्री ने, 10 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के अवसर पर, पूंजीगत खाते के लेन–देनों पर छः माह की अवधि के लिए निम्नलिखित शिथिलताओं की घोषणा की है :

- कर्मचारी स्टॉक विकल्प कार्यक्रम (ईएसओपी) स्कीम के तहत प्रेषण के लिए 20,000 अमरीकी डालर की सीमा को समाप्त करना;
- निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता धारकों द्वारा व्यापार संबंधी ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध समाप्त करना; हालांकि लेन–देन की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती रहेगी। विदेशी मुद्रा की भावी आवश्यकताओं के लिए एडीआर/जीडीआर प्राप्तियों को विदेश में बनाए रखने के लिए सामान्य स्वीकृति;
- उन कार्पोरेटों को, जिन्होंने विदेशों में अपनी शाखाएं और कार्यालय स्थापित किए हैं, अपने कारोबार/कर्मचारी रिहायश के प्रयोजनों के लिए विदेशों में अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण की स्वीकृति;
- सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को विदेशों में उन कंपनियों में, जो मान्यताप्राप्त विदेशी स्टॉक बाजारों में सूचीबद्ध हैं और जिनकी निवेश वर्ष की 1 जनवरी को भारत के मान्यता प्राप्त स्टॉक बाजार में सूचीबद्ध कम्पनी में कम से कम 10 प्रतिशत शेयर धारिता है, निवेश करने की अनुमति। पिछले लेखापरीक्षित तुलन–पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार ये निवेश भारतीय कम्पनी के निवल मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए;

- म्युचुअल फंडों को विदेशों में उन कंपनियों में निवेश करने की अनुमति प्राप्त है, जो विदेशी स्टॉक बाजारों में सूचीबद्ध हैं और जिनकी निवेश वर्ष की 1 जनवरी को, भारत के मान्यता प्राप्त स्टाक बाजार में सूचीबद्ध कम्पनी में कम से कम 10 प्रतिशत की शेयर धारिता है। म्युचुअल फंडों द्वारा विदेशों में निवेश की समग्र सीमा 1 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ा दी गई है;

- कंपनियों के अलावा, व्यक्तियों को भी विदेशों में उन कंपनियों में निवेश करने की अनुमति प्राप्त है जो विदेशी स्टॉक बाजारों में सूचीबद्ध हैं और जिनकी निवेश वर्ष की 1 जनवरी को भारत के मान्यताप्राप्त स्टॉक बाजार में सूचीबद्ध कम्पनी में 10 प्रतिशत की शेयर धारिता है। तथापि, व्यक्तियों के लिए निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है;

- भारत में परिसंपत्तियों के अंतरण के संबंध में 1 मिलियन अमरीकी डालर तक की प्राप्तियों के प्रेषण की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) इन नीतियों की घोषणा का सामान्य रूप से, उद्योग, व्यापार संगठनों और अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वागत किया गया।

मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति

736. श्री नरेश पुगलिया : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 500 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि वसूलनी है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर खाद्यान्नों की आपूर्ति रोक देने की धमकी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 31.1.2003 की स्थिति के अनुसार 493.04 करोड़ रुपए वसूल किए जाने हैं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं रोकी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने की सलाह दी गई है।

(ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आपूर्ति को बाधित न करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि बकाया भुगतान का निपटान करने के लिए उन्होंने वित्त मंत्रालय से पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विद्युत करघा क्षेत्र हेतु विशेष योजना

737. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विद्युत करघा क्षेत्र में विशेष योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस योजना के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) से (ग) सरकार की विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए दसवीं योजना अवधि (2002–07) में निम्नलिखित योजनाएं हैं :

(1) विद्युतकरघा केन्द्रों का आधुनिकीकरण करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना :

सरकार ने विद्युतकरघा एककों और बुनकरों को प्रशिक्षण, परीक्षण, तकनीकी परामर्श, डिजायन विकास आदि सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रमुख विद्युतकरघा बाहुल्य क्षेत्रों में 44 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं। नौवीं योजना में शटलरहित करघों, प्रिन वाइंड्रों और सेक्सनल

वॉपिंग मशीनों आदि जैसी आधुनिक मशीनों और उपस्करों से युक्त 44 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र स्थापित किए गए। दसवीं योजना में सरकार ने बढ़ी हुई अनुदान सहायता से 23 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को, इसी प्रकार की मशीनों से सुसज्जित करने और सभी 44 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने का अनुमोदन कर दिया है ताकि इन केन्द्रों में उपयुक्त जनशक्ति का प्रयोग कर इनकी सेवाओं को प्रभावी बनाया जा सके।

(2) कम्प्यूटर सहायित डिजायन केन्द्र को सहायता देना :

विश्व की फैशन प्रवृत्तियों में तेजी से हो रहे परिवर्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये डिजायनों के सृजन को सुगम बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में अवस्थित 17 विद्युतकरघा समूहों में कम्प्यूटर सहायित डिजायन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। सरकार अनुमोदित पैटर्न के अनुसार दसवीं योजना में भी इन केन्द्रों को सहायता देना जारी रखेगी।

(3) बुनकरों का कल्याण :

उद्योग के विश्वव्यापीकरण के कारण संभावित रूप से प्रभावित होने वाले विद्युतकरघा बुनकरों को सुरक्षा कवच प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार, बुनकरों के कल्याण की योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1992–93 से ही सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से विद्युतकरघा बुनकरों के लिए सामूहिक बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में इस आशय का संशोधन करते हुए कि 18 से 60 वर्ष की आयु वाले बुनकरों को उनकी मृत्यु और अपंग होने की स्थिति में अधिक लाभ प्राप्त हो सकें और 40 रु. प्रति वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने पर 700 रु. प्रति माह अर्जित करने वाले बुनकरों को शामिल कर, इसे दसवीं योजना के दौरान भी जारी रखा जा रहा है। इस योजना के अन्य संघटक में, विद्युतकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड के लिए सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था है ताकि उनकी कार्यदशा में सुधार लाया जा सके और उन्हें आधुनिक बनने में सक्षम बनाया जा सके।

निर्यात संवर्धन परिषदों का विकास

738. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निर्यात को बढ़ावा देने हेतु देश में निर्यात संवर्धन परिषदों के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में निर्यात संवर्धन परिषदों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार और तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए इन निर्यात संवर्धन परिषदों के वित्तपोषण और कार्य–निष्पादन की निगरानी का कार्य अत्यंत मुश्किल हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक्जिम नीति के तहत, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को उत्पादों के विशेष समूह के संवर्धन/परियोजनाओं तथा सेवाओं के लिए जिम्मेवार बनाया गया है। ईपीसी को वित्तीय सहायता विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत प्रदान की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/मेलों, क्रेता–विक्रेता बैठकों, बिक्री सह अध्ययन दौरों, प्रचार अभियानों के संबंध में भागीदारी एवं उनके आयोजन, व्यापार सूचना के प्रसार जैसे विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलापों को सुकर बनाया जा सके।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विपणन विकास सहायता (एमडीए) और बाजार पहुंच संबंधी उपाय (एमएआई) योजनाओं के तहत आवंटित तथा वितरित की गई। उपयोग की गई कुल राशि के वर्ष–वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि		वितरित/उपयोग की गई राशि	
		एमडीए	एमएआई	एमडीए	एमएआई
1.	1999–2000	27.00	–	27.00	–
2.	2000–2001	35.00	–	35.00	–
3.	2001–2002	44.00	14.50	44.00	14.50

(ङ) सरकार को कोई विशिष्ट कठिनाई नहीं हुई है। चूंकि ईपीसी राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है इसलिए राज्य सरकारों को शामिल नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा भंडार

739. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल की अपनी नीति में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल बांडों की बजाय नकद रूप में अधिक से अधिक करने का निश्चय किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस नीति से पहले की अपेक्षा विदेशी मुद्रा से कमे ब्याज मिलने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान विकास नीति में परिवर्तन का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों की सुरक्षा, नकदी और प्रयोग से आय के उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहा है। न तो प्रारक्षित निधियों के प्रबंधन के लिए निर्धारित उद्देश्यों में कोई परिवर्तन हुआ है और न ही इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में विद्यमान स्थितियों पर निर्भर करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक आय बढ़ाने और/अथवा हानियों के जोखिम को न्यूनतम करने की दृष्टि से पोर्टफोलियो में मुद्रा/परिसंपत्ति संघटन में सीमांतिक परिवर्तन करता है।

(घ) और (ङ) मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में धीमी आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज दरें बहुत तीव्रतापूर्वक कम होती रही हैं और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किसी निवेश से इस समय उस आय की अपेक्षाकृत कम दर प्राप्त होने की संभावना है, जो उसे इससे दो वर्ष पहले प्राप्त हुई होती।

गायब हुई कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई

740. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गायब घोषित की गई कंपनियों के नाम और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'सेबी' ने गायब हुई कंपनियों के निवेशकों और प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई करने की योजना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

741. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अंतर्गत कितने अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग की है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितना अनाज दिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) विगत दो वर्षों में से प्रत्येक के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन अधिसूचित किए गए सूखा प्रभावित क्षेत्रों को आवंटित खाद्यान्न विवरण में दिए गए हैं। कार्यक्रम 1.4.2002 को बंद कर दिया गया था।

विवरण

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य	2000–2001	2001–2002
1.	आंध्र प्रदेश	–	165000
2.	बिहार	–	100000
3.	छत्तीसगढ़	207000	419007
4.	गुजरात	90000	58105
5.	हिमाचल प्रदेश	11549	–
6.	कर्नाटक	–	100000
7.	केरल	–	5000
8.	मध्य प्रदेश	63079	188665
9.	महाराष्ट्र	10000	140000
10.	उड़ीसा	100000	150000
11.	राजस्थान	118145	621360
	जोड़	599773	3432137

[अनुवाद]

कृषि निर्यात जोन

742. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विशिष्ट उत्पादों और भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु कृषि निर्यात जोनों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो पहले से स्थापित कृषि निर्यात जोनों का स्थान–वार और उत्पादन–वार ब्यौरा क्या है और इससे क्या परिणाम मिले;

(ग) किन–किन राज्यों में कृषि निर्यात जोनों की स्थापना का विचार है और इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(ङ) क्या केरल राज्य में और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र जहां कृषि उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावना है, में भी कृषि निर्यात जोनों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो कृषि निर्यात जोनों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) आज की तारीख तक केन्द्र सरकार ने विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 19 अलग–अलग राज्यों में स्थापना हेतु 45 कृषि निर्यात जोनों (ए ई जेड) को स्वीकृत किया है। ये ए ई जेड कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। एईजेड की स्थापना के संवर्धन हेतु कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अभिकरण है और यह अपेक्षानुसार राज्य सरकारों से विचार–विमर्श करता है।

(ङ) और (च) केरल में स्थापना हेतु एक ए ई जेड को अनुमोदित किया गया है जिसमें 29.87 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है जिसमें केन्द्र सरकार की एजेंसियों से 9.98 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है। केन्द्र सरकार की एजेंसियों से 30.34 करोड़ रुपए की सहायता सहित 107.31 करोड़ रुपए के कुल संभावित निवेश से महाराष्ट्र राज्य में 5 ए ई जेडों को अनुमोदित किया गया है।

विवरण

अनुमोदित बागवानी कृषि निर्यात जोनों की सूची

क्र.सं.	प्रदेश	उत्पाद
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आम का गूदा तथा ताजी सब्जियां, आम, आम तथा अंगूर
2.	असम	ताजा तथा प्रसंस्कृत अदरक
3.	बिहार	लीची
4.	गुजरात	आम तथा सब्जियां
5.	हिमाचल प्रदेश	सेब
6.	जम्मू और कश्मीर	सेब, अखरोट

1	2	3
7.	झारखंड	सब्जियां
8.	कर्नाटक	छोटी ककड़ियां, गुलाब, प्याज, पुष्प
9.	केरल	बागवानी उत्पाद
10.	मध्य प्रदेश	आलू, प्याज तथा लहसुन, बीज, मसाले, गेहूं
11.	महाराष्ट्र	अंगूर तथा अंगूर से बनी शराब, आम, केसर आम, पुष्प, प्याज
12.	उड़ीसा	अदरक तथा हल्दी
13.	पंजाब	सब्जियां, आलू, बासमती चावल
14.	सिक्किम	पुष्प (ऑर्किड) तथा चेरी मिर्च, अदरक
15.	तमिलनाडु	पुष्प, आम
16.	त्रिपुरा	कार्बनिक अनन्नास
17.	उत्तर प्रदेश	आलू, आम तथा सब्जियां, आम, बासमती चावल
18.	उत्तरांचल	लीची, पुष्प, बासमती चावल, औषधीय तथा सुगंधित पौधे
19.	पश्चिम बंगाल	अनन्नास, लीची, आलू, आम, सब्जियां

भारतीय अर्थव्यवस्था

743. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अनिवासी भारतीय अमरीका और भारत की ब्याज दरों में अन्तर का लाभ उठाने हेतु अपना धन जमा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस स्थिति को निष्प्रभावी करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "भारत में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों में वृद्धि : स्रोत, अंतरपणन और लागत" पर हाल ही में किया गया एक अध्ययन इस बात का संकेत देता है कि अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों में अप्रैल–नवम्बर, 2001 के दौरान हुई 2.2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में अप्रैल–नवम्बर, 2002 के दौरान 2.1 बिलियन अमरीकी डालर की लगभग समतुल्य निवल वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में अनिवासी, अपरिवर्तनीय रुपया लेखों से आहरित (ड्रा–डाउन) जमाराशियां भी शामिल हैं, जिन्हें मार्च, 2002 से बंद कर दिया गया था। वर्ष 1999–2000 से, एनआरआई जमाराशियों में वार्षिक निवल अंतर्प्रवाह 1.5–2.7 बिलियन अमरीकी डालर के बीच के स्तर पर बने रहे। इस प्रकार, अनिवासी जमाराशियों में चल रही प्रवृत्तियां, विगत कुछ वर्षों के दौरान देखी गई प्रवृत्तियों के समनुरूप हैं। आरबीआई अध्ययन में निर्दिष्ट किया गया है कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों के बीच 3–4 प्रतिशत के अन्तर के बावजूद, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जो इस बात का सुझाव दे कि भारत में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार की वृद्धि अंतरपणन अवसरों के कारण हुई है।

[हिन्दी]

फिल्मी सितारों पर आयकर

744. श्री महेश्वर सिंह :
श्री सुरेश चन्देल :
श्री मोइनुल हसन :
श्री विकास चौधरी :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान दस टॉप फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों में से प्रत्येक पर कितना आयकर बकाया है;

(ख) उनके नाम क्या हैं और उन पर किस तारीख से आयकर देय है;

(ग) आयकर देयों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) समय से आयकर जमा करना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या छूट दी जा रही है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) आयकर विभाग द्वारा मशहूर फिल्मी

कलाकारों, उद्योगपतियों आदि जैसी श्रेणियों के संबंध में बकाया करों के अलग ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII तथा दूसरी अनुसूची में यथा उपबंधित कार्यप्रणाली के माध्यम से आयकर की वसूली की जाती है। उन उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ धारा 220 (2) के अंतर्गत सांविधिक नोटिस जारी करना, ब्याज प्रभारित करना तथा बकायों का भुगतान न करने पर अर्थदंड उदगृहण करना, चूककर्ता के बैंकखाते तथा ऐसे चूककर्ता के प्रति कर्जदार द्वारा देय धनराशियों की कुर्की, चूककर्ता की चल एवं अचल संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री, चूककर्ता की गिरफ्तारी, चूककर्ता की चल और अचल संपत्ति के संबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति, आदि शामिल हैं।

(घ) समय से आयकर जमा करना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कोई छूट नहीं दी जा रही है।

[अनुवाद]

नेशनल लॉ स्कूल

745. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में बंगलौर की तर्ज पर नेशनल लॉ स्कूलों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के एक नेशनल लॉ स्कूल की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) भारतीय विधिज्ञ परिषद ने सूचित किया है कि बंगलौर स्थित भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय विश्वविद्यालय के अलावा देश में चार और राष्ट्रीय विधि विद्यालय हैं। ये निम्नलिखित हैं :

1. राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान अकादमी, विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश;
2. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर राजस्थान;
3. राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश; और
4. राष्ट्रीय वैधिक विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल।

(ख) प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ऐसा राष्ट्रीय विधि विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

746. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरेश चन्द्र समिति ने निगमित प्रशासन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका के संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति ने विस्तृत सिफारिश की है कि स्वतंत्र निदेशक शेयरधारकों के हित में बोलने तथा अपने वैश्वासिक अन्वेक्षा कार्यों को निभाने के योग्य होने चाहिए। सरकार 'स्वतंत्र निदेशकों' को कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित करने के लिए कदम उठा रही है।

सेबी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता

747. श्री अम्बरीश :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विश्व की अपनी समकक्ष संस्थाओं से प्रतिभूति कारोबार की सूचना के आदान–प्रदान करने हेतु बाजार में हेरा–फेरी करने वालों के संबंध में समय से सूचना प्राप्त करने के लिए किसी समझौते पर हस्तक्षार किए हैं/करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के शेयर बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निम्नलिखित के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं :

(क) सेक्योरिटीज कमीशन, मलेशिया

(ख) फाइनेशियल सर्विसेज कमीशन, मारीशस

(ग) सेक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ श्रीलंका

सेबी ने युनाइटेड स्टेट्स सेक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ सहयोग, परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करने संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

सेबी का इंटरनेशनल ऑरगेनाइजेशन ऑफ सेक्योरिटीज कमीशन (आई ओ एस सी ओ) के सदस्यों के मध्य बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता बनने का प्रस्ताव भी है। सेबी का आवेदन पत्र आई ओ एस सी ओ कमेटी ऑफ चेयरमैन के अनुमोदनार्थ लंबित है।

सेबी अन्य आई ओ एस सी ओ सदस्यों के साथ सहयोग संबंधी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने पर भी विचार कर रहा है।

(ग) संबंधित समझौता ज्ञापनों के प्रावधान प्रतिभूति बाजारों के कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करने तथा सूचना के आदान–प्रदान को सुगम बनाते हैं। समझौता ज्ञापन के कार्यक्षेत्र में सहायता प्रदान करना और प्रतिभूति कारोबार में भीतरी कारोबार, बाजार धोखाधड़ी और अन्य कपटपूर्ण व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल है। सूचना के आदान–प्रदान का उद्देश्य व्यापार संचालन में उचित संव्यवहार के मानदंडों और अखंडता का संवर्धन करना भी है।

उपभोक्ता मंच

748. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य के नवगठित जिलों में उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने हेतु उपभोक्ता मंच खोले जाने हेतु 120 लाख रुपए के अनुदान हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) अनुदान की स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने गुजरात में हाल ही में गठित 6 नए जिलों में जिला मंचों की स्थापना हेतु 120 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार राज्य आयोग तथा जिला मंचों की स्थापना हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसी प्रकार का अनुदान नहीं देती। तथापि, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को एकबारगी अनुदान स्कीम के अंतर्गत 1995–99 में वित्तीय सहायता प्रदान की गई ताकि योजना आयोग द्वारा उक्त स्कीम की मंजूरी के समय पहले से स्थापित राज्य आयोगों तथा जिला मंचों की आधारिक संरचना को सुदृढ़ करने हेतु उनके प्रयासों को सहायता दी जा सके। हाल ही में स्थापित किए गए राज्य आयोगों तथा जिला मंचों के अतिरिक्त पहले से स्थापित किए गए मंचों की आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

गैर-कृषि उत्पादों के लिए मंत्रियों का समूह

749. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने विश्व व्यापार संगठन के लिए गैर–कृषि उत्पादों संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र अंतिम रूप देने हेतु मंत्रियों के समूह के गठन को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समूह में सम्मिलित मंत्रियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रियों के समूह को सरकार को अपनी सिफारिशें कब तक सौंपने को कहा गया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां। डब्ल्यू टी ओ में वार्ताओं के लिए गैर–कृषि उत्पादों पर भारत के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए समुचित निर्णय लेने वाला एक तंत्र स्थापित किया गया है।

(ख) निर्णय लेने वाले तंत्र में सरकार के संबंधित मंत्रालय शामिल हैं।

(ग) कोई विशिष्ट समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना

750. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के वायनाड़ जिले के कुंडुवाड़ियन समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) और (ख) केरल सरकार ने कुंडुवाडियन समुदाय को अपने राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। प्रस्ताव पर, ऐसे दावों पर निर्णय लेने की अनुमोदित रीति के अनुसार कार्रवाई की गई है।

कुक्कुट पालन संबंधी वस्तुओं का निर्यात

751. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुक्कुट पालन संबंधी ऐसी कौन–कौन सी वस्तुएं हैं और ऐसे कौन–कौन से देश हैं जिनको निर्यात की जा रही हैं या की गई हैं और इससे कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है;

(ख) क्या सरकार का कुक्कुट पालन संबंधी वस्तुओं की बिक्री विभिन्न देशों में बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2003–04 और आगामी वर्षों के लिए इस संदर्भ में क्या अनुमान लगाया गया है; और

(घ) इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) भारत से निर्यात किए जा रहे प्रमुख कुक्कुट उत्पाद हैं–टेबल एग, हेचिंग एग, प्रशीतित कुक्कुट उत्पाद, अंडा पावडर, एक दिन के चूने इत्यादि और जिन देशों को इन उत्पादों का निर्यात किया जाता है उनमें यूएई, ओमान, जापान, बंगलादेश, म्यांमार, यमन शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कुक्कुट उत्पादों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
1999–2000	8,368	54.25
2000–2001	15,836	86.18
2001–2002	19,876	130.07

(**स्रोत** : डी जी सी आई एण्ड एस)

(ख) से (घ) कुक्कुट उत्पादों सहित सभी कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कारकों पर निर्भर करता है। निष्पादन के अनुमान पिछले रुझानों के आधार पर लगाए जाते हैं और ये प्राक्कलन के स्वरूप में होते हैं। विभिन्न देशों को कुक्कुट उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं–मानकों का विनिर्देशन, कीटनाशक अवशिष्टों की निगरानी, विकास एवं निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता, अवस्थापना विकास/निर्यात संवर्धन विपणन सहायता इत्यादि।

गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता

752. श्री अमर राय प्रधान : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब से दी जा रही है और इसकी शुरूआत के समय इसकी सुविधा हेतु आय की कितनी सीमा निर्धारित की गई थी और इस सुविधा के अंतर्गत किस श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया;

(ग) क्या आज तक इस सीमा को संशोधित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो संशोधनों का ब्यौरा क्या है और ये संशोधन किस तारीख को किए गए;

(ङ) क्या सरकार का विचार 1 जनवरी, 1996 को सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन को ध्यान में रखते हुए इस सीमा में वृद्धि करने का है;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, जो तारीख 9.11.95 को प्रवृत्त हुआ था, के अधीन कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उक्त अधिनियम की धारा 12 के खंड (ज) के अनुसार उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष आने वाले मामलों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त विधिक सेवा के लिए पात्र है जिसकी वार्षिक आय 9,000 रुपए से कम है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों में यह सीमा 12,000 रुपए थी। एक वर्ग के रूप में सरकारी कर्मचारियों को विधिक सेवा के लिए पात्र प्रवर्ग के रूप में पृथक् रूप से मान्यता नहीं दी गई है। तथापि, निम्नलिखित व्यक्ति विधिक सहायता/विधिक सेवाओं के लिए हकदार हैं :

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य;

(ii) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानवों के दुर्व्यापार के शिकार या भिखारी;

(iii) कोई महिला या कोई बालक;

(iv) कोई मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा निःशक्त व्यक्ति;

(v) अनुचित वांछा की परिस्थितियों के अधीन कोई व्यक्ति जैसे कि घोर विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक दुर्घटना का शिकार कोई व्यक्ति; या

(vi) कोई औद्योगिक कर्मकार; या

(vii) अभिरक्षा में कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थांतर्गत किसी संरक्षागृह की या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 के खंड (ञ) के अर्थांतर्गत किसी किशोर गृह की या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थांतर्गत किसी मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम की अभिरक्षा भी है; या

(viii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय 9,000 रुपए या ऐसी किसी अन्य उच्चतर रकम से कम है जो राज्य सरकार द्वारा उस दशा में विहित की जाए, जब मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष हो और 12,000 रुपए या ऐसी किसी अन्य उच्चतर रकम से कम है जो केंद्रीय सरकार द्वारा उस दशा में विहित की जाए, जब मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष हो।

ऊपर वर्णित मानदंडों में से किसी के अंतर्गत आने वाला कोई सरकारी कर्मचारी विधिक सहायता के लिए हकदार है।

(ग) और (घ) उक्त अधिनियम की धारा 12 के खंड (ज) के अधीन विहित न्यूनतम आय सीमा को समुचित सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तारीख 12.9.1998 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हुई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की वार्षिक बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मामलों के लिए न्यूनतम आय सीमा को 25,000 रुपए तक बढ़ाना अपेक्षित था। अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू–कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप के अलावा अन्य राज्यों में आय सीमा को बढ़ा दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों के लिए केंद्रीय सरकार ने तारीख 28.2.2000 को वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन सरकारी कर्मचारियों को पृथक् वर्ग के रूप में नहीं माना जाता है।

नई खाद्यान्न नीति

753. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

डा. महेन्द्र सिंह पाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई खाद्यान्न नीति बनाने हेतु गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) दीर्घकालीन अनाज नीति तैयार करने के लिए प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 31.7.2002 को प्रस्तुत कर दी है।

समिति ने निम्नलिखित के बारे में अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीति संबंधी दूरगामी सिफारिशें की हैं :

(i) खाद्यान्न आधारित कल्याण योजनाएं,

(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली,

(iii) न्यूनतम समर्थन मूल्य और वसूली नीति,

(iv) खुला बाजार बिक्री, निर्यात और आयात संबंधी नीति,

(v) निजी व्यापार की भूमिका, और

(vi) भारतीय खाद्य निगम

इन सिफारिशों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दीर्घकालिक अनाज नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट

प्रमुख सिफारिशें

दीर्घकालिक अनाज नीति संबंधी उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रो. अभिजीत सेन ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शरद यादव को समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अन्य के साथ–साथ, समिति के सदस्यों में डा. आर. राधाकृष्ण, निदेशक, इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई, डा. मधुरा स्वामिनाथन, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, आई.एस.आई., कोलकाता, श्री ए. मोहन दास मोसेस, पूर्व–प्र. नि., भारतीय खाद्य निगम तथा डा. एस. एन. कौल, परामर्शदाता, आर्थिक–कार्य विभाग, नई दिल्ली शामिल थे।

समिति ने निम्नलिखित के बारे में अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीति संबंधी दूरगामी सिफारिशें की हैं :

(i) खाद्यान्न आधारित कल्याण योजनाएं,

(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली,

(iii) न्यूनतम समर्थन मूल्य और वसूली नीति,

(iv) खुला बाजार बिक्री, निर्यात और आयात संबंधी नीति,

(v) निजी व्यापार की भूमिका, और

(vi) भारतीय खाद्य निगम।

दीर्घकालिक सिफारिशें

(i) कल्याण योजनाएं

कल्याण योजनाओं के संबंध में समिति ने व्यापक खाद्यान्न रोजगार कार्यक्रम, संपूर्ण निराश्रित आबादी को कवर करने के लिए मौजूदा अंत्योदय योजना के विस्तार, स्कूल जाने वाले सभी बच्चों के लिए पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना लागू करने हेतु केन्द्रीय समर्थन देने और महिलाओं तथा बच्चों के लिए कार्यक्रमों को मजबूत करने की सिफारिश की है।

(ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में समिति ने देश के सभी भागों में सभी उपभोक्ताओं के लिए चावल और गेहूं के एक समान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के साथ सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सिफारिश की है। समिति ने यह सिफारिश भी की है कि गरीब उपभोक्ताओं अथवा अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नियत अतिरिक्त राजसहायता राज्यों को नकद दी जानी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के लिए की गई अन्य सिफारिशों में एक स्वतंत्र निगरानी निकाय स्थापित करने, लाइसेंसशुदा उचित दर दुकान का डीलर बनने की पात्रता पर लगे प्रतिबंधों में ढील

देने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने और पंचायती राज संस्थाओं को अधिक जिम्मेदारी देने की सिफारिश शामिल है।

(iii) न्यूनतम समर्थन मूल्य और वसूली नीति

न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि तत्काल सुधार के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति जारी रहनी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक सक्षम क्षेत्रों में उत्पादन की लागत सी–2 (अर्थात् परिवार श्रम, अपनी पूंजी और भूमि के किराये के आदान लागतों सहित समस्त लागतें) के आधार पर ही उत्पादन लागत तय करनी चाहिए। इसने यह सिफारिश भी की है कि नयूनतम समर्थन मूल्य को सांविधिक स्तर प्रदान किया जाना चाहिए और कृषि लागत और मूल्य आयोग को एक शक्ति सम्पन्न सांविधिक निकाय बनाया जाना चाहिए।

इसने यह सिफारिश भी की है कि उन राज्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदारी पर अत्यधिक लेवियां लगाते हैं। केन्द्र सरकार एक समान 4 प्रतिशत की छूट सहित वसूली मूल्य की घोषणा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति की घोषणा कर सकती है, जो खरीदारियों के लिए देय अधिकतम मूल्य होना चाहिए। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्र सरकार को उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों की खुली खरीदारी करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि उत्पादक अपनी लागत पर पर्याप्त लाभ के प्रति आश्वस्त हो सकें।

समिति ने यह सिफारिश भी की है कि भारतीय खाद्य निगम को विगत की अपेक्षा पूर्वी और मध्य भारत पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। समिति ने यह सिफारिश भी की है कि केन्द्र को वसूली के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहना चाहिए, लेकिन वसूली कार्य को और छितरा दिया जाना चाहिए। मोटे अनाजों के संबंध में समिति ने यह सिफारिश की है कि इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों को राज्य सरकारों को सोंप दिया जाना चाहिए और उन्हें इसके लिए केन्द्र से पूरा वित्तीय समर्थन दिया जाना चाहिए।

समिति की एक और प्रमुख सिफारिश यह है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन चावल मिल मालिकों पर लगाए गए सभी अनिवार्य लेवी आदेश तत्काल हटा लिए जाने चाहिए और उनके स्थान पर चावल मिल मालिकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन वसूल किए गए धान की कस्टम मिलिंग करने और इससे प्राप्त चावल की सुपुर्दगी केन्द्रीय पूल में देने की अपेक्षा संबंधी आदेश लाए जाने चाहिए।

गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए समिति ने सिफारिश की है कि अनाज की संपूर्ण खरीदारी में उचित औसत किस्म के मानदंड कड़ाई से लागू किए जाने चाहिए। अप्रत्याशित परिस्थितियों में यदि उचित औसत किस्म के मानदंडों से नीचे के अनाजों की वसूली की जाती है तो इन्हें केन्द्रीय पूल में नहीं लिया जाना चाहिए और इनका निपटान वाणिज्यिक शर्तों पर किया जाना चाहिए।

सही न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के साथ समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार को बीमा क्षेत्र के साथ न केवल पैदावार में बल्कि एक क्षेत्र के आधार पर निकाले गए विगत के औसत मूल्यों में गिरावट के प्रति भी केवल बीमांकिक सिद्धांतों पर तैयार किए गए बीमे की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के संबंध में संभावनाओं का शीघ्र पता लगाना चाहिए। इसके लिए शुरू में दी जाने वाली अपेक्षित राजसहायता को गरीब और सीमांत किसानों को छोड़कर सभी के लिए उसके क्रियान्वयन के दो वर्षों के अंदर चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

समिति ने आहार पैटर्न में हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए फसल विविधीकरण के उपायों की सिफारिश की है।

(iv) खुला बाजार बिक्री, निर्यात और आयात

खुला बाजार बिक्री के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि इसके मूल्य तदनुरूपी केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और भंडारण तथा ढुलाई की पूर्ण लागत तथा भंडारण और बाजार परिस्थितियों पर आधारित होने चाहिए।

खाद्यान्नों के निर्यात और आयात के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि यह परिवर्तनशील प्रशुल्क की प्रणाली पर आधारित होना चाहिए और निर्यात पूर्णतया प्राइवेट खाते पर होना चाहिए।

(v) निजी व्यापार की भूमिका

समिति ने सिफारिश की है कि निजी व्यापार की बाधाएं दूर की जानी चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में आवश्यक वस्तु अधिनियम केवल प्राकृतिक त्रासदी अथवा अन्य आकस्मिकता की स्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिए। तथापि, इसने सिफारिश की है कि जो सार्वजनिक वसूली और वितरण के

क्षेत्र की गतिविधियों में स्वेच्छा से प्रवेश करते हैं उन पर लागू करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 की तर्ज पर नए आदेश बनाए जाने चाहिए।

(vi) भारतीय खाद्य निगम

भारतीय खाद्य निगम के संबंध में समिति ने राय व्यक्त की है कि इसने अपनी भूमिका तुलनात्मक तौर पर उचित रूप से निभाई है और उसे अपना कार्य जारी रखना चाहिए। इसने सिफारिश की है कि भारतीय खाद्य निगम को उन क्षेत्रों में जाना चाहिए जहां से मजबूरन बिक्री की रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं और ऐसे क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम को वसूली केन्द्र खोलने चाहिए। इसने यह सिफारिश भी की है कि भारतीय खाद्य निगम को अपने कारोबार करने के तरीकों में परिवर्तन लाना चाहिए ताकि यह शीघ्र वाणिज्योन्मुखी निर्णय ले सके। इसने सिफारिश की है कि भातरीय खाद्य निगम को संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय खाद्य निगम की भूमिका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रमुख अनाजों अर्थात् चावल और गेहूं की वसूली तक सीमित रहनी चाहिए और मोटे अनाजों के मूल्य समर्थन प्रचालन राज्य एजेंसियों द्वारा हैंडल किए जाने चाहिए।

समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय खाद्य निगम को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा संस्तुत मानदंडों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम की लागतों के मानदंड बनाकर लागत नियंत्रण के क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। समिति ने भंडारण और मार्गस्थ हानियां कम करने के लिए भी अनेक उपाय सुझाए हैं।

अल्पकालिक सिफारिशें

तत्काल अल्पकाल के लिए समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को औसत सी–2 लागत तक कम करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को सांविधिक स्तर देने के लिए उपाय करने, चावल मिल मालिकों पर लगे लेवी आदेशों को हटाने और गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों को कड़ाई से बनाए रखने की सिफारिश की है। राज्य सरकारों को अपने कृषकों की प्रतिपूर्ति करने के लिए कुल लगभग 3915 करोड़ रुपए के प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ सी–2 लागत को कम करने की सिफारिश की गई है।

समिति ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारें निम्नलिखित किसी एक अथवा उन्हें मिलाकर अपने किसानों को इस प्रतिपूर्ति की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए :

(i) किसानों को सीधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतरण।

(ii) फसल आय/पैदावार पर बीमा योजना संबंधी प्रीमियम पर राजसहायता।

(iii) विशिष्ट फसल विविधीकरण योजना।

(iv) विद्युत सहित लागत को कम करने के लिए अन्य ऋण/आदान संबद्ध योजनाएं।

अल्पकाल के लिए अन्य सिफारिशों में भारतीय खाद्य निगम का ध्यान पूर्वी और मध्य भारत की ओर केन्द्रित करना तथा विकेन्द्रीकृत वसूली योजना में मौजूदा बाधाओं को दूर करना शामिल है।

समिति ने पुराने और गुणवत्ता में ढील दिए गए स्टाक का निपटान करने सहित स्टाक कम करने के कई उपायों की सिफारिश की है। इसने सिफारिश की है कि चमकहीन गेहूं के स्टाक का निपटान 31.3.2003 तक कर दिया जाना चाहिए और उपलब्ध स्टाक को उसकी भंडारण अवधि तथा गुणवत्ता के हिसाब से अलग करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए।

इसने यह भी सिफारिश की है कि आइ.एस.आई. द्वारा प्रस्तावित नमूना लेने की नई विधियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम 3 माह की अवधि के अंदर भौतिक सत्यापन की विधि क्रियान्वित करे।

निर्यात के संबंध में, समिति ने सिफारिश की है कि घरेलू बाजार में लीकेज को रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए और जब कभी स्टाक 35 मिलियन टन से नीचे आ जाए तो वर्तमान निर्यात अभियान की समीक्षा की जानी चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में समिति ने एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली तत्काल लागू करने की बात का समर्थन किया है जो उसके विचार में अनेक गरीब और कम गरीब लोगों, जिन्हें गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, को वापस इसके दायरे में लाएगी। एकीकृत प्रणाली में सभी उपभोक्ताओं के लिए एक–समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य होना चाहिए जो गेहूं के लिए 4.50 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 6.00 रुपए प्रति किलोग्राम होना चाहिए तथा जिसके साथ राज्य सरकारों के लिए नकद प्रोत्साहन के रूप में उठान किए गए अनाज हेतु 35 पैसा प्रति किलोग्राम दिया जाना चाहिए जो उठान और गणना की शर्त से संबद्ध

हो। ऐसा तब तक किया जाना चाहिए जब तक स्टाक पर्याप्त रूप से कम न हो जाएं, उसके बाद केन्द्रीय निर्गम मूल्य को बढ़ाकर उसे अधिग्रहण लागत की ओर ले जाया जाना चाहिए।

समिति ने यह सिफारिश भी की है कि वर्तमान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन आवंटन को दुगुना किया जाना चाहिए और अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया जाना चाहिए।

चीनी का निर्यात

754. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–02 के दौरान कुल कितनी चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) क्या चीनी उद्योग ने यह अनुमान लगाया है कि यदि सरकार उसे पर्याप्त सहायता न दे तो वह अक्तूबर, 2002 से सितम्बर, 2003 के दौरान 15 लाख टन चीनी का निर्यात कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान 14.56 लाख टन (अनंतिम) चीनी का निर्यात किया गया था।

(ख) और (ग) सरकार ने चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) निर्यात के लिए निर्धारित चीनी को लेवी देयता से छूट दी गई है।

(ii) निर्यात के लिए निर्मुक्त चीनी की मात्रा को अग्रिम खुली बिक्री की चीनी की निर्मुक्ति के रूप में माना जाता है जिसका समायोजन 18 माह की अवधि के बाद चीनी फैक्ट्रियों के खुली बिक्री की चीनी के स्टाक में से किया जाता है।

(iii) चीनी के निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य की 4% की दर पर ड्यूटी इंटाइटलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) की अनुमति दी गई है।

(iv) सरकार ने चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन कर दिया है ताकि वह चीनी के निर्यात शिपमेंट पर चीनी फैक्ट्रियों को आंतरिक ढुलाई तथा माल–भाड़े के खर्च की अदायगी कर सके, जिसमें समुद्री भाड़े के नुकसान को निष्क्रिय करने का घटक भी शामिल है।

सरकार अथवा चीनी उद्योग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार और झारखंड को विश्व बैंक की सहायता

755. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और झारखंड राज्य के कुछ विकासात्मक कार्य और परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की ब्याज दर व नियम और शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक प्रत्येक परियोजना में राज्यवार क्या लक्ष्य हासिल किए गए हैं; और

(घ) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने हेतु राज्यवार क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क), (ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आईबीआरडी ऋण भारत सरकार को एकल मुद्रा परिवर्तनीय विस्तार आधार पर मुहैया कराए गए हैं। इनका ब्याज लिबोर आधार दर जमा लिबोर कुल विस्तार के समकक्ष होता है। इन ऋणों पर 1% का फ्रंट एंड शुल्क और 0.75% का वचनबद्धता प्रभार लगता है। आईडीए ऋण ब्याज–मुक्त होता है, लेकिन इस पर 0.75% का सेवा प्रभार और 0.50% का वचनबद्धता शुल्क लगता है।

विवरण

(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	परियोजना ऋण/क्रेडिट सं. का नाम	करार/समापन की तारीख	क्षेत्र	कार्यान्वयन का क्षेत्र	दाता	ऋण/क्रेडिट की राशि	31.12.02 तक संचयी संवितरण	31.12.02 तक शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, एलएन 4559–इन	11.8.2000/ 31.12.2005	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश/बिहार	आईबीआरडी	516.00	82.840	433.160
2.	ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना एलएन 4622/इन	27.7.2001/ 31.12.2006	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश/बिहार	आईबीआरडी	589.00	64.092	524.908
3.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना एलएन 4296–इन/ सीआर 3048–इन	22.6.1998/ 31.12.2003	बहुराज्य	आ.प्र., बिहार, झारखंड, हि.प्र., महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब	आईडीए/आईबी आरडी	96.8/ 100.00	8.942	87.858
4.	ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता परि. एलएन 2942–इन	14.9.1998/ 30.6.2004	बहुराज्य	बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, म.प्र., छत्तीस–गढ़, उ.प्र., उत्तरांचल	आईडीए	19.5	15.008	4.492
5.	पारिस्थितिकीय विकास परियोजना सीएन 2916–इन	30.9.1996/ 30.6.2003	केन्द्रीय	झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, केरल, म.प्र., राजस्थान और प. बंगाल	आईडीए	28.0	13.821	8.579
6.	क्षयरोग नियंत्रण परि. 2936–इन	14.3.1997/ 30.9.2004	केन्द्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	142.40	39.14	103.26
7.	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 2964–इन	30.7.1997/ 31.3.2003	केन्द्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	164.80	49.31	115.49
8.	II एचआईवी/एड्स– 3242 इन	14.9.1999/ 31.7.2004	केन्द्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	194.75	86.15	108.60
9.	प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना 3340–इन	19.5.2000/ 30.6.2004	केन्द्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	142.60	81.94	60.66
10.	II राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना 3482–इन	19.7.2001/ 31.12.2004	केन्द्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	30.00	14.97	15.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	आरसीएच परियोजना 018–इन	30.7.1997/ 31.3.2003	केन्द्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	248.30	166.76	81.54
12.	डीपीईपी–III बिहार 3012–इन	23.2.1998/ 30.9.2003	केन्द्रीय	बिहार और झारखंड	आईडीए	152.00	38.85	113.15
13.	पावरग्रिड–II	30.5.2001/ 30.6.2006	केन्द्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईबीआरडी	450.00	114.90	335.10

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामले

756. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और निचले न्यायालयों में पृथक–पृथक कितने दीवानी और फौजदारी मामले लंबित हैं;

(ख) ये मामले कितने वर्षों से लंबित हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार श्रेणीवार ऐसे मामलों के नामों का ब्यौरा क्या है जिनमें निर्णय एक महीने से अधिक की अवधि से घोषणार्थ लंबित रखकर इन्हें आरक्षित किया गया है;

(घ) सभी न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ङ) लंबित मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्याायलय जिसमें जिला न्यायालय भी सम्मिलित है, में लंबित मामले उपदर्शित करने वाला एक विवरण–I संलग्न है।

(ख) तारीख 15 अप्रैल, 2002 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में, 1633 सिविल मामले और 788 दांडिक मामले पांच वर्ष में अधिक से लंबित हैं। उच्च न्यायालयों के संबंध में अवधिवार लंबित मामले विवरण–II के अनुसार हैं।

(ग) यह न्यायपालिका के सारभूत कार्यकरण से संबंधित है। तथापि, तारीख 13.03.2001 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में अंतिम निर्णय सुनाए जाने के लिए 82 मामले लंबित थे, जिनमें से 17 मामले 6 मास से अधिक अवधि से लंबित थे। ऐसे मामले जिनमें तारीख 31.12.99 को उच्च न्यायालयों में निर्णय आरक्षित/लंबित थे, मास–वार प्रवर्ग विवरण–III में है।

(घ) आज की तारीख में, उच्चतम न्यायालय में 26 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित हैं, में केवल एक रिक्ति है। तारीख 18 फरवरी, 2003 को, विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुमोदित संख्या में से 647 न्यायाधीश/अपर न्यायाधीश, 512 न्यायाधीश/अपर न्यायाधीश पदासीन हैं और न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की 135 रिक्तियां भरी जानी हैं। विभिन्न राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तारीख 5.2.2003 को न्यायाधीशों/मजिस्ट्रेटों के 2041 रिक्त पद हैं।

(ङ) एक विवरण–IV के रूप में है।

(च) यद्यपि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्र भरे जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है, तथापि, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन के कारण रिक्तियां उद्भूत होती रहती हैं। सरकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्यमंत्रियों से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव रखने के लिए समय–समय पर स्मरण कराती रही है। विधि और न्याय मंत्री ने तारीख 4.4.2001, 21.5.2001 और 5.2.2002 को अर्ध–शासकीय रूप से संबोधित करते हुए मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों तथा समर्थक कर्मचारिवृंद के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुरोध किया

था। इसी बीच, उच्चतम न्यायालय ने 'अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' में तारीख 21.3.2002 के अपने निर्णय द्वारा, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निदेश दिया था कि अधीनस्थ न्यायालयों में सभी स्तरों की विद्यमान रिक्तियों को भरा जाना चाहिए, संभवतया, सभी राज्यों में अधिकतम 31 मार्च, 2003 तक। केंद्रीय सरकार समय–समय पर, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के रिक्त पदों के भरने को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करने के लिए कहती रही है। विधि और न्याय मंत्री ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तारीख 26.4.2002 और तारीख 30.11.2002 को उच्चतम न्यायालय के तारीख 21 मार्च, 2002 के पूर्वोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए लिखा है।

विवरण-I

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या उपदर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.		लंबित मामलों की संख्या		निम्नलिखित तारीख को
		दांडिक	सिविल	
1.	उच्चतम न्यायालय	4747	19634	1.11.2002

उच्च न्यायालय

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या		निम्नलिखित तारीख को
		दांडिक	सिविल	
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	149587	760054	31.3.2002
2.	आंध्र प्रदेश	10863	152649	31.3.2002
3.	बंबई	27936	265344	30.9.2001
4.	कलकत्ता	36433	190697	31.3.2002
5.	दिल्ली	17718	73414	31.12.2000
6.	गुवाहाटी	5629	39413	31.12.2000
7.	गुजरात	19526	120041	31.12.2000
8.	हिमाचल प्रदेश	4037	13910	31.3.2002
9.	जम्मू–कश्मीर	1740	31625	31.3.2002
10.	कर्नाटक	7417	87819	31.3.2002
11.	केरल	17107	393972	31.3.2002
12.	मध्य प्रदेश	46121	84530	31.3.2002
13.	मद्रास	33258	314562	31.12.2001
14.	उड़ीसा	10598	137168	31.3.2002
15.	पटना	17297	63942	31.3.2002
16.	पंजाब और हरियाणा	44487	188288	31.3.2002
17.	राजस्थान	27718	110406	31.12.2001
18.	सिक्किम	20	102	31.3.2002
19.	उत्तरांचल	5365	25479	31.8.2002
20.	झारखंड	5437	9028	31.12.2001
21.	छत्तीसगढ़	16948	22690	31.10.2002
	योग	488130	3062443	

(31.12.2002 को यथाविद्यमान)

जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	निम्नलिखित तारीख को	सिविल	दांडिक	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	06/2002	470719	397325	868044
2.	अरुणाचल प्रदेश	06/99	331	1469	1800

1	2	3	4	5	6
3.	असम	06/2001	37229	118424	155653
4.	बिहार	06/2001	207417	809789	1017206
5.	छत्तीसगढ़	12/2001	50657	143667	194324
6.	गोवा	6/2002	24687	11367	36054
7.	गुजरात	6/2002	719166	2524734	3243900
8.	हरियाणा	12/2000	196851	323948	520799
9.	हिमाचल प्रदेश	6/2001	69976	73194	143170
10.	जम्मू–कश्मीर	12/99	43418	82596	126014
11.	कर्नाटक	12/2001	592380	398960	991340
12.	केरल	12/2001	229714	437266	666980
13.	मध्य प्रदेश	12/2001	294191	844829	1139020
14.	महाराष्ट्र	6/2002	927296	2185648	3112944
15.	मणिपुर	12/2000	4278	3487	7765
16.	मेघालय	12/99	1561	11322	12883
17.	मिजोरम	12/2000	817	986	1803
18.	नागालैंड		उपलब्ध नहीं है		
19.	उड़ीसा	12/2001	143142	555017	698159
20.	पंजाब	12/2000	212173	255975	468148
21.	राजस्थान	06/2001	274277	558083	832360
22.	सिक्किम	12/98	467	1352	1819
23.	तमिलनाडु	06/2001	593703	267601	861304
24.	त्रिपुरा	6/2002	6856	15164	22020
25.	उत्तर प्रदेश	06/2001	1073234	2431929	3505163
26.	पश्चिमी बंगाल	12/99	473325	861754	1335079
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12/99	580	26790	27370
28.	चंडीगढ़	6/2000	15215	33349	48564
29.	दादरा और नगर हवेली	6/2002	484	2215	2619
30.	दमन और दीव	12/2001	652	711	1363
31.	दिल्ली	6/2002	145851	543981	689832
32.	लक्षद्वीप	6/2002	73	57	130
33.	पांडिचेरी	6/2002	6791	7630	14421
	कुल		6817511	13930619	20748130

विवरण-II

उच्च न्यायालयों में अवधिवार लंबित मामले (31.12.2001 को यथाविद्यमान)

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीख को यथाविद्यमान	मामले का प्रकार	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 से 6 वर्ष	6 से 7 वर्ष	7 से 8 वर्ष	8 से 9 वर्ष	9 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	इलाहाबाद	31.12.2001	मुख्य	78286	65788	61245	47495	35256	33651	28250	27987	34277	34961	207755	654951
			प्रकीर्ण	33425	26724	17168	17331	13520	9994	11665	11572	12863	10673	72786	237671
			योग	111711	92512	78413	64826	48776	43645	39915	39559	47140	45634	280541	892622
2.	बम्बई	30.9.2001	मुख्य	57027	23115	21068	17454	14519	12942	11223	9850	9092	6657	31544	214491
			प्रकीर्ण	32359	12656	9840	7889	5561	2470	1900	1626	1425	1301	1762	78789
			योग	89386	35771	30908	25343	20080	15412	13123	11476	10517	7958	33306	293280
3.	कोलकाता	31.6.2000	मुख्य	23270	21360	19429	12527	15147	11229	15840	11777	10360	15267	144257	300463
			प्रकीर्ण	549	235	156	184	250	331	666	392	445	189	1379	4776
			योग	23819	21595	19585	12711	15397	11560	16506	12169	10805	15456	145636	305239
4.	दिल्ली	31.12.2000	मुख्य	17246	9554	9614	6559	5485	4825	4511	4822	4834	3661	29817	100928
			प्रकीर्ण	22301	15270	9728	7210	4917	2441	2230	2415	2197	2316	6048	77073
			योग	39547	24828	19342	13769	10402	7266	6741	7237	7031	5977	35865	178001
5.	गुवाहाटी	31.3.2001	मुख्य	13620	8034	5133	3140	1793	724	237	88	22	4	1	32796
			प्रकीर्ण	4988	3262	2074	1013	499	232	0	0	0	0	0	12068
			योग	18608	11296	7207	4153	2292	956	237	88	22	4	1	44864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	गुजरात	30.6.2001	मुख्य	34007	11440	8474	6606	5935	6934	8616	6415	3178	1734	12870	106209
			प्रकीर्ण	16297	5735	1977	2206	1441	1098	619	943	625	1364	624	32929
			योग	50304	17175	10451	8812	7376	9235	2558	7373	3803	3998	13494	139138
7.	हिमाचल प्रदेश	31.12.2001	मुख्य	6906	1823	1221	1249	1010	605	755	443	80	19	20	14131
			प्रकीर्ण	2521	329	137	81	47	35	35	14	9	3	0	3211
			योग	9427	2152	1358	1330	1057	640	790	457	89	22	20	17342
8.	जम्मू–कश्मीर	31.12.2001	मुख्य	7520	3518	2023	1567	1113	633	222	179	93	41	99	17008
			प्रकीर्ण	7647	3317	1918	1351	744	243	146	79	44	32	111	15632
			योग	15167	6835	3941	2918	1857	876	368	258	137	73	210	32640
9.	कर्नाटक	31.12.2001	मुख्य	43786	17522	9028	4652	3727	1917	1952	936	1228	287	707	85742
			प्रकीर्ण	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
			योग	43786	17522	9028	4652	3729	1917	1952	936	1228	287	707	85744
10.	केरल	31.12.2001	मुख्य	31275	24020	18324	14235	9996	8697	6215	4706	3478	2332	1959	125237
			प्रकीर्ण	57721	48500	40740	35808	26166	23246	18874	16961	13075	10838	4171	296100
			योग	88996	72520	59064	50043	36162	31943	25089	21667	16553	13170	6130	421337
11.	मध्य प्रदेश	31.12.2000	मुख्य	32315	17409	13067	9607	7414	5558	4329	3156	2426	2355	5938	103574
			प्रकीर्ण	3266	741	92	7	0	0	0	0	0	0	0	4106
			योग	35581	18150	13139	9614	7414	5558	4329	3156	2426	2355	5938	107680
12.	मद्रास	31.12.2001	मुख्य	50156	22172	14082	10131	8388	6956	5762	4579	3073	2940	5703	133942
			प्रकीर्ण	105782	46799	25845	15598	8360	5343	2738	1977	744	421	271	213878
			योग	155938	68971	39927	25729	16748	12299	8500	6556	3817	3361	5974	347820

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	उड़ीसा	30.9.2001	मुख्य	14690	12719	10287	10687	7945	5861	3220	2657	1811	1428	4675	75980
			प्रकीर्ण	22681	14059	8608	15471	528	483	399	234	151	69	22	62820
			योग	37371	26778	18895	26158	8473	6344	3619	2891	1962	1497	4697	138800
14.	पटना	31.12.2001	मुख्य	42930	6284	4813	3768	2891	1668	1532	1882	1681	1055	5833	74337
			प्रकीर्ण	4958	755	440	227	150	0	0	0	0	0	0	6620
			योग	47888	7939	5253	3995	3041	1668	1532	1882	1681	1055	5833	80957
15.	पंजाब और हरियाणा	31.9.2000	मुख्य	34874	24874	21019	17436	15417	12815	12167	9703	9588	9152	48497	215542
			प्रकीर्ण	16329	162	53	43	7	1	1	0	0	0	0	16592
			योग	51203	25036	21072	17479	15424	12816	12168	9703	9588	9152	48497	232134
16.	राजस्थान	31.12.2001	मुख्य	21417	14038	13300	11903	4484	6316	4717	4273	3845	2714	7933	97940
			प्रकीर्ण	13198	8745	8127	6334	2051	721	458	280	315	104	46	40179
			योग	34615	22783	21427	18237	6535	7037	5175	4553	4160	2818	7979	138119
17.	सिक्किम	31.12.2001	मुख्य	55	8	3	7	2	0	0	0	0	0	2	77
			प्रकीर्ण	26	7	1	6	0	0	0	0	0	0	0	40
			योग	81	15	4	13	2	0	0	0	0	0	2	117

विवरण-III

विभिन्न उच्च न्यायालयों में 31.12.1999 को आरक्षित/लंबित निर्णय के मामलों की संख्या

उच्च न्यायालय का नाम	मास			
	1–2	2–4	4–6	6 से अधिक
1. इलाहाबाद	0	0	0	0
2. आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
3. बंबई	0	0	0	0
4. कलकत्ता	3	19	6	0
5. दिल्ली	0	0	0	0
6. गुवाहाटी	0	0	0	0
7. गुजरात	0	0	0	0
8. हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
9. जम्मू–कश्मीर	0	0	0	0
10. कर्नाटक	4	8	0	0
11. केरल	0	0	0	0
12. मध्य प्रदेश	0	0	0	0
13. मद्रास	110	90	137	229
14. उड़ीसा	0	0	0	0
15. पटना	0	0	0	0
16. पंजाब और हरियाणा	0	0	0	0
17. राजस्थान	0	0	0	0
18. सिक्किम	0	0	0	0
योग	117	117	143	229

विवरण-IV

लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए किए गए उपायों को उपदर्शित करने वाला विवरण

विधि और न्याय मंत्री समय–समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से यह अनुरोध करते रहे हैं कि वे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव चलाएं।

मामलों के शीघ्रतापूर्वक निपटारे के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा अनेक उपाय अपनाए गए हैं, जिनके अंतर्गत मामलों का वर्गीकरण और समूहबद्ध किया जाना, उच्च न्यायालयों में अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा समान मुद्दों पर अंतिम रूप से किए गए विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों का पता लगाना और उन्हें सूचीबद्ध किया जाना भी है।

सरकार उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित दांडिक और सिविल, दोनों ही प्रकार के मामलों से संबंधित रिपोर्टों के वार्षिक विश्लेषणों का संकलन करती रहती है और उन्हें उच्च न्यायालयों को उनकी जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजती रहती है। न्यायालयों से प्रक्रिया के सुव्यवस्थिकरण के लिए मलिमथ समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है, जिससे कि, अन्य बातों के साथ–साथ, लंबित मामलों के निपटान में शीघ्रता आएगी। सरकार न्यायालयों में बकाया मामलों के संचयन का भी लगातार पुनर्विलोकन करती रहती है। सरकार ने, प्रत्येक तीन वर्ष में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश–पदसंख्या का पुनर्विलोकन करने और उसमें वृद्धि करने के साथ ही विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियां, जिनके अंतर्गत सुलह, मध्यक्ता और माध्यस्थम् भी हैं, गठित की हैं/उन्हें बढ़ावा दिया है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, आदि जैसे विशेष अधिकरण गठित किए गए हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मुकदमा–सूचियों को तैयार करने, मुकदमा लड़ने वालों/अधिवक्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराने, आदि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई के चार प्रमुख महानगरों में नमूने के रूप में कार्य करने के लिए नगर न्यायालयों की नेटवर्किंग और उनके कम्प्यूटरीकरण के लिए एक अग्रणी परियोजना आरम्भ की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य न्यायालयों की क्षमता बढ़ाना और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बेहतर न्यायालय प्रबंध द्वारा शीघ्र अधिनिर्णय करना है।

इस वर्ष न्याय विभाग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के चार महानगरीय उच्च न्यायालयों के कम्प्यूटर नेटवर्क का उच्चतम न्यायालय के स्तर तक उन्नयन करने की एक अग्रणी परियोजना आरम्भ कर रहा है, जिससे इन उच्च न्यायालयों

में मामलों के निपटान में वही गति और दक्षता आएगी जो उच्चतम न्यायालय में विद्यमान है।

सिविल प्रक्रिया संहिता को संशोधित किया गया है और इन संशोधनों को, जो, अन्य बातों के साथ–साथ, किसी पक्षकार को मंजूर किए जा सकने वाले स्थगनों की संख्या को तीन तक सीमित करते हैं, स्पीड पोस्ट, कुरियर सेवाओं, फैक्स या ई–मेल द्वारा आदेशिका की शीघ्र तामील का उपबंध करते हैं, न्यायालय को मौखिक बहस के लिए समय–सीमा नियत करने के लिए प्राधिकृत करते हैं और मामलों के शीघ्रतापूर्वक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्यित अनेक अन्य उपायों का उपबंध करते हैं, तारीख 1.7.2002 से प्रवृत्त किया गया है। लोक उपयोगिताओं से संबंधित विवादों के शीघ्र समाधान के लिए स्थायी लोक अदालतें स्थापित की जा रही हैं।

आर्थिक सुधारों का प्रभाव

757. श्री रतन लाल कटारिया : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की अर्थव्यवस्था पर गत एक दशक से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) विशेषरूप से श्रम क्षेत्र पर आर्थिक सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) रोजगार के अवसर सृजन करने में आर्थिक सुधारों की क्या भूमिका रही है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) आर्थिक विकास में तेजी लाने, निवेशों में वृद्धि को आसान बनाने, प्रतिस्पर्द्धा की भावना बढ़ाने, निर्धनता का स्तर कम करने, उच्चतर निजी पहलों की अनुमति देने और विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एकीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने, वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार के विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 1992–93 से 2002–03 की अवधि के दौरान, विगत दो दशकों की तुलना में अर्थव्यवस्था के विकास में वार्षिक औसत आधार पर अधिक वृद्धि हुई। इन सुधरों की वजह से मुद्रास्फीति की दर में कमी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के अन्तर्प्रवाह में समग्र वृद्धि, भुगतान–संतुलन की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का उचित मात्रा में संचयन और विदेशी ऋण संकेतकों में समग्र रूप से सुधार भी हुआ।

श्रम कानूनों को, मौजूदा स्थिति और अर्थव्यवस्था की उभरती हुई जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए श्रम कानूनों की समीक्षा करना और आवश्यक श्रम सुधार एक सतत प्रक्रिया है। श्रम कानूनों में सुधार का आशय भारतीय उद्योग को सक्षम, लागत प्रभावी और प्रतिस्पर्द्धी बनाना है। इसलिए, इन सुधारों का मध्यावधि और दीर्घावधि में समग्र आर्थिक विकास और रोजगार पर, कुशलता, उत्पादकता को प्रोत्साहन देने और विकास की पूर्ण संभाव्यता की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के जरिए सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए ऋण की सुविधा

758. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने महिलाओं को ऋण देने हेतु कोई विशेष योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक बैंक ने इन योजनाओं के अंतर्गत कितना ऋण प्रदान किया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि कुछ बैंकों ने महिलाओं को वित्त प्रदान करने के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :

(i) बैंक ऑफ इंडिया (प्रियदर्शनी योजना) : इस योजना के तहत महिलाओं को लघु उद्योग, ग्राम एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है जिसमें मशीनरी, सार्वजनिक परिवहन वाहन आदि की खरीद शामिल है। बैंक महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए से अधिक की सीमाओं के लिए ब्याज दर में 1% रियायत प्रदान कर रहा है।

(ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (विशेष योजना) : इस योजना के अंतर्गत बैंक ग्रामीण महिलाओं को गुजरात में डेरी व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करते हैं। काफी संख्या में महिला हिताधिकारियों ने वित्त प्राप्त किया है।

(iii) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कल्याणी) : बैंक द्वारा यह योजना वर्ष 1995–96 में महिला उद्यमियों की उन्नति तथा विभिन्न गतिविधियों में लगी महिलाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लागू की गई थी।

(iv) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओरियंटल महिला विकास योजना) : यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। जो महिला उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं को रियायती शर्तों पर कवर करती है। इसमें 2 लाख रुपए से अधिक तथा 10 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए ब्याज दर में 2% रियायत तथा 10 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए ब्याज दर में 1% रियायत शामिल है।

(v) भारतीय स्टेट बैंक (श्री शक्ति पैकेज योजना) : इस योजना के अंतर्गत बैंक केवल महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। इसमें प्रवर्तक के मार्जिन एवं ब्याज दर में रियायत दी गई है। योजना का लक्ष्य महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमी कौशल प्रदान करना और रियायती शर्तों पर ऋण पैकेज देना है।

(vi) सिंडिकेट बैंक (पिग्मी जमा योजना) : यह एक दैनिक बचत योजना है जो अधिकांश महिला उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(vii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (विकलांग महिला विकास योजना) : इस योजना में विकलांग महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तपोषित करने की व्यवस्था की गई है। शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं की पहचान की जाती है और इलाके में उचित व्यवसाय शुरू करने के लिए उनकी रुचि का पता लगाया जाता है। कोई उत्पादी व्यवसाय शुरू करने के लिए 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से सूचना प्राप्त नहीं होती।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. के रिक्त पद

759. श्री रामदास आठवले :
श्री थावर चन्द गेहलोत :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है और नई भर्तियां भी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस अवधि और चालू वर्ष में आज की तिथि तक विभिन्न श्रेणियों में की गई नई भर्तियों का वर्ष–वार और श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित व्यक्तियों को भर्ती ओर पदोन्नति में निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (च) भर्ती एवं प्रोन्नति, जहां वर्तमान अनुदेशों के तहत अनुमेय हो, एक अनवरत प्रक्रिया है तथा वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के संबंध में ऐसी भर्ती एवं प्रोन्नति करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण के संबंध में सभी संगत अनुदेशों का निरपवाद रूप से पालन किया जाता है। वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के संपूर्ण देश में बिखरे हुए विभिन्न कार्यालयों की रिक्तियों का ब्यौरा, यदि कोई हो, तथा उनमें की गई भर्ती एवं प्रोन्नति का ब्यौरा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

निवेशक जागरूकता अभियान

760. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 2003 में सेबी का निवेशक जागरूकता अभियान आरंभ किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी कार्य विभाग द्वारा भी इसी प्रकार का अभियान आरंभ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्वस्थ पूंजी बाजार आश्वस्त करने हेतु दोनों ही उक्त संगठनों को समन्वय करने और संयुक्त अभियान हेतु निदेश देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) प्रतिभूति बाजार जागरूकता अभियान सेबी द्वारा 17.1.2003 को आरंभ किया गया था जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निवेशक, मध्यवर्तियों, व्यवसायियों तथा मतनिर्माताओं को शिक्षित करना तथा निवेशकों के लिए भारतीय पूंजी बाजार का संवर्धन करना था।

(ग) और (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने निवेशकों की अदावित जमाराशियों तथा लाभांशों इत्यादि का प्रबंध करने के लिए एक गैर–सरकारी निधि के रूप में 'निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि' नामक एक निधि के गठन को अधिसूचित किया है। निधि के नियम 1 अक्टूबर, 2001 को अधिसूचित किए गए थे।

(ङ) और (च) निधियों में जमा की जाने वाली राशियां ऐसी राशियां हैं जो भुगतान के लिए उनके देय होने की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए अदावित तथा अदत्त रही हैं। 31.10.2002 की स्थिति के अनुसार 82 करोड़ रुपए की राशि इस निधि में जमा की गई है।

निधि को प्रशासित करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है जिसमें निवेशक संरक्षण गतिविधियों संबंधी कार्य कर रहे भा. रि. बैंक, सेबी, कम्पनी कार्य विभाग इत्यादि द्वारा नामित सदस्य तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्र से विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। समिति का अधिदेश इस क्षेत्र से जुड़े कार्यकलापों की अनुशंसा करना है जिनमें अन्य बातों के अलावा, मीडिया के माध्यम से शिक्षा कार्यक्रम, सेमीनार तथा संगोष्ठियों; निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण क्रियाकलापों में रत स्वैच्छिक संघों/संस्थाओं/अन्य संगठनों के पंजीकरण प्रस्ताव; अनुसंधान परियोजनाएं इत्यादि शामिल हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण

761. श्री बसुदेव आचार्य :
प्रो. दुखा भगत :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों से कृषि क्षेत्र को वांछित दर पर ऋण नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को अलग–अलग दिए गए ऋण का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र को 18 प्रतिशत तक ऋण देने के वाणिज्यिक बैंकों को निदेश जारी किए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या इन निदेशों ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब को विश्व बैंक की सहायता

762. श्री भान सिंह भौरा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब सरकार को साक्षरता, आंगनवाड़ियों के कल्याण और विकास संबंधी कार्य हेतु विश्व बैंक से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी;

(ख) यह सहायता किन शर्तों पर दी गई थी;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अभी तक प्राप्त इस सहायता से शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) पंजाब में साक्षरता और बाल एवं महिला कल्याण के क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता–प्राप्त कोई परियोजना नहीं है। तथापि, वर्ष 1999–2000 के दौरान, पंजाब सरकार को समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) प्रशिक्षण कार्यक्रम–परियोजना उदिशा के लिए 60 लाख रु. की राशि मुहैया कराई गई थी।

(ख) परियोजना उदिशा के लिए पंजाब सरकार को निधियां अनुदान के रूप में मुहैया कराई गई थीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्विट्जरलैंड में जमा राशि

763. श्री मान सिंह पटेल :
श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बहुत से भारतीयों ने स्विट्जरलैंड में अपना पैसा जमा कराया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) किसी जांच एजेंसी के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भागों (क) और (ख) के उत्तर ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा विनिमय की दरों में परिवर्तन

764. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कंपनियों को अपनी विदेशी बिक्री बिलों का भुगतान प्राप्त करते समय विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में आए परिवर्तन के कारण हुए कुल नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों की ऐसे नुकसान से संबंधित समस्याओं और उनके हल का विश्लेषण करने हेतु कोई विशेषज्ञ समूह गठित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) ऐसी सूचना सरकार द्वारा एकत्र नहीं की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जापानी विदेश मंत्री का दौरा

765. श्री कैलाश मेघवाल :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जापान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के दौरान हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण के बाद रोक दी गई विदेशी विकास सहायता को पुनः बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां।

जापानी विदेश मंत्री सुश्री योरिको कावागुची ने 7–8

जनवरी, 2003 को भारत का सरकारी दौरा किया और दोनों देशों के पारस्परिक हितों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

जापान सरकार ने मई, 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों को 26 अक्तूबर, 2001 को एक पक्षीय रूप से उठा लिया।

जापान की विदेश मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2002 पैकेज के अंतर्गत जापान सरकार द्वारा सरकारी विकास सहायता ऋण के रूप में 110 बिलियन जापानी येन देने का निर्णय संसूचित किया।

भ्रष्ट न्यायाधीश

766. श्री अधीर चौधरी :
डा. चरण दास महंत :
श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री भास्करराव पाटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महाधिवक्ता ने देश में भ्रष्ट न्यायाधीशों पर रोक लगाने हेतु एक निकाय गठित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में न्यायाधीश जानबूझकर न्याय में वर्षों तक विलंब करते रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा न्यायपालिका को चुस्त-दुरूस्त कर एक निर्धारित समयावधि में मामले निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के महान्यायवादी ने राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 7.3.8 के प्रति निर्देश किया है जो न्यायाधीशों के हटाए जाने और पथभ्रष्ट व्यवहार के लिए उपचार से संबंधित है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। न्यायालयों में मामलों के लंबित रहने को विभिन्न कारणों पर आरोपित किया जा सकता है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, नए विधायन, नए मामलों के संस्थापन में सारभूत वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता, स्थगन प्रदान करना, देश में औद्योगिक विकास, व्यापार और वाणिज्य तथा सामाजिक-आर्थिक विषयों में वृद्धि, नागरिकों के जीवन, अधिवक्ताओं की हड़ताल आदि को छूने वाले विधायी और प्रशासनिक पहलू सम्मिलित हैं।

(ङ) सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें त्वरित निपटान न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन, लोक उपयोगिताओं से संबंधित विवादों के लिए स्थाई अदालतें, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, विधि शिक्षा के मानकों में सुधार, विशेष न्यायिक/मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और विवाद सुलझाने की वैकल्पिक रीतियों जैसे कि माध्यस्थम् और सुलह को अपनाना सम्मिलित हैं। लोक अदालतों को, विवादों को सुलझाने के लिए अनुपूरक मंच के रूप में एक कानूनी आधार दिया गया है।

सरकार समय-समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्यों के मुख्य मंत्रियों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव रखने के लिए स्मरण कराती रही है। अंतिम बार उन्हें 28 अक्तूबर, 2002 को स्मरण कराया गया।

जाली नोट

767. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 500 और 100 रुपए के मूल्यवर्ग के जाली नोटों ने देश में समस्या पैदा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सिक्योरिटी और प्रिंटिंग प्रेसों को यह सुनिश्चित करने हेतु कि आम आदमी, विशेषकर ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग आसानी से असली और नकली नोट में अंतर पहचान सकें, कोई नया तरीका अपनाने की योजना बनाने की सलाह दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जबकि 100/– रुपए और 500/– रुपए के मूल्य के जाली करेंसी नोटों का पता लगाया गया है, जब्त किए गए/प्राप्त किए गए जाली करेंसी नोटों की मात्रा प्रचलित भारतीय बैंक नोटों की मात्रा की तुलना में बेहद कम है।

(ख) और (ग) भारतीय बैंक नोटों में प्रत्यक्ष और गुप्त दोनों ही प्रकार की प्रतिभूति विशेषताएं मौजूद हैं, जिनमें समय–समय पर सुधार भी किए जाते हैं। भारतीय बैंक नोटों में मौजूद प्रतिभूति विशेषताओं से संबंधित सूचना समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं और अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एक फिल्म प्रसारण के जरिए दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा असली नोटों की विशेषताओं का विवरण देने वाली एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट www.rbi.org.in में भी रखा गया है।

अवसंरचना तथा हरित क्षेत्र सेवा पैकेज हेतु वित्तपोषण

768. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकेटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोचैम (ए.एस.एस.ओ.सी.एच.ए.एम.) ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अवसंरचना तथा हरित क्षेत्र और सेवा पैकेज के वित्तपोषण हेतु एकल खिड़की की व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है, जैसा कि 27 जनवरी, 2003 के "द हिन्दू" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या एसोचैम ने इस संबंध में उपाय सुझाए हैं; और

(ग) इस पर सरकार/बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 27.1.2003 के "द हिन्दू" में प्रकाशित समाचार के अनुसार एसोचैम (एएस एसओसीएचएएम) ने अवसंरचना एवं अभिनव परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा एकल खिड़की (केन्द्रीकृत लेनदेन व्यवस्था) संबंधी दृष्टिकोण का सुझाव दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

(i) वित्तीय संस्थाएं/बैंक विद्युत परियोजनाओं के मामले में अपना वित्तपोषण विद्यमान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करेंगे।

(ii) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को अवसंरचना एवं अभिनव तथा सेवा परियोजनाओं से ब्याज दर की आशा नहीं करनी चाहिए।

(iii) भारतीय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों की मूल्यांकन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली की तर्ज पर होनी चाहिए।

(iv) वित्तीय संस्था/बैंकों को दीर्घावधि अवसंरचना परियोजनाएं विशेषतः दूरसंचार परियोजनाओं को प्रचुर मात्रा में वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

(ग) (i) वित्तीय संस्थाएं/बैंक विद्युत परियोजनाओं के मामले में यदि, विस्तृत मूल्यांकन करने पर परियोजना वित्तीय रूप से अर्थक्षम पाई जाती है, तो परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता पहले से ही प्रदान कर रहे हैं।

(ii) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा ब्याज दर किसी विशेष परियोजना के बारे में अपनी निधियों की लागत तथा जोखिम अनुमान के आधार पर प्रभारित की जाती हैं। हाल ही के वर्षों में ब्याज दरें पर्याप्त रूप से सरल की गई हैं और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा बहुत प्रतियोगी दरों पर बैंक योग्य परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जा रहा है। उच्च जोखिम किस्म का होने के कारण अभिनव परियोजनाओं को ऋण अपेक्षाकृत उच्चतर ब्याज दर पर दिया जाता है।

(iii) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों ने गत वर्षों के दौरान एक विस्तृत मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है जो काफी सुदृढ़ है और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई प्रणाली के समरूप है।

(iv) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा किसी विशेष क्षेत्र (यथा दूरसंचार) में परियोजनाओं को सहायता

देने में विचार करते समय वित्तपोषण मानदण्डों के संबंध में लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाता है। वित्तीय संस्थाएं परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि तथा प्रत्याशित राजस्व के सृजन (अर्थात अनुमानित नकदी प्रवाह) के आधार पर चुनौती संबंधी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी तय करती हैं।

(v) वित्तीय संस्थाओं ने वित्तपोषण मानदण्डों यथा ऋण ईक्विटी अनुपात। प्रवर्तकों का अंशदान, प्रतिभूति संरचना आदि के प्रति एकसमान दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। बड़ी परियोजनाओं में जहां एक से अधिक वित्तीय संस्था/बैंक जुड़े हुए हैं, वहां उनमें से एक संस्था अग्रणी होकर विस्तृत मूल्यांकन करती है। अन्य वित्तीय संस्था/बैंक सामान्यतः अग्रणी संस्था द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी सहायता पर विचार करती हैं। सभी सहभागी संस्थाओं द्वारा सामान्यतः एकसमान वित्तपोषण संबंधी मानदण्ड/ नियमन एवं शर्तों का पालन किया जाता

फार्मास्युटिकल्स का पेटेंट

769. श्री सुनील खां : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने फार्मास्युटिकल्स में पेटेंटों के संबंध में भारत के विरुद्ध मामलों में जीत हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका भारतीय फार्मास्युटिकल्स उद्योगों पर अंततः क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) पेटेंटों का क्षेत्राधिकार एक भौगोलिक सीमा तक ही होता है क्योंकि पेटेंट विभिन्न देशों के प्रभुतासंपन्न विशेषाधिकारों के तहत उनके अपने–अपने पेटेंट कानूनों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, पेटेंट मूलतः निजी अधिकार होते हैं, और इसलिए इनका अधिग्रहण और संरक्षण उन्हीं के द्वारा किया जाता है जिनके हित इनमें शामिल होते हैं अथवा प्रभावित होते हैं। अन्य क्षेत्रों की ही भांति, फार्मास्युटिकल क्षेत्र पेटेंट प्रदान करने, पेटेंटों के अतिक्रमण, पेटेंट प्रदान करने के बाद उनका विरोध, आदि से संबंधित मामले संबंधित व्यक्ति विशेष/कंपनियों (अधिकार मांगने वालों/ धारकों) द्वारा दायर किए जाते हैं। विश्वभर में दायर किए जाने वाले ऐसे मामलों पर सामान्यतः अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में विशेष रूप से, इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। चूंकि पेटेंट अधिकारों को प्राप्त करने का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्यिक हितों को बचाना व उन्हें बढ़ावा देना होता है, अतः ऐसे मामलों के नतीजों का असर सामान्यतः इनमें शामिल पार्टियों के कारोबार व मार्केटिंग संबंधी रणनीतियों पर पड़ता है।

सहारिया मूल जनजाति परियोजना

770. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से सहरिया मूल जनजाति हेतु एक समन्वित विकास परियोजना का कोई प्रस्ताव मिला;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक स्वीकृत और कार्यान्वित हो जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान सरकार ने एक आदिम जनजाति सहारिया समुदाय के एकीकृत जनजातीय विकास के लिए 598.29 लाख रुपए के चार प्रस्ताव किए हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए हैं :

(लाख रुपयों में)

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना	57.95
पेयजल परियोजना	396.36
मबादी योजना परियोजना	57.24
एकीकृत/स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान परियोजना	86.74
कुल	598.29

(ग) योजनाओं की प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

रेशम के आयात की नीति

771. श्री पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम के मूल्यों में तीव्र गिरावट को देखते हुए सरकार का विचार रेशम के आयात की नीति में संशोधन करने का है;

(ख) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रस्तावित संशोधन का प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटील (यत्नाल)) : (क) जी, नहीं। कच्चे रेशम का आयात, 01.04.2001 से खुले सामान्य लाइसेंस योजना के अंतर्गत होता है।

(ख) मौजूदा रेशम आयात नीति में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी उद्योग में संकट

772. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री राममोहन गाड्डे :
श्रीमती निवोदिता माने :
श्री जय प्रकाश :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में चीनी उद्योग गहरे संकट में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में वर्तमान संकट को हल करने हेतु चीनी मिलों के प्रतिनिधियों और इससे संबंधित अन्य व्यक्तियों के साथ एक बैठक की थी;

(घ) यदि हां, तो इस चर्चा का क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या चीनी उद्योग का विविधिकरण कर ब्राजील की भांति वहां इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देने का भी एक सुझाव था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (च) चीनी के मूल्यों में सामान्य गिरावट के चलते चीनी के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसे दूर करने के लिए चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श किया गया है। उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए हाल में उठाए गए कदमों में एक वर्ष की अवधि हेतु 20 लाख टन का बफर स्टाक सृजित करना शामिल है। इसमें चीनी विकास निधि से 412 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे; जबकि बफर स्टाक के खाते पर बैंकों द्वारा 374 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस प्रकार किसानों को गन्ना मूल्य बकायों का भुगतान करने के लिए चीनी उद्योग के पास 786 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध हो जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि चीनी की निर्यात खेपों पर 350 रुपए प्रति टन पर समुद्री भाड़ा खर्च के निष्प्रभावीकरण की 14.2.2003 से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में अन्य बातों के साथ–साथ एनहाइड्रस एल्कोहल अथवा एल्कोहल से एथनाल के उत्पादन के लिए किसी चीनी फैक्ट्री या उसकी किसी यूनिट को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए संशोधन किया गया है ताकि संबंधित कारखाने अथवा उसकी यूनिट की व्यवहार्यता में सुधार किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए संगत नियमों को जनवरी, 2003 में अधिसूचित कर दिया गया है।

वरीयता क्षेत्र को ऋण

773. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि को वरीयता क्षेत्र का ऋण देने हेतु मानदण्डों में ढिलाई बरती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसानों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों को ऋण देना कृषि क्षेत्र को सीधे ऋण देने के समान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व

बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वर्ष 2002–2003 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कृषि के लिए ऋण देने के प्रसार क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए गए थे। इनमें कृषि और पशु–चारे, मुर्गी के चारे जैसे संबद्ध कार्यकलापों के लिए निविष्टियों के संवितरणों को वित्तपोषित करने की सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना, फसल विपणन ऋण की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना और वापसी अदायगी संबंधी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को बढ़ाकर बारह महीने करना शामिल है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित ड्रिप सिंचाई/छिड़काव सिंचाई प्रणाली/कृषि मशीनों के व्यापारियों के लिए अग्रिम राशि की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।

(ग) से (ङ) बैंकों द्वारा कृषि–क्लीनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्रों को ऋण दिए जाने को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कृषि के प्रत्यक्ष वित्त के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को प्रौद्योगिकी स्थानांतरण की प्रक्रिया को बढ़ाने हेतु मौजूदा विस्तार नेटवर्क में सहायक होना और निविष्ट आपूर्ति एवं सेवाओं के पूरक स्रोत, जिसके लिए इस समय किसान कुल मिलाकर राज्य एजेंसियों पर निर्भर हैं, प्रदान करना है।

बैंक ऋणों का एकमुश्त निपटारा

774. श्री ए. ब्रह्मनैया :
श्री जे. एस. बराड़ :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने अशोध्य ऋणों हेतु वर्तमान एकमुश्त निपटारा योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अशोध्य ऋणों के लिए योजना के तहत निपटान की जाने वाली राशि को बढ़ाने पर सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नीति में इस परिवर्तन से संबंधित अन्य शर्तें क्या हैं; और

(ङ) बैंकों को ऐसे ऋणों के निपटारे में पूर्ण लचीलापन प्रदान करने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपए तक की अनुपयोज्य आस्तियों के समझौता निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2000 में मार्गनिर्देश जारी किया था। यह योजना 30 जून, 2001 तक परिचालन में थी। सरकार द्वारा हाल ही में एक नया विधान अर्थात वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन, तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में लाया गया था। उक्त अधिनियम के अधिनियमन के साथ ही यह महसूस किया गया था कि उधारकर्ताओं को अपनी बकाया देयराशियों के निपटान के लिए सामने आने का एक मौका और दिया जाए। इसलिए, 10 करोड़ रुपए तक पुरानी अनुपयोज्य आस्तियों के समझौता निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जनवरी, 2003 को नई एकबारगी निपटान योजना जारी की है। ऐसे अनुपयोज्य आस्ति खातों के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च, 2000 है। आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2003 है और ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई 31 अक्तूबर, 2003 तक पूरी की जानी अपेक्षित है। इन मार्गनिर्देशों में जानबूझकर चूक, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार के मामले शामिल नहीं होंगे।

(ङ) एकबारगी निपटान योजना के अतिरिक्त, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से अपनी स्वयं की वसूली नीति तैयार करने की सलाह दी है। बैंकों से निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से और ऋण वसूली अधिकरणों में मामले दायर करके समझौता निपटान करने की भी सलाह दी गई है। बैंकों से समझौता निपटान के लिए लोक अदालत के मंच का उपयोग करने के लिए कहा गया है।

सेबी का सचिवालय लेखापरीक्षण के लिए कंपनियों को निर्देश

775. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों को यह आदेश दिया है कि वे अपनी कंपनियों का दो महीने के अंदर किसी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव से सचिवालय लेखा परीक्षण कराएं; और

(ख) यदि हां, तो इस पहल से प्राप्त होने वाले प्रयोजन और उद्देश्य क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति

एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सूचित किया कि उन्हें निवेशक शिकायत फोरम से शिकायतें मिली हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि अनेक कंपनियों के डीमैट रूप से धारित शेयरों की संख्या उनकी चुकता पूंजी से अधिक है तथा प्रवर्तकों ने आर.ओ.सी. निक्षेपागारों, स्टॉक एक्सचेंजों से सांठ–गांठ कर अतिरिक्त शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में उनके सूचीबद्ध होने से पूर्व ही डीमैट करने का प्रबंध कर लिया है।

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के एक उपाय के रूप में सेबी ने 31 दिसम्बर, 2002 को स्टॉक एक्सचेंजों, पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ताओं (आर.टी.ए.) तथा निक्षेपागारों को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ताओं (आर.टी.ए.) पर यह दायित्व डाला गया है कि निक्षेपागार तथा निर्गमित एवं सूचीबद्ध पूंजी दोनों के साथ कुल स्वीकृत पूंजी के मिलान के प्रयोजनार्थ किसी अर्हताप्राप्त चार्टर्ड लेखाकार अथवा कंपनी सचिव से सचिवालयीय लेखापरीक्षा कराई जाए।

लेखापरीक्षा द्वारा यह प्रमाणित किया जाना भी अपेक्षित है कि :

(i) सदस्य पंजिका अद्यतन की गई;

(ii) डिमैट रूप में परिवर्तित करने के अनुरोध की 21 दिनों के अंदर पुष्टि की गई है तथा अनुरोध की तिथि से 21 दिन से अधिक की अवधि तक पुष्टि के लिए लंबित शेयरों तथा विलम्ब के कारण का विवरण दिया जाए;

(iii) तिमाही के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तनों के ब्यौरे दें तथा सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में प्रमाणित करें कि क्या सभी भावी निर्गमों के संबंध में सभी स्टॉक एक्सचेंजों से सूचीयन हेतु "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों से ऐसी पहली रिपोर्ट 60 दिनों के अन्दर तथा तदनन्तर प्रत्येक कैलण्डर तिमाही में 30 दिनों के अंदर प्राप्त की जानी चाहिए।

वाणिज्यिक बैंकों के मर्चेन्ट बैंकिंग संबंधी कार्यकलाप

776. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के सहयोगी मर्चेन्ट बैंकिंग के लिए एक्सपोर्ट मानदण्डों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) इससे वाणिज्यिक बैंकों को उनके मर्चेन्ट बैंकिंग संबंधी कार्यकलापों को बढ़ाने में किस हद तक मदद मिलेगी;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में अतिरिक्त सुरक्षापायों का भी सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जनवरी, 2003 के अपने परिपत्र द्वारा बैंकों से कहा है कि बैंकों के मर्चेन्ट बैंकिंग क्रियाकलापों के लिए निर्धारित हामीदारी वचनबद्धताएं अब से बैंकों के मर्चेन्ट बैंकिंग अनुषंगियों पर लागू नहीं होंगी। परिणामस्वरूप, बैंकों के मर्चेन्ट बैंकिंग अनुषंगी उनके द्वारा की गई हामीदारी के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सेबी मानदण्डों द्वारा नियंत्रित होंगे। बैंकों की मर्चेन्ट बैंकिंग अनुषंगियों को समान कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए मार्गनिर्देशों में छूट दी गई थी। सेबी मानदण्डों के अनुसार मर्चेन्ट बैंकिंग कंपनियों को अपनी शुद्ध मालियत का 20 गुना तक हामीदारी वचनबद्धताएं करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) इस छूट से बैंकों की मर्चेन्ट बैंकिंग अनुषंगियों को अन्य मर्चेन्ट बैंकिंग कंपनियों के समान कार्यक्षेत्र उपलब्ध होगा।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि मर्चेन्ट बैंकिंग अनुषंगियों के कार्य निष्पादन की आवधिक पुनरीक्षा, पूंजी बाजार निवेश से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड के अनुपालन, आस्ति दायित्व प्रबन्धन एवं जोखिम वाली आस्तियों के लिए अतिरिक्त पूंजी के आवंटन के जरिए अपने मर्चेन्ट बैंकिंग अनुषंगियों की अर्थक्षमता को बनाए रखें।

भारतीय खाद्य निगम का बेस डिपो

777. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं की राज्यवार

संख्या कितनी है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का वितरण करते हैं;

(ख) क्या इनकी राज्यवार संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो राज्यों में वे कौन से जिले हैं जहां ऐसे डिपो नहीं हैं; और

(घ) इन जिलों में डिपुओं को खोलने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) देश में भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं के साथ 464 राजस्व जिले हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का वितरण करते हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) ऐसे राजस्व जिलों के नाम विवरण–II में दिए गए हैं, जहां कोई बेस डिपु नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

राज्य का नाम	भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं वाले राजस्व जिलों की संख्या
1	2
दिल्ली	7
हरियाणा***	18
पंजाब और चंडीगढ़$$	18
जम्मू और कश्मीर	11
उत्तर प्रदेश@	59
उत्तरांचल@#	8
राजस्थान	30
हिमाचल प्रदेश#	11
तमिलनाडु	23
पांडिचेरी	2
आंध्र प्रदेश	23
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
कर्नाटक	21
केरल	13
लक्षद्वीप	लक्षद्वीप प्रशासन को स्टाक कोचीन से सुपुर्द किए जा रहे हैं।
बिहार	26
झारखंड	11
उड़ीसा	25
पश्चिम बंगाल@	20
सिक्किम#	2
असम	22
अरुणाचल प्रदेश#	4
मणिपुर#	2
मेघालय#	5
मिजोरम#	3
नागालैंड#	4
त्रिपुरा#	2
गोवा	1
महाराष्ट्र	25
गुजरात	16
दादरा और नगर हवेली	पहचाने नहीं गए
दमन और दीव	पहचाने नहीं गए
मध्य प्रदेश@	35
छत्तीसगढ़@	16
जोड़	464

टिप्पणी : (#) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बेस डिपुओं के अतिरिक्त प्रधान वितरण केन्द्रों की घोषणा की है, जिसके लिए पहाडी ढुलाई राजसहायता/सड़क ढुलाई अनुबंध की प्रतिपूर्ति की जाती है।

विवरण-II

राज्य का नाम	उन राजस्व जिलों की संख्या, जहां भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपु नहीं हैं
1	2
दिल्ली	2–नई दिल्ली और केन्द्रीय जिला
हरियाणा	1–पंचकूला
जम्मू और कश्मीर	4–उधमपुर, कुपवाड़ा, बड़गाम और फुलवामा
उत्तर प्रदेश	11–कौशम्बी, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, कुशी नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बलराम पुर, बागपत नगर, कन्नौज और भदोही
उत्तरांचल	5–अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी (गढ़वाल), उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग
राजस्थान	2–राजमंड, करौली
हिमाचल प्रदेश	1–लाहौल स्पीति
तमिलनाडु	6–पेराम्बदूर, थिरुवरूर, अरियालूर, नागा–पट्टिनम, पाडू कोट्टाई और शिवगंगा
कर्नाटक	6–चिकमंगलूर, धारवाड़, कोप्पल, चित्रदुर्ग, हवेरी और बागलकोट
केरल	1–पट्टनमथिट्टा
बिहार	9–जहानाबाद, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा, खगड़िया, गोपालगंज, सिवान, शिवहर और भाभूर
झारखंड	5–दुमका, बोकारो, पाकुड़, लोहरदग्गा, और गोड्डा
उड़ीसा	7–कटक़, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रपाड़ा, पुरी, बौध और देवगढ़
पश्चिम बंगाल	2–बिसनपुर और सुबरबन
सिक्किम	2–उत्तरी जिला और पश्चिमी जिला
असम	1–मारीगांव
अरुणाचल प्रदेश	7–त्वांग, पूर्वी कामेंग, लोअर सुबानसिरी, अपर सुबानसिरी, पश्चिमी शियांग, अपर शियांग और दिबांग घाटी
मणिपुर	7–बिसनपुर, चंदेल, च्राचन्दप, सेनापति, इम्फाल पूर्वी, थाऊबाल और तामेलांग
मेघालय	2–पश्चिमी खासी पहाड़ियां और दक्षिणी गारो पहाड़ी
मिजोरम	3–छिमताईपुई, लोनथलाई और चम्फई
नागालैंड	4–कोहिमा, फेक, वोखा और जुन्हेबोटो
त्रिपुरा	2–दक्षिणी त्रिपुरा और ढालाई
गोवा	1–उत्तरी गोवा
गुजरात	9–नारेई, साबरकंठा, पाटन, दाहोद, नर्मदा, सूरत, नवसारी, दांग्स और पोरबंदर
मध्य प्रदेश	4–राजसेन, पन्ना, मंदसौर और शाजापुर

चाय क्षेत्र को ऋण

778. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य दल मधुकर समिति ने विशेषकर चाय क्षेत्र ऋण की सुविधा सुलभ बनाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दल द्वारा की गई उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक कार्यान्वित किया जा चुका है; और

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिनका कार्यान्वयन अभी शेष है और इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चाय उद्योग की समस्याओं का गहन अध्ययन करने के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध

निदेशक श्री मधुकर की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यदल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2002 में एक राहत पैकेज की घोषणा की है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों आदि से चाय क्षेत्र द्वारा प्राप्त बकाया ऋणों की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण की व्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु चाय उपजकर्ताओं और क्रीट पत्ती कारखानों के लिए 5 फरवरी, 2003 को एक अलग राहत पैकेज की घोषणा भी की है और बड़े चाय उपजकर्ताओं तथा विनिर्माताओं के लिए अगस्त, 2002 में पहले घोषित पैकेज में कुछ परिवर्तन भी किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित ऋण राहत पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं :

- चाय ऋण प्राप्ति लेखों के सामयिक घाटे (मानक परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत) को एक आवधिक ऋण में परिवर्तित कर दिया जाए जिसका वापसी भुगतान इस शर्त के अध्यधीन एक ऐसी अवधि के भीतर किया जाए जो 5 वर्ष से अधिक न हो, कि बकाया अधिकतम गिरवी ऋण के कम से कम 60 प्रतिशत का ऋण प्राप्त कर्ता द्वारा वापसी भुगतान कर दिया गया हो।

- बाद में दिनांक 5.2.2003 को भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की है कि उद्योग के सामने आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वापसी भुगतान की अवधि पुनर्संरचना के लिए विचार किए जाने वाले ऋण की राशि और ऋण प्राप्त कर्ता द्वारा अग्रिम रूप से अदा की जाने वाली अपेक्षित राशि का अलग–अलग बैंकों द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाएगा। यह भी बताया गया है कि पुनर्संरचना कार्य चाय ऋण प्राप्तकर्ताओं की नकद ऋण सीमाओं पर भी लागू की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने मधुकर समिति की सिफारिशों के अंतर्गत हाल में पुनर्संरचना किए गए ऋणों के लिए एक बार किए जाने वाले उपाय के रूप में उक्त संशोधनों को भी लागू किया है।

- पिछली फसलों की कार्यशील पूंजी की देयताओं को चुकाने की अवधि को बढ़ाने के लिए उन मामलों में अधिकतम 6 महीने की अनुमति दी जाए जहां समस्त बकाया राशि वर्तमान फसल की कार्यशील पूंजी की सीमा को प्रभावित किए बगैर चाय के भंडार द्वारा अथवा तुरंत भुगतान (प्राप्ति योग्य) द्वारा समर्थित हो बशर्ते समस्त बकाया गिरवी राशि के न्यूनतम 60 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका हो और इस मामले में उपर्युक्त उल्लेख के अनुसार आवधिक ऋण की कार्यशील पूंजी की सीमा को परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

  सुझाए गए आशोधन के संबंध में कि 60 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में छूट देकर 50 प्रतिशत कर दिया जाए, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निर्णय को अब अलग–अलग बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया है।

- उत्पादन ट्रैक रिकार्ड, स्वीकृत कीमत स्तर, बाजार में मांग आदि को ध्यान में रखते हुए वास्तविक अनुमान के आधार पर वर्तमान फसल के लिए आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी वित्त जारी करने की मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत लेखों में अनुमति दी जाए।

- ऋण प्राप्तकर्ता के भावी अनुमान के आधार पर वर्तमान आवधिक ऋण वापसी भुगतान के समय और वापसी भुगतान की सक्षमता के पुनर्निर्धारण की अनुमति दी जाए।

- चाय लेखे में परिवर्तन/पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण के बाद आवधिक ऋण के साथ–साथ कार्यशील पूंजी की सीमा को वर्तमान देयताओं के रूप में समझा जाएगा और इसे एनपीए के रूप वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते सभी बार किए गए परिवर्तन/पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण में लेखे को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मापदंडों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया हो। उसके पश्चात वर्गीकृत परिसम्पत्ति लेखे की पुनर्संरचना के समय निर्धारित की गई संशोधित शर्तों द्वारा विनियमित की जाएंगी।

  मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत लेखों में नए कार्यशील पूंजी आवधिक ऋण की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन दी जाए। यह सुविधा वास्तविक उत्तम ऋण प्राप्तकर्ताओं को प्रदान की जाएगी जिनका न्यूनतम ऋण इक्विटी अनुपात 3 : 1 के साथ संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड हो और जिन्होंने धनराशि को सहायक ग्रुप कंपनियों को धनराशि हस्तांतरित करने वाली अन्य कंपनियों में निवेश न किया हो अथवा उत्पादन प्रयोजन के अलावा कोई परिसम्पत्ति नहीं बनाई हो।

- अलग–अलग बैंकों द्वारा अपनी ऋण दरों के अनुसार ऐसे ऋण प्राप्तकर्ताओं पर लागू दर से दो स्तर बेहतर तक ब्याज की दर की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि इस कमी के पश्चात ब्याज की दर पी एल आर से कम नहीं होनी चाहिए।

लघु चाय उपजकर्ताओं के लिए राहत पैकेज

- 10 हेक्टेयर से अधिक जोत न रखने वाले लघु चाय उपजकर्ताओं को दिए गए मौजूदा आवधिक ऋण दिनांक 30.6.2002 को बकाया थे और मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत हैं "विशेष चाय आवधिक ऋण (एस टी टी एल 2002)" के रूप में एक आवधिक ऋण में समेकित किया जाए। इस आवधिक ऋण की वापसी भुगतान की अवधि का निर्धारण इस शर्त के अध्यधीन कि एक वर्ष की अधिकतम ऋण स्थगन अवधि समग्र वापसी भुगतान की अवधि 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी, उनकी वापसी भुगतान सक्षमताओं के अनुसार अलग–अलग मामले के आधार पर किया जाएगा।

- ब्याज वसूल करने के बारे में इस मुद्दे को उनके वाणिज्यिक निर्णय और इस संबंध में ऋण नीति के आधार पर निर्णय लेने के लिए बैंकों पर छोड़ दिया गया है।

- ऋण स्थगन अवधि के दौरान चाय उपज–कर्ता ऋण के हिस्से का भुगतान करेंगे।

- वर्तमान ऋण लेखे का वह भाग जो प्राथमिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत नहीं आया है, 60 प्रतिशत सीमा से कम नहीं होगा और शामिल न की गई देयताओं के इस हिस्से (सीमा के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं) पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एक आवधिक ऋण में परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा।

- ऐसे शामिल न किए गए हिस्से के 20 प्रतिशत का किसानों द्वारा वापसी भुगतान किया जाएगा।

- शेष 80 प्रतिशत आवधिक ऋण में परिवर्तित किया जाएगा।

- ऋण को एस टी टी एल 2002 में विलयित किया जाएगा।

- वित्त पोषण करने वाले बैंक स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेंगे कि लेखे में शामिल न किया गया हिस्सा कम कीमतें वसूली अथवा उत्पादन में घाटे के कारण ही है और निधियों को किसी और मद में परिवर्तित करने के कारण नहीं है।

- नए फसली ऋण को स्वीकृत करने के लिए टी बोर्ड द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार वार्षिक आधार पर विचार किया जा सकता है।

- लघु उपजकर्ता जो काट–छांट कराना चाहते हैं को प्रति एकड़ 7000 रु. (औसत कांट–छांट लागत जमा कांट–छांट के कारण आय में हुए घाटे) का आवधिक ऋण दिया जा सकता है जो लागू ब्याज दर के साथ 3–4 वर्ष में वापस दिया जाएगा बशर्ते कटाई–छंटाई के इस खर्च को नकद बजट में शामिल न किया गया हो और अलग–अलग बैंकों की कर्ज देने की नीति के अनुसार ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा परिकलित किए जा रहे मार्जिन में भी शामिल न हो।

क्रीत पत्ती कारखानों के लिए राहत पैकेज

- कार्यशील पूंजी सीमा में वर्तमान बकाया देयता का वह हिस्सा जो प्राथमिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत नहीं आता है जिसके कारण सुविधा की अनुमति दी गई थी, कुल कार्यशील पूंजी सीमा के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ तदर्थ सीमा में कोई बकाया देयता/अस्थाई ओवरड्राफ्ट लेखों में अधिक निकासी को भी कार्यशील पूंजी सीमा में बकाया देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। शामिल न किए गए इस हिस्से पर (कार्यशील पूंजी सीमा के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एक आवधिक ऋण में परिवर्तित करने के लिए विचार किया जा सकता है :

- शामिल न किए गए हिस्से के 20 प्रतिशत का ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा वापसी भुगतान किया जाना चाहिए और शेष 80 प्रतिशत (सीमा के 60 से अधिक नहीं) को ऋण में परिवर्तित किया जाएगा ताकि सीमा को शामिल न किया गया हिस्सा निधियों के रूपांतरण के कारण नहीं होना चाहिए।

- परिवर्तित आवधिक ऋण के वापसी भुगतान की अवधि

का निर्धारण अलग–अलग प्रत्येक मामले की वापसी भुगतान सक्षमता के आधार पर किया जाएगा परन्तु यह अधिकतम 5 वर्ष होगी जिसमें ऋण–स्थगन की अवधि अधिकतम एक वर्ष होगी।

- ऋण स्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- वर्तमान आवधिक ऋणों को पुनः चरणबद्ध करने पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।
- नई कार्यशील पूंजी सीमा की स्वीकृति उन क्रीत पत्ती कारखानों को दी जा सकती है जिनके लेखे मानक परिसंपत्तियां हैं और वर्तमान आवश्यकताओं पर आधारित हैं तथा नाबार्ड/संबंधित एस एल बी सी द्वारा निर्णय किए जाने वाले मानकों के अनुसार हैं।
- ऐसी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की सुविधाओं की स्वीकृति के लिए ऐसे मामलों में नई अतिरिक्त अलग प्रतिभूतियों के लिए आग्रह किए जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जहां मौजूदा प्रासंगिक प्रतिभूतियों का मूल्य मांगी गई अतिरिक्त सीमा और विद्यमान सीमा के लिए पर्याप्त हो। मार्जिन की आवश्यकता अलग–अलग बैंकों के मापदण्डों के अनुसार होंगी। यूनिटों की वित्तीय कार्यक्षमता का निर्धारण करते समय दलालों की देयताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- बड़े चाय उपजकर्ताओं के संबंध में घोषित ब्याज दर में रियायत की अनुमति क्रीत पत्ती कारखानों को भी दी जाए।

उन अधिकांश बैंकों ने संबंधित ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन्हें किए गए आवेदन के जरिए आवश्यक अनुरोधों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित राहत पैकेजों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है जिनका चाय क्षेत्र के साथ अधिक कारोबार है।

एफ.आई.पी.बी. द्वारा मंजूरी प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव

779. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एफ.आई.पी.बी. ने गत छः महीनों के दौरान जनवरी, 2003 तक क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) इसमें कितनी धनराशि संलिप्त है;

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रस्ताव मंजूरी हेतु एफ.आई.पी.बी. के पास लंबित हैं;

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार मुख्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने पर सहमत हो गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जुलाई, 2002 से दिसम्बर, 2002 की अवधि के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा कुल 429 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था जिसमें 2475.58 करोड़ रुपये के एफ.डी.आई. वाले विभिन्न क्षेत्रक शामिल थे।

(ग) और (घ) एफ.डी.आई. प्रस्तावों के लंबित रहने की स्थिति दैनिक आधार पर अलग–अलग होती है क्योंकि एफ. आई.पी.बी. के आवेदनों की प्राप्ति एवं उनका निपटान एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों वाले प्रस्तावों पर कार्रवाई के लिए सरकार ने एक पारदर्शी एवं समयबद्ध अनुमोदन प्रणाली स्थापित की है। इस प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन के सभी स्तरों पर सूचना उपलब्ध रहती है।

(ङ) और (च) सरकार ने एक उदार एफ.डी.आई. नीति तैयार की है और एक छोटी नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रकों को स्वतः मार्ग के अधीन रखा गया है। अन्यों के साथ–साथ अधिकांशतः विनिर्माण एवं खनन क्षेत्रक, कुछ अपवादों को छोड़कर, 100 प्रतिशत स्वतः मार्ग के अधीन हैं। राजमार्ग एवं सड़कें, पत्तन, अन्तर्देशी जलमार्ग एवं परिवहन, शहरी आधार संरचना भी 100 प्रतिशत स्वतः मार्ग के अधीन हैं। कुछ इक्विटी सीमाओं के अन्तर्गत दूरसंचार, विमानपत्तनों, नागरिक विमानन और तेल तथा गैस पाइपलाइनों में भी एफ.डी.आई. की अनुमति दी गई है।

भारत-जापान आर्थिक सहयोग

780. श्री के. पी. सिंह देव : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत–जापान आर्थिक सहयोग का बिस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) जी, हां। अक्तूबर, 2001 में जापान द्वारा भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लेने के परिणामस्वरूप, मार्च, 2002 में आर्थिक सहयोग के संबंध में नीति वार्ता की गई। यह वार्ता भारत–जापान आर्थिक सहयोग को पुनः आरम्भ करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण थी। जापान सरकार और भारत सरकार ने परस्पर विचार–विमर्श के जरिए संभावित सहायता के क्षेत्रों के रूप में आर्थिक बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और सफाई जैसी आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पहचान की है।

जापान सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2002 में सात परियोजनाओं के लिए 110 बिलियन जापनी येन के सरकारी विकास सहायता ऋण की वचनबद्धता की है, गंगा नदी के लिए जल गुणवत्ता प्रबंधन योजना संबंधी एक विकासात्मक अध्ययन के बारे में भी सहमति हुई है।

स्रोत पर कर कटौती

781. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ संगठन व्यक्तियों की आय से स्रोत पर की गई कर कटौती की धनराशि जमा न कराके कदाचार में संलिप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण गत वर्ष राजकोष को कुल कितना घाटा हुआ; और

(ग) इस व्यवहार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। कुछेक मामलों में स्रोत पर कर की कटौती की धनराशि जमा न कराने की बात सरकार के ध्यान में आई है।

(ख) चूंकि स्रोत पर काटे गए कर को जमा न कराने के संबंध में चूक के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्रवाई की जाती है, अतः इस तरह के ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि देश में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना को एकत्र करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हो सकता।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 में ही निवारक उपाय निर्धारित किए जाते हैं और इसमें जमा न किए गए कर की धनराशि की वसूली, ब्याज और अर्थदण्ड लगाना तथा अभियोजन संबंधी कार्रवाईयां शुरू करना शामिल हैं।

दवाओं के आयात पर प्रतिबंध

782. श्री अम्बरीश :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कुछ दवाओं के आयात पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) देश में विनिर्मित उन दवाओं का ब्यौरा क्या है जिनको कुछ यूरोपीय देशों और अपने देश में भी नकारात्मक सूची में रखा गया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(घ) भेषज कम्पनियों को राहत प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) एक्जिम नीति के अनुसार, कुछ दवाओं अर्थात पेनिसिलीन, 6–एपीए और उनके गौण उत्पादों, रेफेमपिसीन तथा उसके मध्यवर्तियों का आयात प्रतिबंधित है। इसके अलावा औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली के उपबंधों के तहत सभी आयातित दवाओं की पंजीकरण की जरूरत को दिनांक 24.8.2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (604) द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार समस्त पूर्व डिब्बा बंद वस्तुओं के आयात के मार एवं माप (डिब्बा बंद वस्तु) मानक नियमावली 1977 के उपबंधों के अधीन रखा गया है जो घरेलू विनिर्माताओं पर भी लागू होते हैं। दवाओं के निर्यात

सहित भारत से हुए निर्यातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई है। इस प्रकार के मामलों का बचाव सामान्यतः संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों के समन्वय और उनकी सहायता से संबंधित निर्यातकों द्वारा किया जाता है।

उपभोक्ता शिक्षा

783. श्री वाई. वी. राव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपभोक्ता शिक्षा के हित में स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.आई.सी.ई.) द्वारा कराए गए अध्ययन की जानकारी है जिसके अनुसार लोकप्रिय ब्रांड के नाम पर घटिया साबुन बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) जी, हां। उपभोक्ता शिक्षा के हित में स्वैच्छिक संगठन (वायस) द्वारा कराए गए अध्ययन में अन्य बातों के साथ–साथ नहाने के साबुन के 12 ब्रांडों पर उनके द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उत्पन्न किए जाने वाले झाग के संबंध में टिप्पणी की गई है ताकि उपभोक्ताओं को प्रबुद्ध बनाया जा सके।

(ग) साबुन, भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। अतः साबुन के विनिर्माताओं द्वारा साबुन के निर्माण हेतु भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिह्न प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है जिससे संगत भारतीय मानकों में विहित गुणवत्ता विशिष्टियों के साथ उनकी अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता शिक्षा के हित में स्वैच्छिक संगठन द्वारा जिन ब्रांडों की जांच की गई उनमें से कोई भी ब्रांड आई.एस.आई. चिह्नांकित नहीं है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

784. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में कमी होने का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन क्षेत्रों में गिरावट आने की संभावना है; और

(घ) इस गिरावट के क्षेत्रवार मुख्य कारण क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2003 को जारी राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष में वास्तविक स.घ.उ. में वृद्धि वर्ष 2001–2002 में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 4.4 प्रतिशत अनुमानित है।

वर्ष 2002–2003 के लिए अग्रिम कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि में वर्ष 2001–2002 में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 3.1 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हैं। व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्रकों में वृद्धि वर्ष 2001–2002 में 8.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2002–03 में 7.8 प्रतिशत की निम्नतम दर पर अनुमानित है। पिछली प्रवृत्तियों के आधार पर खनन, विनिर्माण और विद्युत से वर्ष 2002–03 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 4.8 प्रतिशत 6.1 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत पर वृद्धि होना अनुमानित है जो वर्ष 2001–02 में दर्शाई गई दरों की तुलना में काफी अधिक हैं। निर्माण क्षेत्र में वर्ष 2002–03 के दौरान 7.1 प्रतिशत की वृद्धि होना अनुमानित है जो पुनः 2001–02 की दरों से अधिक है। वित्त पोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यापार सेवा क्षेत्र में वर्ष 2001–02 में 4.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2002–03 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होना अनुमानित है।

(घ) चालू वर्ष में वास्तविक स.घ.उ. की वृद्धि में अनुमानित गिरावट मुख्यतः देश के कई भागों में सूखे के कारण कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 3.1 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के कारण हैं।

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ द्वारा प्रशुल्क में रियायत

785. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :
श्री जे. एस. बराड़ :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान सहित कुछ देशों को नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु अपनी अधिमान योजना की सामान्यीकृत प्रणाली के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतें प्रदान की है;

(ख) क्या भारत ने विश्व व्यापार संगठन से इस संबंध में यूरोपीय संघ के विरुद्ध कोई शिकायत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व व्यापार संगठन ने यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों स्वीकृत प्रशुल्क रियायत की जांच करने हेतु एक पैनल स्थापित करने के लिए भारत के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) दिनांक 1 जनवरी, 2002 से 31 दिसम्बर, 2004 तक की अवधि के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) की सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (जीएसपी) संबंधी योजना में अन्य बातों के साथ–साथ नशीले पदार्थों के उत्पादन और उनकी तस्करी को रोकने के लिए ई यू द्वारा ऐसे सभी उत्पादों पर सीमा शुल्क को स्थगित करने का प्रावधान है जिनका अंशांकन विशेष टैरिफ व्यवस्था के तहत नहीं किया गया है। पाकिस्तान इस विशेष व्यवस्था के तहत लाभानुभोगी देशों में से एक देश है। चूंकि इससे ई यू को होने वाले भारत के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इसलिए भारत ने फरवरी, 2002 तथा जुलाई, 2002 में की गई द्विपक्षीय विचार–विमर्शों तथा जुलाई, 2002 में की गई द्विपक्षीय विचार–विमर्शों तथा 25 मार्च, 2002 को विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के तहत विचार–विमर्शों के जरिए यह मुद्दा ई यू के साथ उठाया था। इन विचार–विमर्शों के दौरान रेखांकित किया गया था कि पाकिस्तान को शुल्क में दी गई रियायतों के कारण भारत व्यापार की दृष्टि से अत्याधिक घाटे में आ जाएगा। ऐसी रियायतों के कारण व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के बारे में ई.यू. से अनुरोध किया गया था। चूंकि ई.यू. ने इस संबंध में हमारी चिंताओं का निवारण नहीं किया इसलिए विवाद निपटान निकाय से इस विवाद में एक पैनल गठित करने का अनुरोध किया गया है। 27 जनवरी, 2003 को हुई अपनी बैठक के दौरान विवाद निपटान निकाय ने इस विवाद में भारत के दावों की जांच करने के लिए एक पैनल का गठन किया है।

चीनी का बफर स्टॉक

786. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चीनी के लिए बफर स्टॉक बनाने हेतु कोई मानदंड निधारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी चीनी मिलों ने केन्द्र सरकार के इस कदम का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो निजी चीनी मिलों ने इस संबंध में क्या कारण बताए हैं;

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) केन्द्र सरकार ने चीनी मिल मालिकों को बफर स्टाक रखने में मदद करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बफर स्टॉक को 25 प्रतिशत को उत्पादन के आधार पर और शेष 75 प्रतिशत को 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध स्टॉक के आधार पर संविभाजित किया जाएगा। निर्यात के लिए भेजी गई/उठान की गई मात्रा को रखा हुआ स्टाक माना जाएगा। इन मानदंडों के संबंध में किसी चीनी मिल अथवा चीनी मिलों के संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन के बफर स्टॉक को सृजित करने में चीनी विकास निधि से 412 करोड़ रुपए की राशि का व्यय होगा; 374 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा बफर स्टॉक के प्रति रिलीज किए जाएंगे। इस प्रकार, किसानों को गन्ना मूल्य के बकायों का भुगतान करने के लिए चीनी उद्योग के पास 786 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होगी।

[हिन्दी]

वस्त्र परियोजनाओं का कार्यान्वयन

787. श्री राजो सिंह : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य में कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं, आवंटित धनराशि और अब तक प्राप्त उपलब्धियों सहित इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) स्वीकृति हेतु लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) बिहार से विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की स्थिति निम्नानुसार है :

हस्तशिल्प : विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय को बाबा साहेब अम्बेडकर योजना के तहत दस परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से केवल छह अनुमोदन के भिन्न-भिन्न स्थितियों में हैं और संस्वीकृत की जाने की कुल राशि 3.95 लाख रुपए है। अन्या परियोजना प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए थे, क्योंकि वे इन योजनाओं के दिशानिर्देश के मूल मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।

हथकरघा : विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय को हथकरघा निर्यात योजना के तहत दस परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से केवल एक को अनुमोदित किया गया और उसके लिए 6.50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। एक परियोजना की जांच चल रही है तथा तीसरी को प्रस्ताव में कमियों के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। एक राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी तथा चार जिला स्तरीय गतिविधियों के लिए बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए गए थे, क्योंकि पिछले अनुदान से संबंधित 'उपयोगिता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

रेशम उत्पादन : केंद्रीय रेशम बोर्ड ने बिहार सरकार से रेशम उत्पादन योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित किसी प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

निर्यात : बिहार सरकार से भागलपुर तथा बांका में अपैरल पार्क स्थापित करने से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर विचार नहीं किए गए थे, क्योंकि वे 'निर्यात अपैरल पार्क योजना' नामक योजना के दिशानिर्देशों के मूल मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।

चीनी उत्पादन

788. श्री रतन लाल कटारिया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कितना चीनी उत्पादन दर्ज किया गया;

(ख) हरियाणा में निजी और सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या हरियाणा में चीनी मिलों की संख्या राज्य के कुल चीनी उत्पादन के अनुपात में है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्रस्ताव राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) पिछले चीनी मौसम 2001-2002 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान देश में दर्ज किया गया चीनी के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) हरियाणा राज्य में निजी क्षेत्र में तीन चीनी मिलें हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में कोई चीनी मिल नहीं है। निजी क्षेत्र से संबंधित चीनी मिलों के स्थान निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	चीनी मिल का स्थान
1.	यमुनानगर, जिला अम्बाला
2.	नारायणगढ़, जिला अम्बाला
3.	इन्द्री, जिला करनाल

(ग) हरियाणा राज्य में चीनी का कुल उत्पादन राज्य में चीनी मिलों की संख्या के अनुपात में है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

चीनी मौसम 2001-2002 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	चीनी मौसम 2001-2002 (अ)
1	2
पंजाब	5.93

1	2
हरियाणा	6.23
राजस्थान	0.05
उत्तरांचल	4.45
उत्तर प्रदेश	52.53
मध्य प्रदेश	0.73
गुजरात	10.56
महाराष्ट्र	55.84
बिहार	3.52
असम	0.00
उड़ीसा	0.25
पश्चिम बंगाल	0.03
नागालैंड	0.00
आंध्र प्रदेश	10.49
कर्नाटक	15.77
तमिलनाडु	18.36
पांडिचेरी	0.39
केरल	0.04
गोवा	0.08
अखिल भारत	185.25

अ–अनन्तिम

[अनुवाद]

उड़ीसा को विश्व बैंक की सहायता

789. श्री अनन्त नायक : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में महाचक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों के लिए विश्व बैंक से और वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। उड़ीसा की राज्य सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है।

(ख) और (ग) वर्ष 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात के बाद लगभग 250 करोड़ रु. की लागत वाली पुनर्निर्माण और पुनर्वास गतिविधियों की एक अल्पकालिक परियोजना पर कार्य चल रहा था। चल रही परियोजना के कार्यान्वयन में होने वाले विलंब और परियोजना को अंतिम रूप देने में होने वाले विलम्ब के कारण अप्रैल, 2002 में इस परियोजना पर और आगे का कार्य बन्द कर दिया गया।

चूककर्ताओं की परिसम्पत्तियों की जब्ती

790. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अब ऋणदाता बैंक ऋण चूककर्ताओं की परिसंपत्तियों को जब्त कर सकते हैं परन्तु उन्हें बेच नहीं सकते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह निर्णय बैंकों के अंतरिम मोल–तोल के अधिकार को कम करता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का कौन–से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (अब अधिनियम द्वारा निरसित) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए मैसर्स एमुलेट इंटरनेशनल प्रा. लि. द्वारा दायर एक रिट याचिका के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है कि यह कथित अध्यादेश के खण्ड 13 के उपखण्ड (2) एवं (4) के तहत उधारकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रतिभूत ऋणदाताओं के लिए खुला रहेगा। तथापि, वे पट्टे समनुदेशन अथवा बिक्री के माध्यम से उधारकर्ता की परिसंपत्तियों को कब्जे

से अलग नहीं करेंगे। तथापि, इसके बाद भी प्रतिभूत ऋणदाताओं के पास अध्यादेश के अन्य उपबंधों के तहत अपने अधिकारों के प्रयोग करने के लिए विकल्प हैं।

(घ) मामला न्याय निर्णयाधीन है। आवश्यक कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पद

791. श्री रामदास आठवले : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय के अधीन इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है और क्या गत तीन वर्षों के दौरान नई भर्तियां भी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई नई भर्तियों का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा राजनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राज्य सरकार के गारंटी बाण्ड पर चूक

792. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त बाण्डों पर चूकों में बढ़ोतरी हो रही है जैसा कि 1 जनवरी, 2003 के इंडियन एक्सप्रेस में "डिफाल्ट्स माउन्ट्स ऑन स्टेट बैक्ड बांड्स" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकिंग उद्योग के आकलनों के अनुसार सितम्बर, 2002 तक चूक का यह आंकड़ा 2500 करोड़ रुपए को पार कर गया है;

(ग) क्या बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस संबंध में जांच करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा समर्थित बांड्स पर चूक को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) राज्य सरकार के गारंटीशुद्धा बांडों को एस एल आर बांड और गैर–एस एल आर बांडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने बताया है कि 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों ने एस एल आर बांडों के संबंध में 817.07 करोड़ रु. तक की चूक की थी। दिसम्बर, 2002 के अंत की स्थिति के अनुसार, गैर–एस एल आर बांडों के संबंध में चूक 3122.45 करोड़ रु. की थी।

(ग) और (घ) बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अपनी गारंटियों को सकारने हेतु जागरूक बनाने के लिए इस मामले को उनके साथ उठाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1999 में राज्य सरकार गारंटियों के संबंध में एक तकनीकी समिति गठित की थी और बाद में राज्य सरकार की गारंटियों के राजकोषीय जोखिम का मूल्यांकन और राज्य सरकार की बढ़ती हुई गारंटियों के मुद्दे को निपटाने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए एक समूह गठित किया था। राज्य सरकारों को गारंटी मोचन निधि बनाने और ऐसी गारंटियों के संबंध में उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण

793. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई विकास बैंक से प्राप्त

धनराशि को ग्रामीण दूरसंचार और ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दस रुपए के सिक्के जारी करना

794. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दस रुपए का सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कागजी नोट का परिचालन किस हद तक कम होगा;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनता कम मूल्य वर्ग के कागजी नोटों को पसंद करती है;

(घ) यदि हां, तो कम मूल्य वर्ग के कागजी नोटों विशेषकर पांच रुपए के कागजी नोट का पर्याप्त परिचालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) सिक्कों की एक नई शृंखला पर विचार किया जा रहा है जिसमें 10 रुपए मूल्यवर्ग का सिक्का भी शामिल होगा और इससे किस हद तक कागजी मुद्रा का परिचालन कम होगा इसका पता तो जारी किए जाने वाले सिक्कों की मात्रा के संबंध में निर्णय लिए जाने के बाद ही चल सकेगा।

(ग) हालांकि लोग 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के अल्प मूल्यवर्ग के नोटों को अधिमानता देते हैं फिर भी इन मूल्यवर्गों में जारी किए गए सिक्कों को भी लोगों ने स्वीकार किया है।

(घ) सिक्कों की आपूर्ति में कमी को पूरा करने की दृष्टि से 5 रुपए मूल्यवर्ग के नोट अगस्त, 2001 में पुनः शुरू किए गए।

(ङ) किसी करेंसी नोट का सिक्काकरण करने के संबंध में नीतिगत निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि उस विशेष मूल्यवर्ग का कुल परिचालित करेंसी नोटों में मात्रावार और मूल्यवार, दोनों का कितना प्रतिशत हिस्सा है। 10 रुपए मूल्यवर्ग की मात्रा परिचालित नोटों की कुल मात्रा का लगभग 27 प्रतिशत है जबकि इन नोटों का मूल्य परिचालित नोटों के कुल मूल्य का मात्र 4 प्रतिशत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन नोटों की मुद्रण और संसाधन लागत ज्यादा है और इनकी जीवन अवधि अपेक्षाकृत कम है, 10 रुपए के नोटों की कुल आवश्यकता के एक भाग का सिक्काकरण करने का प्रस्ताव किया गया है।

यू.टी.आई. ढांचा

795. श्री अधीर चौधरी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 फरवरी, 2003 से यू.टी.आई. का नया ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई प्रबंधन कंपनी यूनिट ट्रस्ट से अलग सफलतापूर्वक सभी नई योजनाओं को चला पाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट को दिनांक 1 फरवरी, 2003 से (क) उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–I में उल्लिखित स्कीमों को समाविष्ट करते हुए व सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रबंधित, "विनिर्दिष्ट उपक्रम" अर्थात यू.टी.आई–I और (ख) उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–II में उल्लिखित नैव आधारित स्कीमों को समाविष्ट करते हुए "विनिर्दिष्ट कंपनी" अर्थात यूटीआई–II में द्विविभाजित किया गया

है। सरकार ने यूटीआई की यूएस–64 व आश्वासित प्रतिलाभ योजनाओं के संबंध में सरकार का देयताओं से बचाव के लिए; और यूटीआई के म्यूचुअल फंड क्रियाकलापों, जो सेबी द्वारा विनियमित किए जाते हैं, से स्वयं को दूर रखने के लिए यूटीआई को द्विविभाजित करने का निर्णय लिया।

(ग) और (घ) यूटीआई–II का गठन सेबी विनियमों के अनुसार किया गया है और यह तदनुसार कार्य करेगा।

निर्धनों के लिए भोजन

796. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 2003 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार "डैस्पीरेट विलेजर्स रैडी टू फाईट टू स्टेव ऑफ हंगर" की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों के आंकड़े एकत्र कर लिए हैं जो उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन सहित 300 कैलोरी वाला तैयार भोजन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय आदेशों का सभी राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) 14 जनवरी, 2003 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" के नई दिल्ली प्रकाशन में कोई ऐसा समाचार नहीं देखा गया है।

(ग) ग्यारह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, चण्डीगढ़ और आंध्र प्रदेश में पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 89 जनजातीय ब्लाकों कालाहांडी, बोलनगिर और कोरापुट (के.बी.के.) जिलों के सभी ब्लाकों और उड़ीसा के के. बी.के. इतर जिलों के 74 समन्वित जनजातीय विकास प्राधिकरण ब्लाकों, कर्नाटक के 7 जिलों और पश्चिम बंगाल के 1250 विद्यालयों में पका हुआ भोजन दिया जाता है। उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पात्र विद्यालयों के छात्रों को केवल खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है।

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह मुद्दा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया था।

जूट के बोरे

797. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इरादा, भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य संगठनों द्वारा 40 से 50 प्रतिशत खाद्यान्न तथा चीनी का भंडारण जूट के बोरों में करना अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में, जूट सेवा केन्द्र तथा जूट कच्चा माल बैंकों के विस्तार पटलों को स्थापित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) पटसन पैकेजिंग सामग्री में अनिवार्य रूप से पैक किए जाने वाले खाद्यान्न और चीनी की प्रतिशतता दर्शाते हुए अनिवार्य पैकेजिंग आदेशों को सरकार द्वारा समय–समय पर पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जारी किया जा रहा है। जारी किए गए मौजूदा अनिवार्य पैकेजिंग आदेश 12.07.2002 से लागू है। इस आदेश में नीचे दी गई सीमा तक पटसन सामग्री में खाद्यान्न और चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग का प्रावधान है :

अवधि	खाद्यान्न	चीनी
12.07.2002 से 30.06.2003	80 प्रतिशत	75 प्रतिशत
01.07.2003 से 30.6.2004	60 प्रतिशत	50 प्रतिशत

यह आदेश वर्तमान में कोलकाता उच्च न्यायालय में भारतीय पटसन मिल्स परिसंघ (आईजेएमए) द्वारा दायर अपील याचिका में विचाराधीन है।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र

(एनसीजेडी) जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय है, ने देश में 14 पटसन सेवा केन्द्र (जेएससी), 2 पटसन सेवा विस्तार केन्द्र (जेएसईसी) और 29 पटसन कच्चा माल बैंक (जेआरएमबी) खोले हैं। एक पटसन सेवा केन्द्र (जेएससी) हाल ही में बैंगलोर (कर्नाटक) में भी खोला गया है। कच्चा माल बैंक स्थापित करने के लिए, एक सर्वेक्षण बीजापुर और कर्नाटक जिलों के आस–पास करने के आदेश किए गए हैं।

(घ) मौजूदा पटसन सेवा केन्द्रों, पटसन विस्तार केन्द्र और कच्चा माल बैंक की राज्य–वार सूची विवरण के रूप संलग्न है।

विवरण

पटसन सेवा केन्द्र (जेएससी) की सूची

क्र.सं.	पटसन सेवा केन्द्र का नाम	राज्य
1	2	3
1.	स्टेलर इंडिया, दिल्ली	दिल्ली
2.	पश्चिम बंगाल कंसलटैंसी आर्गेनाइजेशन लि., बर्द्धमान	पश्चिम बंगाल
3.	पश्चिम बंगाल कंसलटैंसी आर्गेनाइजेशन लि., सिलीगुडी	पश्चिम बंगाल
4.	मैनकाइंड मेनॉक्वर्स, चैन्ने	तमिलनाडु
5.	पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नॉलोजी, कोयम्बटूर	तमिलनाडु
6.	सिद्ध प्रोडक्ट्स प्रा.लि., गुवाहाटी	असम
7.	ए.टी.आर. इंटरप्राइजेज, कानपुर	उत्तर पद्रेश
8.	उड़ीसा कृषि संवर्धन और निवेश निगम लि., भुवनेश्वर	उड़ीसा
9.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश
10.	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि., भोपाल	मध्य प्रदेश
11.	पूर्वोत्तर औद्योगिक कंसलटैंट्स लि., सिल्चर	असम
12.	पूर्वोत्तर औद्योगिक कंसलटैंट्स लि., अगरतला	त्रिपुरा
13.	कर्नाटक राज्य खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), बैंगलोर	कर्नाटक
14.	वारंगल दरी व वस्त्र विनिर्माता कल्याण परिसंघ, वारंगल	आंध्र प्रदेश

पटसन सेवा विस्तार केन्द्र (जेएसईसी) की सूची

क्र.सं.	पटसन सेवा विस्तार केन्द्र का नाम	राज्य
1.	स्टेलर इंडिया, जयपुर	राजस्थान
2.	पश्चिम बंगाल कंसलटैंसी आर्गेनाइजेशन लि., गैंगटोक	सिक्किम

लोक सभा में दिनांक 21.2.2003 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 797 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित कच्चा माल बैंकों की राज्य–वार सूची

कच्चा माल बैंकों की सूची

उत्तर प्रदेश

1. दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी
ज्ञान मंडल प्लाजा, दुकान सं. 11, 12, 16
के 61/123–127 कबीर रोड, मैदागिन
वाराणसी–211001 (उ.प्र)

2. ग्रामीण हस्तकला विकास समिति
एफ–111, पहली मंजिल, आनंद वृंदावन
शहीद स्मारक के पास, संजय पैलेस,
आगरा–283125

3. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि.
110 इंडस्ट्रीयल इस्टेट, फजलगंज,
कानपुर–208012

पंजाब

4. हरजीत सिंह एंड संस
मल्लाहं सिंह चौक, मजिठ मंडी,
अमृतसर–143006

नई दिल्ली

5. वेस्ट रेंज एजेंसीज प्रा.लि.
   1/जी, पहली मंजिल, भारत नगर,
   न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी,
   नई दिल्ली–110065

आंध्र प्रदेश

6. ओरूगल्लू दरी मैन्यूफैक्चरर्स.
   हा. नं.1–12–1177, कोठावाला,
   वारंगल–506012

7. साई किरण हैंडलूम्स
   हा. नं. 11–25–589, कोठावाला,
   वारंगल–506012 (आंध्र प्रदेश)

8. पटसन कच्चा माल बैंक
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
   डीआरडीए काम्पलैक्स, समाहरणालय के पास,
   श्रीकाकुलम–532001

9. मंजिरा हैंडलूम्स
   प्लॉट सं.ए.–45, हुडा कॉलोनी, सरूर नगर,
   हैदराबाद–500035

10. परियोजना निदेशक
    डीआरडीए, विशाखापत्तनम–530017
    टी एंड टीडीसी में जेआरएमबी, पेनडुथी,
    जिला विशाखापत्तनम (आं.प्र.)

11. महिला सनतकार परस्पर सहयोग सहकारी समिति लि.
    20–4–10, बस स्टैंड के पास, चारमीनार
    हैदराबाद–500002

पश्चिम बंगाल

12. मार्केटिंग एंड रिसर्च सेंटर
    86, बी.आर.बी. बोस रोड (दूसरी मंजिल),
    कोलकाता–700001

13. शारदा टेक्सटाइल्स
    25, जी.टी. रोड, बैधयावती

14. मंगलम, बी/37, ब्लॉक–2,
    एच.आर.बी.सी. कॉम्पलैक्स,
    दुमुरजाला, हावड़ा–711101

15. द चंपदनी इंडस्ट्रीज लि.
    25, प्रिंसेप स्ट्रीट, कोलकाता–700072

16. दीनहडा सं.1 व 2 ब्लॉक तंतवे समावे समिति लि.
    बाबुपाड़ा, दीनहटा, कूचबिहार

17. श्री श्री मां पद्मा तंतुजीवी समावे समिति लि.
    ग्राम–कृष्णापुर चाक, डाकघर–कलिनारायणपुर,
    जिला–नादिया

18. रॉय ट्रेडर्स
    16 जी.एन. मित्रा लेन,
    वर्द्धमान–713101, पश्चिम बंगाल

19. मैसर्स एएआर व एएआर इंटरप्राइजेज
    मंगल पांडे रोड,
    पारामाउंट अस्पताल के पास,
    सिलीगुड़ी–5, जिला दार्जिलिंग

मध्य प्रदेश

20. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.
    सेक्टर–1, इंडस्ट्रीयल एरिया, गोविंदपुरा,
    भोपाल–462023

महाराष्ट्र

21. एम. वूल विविंग इंडस्ट्रीज, डाकघर–चाकुर
    पिन–413513, महाराष्ट्र

हरियाणा

22. द अशोक हैंडलूम व हैंडीक्राप्ट्स सोसायटी,
    बिल्डिंग नं. 918 वार्ड नं. 11,
    कुटनी चुंगी के पास,
    पानीपत–132013

उड़ीसा

23. मैसर्स मोहन ट्रेडर्स
    राउत इस्टेट बिल्डिंग लिंक रोड,
    कोलकाता–12

बिहार

24. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए),
    बिहार सरकार, पूर्णिया, बिहार

तमिलनाडु

25. पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नॉलोजी
(पटसन कच्चा माल बैंक), पीलामेडू,
कोयम्बटूर–641004, तमिलनाडु

मणिपुर

26. ग्राम सेवा अभिकरण (आरयूएसए)
सेव ओजोन लेयर, पैलेज कंपाउंड (पश्चिम),
इम्फाल–795001, मणिपुर

असम

27. पटसन कच्चा माल बैंक (एनसीजेडी)
केयर ऑफ नेकन, अस्पताल रोड,
सिल्चर–788001

28. निधि ट्रेड सेंटर, डी.के. काकटी रोड,
डीजीपी ऑफिस के सामने,
उलूबाड़ी, गुवाहाटी, असम

29. पटसन केन्द्र, जी.टी.बी. रोड,
संगीत कॉलेज, (मेला मठ),
धुबरी, असम।

वैट प्रणाली

798. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री के. पी. सिंह देव :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने 1 अप्रैल, 2003 से लागू होने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) के कारण हुई हानि की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों के इस अनुरोध को केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ग) वैट लागू किए जाने पर राज्यों को होने वाले नुकसान का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त हानि किस हद तक केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वैट अभी राज्यों द्वारा लागू किया जाना है। इसलिए, राज्य–वार हानि, यदि कोई हो, इस अवस्था में निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) भारत सरकार राज्यों द्वारा वैट लागू करने पर राजस्व हानि, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति सहमत फार्मूले के आधार पर पहले वर्ष (2003–04) में शत–प्रतिशत, दूसरे वर्ष (2004–05) में 75 प्रतिशत और तीसरे वर्ष (2005–06) में 50 प्रतिशत की दर से करेगी।

कर-मुक्त आयात

799. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करने वालों के द्वारा आदानों और सामग्री के कर मुक्त आयात हेतु योजना अधिसूचित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुण–दोष के आधार पर इसके अनुमोदन हेतु किसी समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) अगस्त, 2002 में सरकार द्वारा दो अधिसूचनाएं (सं. 82/2002–सी.शु. तथा 39/2002–के.उ.शु., दोनों दिनांक 13.8.2002 की) जारी की गई हैं जिनमें विशेष आर्थिक जोन के विकास, निर्माण तथा रख–रखाव के प्रयोजनार्थ, विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड.) के विकासकों को माल के शुल्क–मुक्त आयात/प्रापण की सुविधा की अनुमति दी गई है। माल का आयात/प्रापण अन्तर मंत्रालयी समिति के अनुमोदन के अध्यधीन होगा। उपर्युक्त अधिसूचनाओं का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ, विशेष जोन के विकासकों को शुल्क–मुक्त आयात/प्रापण वाले प्रस्तावित माल की सूची के अनुमोदन के लिए संबंधित विकास आयुक्त को एक आवेदन पत्र देना होगा। विकास आयुक्त द्वारा उसकी छानबीन करनी होगी और ऐसे शुल्क–मुक्त आयातों/प्रापण के अनुमोदन के लिए पूर्वोक्त समिति के समक्ष उसकी सूची रखनी होगी।

इस संबंध में सरकार द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत रखे गए हैं।

शहरी सहकारी बैंक

800. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्काल आधार पर पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए निधि सृजित करने का भारतीय रिजर्व बैंक ने विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की विनियमन एवं पर्यवेक्षण प्रणाली सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें मांग मुद्रा बाजार के परिचालनों और शेयरों एवं डिबेन्चरों के संबंध में उच्चतम सीमा निर्धारित करना, सरकारी प्रतिभूतियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेशों का प्रतिशत बढ़ाना, यूसीबी द्वारा पेशकश की गई जमा राशि के ब्याज पर नियंत्रण, नए यूसीबी स्थापित करते समय प्रवेश मानदण्ड शुरू करना, ऋण निवेश में कमी, आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की पुनरीक्षा के लिए निदेशक बोर्डों की लेखा परीक्षा समिति गठित करना, इलैक्ट्रोनिक आंकड़ा संसाधन (ईडीपी) लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू करना, चरणबद्ध तरीके से पूंजी पर्याप्तता मानदंड शुरू करना, स्थलेतर निगरानी प्रणाली शुरू करना, कमजोर यूसीबी की पहचान के लिए मानदंडों में संशोधन, कैमल्स माडल के तहत पर्यवेक्षण कोटि निर्धारण की प्रणाली शुरू करना, आदि शामिल हैं।

जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड

801. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड (एलआईसीएचएफएल) सस्ती दरों पर आवास ऋण उपलब्ध करा रहा है;

(ख) क्या एलाआईसीएचएफएल ने "अपना आफिस" तथा "व्यक्तिगत ऋण" योजना भी प्रारंभ की है; और

(ग) यदि हां, तो एलआईसीएचएफएल की इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड (एलआईसीएचएफएल) ने सूचित किया है कि वे प्रतियोगी दरों पर आवास ऋण प्रदान कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। "अपना आफिस" स्कीम, चिकित्सकों, वास्तुकारों, अभियंताओं, चार्टर्ड एकाउन्टेंटों कम्पनी सचिवों तथा प्रबंधन परामर्शदाताओं जैसे व्यावसायिकों के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा, संपत्ति मूल्य की 85 प्रतिशत है, जोकि अधिकतम 1 करोड़ रु. तक होगी, तथा अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए, ब्याज की दर (क) 11.75 प्रतिशत नियत (मासिक ब्याज), (ख) 11.50 प्रतिशत परिवर्तनशील (मासिक ब्याज) होगी। चूंकि ये ऋण संपत्ति की जमानत पर प्रदान किए जाते हैं, अतः इन्हें प्रचलित अर्थ में वैयक्तिक ऋण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

कानिया समिति रिपोर्ट

802. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री एस. मुरुगेसन :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानिया समिति ने हाल ही में, शेयर बाजारों के निगमीकरण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेबी ने उक्त रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार, मौजूदा शेयर बाजारों को लाभदायक उद्यमों ने बदलने के लिए आयकर कानूनों में संशोधित करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या मार्च, 2003 में एक सेंट्रल लिस्टिंग अथारिटी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण तथा अपरस्परीकरण की प्रक्रिया के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को सलाह देने के उद्देश्य से, सेबी ने न्यायमूर्ति एम.एच. कानिया की अध्यक्षता में एक समिति का

गठन किया जिसने सेबी को अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त, 2002 को प्रस्तुत की।

(ख) कानिया समिति रिपोर्ट को सेबी बोर्ड ने 29 नवम्बर, 2002 को कतिपय आशोधनों के साथ अनुमोदित कर दिया है।

(ग) जी, हां। परस्परीकृत एक्सचेंजों को अपरस्परीकृत रूप में रूपांतरित करने को सुकर बनाने हेतु आवश्यक संशोधन विचाराधीन है।

(घ) सेबी की असूचीयन समिति, जिसने अगस्त, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ने सूचीयन आवेदनों की संवीक्षा में सम्यक् तत्परता बरतने में एकसमानता लाने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकरण की स्थापना की अनुशंसा की। तदनुसार, सेबी ने केन्द्रीय सूचीकरण प्राधिकरण की स्थापना के लिए व्यवस्था करने हेतु सेबी (केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकरण) विनियमावली, 2003 को 13 फरवरी, 2003 को अधिसूचित किया।

(ङ) प्रस्तावित केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा :

(i) किसी भी निगमित निकाय, म्यूचुअल फंड या सामूहिक निवेश योजना द्वारा किए गए आवेदन पत्र का प्रक्रियान्वयन;

(ii) सूचीयन शर्तों के संबंध में सिफारिशें करना।

केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकरण किसी कार्पोरेट/म्यूचुअल फंड या सामूहिक निवेश योजना को, उसके सूचीयन आवेदन की जांच करने के पश्चात् किसी विशिष्ट एक्सचेंज में उसे स्वयं को सूचीबद्ध करवाने के लिए "अनुशंसा पत्र" देगा।

पौधरोपण क्षेत्र के लिए मूल्य स्थिरता निधि

803. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, मूल्य स्थिरता निधि की कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप पौधरोपण क्षेत्र के लिए एक मूल्य स्थिरता निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्र के कामगारों की समस्याओं को दूर करने के लिए इस निधि के कब तक कार्यशील होने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) सरकार ने चाय, रबड़ और तम्बाकू के उपजकर्ताओं के लाभ के लिए एक कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना का सिद्धांत रूप से अनुमोदन किया है। इस स्कीम की प्रचालनात्मक रूप–रेखाएं एक अंतरमंत्रालयी समिति द्वारा तैयार की गई हैं और यह रूप–रेखाएं उचित निर्णयों के लिए सरकार के विचाराधीन हैं।

पेटेंट अधिनियम में संशोधन

804. श्री अम्बरीश : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (टी.आर.आई.पी.एस) के प्रति सरकार की वचनबद्धता के अनुसार, केन्द्र सरकार का विचार पेटेंट अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को पीपल्स कमीशन आन पेटेंट लॉज की ओर से लघु उत्पाद पेटेंट अवधि के लिए विशेषकर भेषज्ञय क्षेत्र के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) पेटेंट अधिनियम, 1970 में पहले पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा संशोधन कर दिया गया है, ताकि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते (ट्रिप्स) के तहत भारत के वर्तमान दायित्वों को पूरा किया जा सके।

(ख) संशोधित अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और 'ट्रिप्स' समझौते के अनुसार "आविष्कार" शब्द की परिभाषा;
- 'ट्रिप्स' समझौते में दी गई अनुमति के अनुसार आविष्कार को पेटेंटनीयता से बाहर रखना तथा प्रकृति में पाए जाने वाले किसी भी सजीव अथवा निर्जीव पदार्थ के आविष्कार की विषय–वस्तु को पेटेंट न करने योग्य आविष्कारों की सूची में शामिल करना;

- जैव–विविधता और परंपरागत ज्ञान के संरक्षण हेतु प्रावधान;
- 'ट्रिप्स' समझौते के अनुसार पेटेंट धारकों के अधिकारों का संरेखण (एलाइनमेंट);
- प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से समानांतर आयात का प्रावधान;
- 'ट्रिप्स' समझौते के अनुसार प्रमाण के भार को उलटने (रिवर्सल) का प्रावधान;
- सभी श्रेणियों के आविष्कारों के लिए बीस वर्ष की एक समान अवधि के पेटेंट संरक्षण का प्रावधान;
- जनहित और जन स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु व्यापक प्रावधान;
- सरल और तर्कसंगत बनाई गई पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रियाएं।

(ग) से (ङ) 'पीपल्स कमीशन ऑन पेटेंट लॉज फॉर इंडिया' में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए उत्पाद पेटेंट संरक्षण हेतु अपेक्षाकृत छोटी अवधि का सुझाव दिया गया है। पेटेंट अधिनियम, 1970 में फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पाद पेटेंट संरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, यह सुझाव 'ट्रिप्स' समझौते के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप नहीं है।

इंस्पेक्टर राज

805. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश से इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्रशासन को अधिक जवाबदेह और उत्पीड़न–मुक्त बनाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को चुस्त–दुरुस्त और सरल बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) प्रत्यक्ष करों के प्रशुल्क ढांचे में विशिष्ट प्रोत्साहनों की व्यवस्था है जो इन कानूनों में प्रतिष्ठित हैं। सेक्टरवार जरूरतों की समय–समय पर समीक्षा भी की जाती है। यह एक सतत जारी रहले वाली प्रक्रिया है।

कपास का आयात

806. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, देश में कपास के कुल उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान कपास की कुल घरेलू मांग व आपूर्ति कितनी रही;

(ग) पिछले वर्ष कितनी मात्रा में कपास का आयात किया गया;

(घ) क्या कपास की स्थाई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तथा घरेलू उत्पाद की उच्च गुणवत्ता के कारण वर्ष 2002 में भारत में कपास के आयात में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कमी किस सीमा तक आई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, देश में कपास का कुल उत्पादन निम्नानुसार है :

(लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.)

वर्ष (अक्तू.–सितं.)	1999–2000	2000–2001	2001–2002
उत्पादन	156	140	158

(ख) वर्ष 2001–02 के दौरान, कपास की कुल घरेलू मांग और आपूर्ति निम्नानुसार है :

(लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.)

	मांग	आपूर्ति*
2001–02 (अक्तू.–सितं.)	171.70	187

*29 लाख गांठ का अग्रेणित भंडार और 158 लाख गांठ का उत्पादन शामिल है।

(ग) 2001–02 के दौरान कपास का आयात 24.70 लाख गांठ प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा. था।

(घ) और (ङ) 2001–02 (अक्तू.–सितं.) के दौरान कपास

का आयात 2000–01 के दौरान 22.13 लाख गांठ की तुलना में आंशिक रूप में बढ़कर 24.70 लाख गांठ हो गया।

[हिन्दी]

गन्ने की खरीद

807. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा में सहकारी तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के द्वारा खरीदे जा रहे गन्नों के मूल्य में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार घरेलू चीनी उद्योग को बचाने के लिए किसानों को गन्ने का एक समान मूल्य दिलाने के लिए कोई कदम उठाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, जो एकसमान है। तथापि, यह रिकवरी स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है और रिकवरी स्तर कारखाना–दर–कारखाना भिन्न–भिन्न होता है, इसलिए कारखानावार निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य कारखाना–दर–कारखाना अलग–अलग होता है।

[अनुवाद]

झूठे प्रतिआदयगी दावे

808. श्री अनन्त नायक :

डा. चरण दास महन्त :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झूठे प्रतिअदायगी दावे करने वाले कुछ निर्यातकों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर दिल्ली में सरकार के ध्यान में ऐसे कुल कितने मामले आए हैं;

(ग) धोखाधड़ी के ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे निर्यातकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने 116 मामलों का पता लगाया है जिनमें चालू वित्तीय वर्ष के दौरन 40.25 करोड़ रुपए की राशि की शुल्क प्रतिअदायगी का दुरुपयोग अंतर्ग्रस्त है। इन मामलों में से 64 मामले, जिनमें 5.33 करोड़ रुपए अंतर्ग्रस्त हैं, दिल्ली जोन से संबंधित हैं। ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड लगाने, गिरफ्तारियां करने और कुछ मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत कैद का आदेश देने जैसी कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति व जनजाति के रिक्त पद

809. श्री रामदास आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जाति व जनजाति के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विभागों तथा उपक्रमों में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है तथा नई भर्तियां भी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वर्गों के अंतर्गत की गई भर्तियों का वर्ष–वार तथा वर्ग–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की भर्ती और पदोन्नति में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राज्यों के वित्त सचिवों की बैठक

810. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2003 में मुम्बई में राज्यों के वित्त सचिवों की 11वीं वार्षिक बैठक सम्पन्न हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या लगभग सभी राज्य अपनी पुनर्भुगतान वचनबद्धता में असफल हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके बाजार ऋणों पर इस त्रुटि में कोई सुधार हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में राज्यों को चेतावनी दी है; और

(छ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राज्यों की उनकी पुनर्भुगतान वचनबद्धता को पूरा करने के लिए क्या मार्गनिर्देश जारी किए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) राज्य वित्त सचिवों का 11वां सम्मेलन भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई में 09 जनवरी, 2003 को हुआ। इसमें सुविचारित मुख्य मुद्दों में राज्य सरकारों की डब्ल्यू.एम.ए. सलाहकार समिति की सिफारिशें राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के राजकोषीय जोखिम का आकलन करने के लिए वित्त सचिवों के समूह की रिपोर्ट, राज्य सरकारों के गारंटित बांडों पर चूक, राज्य सरकारों का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन बिल तथा राज्य सरकारों द्वारा पावर बांडों का निर्गम शामिल है।

(ग) राज्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए बाजार ऋणों की अदायगी पर असफल नहीं रहे हैं। विगत में जारी राज्य द्वारा गारंटित एस.एल.आर. बांडों पर कुछ चूक हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(च) और (छ) भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले को राज्यों के साथ नियमित रूप से उठाता रहा है तथा राज्य सरकारों को उनकी गारन्टी प्रतिबद्धता को ईमानदारी से निभाने की जरूरत के प्रति संवेदनशील बनाने और प्रत्याभूतियों को कम से कम करने तथा उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से जारी करने की व्यवस्था करता रहता है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में मुकदमे

811. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क लगाते समय "विनिर्माण" और "विपणनीयता" पर विनिर्माताओं और उत्पाद शुल्क निर्धारित करने वाले अधिकारियों के बीच व्याख्या को लेकर मतभेद के कारण मुकदमों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जहां भारत के उच्चतम न्यायालय ने उक्त शब्दों की व्याख्या की है;

(घ) क्या सरकार के पास उक्त शब्दों को सही तौर पर परिभाषित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने "विनिर्माण" शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है जिसका अभिप्राय एक नई जिन्स का निर्माण करना है जो प्रयोज्य, चल, बिक्री योग्य और विपणन योग्य हो। हालांकि इस मुद्दे पर अनेक निर्णय दिए गए हैं, निम्नलिखित मामलों के आधार पर कानून का प्रतिपादन किया गया है :

(1) भारतीय संघ बनाम दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लि.-1977(1) ई.एल.टी. (जे 199) (एस सी) और (2) मोती लेमिनेट्स बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता-1995 (76) ई.एल.टी. 241 (एस.सी.)।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

निर्यातकों को रियायतें

812. श्री अधीर चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में देश में निर्यातकों हेतु कतिपय रियायतों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) दिनांक 1.4.2002 से विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के दायित्वों को शामिल करते हुए शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) दरों को संशोधित किया गया है जिसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।

बैंकों के पास उपलब्ध स्वर्ण भंडार

813. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास इस समय विशाल स्वर्ण भंडार उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस अस्थिर स्थिति में स्वर्ण भंडार को बनाए रखना कहां तक उचित है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुनर्निर्यात के लिए पौधरोपण वस्तुओं का आयात

814. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनर्निर्यात के लिए पौधरोपण वस्तुओं के कर मुक्त आयात के लिए योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पौधरोपण उद्योग ने इस योजना के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदन में उठाई गई आपत्तियों सहित इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) जी, हां। निर्यात के प्रयोजनार्थ बागान उत्पादों सहित वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति शुल्क छूट/कॉफी योजनाओं तथा निर्यातोन्मुख एकक/निर्यात संसाधन जोन योजना के तहत प्रदान की जाती है। इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि शुल्क मुक्त आयात को रोका जाए क्योंकि भारत में इन वस्तुओं का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। तथापि, निर्यात के प्रयोजनार्थ शुल्क मुक्त आयातों की जरूरत विदेशी उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने तथा भारतीय निर्यातों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए होती है जिसके संबंध में सरकार ने शुल्क मुक्त आयात को प्रतिबंधित करते हुए अनुदेश जारी किए हैं, को छोड़कर, बागान उत्पादों पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है।

चाय बागानों का बंद किया जाना

815. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों के बंद होने संबंधी सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) चाय बागानों के पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल, केरल, असम और त्रिपुरा राज्यों में बंद चाय एककों के कार्यों की पूर्ण और समग्र जांच करने के लिए जनवरी, 2003 में गठित विशेषज्ञ समितियों ने अब तक अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की हैं।

काला धन

816. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फरवरी, 2003 के "द हिन्दु" में "रिटर्न ऑफ ब्लैक मनी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आगम का मुख्य कारण आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गुप्त खातों के विरुद्ध कड़ाई करना है जिसके कारण विदेशों में छुपा कर रखे गए काले धन के बाहर आने की कथित संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने 2–3 माह की छोटी सी अवधि के दौरान देश में विदेशी मुद्रा के अभूतपूर्व आगम के वास्तविक कारणों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले की जांच के क्या परिणाम निकले?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल, 2002 से 17 फरवरी, 2003 तक भारत के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार 54.1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 72.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गए हैं जो 18.3 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नवम्बर, 2002 के अन्त तक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में संवृद्धि के मुख्य स्रोत चालू खाते में आधिक्य, "अन्य पूंजी" में वृद्धि तथा अधिशेष में मूल्यांकन परिवर्तन हैं। अध्ययन में यह पाया गया है कि "अन्य पूंजी" में वृद्धि रुपए के मूल्य में वृद्धि के कारण निर्यात प्राप्तियों में बढ़ोतरी के कारण हुई है। निर्यात प्राप्तियां, जो पहले रुपए के मूल्य में और ह्रास होने की प्रत्याशा के कारण स्थगित कर दी गई होंगी, भी अब तीव्रता से प्राप्त हो रही हैं क्योंकि रुपए के मूल्य में वृद्धि हो गई है। अध्ययन में आगे यह बताया गया है कि अमरीकी डालर लेखे की तुलना में यूरो, जीबीपी तथा येन की मूल्य वृद्धि को प्रतिबिम्बित करने वाले मूल्यांकन परिवर्तन विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों के मूल्य में 2.1 बिलियन डालर हैं। ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :

वृद्धि के मुख्य स्रोत

(आंकड़े बिलियन अमरीकी डालर में)

मद	अप्रैल–नवंबर	
	2001	2002
1	2	3
I. चालू खाता शेष	–1.3	2.5
II. पूंजी खाता शेष (निवल)	6.2	8.0
विदेशी निवेश	2.7	8.0
बैंकिंग पूंजी : जिसमें से	3.6	4.0
अनिवासी भारतीय जमाराशियां	2.2	2.1
अल्पावधि ऋण	–0.5	0.1
अन्य पूंजी	1.2	3.8
वाणिज्यिक उधार	–0.9	–1.8
III. मूल्यांकन परिवर्तन	0.4	2.1
जोड़	4.5	12.6

सुपर बाजार प्रबंधन के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में विलम्ब

817. श्री अमर राय प्रधान : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार प्रबंधन अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्हें अभी वेतन दिया जाना है और 31.12.2002 की स्थिती के अनुसार प्रबंधन को उन्हें कितनी राशि का भुगतान करना है;

(घ) सरकार का विचार इन कर्मचारियों के देयों का भुगतान कब तक और कैसे करने का है; और

(ङ) सरकार का विचार सुपर बाजार में कार्यरत श्रमशक्ति का उपयोग किस प्रकार से करने का है और इन अधिकारियों को कहां लगाए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) से (ग) सुपर बाजार को सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार के आदेश से 5.7.2002 को बन्द कर दिया गया है। किसी भी समिति को बन्द कर दिए जाने पर उसके कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। निवर्तमान कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु सरकारी परिसमापक द्वारा सभी निवर्तमान कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक

पृथक्करण स्कीम की पेशकश की गई थी। जिन कर्मचारियों ने उक्त स्कीम को स्वीकार किया उन्हें सरकार द्वारा सुपर बाजार को जारी की गई धनराशि में से सेवान्त लाभ तथा 30.9.2002 तक वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया गया। उक्त तारीख के पश्चात् शेष कर्मचारियों की वेतन संबंधी देयता का भुगतान करने के लिए सुपर बाजार के पास कोई वित्तीय स्रोत नहीं है।

(घ) सुपर बाजार बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत एक बहुराज्य सहकारी समिति है। बहु–राज्यीय सोसाइटी नियम, 1985 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार परिसीमित दायित्वों वाली कोई भी बहु–राज्यीय सहकारी सोसाइटी समादत्त शेयर पूंजी जमा संचित आरक्षितियों घटा हानियों की राशि के 10 गुने से अधिक का निक्षिप्त या ऋण स्वीकार नहीं करेगी या किसी अन्य रीति से दायित्व उपगत नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त परिसमापन की अवधि के दौरान सोसाइटी की देयताओं में वृद्धि नहीं की जा सकती। सुपर बाजार के कर्मचारी परिसमापक को जब अपना बेबाकी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर देंगे तभी उन्हें उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ङ) सहकारी समिति होने के कारण सुपर बाजार के कर्मचारियों का अपनी सेवा से अलग हो जाने के बाद उन्हें पुनर्नियोजित करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं है।

स्थानीय खरीद

818. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री के बारे में 26 अप्रैल, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5159 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अपनी 1999 की रिपोर्ट संख्या 8 में जैसी मांग की गई थी उनके मंत्रालय ने उसी के अनुसार जी.एफ.आर. के प्रावधानों में छूट की समीक्षा हेतु कार्यवाही की है; और

(ङ) जीएफआर के जिन प्रावधानों में छूट दी गई है उनका ब्यौरा क्या है व इन प्रावधानों में छूट देने के क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) 26 अप्रैल, 2002 को उत्तरित लिखित प्रश्न संख्या–5159 में एन.सी.सी.एफ. द्वारा उच्च दरों पर ओवरहैड प्रोजेक्टर तथा कम्प्यूटर की बिक्री के संबंध में सूचना मांगी गई थी। एन.सी.सी.एफ. के उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होने के कारण लिखित प्रश्न संख्या–5159 में अपेक्षित सूचना को एकत्र करने की जिम्मेवारी उपभोक्ता मामलों के विभाग को अंतरित की गई थी, जो कि उनके द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

(घ) और (ङ) सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस मंत्रालय के साथ परामर्श करके दिनांक 14.07.1981 को सामान्य वित्तीय नियमावली (जी. एफ.आर.) में निर्धारित निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने की प्रक्रिया में छूट देते हुए एक आदेश जारी किया थ, जिसमें केन्द्र सरकार के सभी विभागों, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित तथा/अथवा नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए लेखन–सामग्री एवं अन्य मदों की सभी स्थानीय खरीद केवल केन्द्रीय भण्डार से ही करना अनिवार्य कर दिया था। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए तथा सरकारी संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक एवं आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए केन्द्रीय भण्डार, सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. को दी गई मौजूदा विशेष व्यवस्था की समीक्षा करने के प्रश्न पर विचार किया गया तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से दिनांक 14.07.1981 के अपने कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा करने तथा तीनों सहकारी समितियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त सुरक्षोपाय के साथ सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के पालन हेतु संशोधित अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, यह संशोधित अनुदेश जारी नहीं किए गए थे, तब से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अंतरमंत्रालयी परामर्शों को रोकने का निर्णय लिया था। इस मामले में कोई भी निर्णय इन पर अंतरमंत्रालयी विचार–विमर्श के पश्चात ही लिया जाता सकता है।

खाद्यान्न भंडार

819. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पास अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को कार्यान्वित करने हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने अपनी मध्याह्न भोजन योजना के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा मांगे गए निःशुल्क खाद्यान्न की मात्रा कितनी है; और

(च) राज्य में इस योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) 1.1.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक 482.02 लाख टन है, जो बफर मानदण्डों से अधिक है।

(ग) से (च) एन.पी.–एन.एस.पी.ई. (मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानी जाने वाली) के अधीन, केन्द्र सरकार सभी राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। कर्नाटक में 2002–03 के दौरान इस स्कीम के अधीन 56.22 लाख बच्चे कवर होते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी-निवेश (एफडीआई) के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले कदम

820. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा कराए गए बिजनेस आउटलुक सर्वे के अनुसार अधिकांश अमेरिकी देश भारत में निवेश करने से हिचक रहे हैं और वे चीन, मलेशिया , फिलिपीन्स, ताइवान आदि जैसे अन्य एशियाई देशों में निवेश करने को प्राथमिकता दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) भारत में निवेश को लेकर अमेरिकी कंपनियों में हिचकिचाहट के क्या कारण हैं; और

(घ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विश्वास जगाने और भारतीय बाजार में अधिक से अधिक निवेश के लिए उन्हें आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कामर्स इंडिया–जीएएलएलयूपी (गैलप) बिजनेस आउटलुक सर्वे, 2002 ने इंगित किया गया है कि प्रतिस्पर्धी निवेश लक्ष्यों में बेहतर निवेश माहौल के कारण भविष्य में भारत में अमेरिकी निवेशकों के संबंध में यथास्थिति बने रहने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें योगदान देने वाले कारक–क्षेत्र विशिष्ट लालफीताशाही और दफ्तरशाही, स्थिर नीतियों और विनियामक ढांचे का अभाव, भारत द्वारा सामना किए जा रहे सुरक्षा मुद्दे और राजनीतिक अस्थिरता थे।

तथापि, "अंकटाड" द्वारा प्रकाशित विश्व निवेश रिपोर्ट, 2002 में भारत को विकासशील एशिया में उन चार देशों में से एक के रूप में पहचाना गया है जिनमें वर्धित एफ.डी.आई. अंतर्प्रवाह होने की संभावना है।

(घ) सरकार ने निवेश को आकृष्ट करने के लिए एक उदार एफ.डी.आई. नीति तैयार की है और एक छोटी नकारात्मक सूची के अतिरिक्त, अधिकांश क्षेत्रों का स्वचालित मार्ग के तहत रखा गया है। एफडीआई की वसूली में विलम्ब मुख्यतः राज्य स्तर पर कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं के कारण होता है। निवेश प्रक्रियाओं के सरलीकरण की जांच करने के लिए स्थापित एक अंतर–मंत्रालयी समिति ने अनुमोदन प्रदान करने की एक अधिकार प्राप्त राज्य स्तर की सिंगल विंडो प्रणाली की सिफारिश की है।

विदेशी निवेश

821. श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु एक नवीन पैनल पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नवीन पैनल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में बिना किसी बाधा के और निवेश करने में यह नवीन पैनल किस हद तक सहायक होगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल में सरकार ने किसी पैनल की स्थापना नहीं की है। फिर भी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.

आई.) पर एक कार्य संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) का गठन किया गया था जिसने अन्य बातों के साथ–साथ कतिपय क्षेत्रकों में एफ.डी.आई. की अधिकतम सीमा बढ़ाने/हटाने, निवेश संवर्धन और प्रवेश/निकासी मानदण्डों एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु सांस्थानिक ढांचे को सुदृढ़ करने की सिफारिश की है। समिति की यह रिपोर्ट एफ.डी.आई. से संबंधित मंत्रियों के दल के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की मांग

822. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष योजनावार और राज्यवार कितने खाद्यान्न की मांग रही है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा योजनावार और राज्यवार आवंटित वर्षवार और खाद्यान्नवार खाद्यान्नों की मात्रा क्या है;

(ग) आवंटित खाद्यान्नों को जनवरी, 2003 तक किन–किन राज्यों द्वारा उठाया गया है तथा उठाए गए खाद्यान्नों की खाद्यान्नवार मात्रा कितनी है;

(घ) किन–किन राज्यों ने आवंटित खाद्यान्न नहीं उठाए हैं;

(ङ) आवंटित खाद्यान्नों को नहीं उठाए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा उठाए गए खाद्यान्नों के उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

(ख) से (घ) वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 (जनवरी, 2003 तक) के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन राज्यों/संघ राज्या क्षेत्रों के मामले में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के आवंटन तथा उठान के राज्यवार, ब्यौरे को दर्शाने वाले विवरण I-VI संलग्न हैं।

(ङ) राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का उठान अनेक घटकों यथा खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों तथा खुला बाजार मूल्यों की बीच समानता, खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और खान–पान की आदतों, आदि पर निर्भर करता है।

(च) ब्यौरे संलग्न विवरण–I से VI पर दिए गए हैं।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक चावल के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अ)			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1470.960	1495.680	186.840	3153.480	972.348	564.141	191.522	1728.011
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.459	70.320	1.134	95.913	25.007	21.065	0.740	46.812
3.	असम	515.058	311.280	28.152	854.490	429.825	45.296	28.515	503.636
4.	बिहार	656.370	69.732	60.000	786.102	64.639	0.686	43.252	108.577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	305.748	60.012	86.220	451.980	148.292	0.210	77.884	226.386
6.	दिल्ली	11.790	163.320	0.480	175.590	9.699	18.652	0.246	28.597
7.	गोवा	6.431	42.840	0.979	50.250	3.539	4.208	0.734	8.481
8.	गुजरात	234.604	216.000	12.350	462.954	130.324	2.653	11.785	144.762
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	173.955	62.760	14.172	250.887	102.705	3.772	13.721	120.198
11.	जम्मू एवं कश्मीर	115.247	150.120	19.323	284.690	120.544	129.449	4.072	254.056
12.	झारखण्ड	227.000	25.308	36.650	288.958	76.529	5.609	26.925	109.063
13.	कर्नाटक	646.182	444.000	67.287	1157.469	639.186	380.709	64.640	1084.535
14.	केरल	374.958	1375.440	71.460	1821.858	371.494	21.005	61.507	454.006
15.	मध्य प्रदेश	289.756	64.188	57.120	411.064	121.551	0.791	51.922	174.264
16.	महाराष्ट्र	725.426	268.560	93.749	1087.735	426.556	1.509	82.663	510.728
17.	मणिपुर	35.136	34.320	1.914	71.370	25.455	0.000	0.740	26.195
18.	मेघालय	44.240	114.360	3.515	162.115	43.278	4.511	2.812	50.601
19.	मिजोरम	16.461	81.720	3.156	101.337	16.168	18.931	3.156	38.255
20.	नागालैण्ड	24.185	103.560	2.280	130.025	24.185	3.143	2.280	29.608
21.	उड़ीसा	907.045	44.640	88.466	1040.151	488.185	11.584	87.177	587.046
22.	पंजाब	18.080	3.360	0.000	21.440	1.588	0.000	0.000	1.588
23.	राजस्थान	6.282	9.360	1.284	16.926	0.338	0.159	0.483	0.981
24.	सिक्किम	11.205	35.640	1.176	48.021	11.371	5.972	1.146	18.489
25.	तमिलनाडु	1350.423	461.280	35.475	1847.178	1040.753	0.000	24.760	1065.513
26.	त्रिपुरा	62.718	109.440	7.917	180.075	61.115	15.363	6.786	83.264
27.	उत्तर प्रदेश	736.649	126.636	82.111	945.396	253.688	0.942	84.006	338.636
28.	उत्तरांचल	70.962	7.764	8.028	86.754	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिम बंगाल	831.438	128.760	54.960	1015.158	231.648	28.757	27.957	270.362
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3.686	28.200	0.591	32.477	2.888	9.585	0.303	12.776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	चंडीगढ़	0.350	2.040	0.318	2.708	0.055	0.000	0.318	0.373
32.	दादरा एवं नगर हवेली	3.009	2.160	0.600	5.769	2.475	0.745	0.570	3.790
33.	दमन एवं दीव	0.639	1.320	0.120	2.079	0.056	0.219	0.085	0.360
34.	लक्षद्वीप	0.044	6.560	0.040	6.644	0.000	3.000	0.000	3.000
35.	पांडिचेरी	22.701	3.480	1.125	27.306	8.502	0.120	0.917	9.539
	जोड़	9923.197	6124.160	1028.992	17076.349	5835.986	1302.786	903.725	8042.497

अ = अनंतिम

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक गेहूं के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अ)			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.000	96.000	0.000	96.000	0.000	7.385	0.000	7.385
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.565	6.360	0.000	8.925	1.715	2.795	0.000	4.510
3.	असम	0.000	123.600	0.000	123.600	0.000	70.011	0.000	70.011
4.	बिहार	1164.501	104.604	90.000	1359.105	313.475	0.325	65.300	379.100
5.	छत्तीसगढ़	87.597	41.100	0.000	128.697	39.649	1.788	0.000	41.437
6.	दिल्ली	102.375	413.520	1.920	517.815	77.062	7.645	0.949	85.656
7.	गोवा	3.420	20.280	0.000	23.700	0.000	1.350	0.000	1.350
8.	गुजरात	634.936	354.000	49.400	1038.336	313.857	1.317	44.960	360.134
9.	हरियाणा	182.541	8.640	27.346	218.527	71.349	0.000	22.655	94.004
10.	हिमाचल प्रदेश	74.280	38.400	9.444	122.124	31.021	5.485	9.371	45.877
11.	जम्मू एवं कश्मीर	36.516	88.320	6.084	130.920	41.962	45.988	3.195	91.145
12.	झारखण्ड	340.491	37.956	54.980	433.427	152.531	0.861	35.867	189.259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	कर्नाटक	161.542	111.000	16.823	289.365	159.683	69.951	16.156	245.790
14.	केरल	0.000	452.640	0.000	452.640	0.000	98.533	0.000	98.533
15.	मध्य प्रदेश	696.227	110.700	132.600	939.527	460.717	6.306	121.639	588.662
16.	महाराष्ट्र	1370.786	496.560	174.112	2041.458	736.350	1.802	151.707	889.859
17.	मणिपुर	0.000	20.520	0.000	20.520	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	मेघालय	0.000	12.000	0.000	12.000	0.000	6.334	0.000	6.334
19.	मिजोरम	0.000	12.120	0.000	12.120	0.000	8.887	0.000	8.887
20.	नागालैण्ड	5.937	18.480	0.588	24.975	5.937	12.314	0.558	18.809
21.	उड़ीसा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.468	0.000	0.000	0.468
22.	पंजाब	96.283	18.120	19.723	134.126	44.354	0.000	8.070	52.424
23.	राजस्थान	909.987	392.160	110.496	1412.643	559.028	10.458	102.298	671.784
24.	सिक्किम	0.000	1.200	0.000	1.200	0.000	0.600	0.000	0.600
25.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.	त्रिपुरा	0.000	15.360	0.000	15.360	0.000	3.000	0.000	3.000
27.	उत्तर प्रदेश	1603.140	250.668	178.680	2032.488	895.511	7.805	162.420	1056.736
28.	उत्तरांचल	38.760	15.372	3.420	57.552	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिम बंगाल	422.931	776.400	54.966	1254.297	309.607	159.547	28.952	498.106
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.764	8.160	0.231	10.155	1.547	2.534	0.128	4.209
31.	चंडीगढ़	5.330	11.640	0.000	16.970	0.050	0.000	0.000	0.050
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0.753	0.600	0.240	1.539	0.489	0.230	0.206	0.925
33.	दमन एवं दीव	0.330	0.480	0.060	0.870	0.020	0.015	0.029	0.064
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.500	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	0.240	0.000	0.240	0.000	0.315	0.000	0.315
	जोड़	**7942.992**	**4057.700**	**931.083**	**12931.775**	**4216.382**	**533.581**	**774.460**	**5524.423**

अ = अनंतिम

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक चावल के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अ)			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1204.000	1760.890	217.980	3182.870	1180.859	302.839	190.211	1673.909
2.	अरुणाचल प्रदेश	26.140	57.751	5.290	89.181	23.632	30.125	5.180	58.937
3.	असम	568.570	395.950	98.530	1063.050	421.176	38.037	84.636	543.849
4.	बिहार	754.760	763.810	140.000	1658.570	51.161	0.390	102.432	153.983
5.	छत्तीसगढ़	375.480	517.250	100.590	993.320	10.461	0.000	4.654	15.115
6.	दिल्ली	36.569	265.407	3.104	305.080	27.758	12.625	2.596	42.979
7.	गोवा	6.540	66.579	2.560	75.679	5.139	3.643	1.803	10.585
8.	गुजरात	166.043	907.493	22.750	1096.286	103.493	11.642	19.015	134.150
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	72.940	186.932	15.819	275.691	74.017	7.930	15.911	97.858
11.	जम्मू एवं कश्मीर	138.779	223.000	20.060	391.839	133.584	147.156	17.926	298.666
12.	झारखण्ड	308.101	82.556	57.217	447.874	25.397	0.220	38.766	64.383
13.	कर्नाटक	742.754	1380.400	133.436	2256.590	725.110	323.938	120.451	1169.499
14.	केरल	460.470	1134.200	83.370	1678.040	266.466	6.935	82.857	356.258
15.	मध्य प्रदेश	287.275	736.039	59.883	1083.197	134.509	0.897	59.959	195.365
16.	महाराष्ट्र	677.680	1484.695	122.710	2285.085	426.351	5.687	105.607	537.645
17.	मणिपुर	36.570	24.750	8.930	70.250	32.294	0.543	9.315	42.152
18.	मेघालय	54.210	31.040	9.840	95.090	50.141	5.275	9.338	64.754
19.	मिजोरम	20.220	31.936	3.680	55.836	20.219	30.081	3.680	53.980
20.	नागालैण्ड	29.540	42.463	5.320	77.323	27.221	2.728	5.351	35.300
21.	उड़ीसा	1236.980	882.504	176.930	2296.414	294.841	0.050	146.150	441.041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	पंजाब	6.576	82.599	0.000	89.175	0.980	0.016	0.000	0.996
23.	राजस्थान	7.710	60.980	1.500	70.190	0.274	0.050	0.280	0.604
24.	सिक्किम	12.850	33.037	2.350	48.237	12.493	5.735	2.408	20.636
25.	तमिलनाडु	1461.489	3130.620	240.491	4832.600	988.739	0.000	237.465	1226.204
26.	त्रिपुरा	87.420	132.191	15.830	235.441	84.309	16.746	16.289	117.344
27.	उत्तर प्रदेश	1024.024	2268.258	190.952	3483.234	216.527	1.797	108.685	327.009
28.	उत्तरांचल	84.802	126.275	18.730	229.807	29.050	0.032	6.963	36.045
29.	पश्चिम बंगाल	860.272	507.726	128.240	1496.238	202.890	15.885	77.897	296.672
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4.170	23.500	1.080	28.750	1.999	12.040	0.000	14.039
31.	चंडीगढ़	0.150	10.219	0.740	11.109	0.150	0.030	0.740	0.920
32.	दादरा एवं नगर हवेली	3.690	4.660	0.700	9.050	1.978	0.540	0.467	2.985
33.	दमन एवं दीव	0.790	7.043	0.140	7.973	0.075	0.084	0.060	0.219
34.	लक्षद्वीप	0.310	4.161	0.140	4.611	0.000	0.650	0.000	0.650
35.	पांडिचेरी	26.110	45.316	3.150	74.576	7.413	0.067	2.524	10.004
	जोड़	10783.984	17412.230	1902.042	30098.256	5580.706	984.413	1479.616	8044.735

अ = अनंतिम

विवरण-IV

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक गेहूं के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अ)			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.000	128.060	0.000	128.060	0.000	6.959	0.000	6.959
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.150	5.942	0.000	9.092	1.944	3.205	0.000	5.149
3.	असम	0.000	442.975	0.000	442.975	0.000	315.067	0.000	315.067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	1119.560	1145.790	210.000	2475.350	274.643	1.135	159.611	435.389
5.	छत्तीसगढ़	107.580	354.250	0.000	461.830	57.606	2.052	0.000	59.658
6.	दिल्ली	95.381	671.424	8.096	774.901	77.200	96.734	7.045	180.979
7.	गोवा	4.200	33.507	0.000	37.707	0.000	2.304	0.000	2.304
8.	गुजरात	471.012	1486.346	91.000	2048.358	218.080	7.061	73.044	298.185
9.	हरियाणा	217.410	979.804	39.140	1236.354	144.168	25.404	35.561	205.133
10.	हिमाचल प्रदेश	48.620	114.243	11.731	174.594	38.368	6.671	11.555	56.594
11.	जम्मू एवं कश्मीर	45.688	131.200	9.460	186.348	41.785	85.424	6.466	133.675
12.	झारखण्ड	370.809	97.694	71.063	539.566	164.670	1.890	51.804	218.364
13.	कर्नाटक	185.683	345.100	33.357	564.140	184.532	112.245	29.521	326.298
14.	केरल	0.000	373.250	0.000	373.250	0.000	136.257	0.000	136.257
15.	मध्य प्रदेश	774.634	1606.868	161.457	2542.960	536.089	22.429	147.563	706.081
16.	महाराष्ट्र	1258.640	2745.440	227.890	4231.970	699.273	13.269	192.691	905.233
17.	मणिपुर	0.000	14.800	0.000	14.800	0.000	6.290	0.000	6.290
18.	मेघालय	0.000	5.514	0.000	5.514	0.000	5.053	0.000	5.053
19.	मिजोरम	0.000	9.266	0.000	9.266	0.000	9.106	0.000	9.106
20.	नागालैण्ड	7.240	18.556	1.300	27.096	7.271	18.602	1.319	27.192
21.	उड़ीसा	0.000	210.000	0.000	210.000	0.000	41.466	0.000	41.466
22.	पंजाब	132.104	1304.836	25.100	1462.040	72.162	4.993	13.066	90.221
23.	राजस्थान	662.330	2480.986	128.910	3272.226	520.071	126.924	122.762	769.757
24.	सिक्किम	0.000	1.865	0.000	1.865	0.000	1.865	0.000	1.866
25.	तमिलनाडु	0.000	80.000	0.000	80.000	0.000	16.673	0.000	16.673
26.	त्रिपुरा	0.000	19.611	0.000	19.611	0.000	5.735	0.000	5.735
27.	उत्तर प्रदेश	2031.513	4490.092	379.876	6901.481	843.982	6.196	222.965	1073.143
28.	उत्तरांचल	47.492	250.052	7.980	305.524	24.722	3.188	4.744	32.654
29.	पश्चिम बंगाल	558.688	3057.514	128.250	3744.452	411.455	189.369	88.562	689.386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2.030	6.800	0.420	9.250	1.001	3.593	0.000	4.594
31.	चंडीगढ़	7.140	56.407	0.000	63.547	0.960	0.030	0.000	0.990
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0.930	1.290	0.280	2.500	0.132	0.388	0.152	0.672
33.	दमन एवं दीव	0.400	1.392	0.070	1.862	0.041	1.018	0.021	0.080
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.416	0.000	0.416	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	3.337	0.000	3.337	0.000	0.570	0.000	0.570
	जोड़	8152.234	22674.627	1535.380	32362.242	4320.155	1278.166	1168.452	6766.773

अ = अनंतिम

विवरण-V

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मध्याह्न भोजन योजना				पोषाहार कार्यक्रम				जोड़	अन्नपूर्णा	
		चावल		गेहूं		चावल		गेहूं			चावल	गेहूं
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन (चावल +गेहूं)	उठान	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	232.75	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.14	21.53	14.03	11.99	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.30	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.09	0.00
3.	असम	91.72	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27	0.67	0.19
4.	बिहार	46.92	35.87	170.65	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06	6.47	10.62
5.	छत्तीसगढ़	126.72	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	3.20	0.94	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	20.21	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00
7.	गोवा	2.41	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.00
8.	गुजरात	45.08	10.65	45.08	11.36	0.09	0.03	22.05	11.00	0.00	0.00	0.00
9.	हरियाणा	24.25	18.43	24.25	18.34	0.00	0.00	0.90	0.85	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	हिमाचल प्रदेश	20.06	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.23	0.20
11.	जम्मू एवं कश्मीर	21.50	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.03	0.50	0.00
12.	झारखण्ड	21.43	18.17	2.04	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	120.45	106.11	35.70	29.16	36.42	7.86	37.00	16.98	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	46.69	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	3.52	0.00
15.	मध्य प्रदेश	44.35	35.91	146.26	131.51	5.73	0.07	55.16	29.68	0.00	1.12	4.44
16.	महाराष्ट्र	293.76	249.86	0.00	0.00	33.96	23.83	0.00	9.03	17.82	0.09	0.10
17.	मणिपुर	8.38	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.05	0.00
18.	मेघालय	12.57	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.18	0.00
19.	मिजोरम	2.95	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.10	0.00
20.	नागालैण्ड	4.79	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.40	0.00
21.	उड़ीसा	92.22	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92	10.63	6.50	6.45	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.42	49.79	28.83	2.27	0.00	3.04	0.09	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	0.00	186.65	147.31	0.00	0.00	4.60	0.00	12.64	0.00	10.93
24.	सिक्किम	2.42	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	116.01	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	2.57	8.64	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	14.24	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	161.26	128.61	313.87	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	28.89
28.	उत्तरांचल	19.21	15.87	1.72	0.51	0.00	0.00	7.00	1.05	1.27	1.00	0.05
29.	पश्चिम बंगाल	287.44	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	1.37	0.38
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.15	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.04	0.56	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0.76	0.61	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
33.	दमन एवं दीव	0.45	0.33	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.25	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
	जोड़	1867.50	1348.81	996.79	727.96	80.17	31.85	175.11	103.41	162.25	37.06	55.80

अन्नपूर्णा के अधीन आवंटन खाद्यान्नों के रूप में किया जाता है।

अनंतिम

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./छात्रावास			स.ग्रा.रो.यो.				काम के बदले अनाज			
		जोड़ आवंटन (चावल +गेहूं)	चावल उठान	गेहूं उठान	चावल		गेहूं		चावल		गेहूं	
					आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	100.23	62.28	0.00	232.44	381.67	0.00	0.00	1650.00	1598.63	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.18	0.00	0.00	328.70	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	228.48	24.90	0.00	0.00	100.00	5.05	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	124.22	124.22	0.00	2.75	120.55	130.38	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	5.32	0.00	3.19	0.00	0.14	92.45	11.60	11.59	25.03	46.51	80.76
9.	हरियाणा	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	88.79	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	9.06	5.46	7.19	5.08	0.00	5.97	0.00	0.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	19.98	13.20	9.73	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखण्ड	0.76	0.00	0.00	115.52	10.01	53.54	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	17.07	8.03	3.10	158.96	117.88	22.55	17.46	57.46	57.25	42.54	42.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	केरल	1.61	0.75	0.00	41.52	13.25	0.00	0.00	5.00	4.98	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	89.92	78.57	265.88	253.78	43.43	60.72	145.24	208.92
16.	महाराष्ट्र	20.85	0.29	0.37	81.86	24.58	153.90	39.81	28.00	7.44	112.00	27.09
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	8.38	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	11.97	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	1.01	1.01	0.00	7.25	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	5.18	5.19	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	21.94	1.08	0.00	197.81	175.63	0.00	0.00	150.00	155.76	0.00	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.67	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.59	9.52	0.00	0.00	621.36	502.23
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	4.59	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	17.41	2.94	0.00	151.84	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	0.18	0.00	0.09	32.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	253.52	10.55	244.74	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तरांचल	0.13	0.00	0.00	16.98	5.88	12.89	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	5.82	0.00	0.00	225.60	146.57	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0.64	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.98	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	196.47	76.42	6.79	2357.09	1318.92	1114.37	563.66	2166.03	2051.21	967.65	861.54

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के अधीन आवंटन खाद्यान्नों के रूप में किया जाता है।

(अनंतिम)

विवरण-VI

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मध्याह्न भोजन योजना				पोषाहार कार्यक्रम				जोड़	अन्नपूर्णा	
		चावल		गेहूं		चावल		गेहूं			चावल	गेहूं
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन (चावल +गेहूं)	उठान	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	223.69	119.06	0.00	0.00	2.12	0.00	27.47	14.46	11.18	7.65	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
3.	असम	91.72	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.01
4.	बिहार	57.59	20.14	185.29	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	4.08	5.80
5.	छत्तीसगढ़	74.55	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	9.55	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	20.22	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
7.	गोवा	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.03	0.00
8.	गुजरात	32.59	8.49	32.59	8.49	0.00	0.00	28.00	0.43	0.00	0.00	0.00
9.	हरियाणा	23.07	15.27	23.07	15.26	0.00	0.00	0.90	0.10	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	19.20	14.23	0.00	0.00	1.88	0.60	2.14	0.69	0.76	0.74	0.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	26.66	0.43	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00
12.	झारखण्ड	47.44	10.91	4.36	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	3.79	0.00
13.	कर्नाटक	142.92	60.66	10.64	7.48	55.99	19.55	35.00	8.04	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	47.11	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	0.00
15.	मध्य प्रदेश	49.31	28.15	161.34	97.23	2.00	0.00	60.00	27.58	0.00	0.55	2.18
16.	महाराष्ट्र	297.93	201.51	0.00	0.00	45.47	13.13	0.00	0.00	1.20	0.12	0.06
17.	मणिपुर	8.62	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	13.04	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.40	0.00
19.	मिजोरम	2.81	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	नागालैण्ड	4.97	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	0.40	0.00
21.	उड़ीसा	123.76	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37.30	10.36	7.78	5.48	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	48.62	25.27	21.06	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	0.00	154.04	113.29	0.00	0.00	5.16	1.07	12.64	0.00	9.67
24.	सिक्किम	2.31	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	108.03	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76	5.67	8.64	6.35	0.00
26.	त्रिपुरा	13.80	5.92	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	1.78	0.77	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	151.10	94.70	294.57	181.61	0.00	0.00	31.07	6.73	0.00	0.00	29.84
28.	उत्तरांचल	20.79	7.22	3.86	0.69	0.00	1.40	7.00	0.01	0.00	0.55	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	292.92	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	2.71	0.00
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.08	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.25	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0.78	0.23	0.00	0.00	0.09	0.00	0.05	0.00	0.45	0.00	0.00
33.	दमन एवं दीव	0.90	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.25	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	1884.22	993.61	993.85	518.01	133.80	34.68	311.00	85.69	77.85	40.08	47.56

अन्नपूर्णा के अधीन आवंटन खाद्यान्नों के रूप में किया जाता है और दर्शाए गए उठान में, वर्ष 2001-02 के लिए किए गए आवंटन के प्रति उठान शामिल है।

(अनंतिम)

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./छात्रावास				स.ग्रा.रो.यो.			
		चावल		गेहूं		चावल		गेहूं	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	72.24	40.96	0.00	0.00	2024.26	1463.06	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.57	0.21	0.19	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
3.	असम	34.12	0.04	0.00	0.01	0.00	174.91	0.00	0.00
4.	बिहार	44.39	0.00	66.58	0.00	131.46	108.37	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	22.52	0.00	6.46	0.00	259.31	8.14	0.00	0.00
6.	दिल्ली	1.58	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.40	0.01	0.25	0.00	066	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	9.86	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00	38.08	49.70
9.	हरियाणा	0.00	0.00	13.04	0.05	0.00	0.00	78.69	69.92
10.	हिमाचल प्रदेश	4.38	0.70	2.92	0.23	9.58	3.58	8.46	1.84
11.	जम्मू एवं कश्मीर	8.06	0.00	2.54	0.00	7.12	6.93	3.43	2.56
12.	झारखण्ड	16.30	0.00	24.44	0.00	96.44	20.93	56.22	13.43
13.	कर्नाटक	44.57	7.96	11.15	2.19	318.89	257.99	14.97	13.57
14.	केरल	27.62	0.45	0.00	0.00	51.48	43.31	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	19.18	0.00	44.53	0.00	165.16	45.76	265.35	170.27
16.	महाराष्ट्र	40.66	3.56	75.52	5.34	49.92	52.75	90.51	87.02
17.	मणिपुर	2.20	0.37	0.00	0.00	4.53	1.02	0.00	0.00
18.	मेघालय	3.25	0.57	0.00	0.00	7.23	4.41	0.00	0.00
19.	मिजोरम	1.21	0.71	0.00	0.00	1.85	2.80	0.00	0.00
20.	नागालैण्ड	1.78	0.00	0.43	0.00	3.58	2.78	1.96	1.96
21.	उड़ीसा	74.22	1.74	0.00	0.00	495.14	371.39	0.00	0.00
22.	पंजाब	1.32	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	11.96	7.79
23.	राजस्थान	0.47	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00	330.86	355.32*
24.	सिक्किम	0.77	0.04	0.00	0.00	2.76	0.02	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	91.15	13.39	0.00	0.00	190.64	106.08	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	5.24	0.00	0.00	0.00	12.89	18.35	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	49.63	0.00	108.02	0.00	81.34	106.54	493.38	323.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	उत्तरांचल	4.69	0.00	2.63	0.00	44.94	15.19	26.98	9.46
29.	पश्चिम बंगाल	72.73	0.01	12.41	0.00	93.80	98.05	0.00	0.00
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.25	0.00	0.12	0.00	0.38	0.57	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.01	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमन एवं दीव	0.22	0.00	0.06	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.57	0.00	0.00	0.00	0.64	0.32	0.00	0.00
	जोड़	658.21	70.72	452.87	7.82	4058.34	2913.42	1420.85	1105.92

(अनंतिम)

(*बैकलॉग के प्रति उठान शामिल है)

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक चावल और गेहूं के आवंटन एवं उठान को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	20.00	–	20.00	18.00	–	18.00
2.	छत्तीसगढ़	2.36	–	2.36	1.31	–	1.31
3.	हरियाणा	–	0.25	0.25	–	–	–
4.	कर्नाटक	3.65	–	3.65	2.00	–	2.00
5.	मध्य प्रदेश	1.44	2.23	3.67	0.23	1.19	1.42
6.	राजस्थान	0.00	10.10	10.10	–	4.75	4.75
7.	उड़ीसा	4.00	–	4.00	2.89	–	2.89
8.	उत्तर प्रदेश	–	2.00	2.00	–	0.01	0.01
9.	उत्तरांचल	0.31	0.19	0.50	–	–	–
10.	तमिलनाडु	0.50	–	0.50	0.5	–	0.50

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखण्ड	0.20	0.20	0.40	—	—	—
12.	हिमाचल प्रदेश	0.06	0.04	0.10	0.03	0.02	0.05
13.	केरल	0.10	—	0.10	—	—	—
	जोड़	32.62	15.01	47.63	24.63	5.97	30.93

हिन्दी]

अंत्योदय अन्न योजना

823. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
प्रो. ए. के. प्रेमाजम :
श्री शिवाजी माने :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना से राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना से राज्यवार कितना खाद्यान्न कितना खाद्यान्न उठाया गया;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस योजना के संबंध में अपनी आपत्तियां प्रकट की हैं और वे इसे कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या लोगों के लक्षित समूहों के लिए निर्धारित खाद्यान्न वास्तव में उन तक पहुंच रहा है या नहीं, यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में समय-समय पर अध्ययन किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अंत्योदय परिवारों की संख्या	अंत्योदय अन्न योजना के लिए खाद्यान्नों का उठान (आंकड़े हजार टन में)	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	622,800	2.83	191.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	15,100	0	0.74
3.	असम	281,500	0	28.52
4.	बिहार	999,982	0	108.55
5.	छत्तीसगढ़	287,400	0.34	77.88
6.	दिल्ली	32,000	0	1.2
7.	गोवा	7,300	0	0.73
8.	गुजरात	325,000	0.09	56.75
9.	हरियाणा	111,838	0	22.66
10.	हिमाचल प्रदेश	78,700	1.89	23,09
11.	जम्मू एवं कश्मीर	112,900	0	7.27
12.	झारखण्ड	366,500	0	62.79
13.	कर्नाटक	479.700	0	80.8
14.	केरल	238,200	0	61.51
15.	मध्य प्रदेश	632,400	10.94	173.56
16.	महाराष्ट्र	1,001,700	0	234.37

1	2	3	4	5
17.	मणिपुर	25,500	0	0.74
18.	मेघालय	28,100	0	2.81
19.	मिजोरम	10,500	0	3.16
20.	नागालैण्ड	18,900	0	2.84
21.	उड़ीसा	505,500	0	87.28
22.	पंजाब	71,700	0	8.07
23.	राजस्थान	372,600	8.87	102.78
24.	सिक्किम	6,700	0	1.15
25.	तमिलनाडु	716,088	0	24.76
26.	त्रिपुरा	45,224	0	6.79
27.	उत्तरांचल	76,300	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	1,637,000	0	246.43
29.	पश्चिम बंगाल	740,941	0	56.91
30.	अंडमान एवं निकोबार	4,300	0	0.43
31.	चंडीगढ़	3,200	0	0.32
32.	दादरा एवं नगर हवेली	2,800	0	0.78
33.	दमन एवं दीव	600	0	0.11
34.	लक्षद्वीप	400	0	0
35.	पांडिचेरी	10000	0	0.92
	जोड़	9,869,373	24.35	1678.19

व्यापार मंत्रियों का लघु-मंत्रालयीय सम्मेलन

824. श्री सुरेश कुरुप : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व व्यापार संगठन की कैनकन मंत्रालयीय बैठक के लिए कार्यसूची पर चर्चा करने के लिए मार्च, 2003 में व्यापार मंत्रियों का एक लघु मंत्रालयीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन–कौन से देशों ने इस प्रस्ताव पर चर्चा करने में अपनी गहरी रुचि प्रकट की है; और

(घ) भारत द्वारा चर्चा के लिए तैयार की गई प्रस्तावित कार्यसूची की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) मार्च, 2003 में व्यापार मंत्रियों के लघु मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के बारे में भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, राष्ट्रकुल व्यापार परिषद् (सीबीसी) जो कि राष्ट्रकुल देशों के व्यापारिक लीडरों का एक गैर–सरकारी निकाय है, ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से 15–16 मार्च, 2003 को नई दिल्ली में राष्ट्रकुल व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। उनके अनुरोध पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सम्मेलन में भाग लेने हेतु व्यापार मंत्रियों को निमंत्रण पत्र जारी किए हैं। दो व्यापारिक निकायों द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह शिखर सम्मेलन डब्ल्यू टी ओ का लघु मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नहीं है क्योंकि डब्ल्यू टी ओ का स्वरूप अंतरसरकारी होता है।

कार्यालय ज्ञापन का संशोधन

825. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री रामजी मांझी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री 'केन्द्रीय भंडार से खरीद के बारे में' 9 अगस्त, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या–4136 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने 14.7.1981 के कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा की है या इसे वापस ले लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इसकी कब तक समीक्षा की जाएगी/वापस लिया जाएगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) 9 अगस्त, 2002 को उत्तरित लिखित प्रश्न संख्या–4136 में केन्द्रीय भंडार से खरीदे गए भंडारों के विषण में सूचना मांगी गई है। केन्द्रीय भंडार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होने के कारण इस मंत्रालय ने लिखित प्रश्न संख्या–4136 के भाग (जी) से (आई) में दी गई सूचना को एकत्रित करने की जिम्मेवारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अंतरित की थी, जो कि उनके द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

(ग) से (ङ) सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस मंत्रालय के साथ परामर्श करके दिनांक 14.7.1981 को सामान्य वित्तीय नियमावली (जी. एफ.आर.) में निर्धारित निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने की प्रक्रिया में छूट देते हुए एक आदेश जारी किया था, जिसमें केन्द्र सरकार के सभी विभागों, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित तथा/अथवा नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए लेखन–सामग्री एवं अन्य मदों की सभी स्थानीय खरीद केवल केन्द्रीय भंडार से ही करना अनिवार्य कर दिया था। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए तथा सरकारी संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक एवं आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ को दी गई मौजूदा विशेष व्यवस्था की समीक्षा करने के प्रश्न पर विचार किया गया तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से दिनांक 14.7.1981 के अपने कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा करने तथा तीनों सहकारी समितियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त सुरक्षोपाय के साथ सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के पालन हेतु संशोधित अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, यह संशोधित अनुदेश जारी नहीं किए गए थे, तब से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अंतरमंत्रालयी परामर्शों को रोकने का निर्णय लिया था। इस मामले में कोई भी निर्णय इन पर अंतरमंत्रालयी विचार–विमर्श के पश्चात ही लिया जाता सकता है।

जीवन बीमा निगम की योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना

826. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री राम मोहन नाइडू :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने हाल ही में कुछ सुनिश्चित आय योजनाओं को चरबणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण क्या हैं; और

(घ) बीमा कंपनियों पर निवेशकों का विश्वास कम न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) अपने उत्पादों के पोर्टफोलियो की उनकी वित्तीय सक्षमता के निर्धारण की दृष्टि से नियमित/निरंतर पुनरीक्षा करता है। विद्यमान योजना को वापस लेना/संशोधित करना परिस्थितियों/ कारणों पर निर्भर करता है, जैसे बाजार में उपलब्ध दीर्घकालिक ब्याज दरें, व्यय अनुभव, ग्राहकों की बदलती आवश्यकताएं आदि।

निगम ने सूचित किया है कि उसने अपने विद्यमान पोर्टफोलियो की पुनरीक्षा की है और 15 फरवरी, 2003 से 3 योजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह सीमित भुगतान जीवन पालिसी (मुनाफा रहित) सारणी सं. 3; एकल प्रीमियम वाली सीमित भुगतान जीवन पालिसी (मुनाफा रहित) सारणी सं. 7 और दोहरी बंदोबस्ती पालिसी (मुनाफा रहित) सारणी 18 है।

सीमित भुगतान जीवन पालिसी में केवल मृत्यु की स्थिति में बीमित धनराशि के भुगतान का प्रावधान है। सारणी 3 के अंतर्गत प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति को अपनी सुविधानुसार 5 से 25 वर्ष की किस्त अदायगी अवधि चुनने का विकल्प उपलब्ध है। सारणी–7 के अंतर्गत संपूर्ण प्रीमियम का एकमुश्त भुगतान करना होता है।

दोहरी बंदोबस्ती पालिसी में परिपक्वता पर बीमित प्राथमिक धनराशि का दुगुना/दो बार भुगतान करने का प्रावधान है। परन्तु

इस अवधि के दौरान मृत्यु होने पर केवल बीमित धनराशि का भुगतान देय होता है।

इन योजनाओं को वापस लेने के कारणों में निवेश प्रतिफल में कमी और विद्यमान प्रीमियम दरों की अव्यवहार्यता शामिल है।

फिर भी, इन योजनाओं को वापस लेने से पहले जारी जीवन बीमा पालिसियों के अधीन वचनबद्धताओं को पालिसी की शर्तों के अनुसार पूरा किया जाएगा।

डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ

827. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर हरे/लाल निशान होते हैं जबकि अधिकांश उत्पादों की सूची नहीं रहती है;

(ख) यदि हां, तो प्रयोग किए जाने वाले पायसों को भी सूचीबद्ध नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर इस प्रकार की सूचना के अंकन को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पैक किए हुए प्रत्येक खाद्य पदार्थ पर एक लेबल लगा लेना चाहिए तथा जब इन नियमों के अंतर्गत अन्यथा प्रावधान न किया जाए जब तक उस पर अन्य बातों के साथ–साथ उत्पाद में प्रयुक्त घटकों के नाम यथास्थिति उनके वजन अथवा मात्रा के संयोजन के अनुसार घटते हुए क्रम में निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा वानस्पतिक खाद्यों के लिए हरे एवं गैर वानस्पतिक खाद्यों के लिए भूरे रंग के प्रतीक दर्शाए जाएंगे। खाद्य योजगों जैसे कि पायसीकरण तथा परिरक्षक घटकों के वर्गनाम का भी उल्लेख किया जाएगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके बनाए गए नियम 1955 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दाण्डिक प्रावधान है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को लागू करने वाली राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करें।

प्रवासी भारतीय दिवस

828. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवासी भारतीय दिवस में इस बात पर विचार किया गया कि अनिवासी भारतीयों को भारत के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो प्रवासी भारतीय दिवस आयोजनों की आर्थिक उपलब्धियां क्या रही हैं; और

(ग) इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही किस नोडल एजेंसी को सौंपी गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) नई दिल्ली में 9 से 11 जनवरी, 2003 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आयोजित किए गए थे। इन विचार–विमर्शों का सकारात्मक परिणाम रहा है तथा 61 देशों से आए प्रतिभागियों के साथ सम्मेलन से कई महत्त्वपूर्ण सुझाव व विचार सामने आए। विदेश मंत्रालय, जिसने इस समारोह का आयोजन किया, संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई का अनुवीक्षण करेगा।

तम्बाकू संबंधी प्रबीर सेनगुप्ता समिति की सिफारिशें

829. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री प्रबीर सेनगुप्ता की एफवीसी तम्बाकू उत्पादन के विनियमन की सिफारिश करने वाली "पियर रिव्यू रिपोर्ट" सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) "पियर रिव्यू" रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ नीलामी प्रणाली को जारी रखते हुए तथा तंबाकू बोर्ड द्वारा सुविधादाता की भूमिका का निर्वाह करते हुए फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू के उत्पाादन को चरणबद्ध ढंग से नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में

की गई सिफारिशों पर संबंधित राज्य सरकार के साथ विचार–विमर्श करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बड़ी संख्या में शेयरों को जारी करने के लिए मानदण्ड

830. श्री राम माहेन गाड्डे : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी का बड़ी संख्या में शेयरों को जारी करने संबंधी मानदंडों में ढील देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) भारतीय शेयर बाजारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 के तहत, कोई भी कंपनी जो एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की इच्छुक है, को जनता को अपनी निर्गम पश्च चुकता पूंजी के कम से कम 25 प्रतिशत का या निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करने के बाद अपनी निर्गम पश्च चुकता पूंजी के 25 प्रतिशत से कम (न्यूनतम 10 प्रतिशत) की पेशकश करना अपेक्षित होगा :

1. पेशकश की गई प्रतिभूतियों की संख्या कम से कम 20 लाख होनी चाहिए।
2. पेशकश का आकार कम से कम 100 करोड़ रु. होना चाहिए, और
3. क्यू आई बी को निर्गम, निर्गम के आकार के 60 प्रतिशत के न्यूनतम आवंटन सहित बही निर्माण तंत्र के जरिए किया जाएगा।

सेबी को उपर्युक्त तीसरी शर्त की पुनरीक्षा करने के लिए कंपनियों और मर्चेन्ट बैंकरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सेबी इन अभ्यावेदनों की जांच कर रहा है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन

831. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार विधिक व्यवसाय में यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निपटारा करने हेतु एक तंत्र प्रदान करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जब तक इस अधिनियम में संशोधन किया जाता है तब तक कर काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य–वार काउंसिल यौन उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए अनुशासनात्मक समिति का गठन कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सुझाव से सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राहत कार्यों हेतु धनराशि

832. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4.2.03 को राष्ट्रीय सहारा में "राहत कार्यों के लिए राजस्थान के पास धन नहीं" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) राजस्थान को राहत कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्य राज्यों से इस तरह के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) भारत सरकार ने आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ) की स्कीमों के दिशा–निर्देशों के अनुसार आपदा राहत निधि और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत जारी धनराशियों के माध्यम से आपदा राहत के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सम्पूरित किया है। वर्ष 2000–01 से 2002–03 के दौरान, आपदा राहत निधि में केन्द्र की हिस्सेदारी के तौर पर 534.35 करोड़ रुपए और सूखा राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत 331.31 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है। राजस्थान

को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के विशेष घटक के अंतर्गत खाद्यान्नों की 10.1 लाख टन प्रमात्रा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2002–03 के दौरान राज्य सरकार को सूखे पर राहत पाने के लिए खर्च करने के साथ–साथ उसके द्वारा झेले जा रहे राजकोषीय भार से निजात पाने के लिए 463.00 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

(घ) और (ङ) कुछ राज्यों से आपदा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथा राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने के परिणामस्वरूप एन.सी.सी.एफ. के अंतर्गत इन राज्यों को सहायता इन राज्यों का दौरा करने के लिए भेजे गए केन्द्रीय दलों के आकलन के विचारण आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में वेतन का भुगतान

833. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1.2.2003 के 'दैनिक हिन्दुस्तान' में 'कई कम्पनियों ने वेतन का भुगतान देश के बाहर विदेशी मुद्रा में किया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कौन–कौन सी कंपनियां शामिल हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत जांच के बाद यह पाया गया है कि 18 बहु–राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना भारत में कार्यरत विदेशी कर्मचरियों को विदेश में वेतन/अधिलब्धियों का भुगतान किया गया है।

(ग) इस मामले में संलिप्त 18 कंपनियों के नाम इसके उत्तर विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और तदनुसार न्यायनिर्णयन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

विवरण

उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं

क्र.सं.	बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)
1.	मै. जापान एयर लाइन्स, नई दिल्ली	103.47
2.	मै. हुन्डई मोटर (इंडिया) लि., नई दिल्ली	804.50
3.	मै. सैमसंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली	2403.93
4.	मैं. मेरूबेनी (इंडिया) प्रा. लि. नई दिल्ली	983.72
5.	मै. बैंक आफ टोकियो मित्सुबिशी लि., नई दिल्ली	2043.19
6.	मै. मोटरोला (इंडिया) लि., गुड़गांव	557.67
7.	मै. मित्सुबिशी कार्पोरेशन, नई दिल्ली	2052.92
8.	मै. सनवा बैंक लि., (यू.एफ.जे.बैंक लि.) नई दिल्ली	260.04
9.	मै. बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, नई दिल्ली	42.31
10.	मै. एल.जी. इलैक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली	80.63
11.	मै. सोनी (इंडिया) लि., नई दिल्ली	574963183 जापानी येन
12.	मै. ड्यूश बैंक, नई दिल्ली	1343.42
13.	मै. सकूरा बैंक, नई दिल्ली	40978509 जापानी येन
14.	मै. ऑल निप्पन एयरवेज, नई दिल्ली	147.33
15.	मै. नोकिया टेलीकम्युनिकेशन्स, नई दिल्ली	1086.02
16.	मै. एरीक्सन (इंडिया) प्रा. लि., नई दिल्ली	3546.05
17.	मै. देवू मोटर्स, नई दिल्ली	266.68
18.	मै. फूजी बैंक लि., नई दिल्ली	280.88

[अनुवाद]

विश्व आर्थिक मंच

834. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में हो रही प्रगति की निगरानी करने के लिए गठित विश्व आर्थिक मंच 2003 ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) विश्व आर्थिक मंच की वर्ष, 2003 की वार्षिक बैठक (23–28 जनवरी, 2003; दावोस स्विट्जरलैंड) बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितता और जटिलता के पृष्ठपट में हुई। बैठक का विषय "विश्वास निर्माण" (बिल्डिंग ट्रस्ट) था। बैठक में चर्चा हुए विभिन्न मुद्दों में ये शामिल थे : विश्वास और मूल्य, वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाएं, सुरक्षा और भू–राजनीति, कंपनी अभिशासन और वैश्विक अभिशासन। वैश्विक अभिशासन संबंधी विचार–विमर्श स्थाई विकास के लिए अंतिम विश्व शिखर सम्मेलन (जोहन्सबर्ग, 2002) की चर्चाओं और परिणामों पर आधारित थे, जो सशक्त परिणाम प्राप्त करने के लिए कारोबारी समुदायों के संसाधनों और उद्यमकारिता वाले गैर–सरकारी संगठनों की जानकारी और युक्तिसंगतता के संयोजन पर केन्द्रित थे। बैठक में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के संबंध में हाल ही के विश्व बैंक अनुमान पर भी चर्चा हुई, जिसे विश्व के अधिकांश क्षेत्रों द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, यदि प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक औसत वृद्धि बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो गई होती।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अरूण जेटली।

(व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : महोदय, श्री अरूण जेटली की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 जो 2 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7002/2003]

(2) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7003/2003]

(4) (एक) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7004/2003]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह बात बहुत आम हो गई है। मैं समझ सकता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने महत्वपूर्ण काम में व्यस्त होंगे। परंतु कम से कम इसकी जानकारी तो दी जानी चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, जानकारी दी गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या जानकारी दी गई है?

श्री राजीव प्रताप रूडी : जी हां, दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : हां, दी गई है।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : महोदय, मैं श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7005/2003]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2002 जो 4 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 105(अ) जो 28 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गगझ) में यथापरिभाषित "सहकारी बैंक" को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ "बैंक" के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए संख्या** एल.टी. 7006/2003]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 827(अ) जो 19 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 39/2001–के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 834(अ) जो 23 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) 'सेनवेट' क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2002 जो 23 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 858(अ) जो 31 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 859(अ) जो 31 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इथेनॉल ब्लैंडिड पेट्रोल (मोटर स्प्रिट और इथेनॉल के मिश्रण से

विनिर्मित, जिस पर उपयुक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है) को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 860(अ) जो 31 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्पिरिट, जब उनका 5% इथेनॉल ब्लैंडिड पेट्रोल के विनिर्माण में प्रयोग किया जाना है, पर उतने उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट देना है जितना किसी विनिर्माता द्वारा किसी स्वतंत्र क्रेता को बेचे गए मोटर स्पिरिट पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि 4(अ) जो 2 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002–के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 9(अ) जो 3 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/1999–के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 12(अ) जो 27 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 62 (अ) जो 27 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 64/2002–के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7007/2003]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 483(अ) जो 23 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 29 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या 227–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 833(अ) जो 23 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 856(अ) जो 31 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 857(अ) जो 31 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 अगस्त, 1999 की अधिसूचना संख्या 105/99–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 10(अ) जो 3 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 13(अ) जो 6 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 6(अ) जो 3 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना

संख्या 21/2002–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 30(अ) जो 15 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या 40/2002–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 41(अ) जो 20 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 अगस्त, 1999 की अधिसूचना संख्या 105/99–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 53(अ) जो 24 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अंतर्गत अध्यायों, शीर्षों और उपशीर्षों के लिए अपनाई गई संख्यांकन स्कीम को प्रतिस्थापित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 26(अ) जो 13 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 25/99–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) धारा 157 (संशोधन) विनियम, 2003 के अंतर्गत सीमा शुल्क विनियम जो 24 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 11(अ) जो 6 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3क के अंतर्गत उन पर उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त शुल्क को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7008/2003]

(5) सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 839(अ) जो 26 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित विटामिन एडी3–500/100 पर अंतिम रूप से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 840(अ) जो 26 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर कोरिया गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्राक्साइड पर अंतिम रूप से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 844(अ) जो 27 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर अमरीका और कनाडा में उद्भूत या वहां से निर्यातित विटामिन सी पर अंतिम रूप से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 1(अ) जो 1 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर रूस, उक्रेन और कोरिया गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इंडक्शन हार्डन्ड फोर्ज्ड रोल्स पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 2(अ) जो 2 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित श्रेणी 2क और उससे नीचे के अपरिष्कृत मलबेरी सिल्क पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 7(अ) जो 3 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 69/2000–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 14(अ) जो 7 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित पारदर्शक और रंगीन किस्म के 2 एम.एम. से 12 एम.एम. मोटाई के फ्लोट सीसे, जिसमें सजावटी, औद्योगिक अथवा ऑटोमोटिव उद्देश्यों के लिए निर्मित प्रसाधित सीसे शामिल नहीं हैं, पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 31(अ) जो 15 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर चीनी जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 32(अ) जो 15 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 40(अ) जो 20 जनवरी, 2003 के भारत* के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अमरीका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, चीन जनवादी गणराज्य और बेल्जियम में उद्भूत या वहां से निर्यातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स पर प्रतिपाटन शुल्क का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 54(अ) जो 24 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3क के अधीन जारी अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 55(अ) जो 24 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के अधीन जारी अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 56(अ) जो 24 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अधीन जारी अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 57(अ) जो 24 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा (5) की उप–धारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 74(अ) जो 31 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी ,द्वारा अनुसंशित दरों पर पोलैंड और ब्राजील में उद्भूत या वहां से निर्यातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स अल्ट्रा हाई पावर ग्रेड, पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 75(अ) जो 31 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 जून, 2002 की अधिसूचना संख्या 59/2002–सी.शु., को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7009/2003]

(6) आय–कर अधिनियम 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) आय–कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 28 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 255(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आय–कर (सत्ताइसवां संशोधन) नियम, 2002 जो 20 दिसम्बर, 2002 के भातर के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1345(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आय–कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 28 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 104(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) उपर्युक्त मद संख्या (6) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7010/2003]

(8) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (डेवलपमेंट स्टाफ के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2003 जो 3 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 7(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7011/2003]

(9) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2003 जो 21 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 44(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7012/2003]

(10) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 830(अ), जो 20 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7013/2003]

(11) व्यय–कर अधिनियम, 1987 की धारा 31 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यय–कर (पहला संशोधन) नियम, 2003 जो 15 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 46(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7014/2003]

(12) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7015/2003]

(13) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत 30 जून, 2002 को समाप्त अवधि के लिए भारत में आवास के रुख और उसकी प्रगति संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7016/2003]

(14) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं

की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन :

(एक) का बैंक नोंकियंग्डोंग रि खासी जयन्तिया, शिलांग

(दो) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7017/2003]

(तीन) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपोर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7018/2003]

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7019/2003]

(16) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2002 जो 14 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 763(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7020/2003]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : महोदय, मैं (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) शुष्क मछली निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 जो 30 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1376(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) नियम, 2002 जो 30 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1378(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) बासमती चावल निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 जो 23 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 68(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) दुग्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) (संशोधन) नियम, 2002 जो 30 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3719 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7021/2003]

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 मई, 2002 को पारित बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2002 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है :

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1, 'रिपनवें' *के स्थान पर* 'चौवनवें' *प्रतिस्थापित* किया जाए।

खंड-1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3, वर्ष '2002' *के स्थान पर* वर्ष '2003' *प्रतिस्थापित* किया जाए।

'इसलिए मैं उपरोक्त विधेयक राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के अनुसरण में इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि इन संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचित किया जाए।'

2. महोदय, मैं बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2002 राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करती हूं कि सोमवार, 24 फरवरी, 2003 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
2. 26 फरवरी, 2003 को प्रश्नकाल के तत्काल बाद वर्ष 2003–2004 के लिए रेल बजट का प्रस्तुतीकरण।
3. 28 फरवरी, 2003 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वर्ष 2003–2004 के लिए सामान्य बजट का प्रस्तुतीकरण।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सदस्यों द्वारा निवेदन किया जाएगा। श्री कोडीकुनील सुरेश।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, सबमिशन्स आप बाद में ले लीजिएगा। हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप निवेदन बाद में ले सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव को वरीयता दी जानी चाहिए। इसे हमेशा वरीयता मिली है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पांच–छः सबमिशन्स हैं, ज्यादा नहीं हैं। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य–सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए :

(1) केरल में तिरुवनंतपुरम, कोलम, पातनामितिटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) नहीं है। अन्य राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी जिलों में कार्यरत हैं। केरल में नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक और साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक संपूर्ण मालाबार क्षेत्र की जरूरत को पूरा करते हैं। परंतु केरल के त्रावणकोर क्षेत्र की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए, भारत सरकार को केरल के त्रावणकोर क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

(2) केरल में टेलिफोन कनेक्शन के लिए पांच लाख से अधिक आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं। यह देश की सबसे लंबी प्रतीक्षा सूची है। परंतु बीएसएनएल ने प्रतीक्षा सूची को कम करने के लिए समय पर कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि केरल में संपूर्ण प्रतीक्षा सूची को कनेक्शन दिए जाएं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य–सूची में शामिल किया जाए :

(1) लंबित पड़े महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की जानी चाहिए।

(2) असंगठित श्रमिकों और खेतिहर मजदूरों के लिए भविष्य निधि।

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य–सूची में शामिल किया जाए :

(1) सूखा, बाढ़ और भूकंप के लिए ऐसा प्रभावी तंत्र बनाया जाना चाहिए जो स्वतः बिना विलंब किए कार्यरत हो जाए।

(2) देश में सर्वत्र सर्वदा वातावरण को साम्प्रदायिक बनाने का मानवद्वेषी प्रयास।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य–सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :

1. इस वर्ष पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत अच्छा रहा है लेकिन बढ़े हुए उत्पादन ने विपणन से संबंधित समस्याएं पैदा कर दी हैं। धान

की कीमतें भी गिर गई हैं और किसान बहुत बड़ी परेशानी में हैं। लेकिन भारतीय खाद्य निगम पर्याप्त मात्रा में धान की खरीद नहीं कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम को पश्चिम बंगाल के बाजार में खुलकर आना चाहिए और उसे राज्य के किसानों को उबारने के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करनी चाहिए।

2. पश्चिम बंगाल में फाल्टा में विशेष निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया था। लेकिन इसके उचित कार्यकरण और बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए, सरकार को और अधिक धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। हल्दिया में एक अन्य विशेष निर्यात क्षेत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि हमारे निर्यात नक्शे पर शीघ्र ही एक नये औद्योगिक क्षेत्र को लाया जा सके।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्य–सूची में शामिल करने का कष्ट करें :

1. राष्ट्रीय गो सेवा आयोग ने गो–रक्षा संबंधी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2002 को माननीय प्रधान मंत्री एतं माननीय कृषि मंत्री जी को सौंपी है। आयोग की सिफारिशों को सदन के पटल पर रखकर गो–हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आयोग के अनुरोध को स्वीकार किया जाना।

2. भारत नेपाल तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर तेजी के साथ बढ़ रहे मदरसों की संख्या तथा उनकी भूमिका पर चर्चा।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य–सूची में शामिल किया जाए :

प्रधान मंत्री सहायता कोष से भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 30,000 रुपए गम्भीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी, हार्ट एवं अन्य बीमारियों के इलाज हेतु दी जाती है। राज्य सरकारें दो लाख रुपए तक सहायता देती हैं। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त कोष से धनराशि बढ़ाई जाए।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य–सूची में मेरे निम्न विषय जोड़ने की कृपा करें :

1. मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में विलंब–मध्य प्रदेश में गत दो वर्षों में सात करोड़ रुपए से ज्यादा मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने दिया है। लेकिन मुश्किल से अभी तक उस राशि में से 25 प्रतिशत खर्च हुआ है। ज्यादातर राशि उन सड़कों के निर्माण में ले ली गई है, जो पहले से बनी हुई हैं।

2. मध्य प्रदेश में सूखा प्रभावित जिलों में खाद्यान्न का अभाव "काम के बदले अनाज योजना" को सुचारु रूप से चालू न किया जाना–जो खाद्यान्न जा भी रहा है, वह ब्लैक हो रहा है। दो ट्रक खाद्यान्न सतना जिले के मैहर थाने में जब्त हो गया है। गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य–सूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं :

1. केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए आचार संहिता बनाई गई है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रकाशनार्थ "जन शिक्षा खंड 2" में राष्ट्रीय ध्वज द्वारा बनाया गया है। इस बाबत चर्चा की आवश्यकता है।

2. नक्सलवाद या अन्य आतंकवाद से जुड़े संगठनों से लड़ने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार का सम्मिलित उत्तरदायित्व है। अतः केन्द्र एवं राज्य संबंधों एवं उनके उत्तरदायित्व पर अविलम्ब चर्चा की जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य–सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :

1. बिहार पुनर्गठन के कारण बिहार की आर्थिक स्थिति की समीक्षा और बिहार की जनता को दिए गए आश्वासन के अनुसार आर्थिक पैकेज देने हेतु विचार–विमर्श।

2. देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या के कारण नौजवानों के लिए राष्ट्रीय युवा नीति का निर्माण एवं रोजगार सृजन हेतु भावी कार्यक्रम पर विचार–विमर्श।

अध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्य काल' लेंगे। श्री समजीलाल सुमन।

अपराह्न 12.09 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

अयोध्या में मंदिर निर्माण के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के चुनाव हो रहे हैं। कल हिमाचल प्रदेश में भारत के प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभाएं थीं। आज हिन्दुस्तान के सभी प्रमुख समाचार–पत्रों में छपा है---"वाजपेयी जी ने मंदिर निर्माण की जमकर वकालत की" और "हिमाचल में अटल ने खेला हिन्दू कार्ड"।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। ऐसा कहकर यह देश में दंगे कराना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : मंदिर वहां नहीं बनेगा तो कहां बनेगा?...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई काम नहीं है। देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसे गम्भीर मामलों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। यह केवल हिन्दू कार्ड ही खेलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, आप पहले इन्हें बैठने के लिए कहिए। मुझे इस मामले में आपका संरक्षण चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिए।

श्री रामजीलाल सुमन : मुझे पहले अपनी बात कहने दीजिए। इसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं।...*(व्यवधान)* क्या आप हमें बोलने नहीं देंगे?...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : यदि आप इस पर चर्चा कराना चाहते हैं तो करा लीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठिए। अयोध्या के बारे में सदन में चर्चा होने वाली है। आप उस समय बहस में हिस्सा ले सकते हैं। प्रधान मंत्री जी का इस विषय में एक निवेदन है और उसी विषय पर इनके पास एक प्वाइंट है। उन्होंने मुझे इस बारे में नोटिस दिया है और मैंने उनको बोलने की इजाज़त दी। उन्हें वह प्वाइंट रखने दिया जाए। यदि आपका उस प्वाइंट पर कोई विरोध है तो विरोध कर सकते हैं। प्लीज बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इनका जो मुद्दा है, उन्हें उसे रखने का पूरा अधिकार है। वह मुद्दा रखेंगे और सरकार की तरफ से उत्तर आएगा। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह जानबूझकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, इन्हें बोलने दीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, आज 21 तारीख को अयोध्या विवाद हेतु सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है और उससे पहले हिमाचल प्रदेश की चुनाव सभाओं में प्रधान मंत्री जी द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य देना कि "हिमाचल में अटल ने हिन्दू कार्ड खेला, वाजपेयी ने की मंदिर निर्माण की जमकर वकालत" और प्रधान मंत्री ने कहा "ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक दस्तावेज हमारे पास हैं जिनसे साबित हो जाएगा कि अयोध्या में विवादास्पद स्थान पर पहले कभी मंदिर था।" ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पूरी करिए। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड में जा रहा है। आप बोलिए।

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रधान मंत्री जी के बयान को तोड़–मरोड़कर पेश कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : राज जन्म भूमि के मुद्दे पर प्रधान मंत्री बयान नहीं देंगे तो कौन देगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, आपने इस विषय पर एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी है। आपने उन्हें अनुमति देकर काफी उदारता दर्शायी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज सुनिए। सोमनाथ चटर्जी जैसे सीनियर मैम्बर खड़े हैं। आप उनकी बात सुनिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय पर सूचना दी थी आपने उन्हें उस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित कर काफी उदारता दिखाई है, लेकिन आपके इस निर्णय को सत्ताधारी दल द्वारा इस तरह से चुनौती दी जा रही है। यदि सत्ताधारी दल द्वारा अध्यक्षपीठ के प्रति कोई आदरभाव नहीं दर्शाया जाता है, तो संसद कैसे काम कर पाएगी? ...*(व्यवधान)* यह क्या बात है?

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, इन्हें अनुशासित रखने के लिए इनके नेता सभा में नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : आप पहले पूरा बयान पढ़िए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : योगी जी, आप जानते हैं कि आप लोगों ने कोई नोटिस नहीं दिया है। आप क्यों खड़े हैं? आपने इस विषय में नोटिस क्यों नहीं दिया है? आप भी नोटिस दे सकते थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शिवाजी माने जी, आपने भी नोटिस नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे बोल सकता हूं, पहले इन लोगों को बैठाइए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत दी है, आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात सुननी होगी, उसके बाद ही ये लोग अपनी बात कह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पूरी क्यों नहीं करते, आप पूरी करिए।

श्री रामजीलाल सुमन : पहले आप इन्हें बैठाइए, उसके बाद ही मैं बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर जा रहा है। आप शान्ति से बोलिए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई थी। अगर भारत सरकार के पास कोई प्रमाण हैं तो वह कोर्ट में पेश करे। कल प्रधान मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की चुनाव सभा में कहा कि हमारे पास ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक दस्तावेज हैं जिससे साबित हो जाएगा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर कभी मंदिर था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कनवीनर पूर्व सांसद सैयद शाहाबुद्दीन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। 22, 23, 24 फरवरी को धर्म संसद शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आज 21 तारीख थी जिसमें 6 मार्च लगा दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, देश में धर्मान्ध वातावरण बनाने के लिए यह कोशिश की जा रही है। गुजरात के चुनाव के समय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हिन्दुत्व को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया जाएगा लेकिन गुजरात में हिन्दुत्व मुद्दा बनाया गया। चूंकि सरकार बेरोजगारी, महंगाई जैसे गम्भीर विषयों को हल करने में असफल रही है, इसलिए पूरे देश में जानबूझकर विद्वेष की भावना पैदा करना चाहते हैं। देश के वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले की सफाई दे क्योंकि यह जानबूझकर दिया गया बयान है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, अभी सोमवार को ही, माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हममें से प्रत्येक को न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अयोध्या समस्या का समाधान या तो आपसी विचार–विमर्श के माध्यम से या फिर न्यायालय के निर्णय द्वारा होना चाहिए। यह मामला अब भी न्यायालय में लंबित है। न्यायालय ने इस पर अपना अंतिम निर्णय नहीं दिया है। न्यायालय अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि उस स्थान पर बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले कोई मंदिर था या नहीं। फिर, भारत के प्रधान मंत्री हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैली में इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, जब इस ममाले पर चर्चा होने वाली है और बी.ए.सी. ने तय कर दिया है तो फिर यह चर्चा क्यों की जा रही है?

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की चुनाव सभा में जो वक्तव्य दिया है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार उत्तर देगी। आप कृपया बैठ जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हममें से प्रत्येक को न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह हिमाचल प्रदेश में केवल भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने के उद्देश्य से कहा गया है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे यह साबित हो जाएगा कि वहां बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले एक मंदिर था। यदि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं तो वह उन्हें न्यायालय को क्यों नहीं सौंपते जिससे यह साबित हो सके कि पूर्व में वहां एक मंदिर था। इससे हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। भारत के प्रधान मंत्री द्वारा इस तरह का वक्तव्य देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से, मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण मांगता हूं कि वे यह स्पष्ट करें जब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो प्रधान मंत्री ने इस तरह का वक्तव्य क्यों दिया। जब न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपना अंतिम निर्णय नहीं दिया है तो प्रधान मंत्री ने इस तरह का वक्तव्य क्यों दिया? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। बिहार में किसानों की बहुत बुरी हालत है...*(व्यवधान)* बिहार का विषय बहुत गंभीर है...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, 98 प्रतिशत लोग इस पक्ष में नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है...*(व्यवधान)* महोदय, माननीय प्रधान मंत्री न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठिए, मैं बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बनातवाला, मैंने यह बात कही और सदस्यगण सहमत हो गए और जब मैं बोल रहा हूं, सदस्यों को बैठ जाना चाहिए।

मैंने माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन तथा श्री बसुदेव आचार्य से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त की हैं। अयोध्या के मामले पर वाद–विवाद होने जा रहा है। सभा में इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। इस बीच माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है और सदस्यों के अनुसार यह वक्तव्य उपयुक्त नहीं है और इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : सर, हमारे भी बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : श्री सोमनाथ चटर्जी का नोटिस है...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : अयोध्या में राम मंदिर होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि यदि एक बार इसकी अनुमति दे दी गई तो 'शून्य काल' का सारा समय इसमें व्यतीत हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने भी एक नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इस देश में 98 प्रतिशत लोग धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : अयोध्या का मुद्दा डिस्कशन के लिए बाद में आ रहा है, ये अभी क्यों बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब आपका विषय आएगा तब बोलिए....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। हमें कांग्रेस पार्टी के उप–नेता की बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस पार्टी के उप–नेता कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, आपने इस महीने की 26 तारीख को इस मुद्दे पर चर्चा तय की थी। हमें उस समय अपनी बात रखते हुए बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन तभी माननीय प्रधान मंत्री जी का एक वक्तव्य आया और वह वक्तव्य पूरी तरह से विभाजनकारी है। इससे समाज और देश के हितों को नुकसान पहुंचने वाला है। यदि वोटों के खातिर और लोगों का ध्यान बंटाने के खातिर यदि उनकी ओर से ऐसा वक्तव्य दिया जा रहा है तो यह संसद और देश के लिए अच्छा नहीं है। यदि माननीय प्रधान मंत्री इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है, वह भी उसमें एक पक्षकार हैं और यह बात देश के हित में नहीं है। इसीलिए, इस मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए हमने इसे इतने जोर–शोर से उठाया है, न कि इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। हम संक्षेप में यह बात कहना चाहते थे कि हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया यह वक्तव्य न तो हमारे समाज के और न ही हमारे देश के हित में है। अभी तक हम जिस सिद्धांत का पालन करते आए हैं कि हम उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे जो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, यह वक्तव्य उस सिद्धान्त के विरुद्ध है। उच्चतम न्यायालय आज स्वयं इस मामले पर चर्चा करने वाला है। उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी है और इस पर सुनवाई रोक दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इसी बात को प्रकाश में लाना चाहते थे और कोई बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : सर, इस पर पूरी डिबेट होगी तो हम लोगों के महत्वपूर्ण मामलों का क्या होगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि 'शून्य काल' में कई महत्वपूर्ण मामले लगे हैं, मैं केवल श्री सोमनाथ चटर्जी को संक्षेप में अपनी बात रखने की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : ये क्या बात है कि हर बार यही लोग बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सभा में यह परिपाटी है कि जब भी दल के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं, आमतौर पर उन्हें बोलने की अनुमति दे दी जाती है। यदि ऐसा लगता है कि इस परिपाटी को बदला जाना चाहिए तो मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम इसलिए चिंतित हैं कि यह वक्तव्य शासनाध्यक्ष की ओर से दिया गया है। एक मामला जो न्यायालय के समक्ष लंबित है उस पर प्रधान मंत्री ने यह टिप्पणी की है कि उन्हें पक्का विश्वास है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वहां पहले मंदिर था। अब, न्यायालय और किस बात का निर्णय करेगा? इसलिए, मैं पूछता हूं कि क्या हर कोई इस तरह की बातें करने लग जाएगा? कोई आम आदमी होता तो न्यायालय उसे मानहानि के आरोप में सजा सुना देता। प्रधान मंत्री इस विवादास्पद मुद्दे पर अपना स्पष्ट मत व्यक्त कर न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

दूसरी बात यह है कि जब भारत के प्रधान मंत्री ही अपने चुनावी भाषण में सांप्रदायिक मुद्दों को उछाल रहे हैं, जो इस देश में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित है...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुंबई, दक्षिण मध्य) : आप न्यायालय जा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कहना बहुत आसान है कि 'न्यायालय में चले जाइए'। प्रश्न यह है कि क्या किसी चुनाव का निर्णय साम्प्रदायिकता के आधार पर होना चाहिए? अब, यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि भा.ज.पा. और सत्ताधारी गठबंधन—मैं नहीं जानता कि रा.ज.ग. में कौन—कौन हैं—ने यह निर्णय लिया है कि वे चुनाव जीतने के लिए जिस एकमात्र पत्ते का उपयोग कर सकते हैं वह है हिन्दुत्व का पत्ता। वे चुनाव को साम्प्रदायिक रंग देना चाहते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए, हम चुनाव के लिए धर्म के सोचे—समझे उपयोग का कड़ा विरोध करते हैं और प्रधान मंत्री की कार्यवाही की निंदा करते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप हमें बोलने का मौका देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है मैं आपको इस विषय पर बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री शीशराम सिंह रवि : हमारा विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग दो मिनट शांत रहें और इस विषय पर दो मिनट चर्चा होने दें तो अच्छा होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधान मंत्री हैं। वे केवल एक दल के नेता नहीं हैं। भारत के प्रधान मंत्री को मुकदमे में शामिल किसी पक्ष की ओर से नहीं बोलना चाहिए। वे न्यायालय में लंबित एक मुकदमे में शामिल एक पक्ष की ओर से बोले।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : आपकी रूलिंग देने के बाद भी ट्रेजरी बेंचेज से ज्यादा हल्ला मचता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हम बहुत से आधारों पर प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर आपत्ति करते हैं। पहला, श्री वाजपेयी भारत के प्रधान मंत्री हैं न कि किसी एक दल के नेता हैं। भारत के प्रधान मंत्री किसी लंबित मामले में मुकदमे में सम्मिलित किसी एक पक्ष की ओर से नहीं बोल सकते। वे एक पक्ष की ओर से बोले थे। यह पूर्णतया अनुचित और अमर्यादित है। दूसरे वे एक चुनावी भाषण में बोल रहे थे। जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी कह चुके हैं, हमारा सुविचारित मत है कि यह चुनाव संहिता का उल्लंघन है। मैं नहीं जानता कि यदि भारत के प्रधान मंत्री चुनाव संहिता के उल्लंघन के दोषी हैं तो कोई और क्या कर सकता है। हम प्रधान मंत्री के इस सांप्रदायिक रुझान को कड़ाई से अस्वीकार करते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मैं शिवसेना की तरफ से अपनी राय रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र प्रसाद जी, आपकी सहयोगी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं। कृपया उन्हें सुनिए।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल की चुनाव सभा में प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए भाषण, जो अखबारों में छपे हैं, उन पर सदन में चर्चा चल रही है। देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि देश के सद्भाव को समाप्त किया जाए, लेकिन आए दिन अयोध्या, मंदिर और मस्जिद की चर्चा करके, हमको लगता है कि उधर के लोग इस देश में बराबर तनाव और विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, यदि अखबार को पढ़ा गया, तो अखबार को पूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए था। अखबार में जहां पर उन्होंने कहा है कि हमको पौराणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहां प्रधान मंत्री का यह बयान भी अखबार में छपा हुआ है कि हम न्यायालय के निर्णय को मानेंगे।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके बाद कौन सा विवाद सामने आता है? उसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जितने भी हिन्दुओं के पौराणिक साक्ष्य और धर्म ग्रन्थ हैं, वे सब कहते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। देश और दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। देश और दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। मैं इन

लोगों से जानना चाहता हूं कि भगवान राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, ये लोग जानबूझकर देश में तनाव का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब सवालों पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मोहन रावले जी, कृपया एक सैंटेंस में आप अपनी बात कहिए। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। मैं इस विषय पर बोलने के लिए सभी को टाइम नहीं दे सकता हूं।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि उन्होंने तथ्य के आधार पर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर था। कांग्रेस के नेता और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने वहां से अयोध्या से राम मंदिर से अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ किया था। उन्होंने अपने काल में शिलान्यास की अनुमति दी थी। कांग्रेस के श्री चतुर्वेदी जी ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, 26 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में इलैक्शन है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़े। हम सब लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें हर चीज को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हमारे आदरणीय नेता उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है कि अयोध्या के कारण दंगे हुए जिनमें बहुत लोगों की जान गई। अगर आप वहां मंगल पांडे का स्मारक बनाना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं? हमारी भावनाएं हैं, हिन्दुओं की भावनाएं हैं, उनका आदर करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज रावले जी बैठिए। श्री बनातवाला।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, प्रधान मंत्री ने आपत्तिजनक वक्तव्य दिया है। इन्होंने न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दैनंदिन आधार पर सुनवाई चल रही है और साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसे समय में प्रधान मंत्री कहते हैं कि मंदिर के पक्ष में निर्णायक साक्ष्य हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मौहम्मद पैगम्बर का जन्म मदीना में हुआ था, यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, महावीर का जन्म कुंडपुर में हुआ। उसी प्रकार भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। यह हमारी श्रद्धा का केन्द्र है। वहां राम का जन्म हुआ था। इसलिए वह हमारी आस्था का केन्द्र बना। दुनिया में ऐसी कौन सी मस्जिद है जहां अल्लाह के सिवाय किसी और की प्रार्थना की जाती हो। हिन्दुस्तान को स्वतंत्रता मिली तब देश में 86 प्रतिशत हिन्दुओं की संख्या थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें हिन्दुस्तान में राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अयोध्या के राम मंदिर के लिए 1 लाख 79 हजार लोग अब तक अपनी कुरबानी दे चुके हैं। वहां 45 सालों में कभी नमाज अदा नहीं की गई। वर्ष 1949 से वहां पूजा हो रही है। वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। रावले जी समाप्त करिए। किसी भी माननीय सदस्य का अब कोई भाषण रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मंत्री महोदया जो बोलेंगी, केवल वही रिकॉर्ड पर जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात केवल एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। कृपया मुझे अपनी बात कहने का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुषमा जी, जरा यादव जी की बात सुन लेते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, संसद संपूर्ण देश की सर्वोच्च पंचायत है और देश के दो प्रतिशत सिरफिरे तथा कट्टरपंथी लोगों की बातों के ऊपर रोज-रोज संसद में चर्चा की जाती है और इन कट्टरपंथी लोगों द्वारा तथाकथित धर्म-संसद बुलाकर देश के 98 प्रतिशत लोगों की भावनाओं को रोज कुचला जा रहा है। क्या इस संसद का कोई महत्व नहीं है, यह हम जानना चाहते हैं? इस देश के 100 करोड़ लोगों का रिप्रजेंट करने वाली इस संसद को धर्म-संसद की जरूरत नहीं है। मामला न्यायालय में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है।

अध्यक्ष महोदय : कृपा कर आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, आप जो कुछ भी बोलेंगे वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा। मंत्री जी जो बोलेंगी केवल वही रिकार्ड पर जाएगा। कृपा कर आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप बैठ जाइए, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप बैठ जाइए, मंत्री जी खड़ी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कि आपका कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आप कुछ भी बोलेंगे, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा। इसलिए कृपया, आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे कार्य–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कर रहा हूं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुषमा जी, आप शुरू करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी की बात सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवहार करने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने दो मिनट बोलने के लिए कहा, मैंने कहा कि ठीक है। आप पांच–पांच मिनट बोलते रहेंगे। मैं माफी चाहता हूं यह अच्छी बात नहीं है। मैं एक या दो मिनट समझ सकता हूं, इस विषय पर चर्चा होने वाली है, जब चर्चा होगी तो उस समय आप अपनी भूमिका रखिए। आपको कौन मना कर रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हमें मंत्री जी को अपनी बात कहने देनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया मंत्री जी को बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, ये इस तरह से बोलेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हाउस का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। खैरे जी, आप बैठिए, मंत्री जी उत्तर दे रही हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : योगी जी, आप कोआपरेट करिए, मंत्री जी उत्तर दे रही हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : योगी जी, आप जो कुछ कहेंगे वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, समाचार–पत्रों की जिन रिपोर्टों के आधार पर माननीय सुमन जी और आचार्य जी ने प्रश्न उठाया है, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि उसे मैंने पढ़ा है और आपने भी जरूर पढ़ा होगा। प्रधान मंत्री जी

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का बहुत केटेगोरिक स्टेटमेंट, बहुत स्पष्ट शब्दों से यह कहा जाना कि हम अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे, उसके बाद मैंने स्वयं प्रधान मंत्री जी से बात की थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया शांत रहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया चुप रहें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : कामरेड आचार्य, प्रधान मंत्री जी केवल बोले ही नहीं हैं, समाचार–पत्रों में छपा भी है। मैं यहां अखबार नहीं लाई हूं, आप एक–एक अखबार उठाकर देख लीजिए। समाचार–पत्रों के शीर्षक हम तय नहीं करते कि उसमें क्या लिखा है। प्रधान मंत्री जी ने जो बोला है, उसके एक–एक शब्द की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। मैंने स्वयं प्रधान मंत्री जी से बात की है, उन्होंने बहुत स्पष्टता से यह बात कही कि हम कोर्ट का फैसला स्वीकार करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुनने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। कृपा कर आप बैठ जाइए। मंत्री जी स्टेटमेंट दे रही हैं, आपको सुनना पड़ेगा। यदि उनका स्टेटमेंट आपको मान्य नहीं है तो आप चर्चा के समय बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, भरी चुनावी सभा में यह कहना कि मंदिर निर्माण के पक्ष में साक्ष्य मजबूत होने के बावजूद हम अदालत का फैसला स्वीकार करेंगे, इससे ज्यादा कदम और देश को आश्वस्त करने वाला दूसरा बयान नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)* इस तरह का बयान सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला है या सांप्रदायिक भावनाओं को शांत करने वाला है, इससे ज्यादा कदम और देश को आश्वस्त करने वाला दूसरा बयान नहीं हो सकता। भरी चुनावी सभा में प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम कोर्ट का फैसला स्वीकार करेंगे।

अपराह्न 12.40 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

388

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आपने कार्य–स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी है। यह भारत में दलितों पर होने वाले अत्याचर के बारे में है। आपके विषय पर 1 मार्च को चर्चा होनी है। इसलिए, मैं आपके स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री प्रभुनाथ सिंह 'शून्य काल' के मुद्दे पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज सुनिए, मैं यहां काम कर रहा हूं। आप बैठिए, आपका विषय तो हो गया। प्रभुनाथ सिंह जी, आपका जीरो ऑवर में नोटिस है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, बहुत अच्छा किया!

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, बिहार आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, जितने कारखाने हैं, वे बंद हैं, यहां तक कि खाद का कारखाना बरौनी में था, वह भी पिछले दिनों बंद हो चुका है। बिहार में उस कारखाने के लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और सदन में भी कई बार चर्चा हुई।

अब एक नई परिस्थिति फिर बिहार में पैदा हो रही है। बरौनी रिफाइनरी जो सन् 1964 में मूलतः असम कच्चे तेल (लो सल्फर क्रूड) को साफ करने के लिए चालू की गई थी,

जिसकी क्षमता उस वक्त 2.0 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी। आवश्यकता को देखते हुए बाद में क्षमता 3.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष बढ़ा दी गई। परन्तु वर्ष 1999–2000 में असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी के चालू होने के बाद बरौनी रिफाइनरी को असम से कच्चे तेल की आपूर्ति बंद कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप बरौनी रिफाइनरी को आयातित कच्चे तेल को साफ करना पड़ा। वर्तमान परिदृश्य में अनिवार्य रूप से बरौनी रिफाइनरी को लो आयातित सल्फर क्रूड साफ करना पड़ता है, जिसकी कीमत असम क्रूड और हाई सल्फर क्रूड से अधिक है।

हम आपको यह बताना चाहते हैं कि 27.11.2002 को पैट्रोलियम मिनिस्टर के कार्यालय में एक बैठक हुई थी, जिसमें पैट्रोलियम मंत्रालय के अलावा पैट्रोलियम कंपनी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। उस बैठक में यह आग्रह किया गया था कि रॉवा तेल आवंटन वहां के लिए बढ़ाया जाए ताकि बरौनो रिफाइनरी बंद नहीं हो सके। बरौनी रिफाइनरी को चालू करने के लिए मात्र दो उपाय हैं। एक रॉव कच्चे तेल को वहां पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे रिफाइनरी का काम चल सके। दूसरे बिहार सरकार ने जो उस पर टैक्स लगाया है, या तो उस टैक्स में कमी की जाए या भारत सरकार आल्टरनेटिव व्यवस्था करे। अगर ये दोनों व्यवस्थाएं नहीं हो सकीं तो बरौनी रिफाइनरी बंद होने के कगार पर है।

हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार की बदहाली और बिहार की परिस्थिति को देखते हुए बरौनी रिफाइनरी बंद नहीं हो, उसके लिए सरकार कदम उठाए ताकि वहां के लोगों का रोजी रोजगार समाप्त नहीं हो। जिन लोगों को अभी रोजी रोजगार प्राप्त है, वह समाप्त नहीं हो सके। इसलिए हम आपसे चाहेंगे, सरकार मौजूद है, या तो सरकार इसे गंभीरता से सवीकार करते हुए अपनी तरफ से आवश्यक कार्रवाई का आश्वसन दे या हम आपसे चाहेंगे कि आप आसन से सरकार को डायरैक्शन दीजिए कि इस गंभीर सवाल पर बिहार की परिस्थिति को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आपकी कहीं कोई सुनवाई है, कोई आपका नोटिस ले रहा है क्या?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, आपका नाम इसके साथ संबद्ध कर दिया जाएगा। अब आप 'शून्य काल' के अपने मुद्दे पर बोल सकते हैं। आपका नोटिस है, इसलिए आपको इजाजत दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : हम नोटिस पर ही बोल रहे हैं। देश में गन्ना किसानों की हालत सबसे बदतर स्थिति में है और इस सदन में कई बार इस पर चर्चा हुई है। गन्ना किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, वह नहीं मिला। गत वर्ष जो मूल्य मिल रहा था, उससे भी कम मूल्य कर दिया गया, लेकिन जो न्यूनतम मूल्य भिन्न–भिन्न शुगर फैक्टरियों के लिए देश में उनकी रिकवरी के आधार पर तय किया गया था, उसे भी बिहार में लागू नहीं किया जा रहा है। बिहार के सिधबलिया शुगर फैक्टरी, हरखुआ और सासामुसा फैक्टरी गोपालगंज जिले में पड़ती हैं, इन तीनों जगहों पर जो गत वर्ष मूल्य था, इस बार न्यूनतम मूल्य तय किया गया। उसके बाद प्रधान मंत्री की ओर से, भारत सरकार की ओर से पांच रुपए प्रति क्विंटल देने की बात हुई।

उसको न देकर 21 रुपए प्रति क्विंटल कम कीमत देकर किसानों के गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ–साथ कीमत के अलावा प्रत्येक ट्रक पर 15 क्विंटल कम तोला जा रहा है। टायर गाड़ी पर पांच क्विंटल कम तोला जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रेलर पर 10 क्विंटल कम तोला जा रहा है। इसके अलावा तोल केन्द्र भी फॉल्टी बने हुए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन को कई बार रिपोर्ट की गई लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।...*(व्यवधान)* हमारे पास पुगलिया शुगर फैक्टरी की रसीद है जिसे हम सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय करने के बावजूद किसानों को उसकी कीमत नहीं मिलती।...*(व्यवधान)* इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपकी आज्ञा से इस रसीद को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार सरकार की मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी की निष्क्रियता के बारे में बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* वहां जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वह मैं बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* वहां शासन की इतनी अव्यवस्था चल रही है... *(व्यवधान)* जिसके कारण वहां लगातार बालू मजदूरों, किसानों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप सदन को कुछ सुनने का मौका तो दें।

(व्यवधान)

श्री शीशराम सिंह रवि : 12 फरवरी को नवादा जिले में सात मजदूरों की हत्या की गई...*(व्यवधान)* 13 फरवरी को पांच किसानों की शेखूपुरा जिले में हत्या की गई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप सदन को सुनने का मौका तो दें कि वह क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। इसलिए आप उन्हें कुछ तो कहने दें। उनके कहने के बाद आप आक्षेप कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री शीशराम सिंह रवि : 16 फरवरी को सात किसानों की नवादा जिले में हत्या की गई।...*(व्यवधान)* 18 फरवरी को पांच दलित मजदूरों की फिर पटना में हत्या हुई।...*(व्यवधान)* 20 फरवरी को एक छात्र की मधेपुरा जिले में हत्या हुई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राजो सिंह जी आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री शीशराम सिंह रवि : वहां दलितों, किसानों और मजदूरों पर अत्याचार हो रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर इसकी जांच करे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शीशराम सिंह रवि का अब रिकार्ड में कुछ भी नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से मेट्रो रेल परियोजना बड़े धूम–धड़ाके के साथ शुरू की गई थी।...*(व्यवधान)* इस बड़ी परियोजना के प्रथम चरण में ही भयंकर आर्थिक परेशानियां आने की खबरें आ रही हैं।...*(व्यवधान)* इस परियोजना के प्रारंभ में ही आर्थिक पहलुओं पर भली–भांति विचार नहीं किया गया।...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार ने इसकी सफलता का सेहरा बांधने की कोशिश की पर अब केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और योजना मंत्रालय के बीच आपसी खींचतान के कारण इस महत्वपूर्ण परियोजना के बंद होने का खतरा उपस्थित होने वाला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप तो पैनल ऑफ चेयरमैन हैं। आप बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो बात कहनी थी, वह कह दी है इसलिए अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राजो सिंह जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे नहीं तो मैं आगे आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजो सिंह : इन परिस्थितियों में देश की राजधानी से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना में जापानी भागीदार भी आगे कार्य करने में अपनी रुचि कम कर सकता है।...*(व्यवधान)* मैं सदन के माध्यम से शहरी विकास मंत्री अथवा वित्त मंत्री या योजना मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय गौरव की कल्पना से जुड़ी इस परियोजना को आर्थिक समस्याओं के जूझने हेतु कौन जिम्मेवार है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, मैं उनका रिकार्ड में नहीं ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजो सिंह : इस योजना की शुरूआत से पहले इन पहलुओं पर क्यों नहीं स्पष्ट नीति निर्धारित की गई?...*(व्यवधान)* साथ ही मैं योजना मंत्रालय से यह आग्रह करूंगा कि वे इस महत्वपूर्ण योजना हेतु धन उपलब्ध कराने में ना–नुकर की नीति

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

छोड़ दें और आवश्यक धन उपलब्ध कराने की स्वीकृति देकर इस योजना की विश्वसनीयता कायम रखने में सहयोग दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, क्या एक मुख्य मंत्री को सदन में इस प्रकार निंदित किया जा सकता है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कार्यवाही–वृत्तांत में से निकाल दिया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, क्या एक मुख्य मंत्री का अपमान किया जा सकता है?...*(व्यवधान)* सदन में इस प्रकार का वक्तव्य देते समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है। यदि संसद सदस्य ने यह नहीं किया है तो उसे फटकार लगाई जानी चाहिए। उन्हें दोषी ठहराया जाए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन शब्दों को कार्यवाही–वृत्तांत में से निकाल दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रमण सिंह (राजनंदगांव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं जिस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह आसंदी के सम्मान का विषय है।...*(व्यवधान)* छत्तीसगढ़ में विधान सभा के उपाध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव मुख्य मंत्री की उपस्थिति में कांग्रेस विधायक दल ने पारित किया। ...*(व्यवधान)* मुख्य मंत्री की उपस्थिति में निंदा प्रस्ताव पास होता है।...*(व्यवधान)* यह आसंदी की अवमानना है।...*(व्यवधान)* यह अवमानना इसलिए हो रही है कि माननीय उपाध्यक्ष जी का मुख्य मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट में जाति का मामला लंबित है। उनको उस पद से मुक्त करने के लिए जिस प्रकार से उपाध्यक्ष के पद के खिलाफ मुख्य मंत्री की उपस्थिति में, संसदीय कार्य मंत्री की उपस्थिति में निंदा प्रस्ताव पास होता है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठिए। आप हर विषय में क्या कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने हज यात्रियों को भारी सुविधा प्रदान की है। केन्द्र सरकार द्वारा हज यात्रियों को जो 60 करोड़ रुपए की सबसिडी दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 260 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)* हज पर जो यात्री जाते हैं, उनको 36,000 रुपए की एयर टिकट केवल 12,000 रुपए में दी जाती है। उनको 75 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सारे हिन्दुओं के तीर्थ स्थान हिन्दुस्तान में हैं जैसे वैष्णो देवी, तिरुपति, अमरनाथ, पंढरपुर, कोल्हापुर आदि। हिन्दुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग, 8 शक्ति पीठ और 4 धाम हैं। लेकिन जो हिन्दू लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, उनको कोई सबसिडी नहीं दी जाती। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग वैष्णो देवी, काठमांडू के पशुपति नाथ मंदिर आदि के दर्शन के लिए जाते हैं, उनको भी यह फैसीलिटी दी जानी चाहिए। जो यात्री बसें महाराष्ट्र से निकलती हैं, उनको एम.पी. में अलग टैक्स देना पड़ता है, एम.पी. से गुजरात और गुजरात से यू.पी. जाने के लिए भी अलग टैक्स देना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि दर्शन करने के लिए जाने वाले हिन्दू लोगों पर जो टैक्स लगता है, केन्द्र सरकार को उसे माफ करना चाहिए। यदि हज यात्रियों को सबसिडी मिल सकती है तो हिन्दुओं को क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए हिन्दू यात्रियों को भी सबसिडी मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई, दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, हम भी इनके साथ एसोसिएट करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सबको इस मुद्दे के साथ संबद्ध किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े : देश में 12 ज्योतिर्लिंग, 8 शक्ति पीठ और चार धाम हैं जो हिन्दुओं के श्रद्धा स्थान हैं। वैष्णो देवी, तिरुपति, अमरनाथ या कोई और तीर्थ स्थान हो, हमारी मांग है कि केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान अनुदान के लिए किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह धार के भोजनालय का विषय है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री जगमोहन जी ने मध्य प्रदेश

के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा और कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछली सरकारों के निवेदन पर जो प्रतिबंध लगा था, उसे हम वापिस करते हैं और यह निर्णय आपके ऊपर होता है।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम भी इस मुद्दे के साथ संबद्ध कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : पत्र मिलने के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने जब कार्यवाही नहीं की, भोजशाला के मामले में एक बात सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को तथ्य की जानकारी न हो और वह कह दे तो वह अपराध नहीं माना जाता। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में, विधान सभा के बाहर सरस्वती के मंदिर को, जिसे राजा भोजन ने बनवाया था,...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : यह सच्चाई नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : आप बाद में बोलिए।...*(व्यवधान)* राजा भोज ने जिस सरस्वती मां के मंदिर को बनवाया और जिसमें विद्वत परिषद लगती थी, उसके दरवाजे न खोलकर जान–बूझकर मध्य प्रदेश में विषम परिस्थिति पैदा की। 19 तारीख को पहली बार गोली चलन हुआ जिसमें सात लोग आहत हुए। कल फिर से गोली चलन हुआ और एक आदिवासी बंसी उसमें मारा गया। मेरा कहना है कि यदि प्रदेश के मुख्य मंत्री तथ्य की गलत जानकारी दें, केन्द्र सरकार के मंत्री के कहने के बाद भी अगर वहां दरवाजे न खोले जाएं और स्थिति को बिगाड़ा जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात दूसरी नहीं हो सकती। वहां जो आदिवासी लोग मारे गए हैं,...*(व्यवधान)* रास्ते रुक रहे हैं,...*(व्यवधान)* पहले धार बंद हुआ, उसके बाद पूरा इंदौर बंद किया गया।...*(व्यवधान)* मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर जानबूझकर मध्य प्रदेश की सरकार वहां के मुख्य मंत्री, कांग्रेस के नेता राज्य की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : सर, मेरा भी नोटिस है।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में धार में राजा भोज ने भोजशाला में 14वीं–15वीं सदी में मंदिर बनाया था और उस मंदिर में 1996 तक लगातार रोज मां सरस्वती जी की पूजा होती रही थी परंतु वर्तमान में जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार है, उन्होंने 1996 में प्रतिबंध लगाकर यह निर्णय कर दिया कि वहां साल में केवल एक बार वसंत पंचमी पर मां सरस्वती जी की पूजा होगी। ...*(व्यवधान)* आप और हम कल्पना कर रहे हैं कि वहां मंदिर है और वहां साल में केवल एक बार पूजा की अनुमति हो और बाकी दिन प्रतिबंध लगा दिया है, उस कारण से वहां लोगों की मांग रही है कि वहां रोज पूजा के लिए उसको खोला जाए परंतु दिग्विजय सिंह जी की सरकार नहीं खोल रही है और गुजरात और गोवा में चुनाव हारने के बाद, षड्यंत्र करके सांप्रदायिक स्थिति बिगाड़ना चाहती है।...*(व्यवधान)* इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि केन्द्र की सरकार वहां भोजशाला में मंदिर खोलने का प्रयास करे और उसको खोल देना चाहिए। सरकार से हम यह मांग करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : अध्यक्ष महोदय, केरल में एल.पी.जी. सिलेंडरों की भारी कमी है। उपभोक्ता एल.पी.जी. एजेंसियों से बहुत नाराज हैं। एजेंसियों ने यह कमी जान–बूझकर पैदा की है। एजेंसियां ऊंचे दामों पर काले बाजार में सिलेंडरों को बेच रही हैं। तेल कंपनियां इस समस्या को दूर करने हेतु कोई कदम नहीं उठा रही हैं।

तेल कंपनियों के अधिकारियों और एल.पी.जी. एजेंसियों की मिलीभगत से यह कमी पैदा हुई है। एजेंसियां इन सिलेंडरों के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूल कर रही हैं। पूरे केरल में वे इन सिलेंडरों को काले बाजार में बेच रही हैं। उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में बहुत विलंब हो रहा है। सिलेंडरों को पुनः भरवाने में भी बहुत समय लगता है। केरल के लोग एल.पी.जी. सिलेंडर हासिल करने में गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।

मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इस ज्वलंत मुद्दे पर तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, इस इश्यू पर मेरा भी नोटिस है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि क्या इसी मुद्दे पर आपकी सूचना भी यहां है। यदि वह यहां है तो मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आदिवासी पर फायरिंग के बारे में नोटिस है। मैं आपको बाद में परमिशन दूंगा।

(व्यवधान)

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में विशेषतः आदिवासी...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, वहां के बारे में जो इन्होंने कहा है, पूरे सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है।...*(व्यवधान)* वहां भोजशाला के संबंध में एक मामला चल रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर आप नोटिस दीजिए, चर्चा करा लें। ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? ठीक है, आपने जो बोला, वह रिकार्ड पर आ गया। ठीक है, बैठिए।

(व्यवधान)

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में विशेषतः आदिम जाति इलाके में बड़ा भारी अकाल पड़ रहा है।...*(व्यवधान)* वहां मनुष्यों और जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं है। जानवरों के लिए चारा नहीं है। वहां लोग भूख से मर रहे हैं, इधर–उधर भटक रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से विनती की थी और केन्द्र सरकार ने एक कमेटी भेजी थी लेकिन उसने रिपोर्ट दी है कि महाराष्ट्र में सूखा नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसलिए मेरी भारत सरकार से विनती है कि एक कमेटी दुबारा महाराष्ट्र में केन्द्र से भेजी जाए और महाराष्ट्र को अकाल के बारे में ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, इसी मुद्दे पर मेरी सूचना भी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने का एक अवसर दूंगा। मुझे आपकी सूचना प्राप्त हुई है।

श्री जी. एम. बनातवाला : शुक्रवार की नमाज का समय भी हो रहा है। आप मुझे बाहर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सूचना भी मिली। मेरी सूची में आपकी सूचना 37वें स्थान पर है।

श्री जी. एम. बनातवाला : जब मामला उठाया गया है तो आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देखा है। यद्यपि आपका स्थान सूची में बहुत नीचे है तथापि मैं आपको बोलने की अनुमति देने जा रहा हूं।

श्री जी. एम. बनातवाला : जब मामला उठाया गया है तो मुझे बोलने की अनुमति दी ही जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसी मुद्दे पर इनकी सूचना भी यहां है।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। हिन्दुस्तान के बड़े–बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता में गैस की पाइपलाइन बिछा दी गई है। जयपुर के पास से यह पाइपलाइन निकलती है। जयपुर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। मेरा निवेदन है कि वहां भी गैस की पाइपलाइन बिछाई जाए, जिससे लोगों को गैस कनेक्शन के लिए जगह–जगह न जाना पड़े और उनके घरों में ही गैस उपलब्ध हो सके। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पाबंद करें कि जयपुर क्षेत्र में भी गैस पाइपलाइन डाली जाए, जिससे वहां के लोगों की गैस की जो समस्या है, वह समाप्त हो सके।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, आप अन्य विषयों पर चले गए हैं। यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)* मेरी सूचना भी इसी विषय पर थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन्हें बोलने की अनुमति इसलिए दी गई है क्योंकि इन्होंने आपसे पहले सूचना दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर इनका भी नोटिस है, ये मेरे बाद बोल सकते हैं। 997 ईस्वी में राजा भोज ने धार में भोजशाला का निर्माण कराया था। वहां पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की थी, जो कि आज भी विराजमान है। उस भोजशाला में उस समय विद्वत परिषद की बैठक हुआ करती थी। 997 ईस्वी से 1997 तक वहां लगातार हिन्दू दर्शनार्थी निर्बाध रूप से आते थे और मां सरस्वती की पूजा करते थे।...*(व्यवधान)* लेकिन 1997 में वहां की प्रदेश सरकार ने हिन्दुओं की भावनाओं को कुचलते हुए उस भोजशाला में हिन्दुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। उस संबंध में यह कहा गया कि यह केन्द्र सरकार कर रही है। लेकिन तब केन्द्र सरकार का पत्र वहां गया, जिसमें कहा गया था कि उसने ऐसा नहीं किया है और प्रदेश सरकार उस भोजशाला को खोल दे, तो हमें प्रसन्नता होगी। इसके बाद जब हिन्दुओं ने मांग की तो निर्दोष हिन्दुओं को धार जिले में और इन्दौर सम्भाग में कुचला गया। अमझेरा में जब एक निर्दोष पुजारी की हत्या के बाद वहां के आदिवासी उसका अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे, तो पुलिस ने उन पर अकारण ही गोलियां चलाईं, जिसके फलस्वरूप तीन लोग मारे गए। उनमें एक वन सिंह आदिवासी भी था।...*(व्यवधान)* इसके अलावा मेघ नगर में, झाबुआ में भी निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गईं, जो भोजशाला खोलने की मांग कर रहे थे। राजगढ़ में और धार में लोगों पर टाडा के तहत कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश की सरकार और वहां के मुख्य मंत्री जानबूझकर प्रदेश के हिन्दुओं को कुचलने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गंजवासौदा नगर में एक गाय की हत्या की गई। उसके बाद हत्यारे को तो राज्य सरकार संरक्षण दे रही है और जिसने गाय की हत्या को उजागर किया था उसे रासुका में बंद कर जेल भेज दिया गया है। पूरा मालवा क्षेत्र आतंक के साये में जी रहा है। वोट बैंक की राजनीति के कारण निर्दोष हिन्दुओं को प्रदेश सरकार द्वारा कुचला जा रहा है। धार की भोजशाला की वस्तुस्थिति के बारे में एक अंग्रेज अधिकारी कार्टिजन ने 1870 में सर्वे किया था, जिसमें सारी बात का वर्णन है। उस सर्वे की रिपोर्ट केन्द्र सरकार देखे तो वस्तुस्थिति का पता चल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र की ओर केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री को वहां भेजा जाए और वस्तुस्थिति का पता लगाकर भोजशाला को हिन्दुओं के लिए खोला जाए। इसके अलावा वहां जो अतिक्रमण हुआ है, उसको हटाया जाए।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक पूर्णतया गलत राजनीति से प्रेरित विवाद को उठाया गया है। धार में एक प्राचीन कमाल–मौला मस्जिद है और सदन को गुमराह करने के लिए एक गलत इतिहास तैयार करने की कोशिश की गई है।

वर्तमान में यह कमाल–मौला मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। इसके बारे में एक अधिनियम है और उस अधिनियम में बहुत सी धाराएं हैं। उनका पालन होना ही चाहिए। महोदय, ये धमकियां दी जा रही हैं कि धार और कमाल–मौला मजिस्द मुद्दे को एक नए अयोध्या मुद्दे में बदल दिया जाएगा। वहां हिंसा भड़क चुकी है। यही समय है जब सरकार को कड़ाई बरतते हुए यह देखना पड़ेगा कि इस मामले में कड़ी कार्यवाही की जाए। पुनः एक बार एक प्राचीन मस्जिद को विवादित बनाया जा रहा है।

प्रयास यह है कि पूरे देश को सांप्रदायिक आग में झोंक दिया जाए। इस कमाल–मौला मस्जिद का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक शुक्रवार को कमाल–मौला मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। आज शुक्रवार का दिन भी है। राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और चुनावों को ध्यान में रखकर अनावश्यक रूप से यह विवाद खड़ा किया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसे सभी लोगों के साथ कड़ाई से पेश आए जो इस मुद्दे को एक अयोध्या मुद्दे जैसा रूप देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा में वकालत करने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान झारखंड राज्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसको अलग हुए करीब ढाई वर्ष हो गए हैं। लेकिन वहां अभी तक कैडर का बंटवारा नहीं हुआ है जिसके कारण सरकारी कार्य में काफी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। भ्रष्ट अधिकारी इसका फायदा उठा रहे हैं और अच्छे पदाधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि वह स्वयं हस्तक्षेप करके झारखंड के कैडर का बंटवारा अतिशीघ्र कराए।

दूसरा, बिहार राज्य के पास बिहार निवास और बिहार भवन है लेकिन झारखंड के पास एक भी भवन नहीं है जिससे

वहां के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। झारखंड से जो जनप्रतिनिधि दिल्ली आते हैं उनको होटल में रहना पड़ता है जिससे असुविधा के साथ–साथ पैसे का बोझ भी उनकी जेब पर पड़ता है। वहां के जो अधिकारी हैं उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है और इन संस्थाओं का बंटवारा न होने के कारण तीन–चार साल से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कैडर का बंटवारा शीघ्र कराया जाए और बिहार भवन और बिहार निवास में से एक भवन झारखंड को दिया जाए। धन्यवाद।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं ने माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर गोमांस खाने का असत्य आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोगों द्वारा कहा गया है कि "गाय हमारी माता है, अटल बिहारी खाता है"। इस तरह का असत्य आरोप माननीय प्रधान मंत्री जी पर लगाया गया है। माननीय अटल जी हमारे सदन के ही नहीं वरन् पूरे देश के सर्वमान्य नेता हैं और इस तरह का असत्य आरोप देश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति को खतरे में डाल सकता है। इससे देश की जनता की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। मैं कांग्रेस के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि वे अपने इस झूठे प्रचार के लिए काफी मांगे और जिन लोगों ने ऐसी बातें कही हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं काशी से आता हूं। वहां पुण्य देने वाली हमारी गंगा आज प्रदूषित होती जा रही है। कानपुर में गंगा काली पड़ गई है और प्रयाग में गंगा का पानी आचमन करने योगय नहीं रहा है। काशी में स्थिति दिनोंदिन बिगड़ रही है। आज काशी की जनता में क्षोभ और नाराजगी है, साधु–संन्यासियों में आक्रोश है। यह किसी दल या संस्था का विषय नहीं है, वरन् यह पूरे सदन और देश का विषय है।

आगरा के ताज को प्रदूषण से बचाने के लिए वहां की फैक्टरियों को बंद कर दिया गया। मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं लेकिन साथ ही साथ यह भी विनती करना चाहता हूं कि कानपुर की जो फैक्टरियां विषैले पदार्थों को गंगा में बहा रही हैं उनको बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। जब दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए एक हजार से ज्यादा कारखानों को बाहर भेजा जा सकता है तो कानपुर–प्रयाग की जो फैक्टरियां गंगा में कचरा और विषैले पदार्थ बहा रही हैं उनको अलग क्यों नहीं किया जा सकता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सारी स्थिति की जहां जड़ है, उसकी जांच करनी चाहिए। टिहरी बांध में जो पानी एकत्रित किया जा रहा है और वह पानी एकत्र करने के कारण गंगा में गौमुख से जो पानी जो धारा आना चाहिए था, वह पानी रोक दिया गया है, जिसके कारण प्रदूषित पानी गंगा में बहा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि सन् 1914 में एक बार ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक लाइन में अपनी बात समाप्त करिए।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : महोदय, यह पार्टी का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में थोड़े शब्दों में अपनी बात कहते हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : महोदय, सन् 1914 में ब्रिटिशर्स ने गंगा की धारा को रोकने का प्रयास किया था। सन् 1914 से लेकर सन् 1916 तक महामना मालवीय जी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया और देशी राजाओं ने उनका साथ दिया तथा पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। उस समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा मालवीय जी और राजाओं के साथ एक समझौता किया गया, जिसमें यह कहा गया कि गंगा नदी में गौमुख से आने वाली धारा अबाध गति से बहती रहेगी और गौमुख से आई हुई गंगा गंगोत्री तक जाएगी तथा उसको रोका नहीं जाएगा। मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं कि जो समझौता मालवीय जी के साथ हुआ है, उस समझौते के अनुसार गंगा को प्रदूषणरहित कर समस्या का समाधान करें।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा विषय सदन के सामने प्रस्तुत किया है कि गंगा का पानी शुद्ध रहना चाहिए। गंगा के पानी को शुद्ध रखने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक प्रोजेक्ट बनवाया था और उससे संबंधित समिति के हम सदस्य थे। उन्होंने राज्य सरकारों के माध्यम से कार्पोरेशन को पैसा दिया था, मुनिसिपैलिटीज और इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदूषित पानी को शुद्ध करके गंगा में बहाने के लिए पैसा दिया था।

हमारी आपके माध्यम से सरकार से विनती रहेगी कि इस संबंध में जो कुछ सरकार कर सकती है, वह उसे करना चाहिए और राज्य सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कार्पोरेशन्स को दिए गए पैसे का उपयोग कर पानी को शुद्ध करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया विषय अच्छा है और मैं इसका सार्वभौम समर्थन करता हूं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : महोदय, यह मामला मेरे जनपद से भी संबंधित है, इसलिए हमारी भी भावनाएं इस विषय से जुड़ी हुई हैं।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं विदर्भ के एक लीडिंग पेपर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले चार दिनों से विदर्भ में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की स्थिति बहुत खराब है। न उनके सिर पर छत है और न पैर के नीचे जमीन है। जैसी कि अखबारों में रिपोर्ट है, इस तूफानी बारिश और ओलावृष्टि के कारण सैकड़ों किसान घायल हो चुके हैं और करोड़ों की फसल बर्बाद हो चुकी है। जो किसान मर गए हैं, उनको अभी तक दफनाया भी नहीं गया है। आज छठा दिन है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त–व्यस्त हो गया है।...*(व्यवधान)* जैसा श्री रामदास आठवले जी कह रहे थे कि वहां पालक मंत्री होकर आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि नागपुर के लिए महाराष्ट्र सरकार अभी तक कोई पालक मंत्री तय नहीं कर पाई है। यह हमारा दुर्भाग्य है। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मदद तो बाद में जाएगी, लेकिन केन्द्रीय सरकार की ओर से एक स्पेशल पैकेज विदर्भ के लिए 300 करोड़ रुपए का दिया जाना चाहिए। कल कृषि मंत्री यहां थे। उन्होंने बताया कि जब सदन में कृषि पर चर्चा होगी तब इसके बारे में सोचेंगे। यह संतरे का पीक समय है। पहले 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था लेकिन आज तक केन्द्र सरकार की तरफ से उसकी भरपाई के लिए कोई मदद नहीं की गई। यदि इस बार भी केन्द्र सरकार मदद नहीं करेगी तो किसानों को बहुत नुकसान होगा। मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार की तरफ से इसमें सहायता की जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, भारत आरथैल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) हमारे देश में एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसे मजबूत और चकमकी बटन बनाने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन गत 15 वर्षों से यह उद्योग रुग्ण पड़ा है। बीओजीएल को बीआईएफआर के पास भेजा गया। वहां इस पर कई बैठकें हुईं और अंतिम बैठक दिसम्बर के महीने में हुई थी। बीआईएफआर ने 9 जनवरी, 2003 को इस पर अपना आदेश दे दिया। बीआईएफआर ने अपने आदेश में भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को निदेश दिया कि वह इसको फिर से चालू करने के लिए 45 दिनों के अंदर अपना अंतिम निर्णय दे। 45 दिनों की यह अवधि 25 फरवरी, 2003 को समाप्त हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसके बारे में बेहतर ढंग से जानते हैं। अब आप भारी उद्योग मंत्री थे तब मैंने भारत आरथैल्मिक ग्लास लिमिटेड के मुद्दे पर आपसे कई बार चर्चा की थी। लेकिन भारी उद्योग मंत्रालय ने अभी तक इसकी पुनःप्रवर्तन योजना पेश नहीं की है। इसलिए, मैं यहां उपस्थित वस्त्र मंत्री श्री काशीराम राणा के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारी उद्योग मंत्रालय इस बारे में पुनःप्रवर्तन योजना पेश करे। यह कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है और इसके पुनःप्रवर्तन में केवल 20 से 25 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। सरकार को बीओजीएल को फिर से चालू करने के लिए गंभीर और ईमानदार कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए उसे 25 फरवरी तक बीआईएफआर को पुनःप्रवर्तन योजना सौंप देनी चाहिए।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैंने भी इसी विषय पर सूचना दी है।

श्री विकास चौधरी (आसनसोल) : महोदय, मैं भी इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपके नामों को सहबद्ध कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रोग्रैसिव कनस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा लूट मचाने का काम हो रहा है। गोविन्दपुर से बगोडर राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे संसदीय क्षेत्र में आते

हैं। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह गुजरते हुए गोविन्दपुर से बगोडर तक राष्ट्रीय राजमार्ग में फोर लेनिंग रोड का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहा है। उसके विषय में मैंने मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है कि वहां मजदूरों के वेतन का सही ढंग से भुगतान नहीं हो रहा है, उनसे 12 घंटे काम लिया जा रहा है और सड़क का सही ढंग से निर्माण नहीं हो रहा है। जिस जगह मिट्टी भरनी है, वहां मिट्टी नहीं भरी जा रही है। बालू की जगह रोड को ऐसे ही बनाने का काम हो रहा है। वह सड़क कितने दिन चलेगी, उसकी सरकार द्वारा जांच करवाई जाए और उचित कार्रवाई की जाए।

अपराह्न 1.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.34 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.34 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति जी, मुझे एक आवश्यक सूचना सदन को देनी है। आज लखनऊ में हमारी पार्टी के युवा संगठन की ओर से एक प्रदर्शन के आयोजन की घोषणा की गई थी। 19 तारीख को उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री राम शरण दास ने जिलाधिकारी, लखनऊ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निवेदन किया था कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा।...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : यह स्टेट सब्जैक्ट है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : यह स्टेट सब्जैक्ट नहीं है। वहां लाठीचार्ज हुआ है...*(व्यवधान)* हजारा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। वहां श्री मुलायम सिंह जी भी सुरक्षित नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार : यह राज्य का विषय है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी है।

श्री वी. धनंजय कुमार : मेरा कहना यह है कि आज की कार्यसूची में जिस कार्य को सूचीबद्ध किया गया है उसका क्या होगा?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, अपनी बात एक या दो वाक्यों में ही समाप्त करें...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार : उन्हें किसी भी समय कोई भी बात कहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : यह बहुत गंभीर मामला है, हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री मुलायम सिंह यादव जी की जान को खतरा है। यह बहुत गंभीर मामला है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मुझे भी बोलने की आज्ञा दी जाए। धार जिले में तीन लोगों की हत्या हो गई है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने मुझसे अनुमति मांगी है। मैंने उन्हें अनुमति दी है। मैंने उन्हें अपनी बात एक या दो वाक्यों में कहने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने मुझसे अनुमति मांगी है और मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री वी. धनंजय कुमार : वह किस नियम के अंतर्गत अपनी बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, आपने किस नियम के अंतर्गत बोलने की अनुमति प्रदान की है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सभा महोदय, मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* आप हाउस को व्यवस्थित करिए। इस तरह से ये सदन नहीं चल सकता, ये आपकी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप यह पूछने वाले कौन होते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार : आप मुझसे ये पूछने वाले कौन होते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : उन्हें माननीय सभापति महोदय ने अनुमति दी है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा है कि लोक सभा के चार संसद सदस्यों को हिरासत में रखा गया है, और इसलिए वह इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। कृपया उनकी बात में बाधा न पहुंचाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वी. धनंजय कुमार : यह उन्हें बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : वहां हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पिट रहे हैं। वहां हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं।...*(व्यवधान)*

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, सदन नियमों के अंतर्गत चलता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. पाण्डेय, उन्होंने मुझसे अनुमति मांगी है और मैंने उन्हें अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हाउस को व्यवस्थित करिए।

श्री वी. धनंजय कुमार : यह किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने उन्हें उनके नेता श्री मुलायम सिंह यादव समेत चार संसद सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में अपनी बात रखने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार : माननीय सदस्य के बोलने का ढंग देखिए।

सभापति महोदय : उन्होंने मुझसे अनुमति ली है और मैंने उन्हें अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : आप मुझे व्यवहार मत सिखाइए, मैं 25 साल पहले इस लोक सभा में था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, माननीय सभापति महोदय ने उन्हें अनुमति दी होगी, लेकिन सदन में इनके व्यवहार का तरीका तो आप देखिए। इन्हें अपने उन शब्दों को वापस लेना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, कृपया अपनी बात एक या दो वाक्यों में समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि पूडा किसान, मजदूर नौजवानों के सवाल पर 21 तारीख को सांसद अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक प्रदर्शन लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ओर से होना था। उसके लिए उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री राम शरण दास जी ने वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को पत्र लिखे कि हमें इसके लिए अनुमति चाहिए, हमारा यह रूट होगा, हम वहां सभा करेंगे, सब कुछ शांति के साथ होगा। लेकिन पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई और जहां-जहां से भी तथा विभिन्न जिलों से जो लोग इस प्रदर्शन में पहुंचने वाले थे, उनमें से अधिकांश लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रमादित्य मार्ग पर हमारी पार्टी का कार्यालय है, दस बजे

वहां सभा होनी थी। उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी, सांसद जनेश्वर मिश्र, श्री अमर सिंह, श्री अखिलेश यादव, श्री अहमद हसन आजम खान आदि नेता मौजूद थे। वहां बीस राउंड गोलियां चलीं...*(व्यवधान)* कार्यकर्ताओं को पीटा गया...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार इसका जवाब दे, गृह राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शिवराज पाटील, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, आपने इस मुद्दे को सभा में उठाने के लिए माननीय सदस्य को अनुमति देकर अपनी उदारता दर्शायी है। इस घटना में इस सभा के कुछ सदस्य शामिल हैं। इस सभा के सदस्यों से संबंधित जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के समक्ष लंबित है, और जो स्वाभाविक रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप इस पर चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। माननीय सदस्य ने बताया है और इस तरह की खबरें हैं कि वहां 20 राउंड गोलियां चलायी गयी हैं और वहां विधायक तथा सांसद बैठे हुए हैं। हमें पता नहीं कि ये खबरें कितनी सच हैं और कितनी झूठ। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। वहां से सूचना एकत्र कर हमें उससे अवगत कराया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, श्री मुलायम सिंह यादव जी इस सदन की एक पार्टी के सम्मानित नेता हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन और श्री शिवराज वि. पाटील इस विषय पर बात हो चुकी है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, यदि आप अपने को इससे संबद्ध करना चाहें, तो कर सकते हैं।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, श्री मुलायम सिंह यादव इस सदन की एक पार्टी के नेता हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राज्य के अधीन आने वाले विषयों को यहां उठाना, एक वाद–विवाद का मुद्दा है। वास्तव में, माननीय अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं की इस विषय पर बैठक के लिए समय निश्चित किया है कि क्या राज्य के अधीन आने वाले विषयों पर यहां चर्चा की जा सकती है अथवा नहीं। यह मामला विचाराधीन है। यदि राज्यों से संबंधित मामलों को यहां बार–बार उठाया जाता है, तो यहां राज्यों की स्वायत्तता और राज्यों की शक्ति की अवधारणा के लिए ठीक नहीं है।

इसलिए, मैं व्यवस्था देता हूं कि आज के बाद राज्य के अधीन आने वाले किसी विषय पर सूचना नहीं दी जा सकेगी। यहां आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राज्य के कोई मंत्री नहीं होते। राज्य का मंत्रिमंडल आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए नहीं होता। राज्य के अधीन आने वाले विषयों का जवाब केन्द्र सरकार के मंत्री कैसे दे सकते हैं? राज्य सरकार से ये मंत्री कैसे सूचना प्राप्त करेंगे? यदि राज्य में किसी विरोधी दल की सरकार है तो आपको तथ्यों की उचित जानकारी प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं व्यवस्था देता हूं कि आज के बाद राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय, विशेषकर कानून–व्यवस्था से संबंधित विषय, को यहां नहीं उठाया जा सकेगा।

श्री शिवराज वि. पाटील : यही कानून है और संविधान भी यही कहता है। आपकी इस व्यवस्था के बाद भी सभा में यही स्थिति रहेगी। लेकिन हम इस सभा में जो मुद्दा उठा रहे हैं वह यह है कि इस सभा के सदस्य को वहां हिरासत में रखा गया है।

सभापति महोदय : इसे संज्ञान में लिया जा चुका है।

श्री शिवराज वि. पाटील : इस आशय की खबरें आई हैं कि वहां 20 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। हम इस बारे में अधिकृत सूचना चाहते हैं, और कुछ नहीं।

सभापति महोदय : हम इसके लिए नहीं रोक रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार अथवा मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा सकता।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : महोदय, मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला में वैधानिक रूप से वहां प्रवेशार्थी लोगों को जबरन रोका गया जो बड़ी संख्या में थे। उन पर लाठीचार्ज हुआ, अश्रु गैस छोड़ी गई और प्राप्त समाचारों के अनुसार गोली चलने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई। इससे पूरे इंदौर संभाग

में तनावपूर्ण स्थिति है। स्थान–स्थान पर कर्फ्यू लगे हुए हैं। पूरा इंदौर संभाग आज बंद रहा और पूरे मध्य प्रदेश में इस घटना की तीव्र प्रतिक्रिया है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। इस पर गृह मंत्री जी सरकार की तरफ से कुछ कहें।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, सम्मानित सदन के दर्जनों सांसद उसमें शामिल हैं और वे सुरक्षित हैं या नहीं? विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित कार्यालय में वे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, आपको अपनी बात कहने का काफी समय मिल चुका है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मुलायम सिंह यादव एक पार्टी के सम्मानित नेता हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसीलिए मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। मैंने श्री मुलायम सिंह का नाम होने की वजह से ही बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कई सांसद वहां जाने के लिए तैयार थे। वहां गिरफ्तारियां होना और गोलियां चलना ठीक नहीं है। इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सदन को इस पर विचार करना चाहिए। वहां गंभीर स्थिति है इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जवाब देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, इस सभा के चार सदस्य इस घटना में शामिल हैं। यह एक ऐसा मामला है जहां लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। जब इस सभा के चार सदस्य इसमें सम्मिलित हैं, तो इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। केवल वक्तव्य ही नहीं, अपितु आज सभा के उठने से पहले, इसके समक्ष संपूर्ण जानकारी सहित एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए। अध्यक्षपीठ की ओर से सरकार को यह निदेश दिया जाना चाहिए। आप कृपया सरकार को यह निदेश दें कि आज सभा के उठने से पहले वह यहां पूरी जानकारी सहित एक वक्तव्य दे।

सभापति महोदय : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। मैं केन्द्र सरकार को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह राज्य सरकार से इस बारे में अनुदेश प्राप्त करे और इस सभा को सूचित करे। वहां की कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को कार्यवाही करनी है।

श्री जी. एम. बनातवाला : जब इस सभा के चार सदस्य इस घटना में शामिल हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह मामला सभा के संज्ञान में लाया जा चुका है। अतः मामला यहीं पर समाप्त होता है।

श्री शिवराज वि. पाटील : सरकार को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए।...*(व्यवधान)* उन्हें जानकारी एकत्र करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मेरी माननीय सुषमा जी से प्रार्थना है कि विभाग से संबंधित मंत्री श्री हरिन पाठक जी यहां उपस्थित हैं, यदि वे इसका जवाब दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, आपकी रूलिंग के बाद, विपक्ष के उपनेता श्री शिवराज पाटील जी ने यह बात कही कि मामला सदन के सदस्य से संबंधित है और यदि सदन के सदस्य से संबंधित मामला है, तो वह केवल स्टेट मसला नहीं माना जा सकता है। मैं बिलकुल उनकी बात को वजा कहती हूं और इस सदन के हर सदस्य के सम्मान की रक्षा करना, केवल सरकार के नाते नहीं, बल्कि संसदीय कार्य मंत्री के नाते भी मेरा दायित्व बनता है। इसलिए माननीय सांसद सुमन जी ने जो कहा कि एम.ओ.एस. यहां बैठे हैं, वे जवाब दें। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि जहां तक सदन के सदस्यों से संबंधित सवाल है, उनके बारे में जो बातें कही गई हैं, मैं सरकार की ओर से आश्वासन देना चाहती हूं कि हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं और जैसे ही तथ्यों का पता लगेगा, हम सदन को सूचित करेंगे और जो समाधान कारक कार्रवाई करनी होगी, वह भी करेंगे। मेरा यह आश्वासन केवल सुमन जी को नहीं बल्कि पूरे सदन के सदस्यों को है।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, तथ्यों की

जानकारी कब तक करेंगे, इसके लिए कोई निश्चित समय होनी चाहिए, एक घंटा, दो घंटा। पाठक जी आप बताइए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : सभापति जी, जैसा यहां बताया गया कि आज समाजवादी और अन्य पार्टियों की रैली थी, उस पर कुछ पुलिस कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी कार्रवाई की गई है। आदरणीय पार्लियामेंट्री एफेयर्स मिनिस्टर ने जैसा कहा है कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्य भी उस रैली में सम्मिलित थे। पुलिस कार्रवाई में हमें राज्य सरकारों से जो जानकारी मिलेगी उसे लेकर हम सदन के सामने आएंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : लेकिन सभापति जी, कब तक? इसके बारे में कोई निश्चित समय–सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

श्री हरिन पाठक : जैसे ही हमें तथ्य और सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त हो जाएगी, वैसे ही हम उससे सदन को अवगत करा देंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : पाठक जी, लेकिन कब तक जानकारी मंगाएंगे उसकी कोई समय–सीमा तो निर्धारित कीजिए।

श्री हरिन पाठक : आज ही मंगा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद सं. 8 ले रहे हैं—श्री राजीव प्रताप रुडी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, मैंने आपको काफी समय दे दिया है। कृपया अब बैठ जाएं।

अपराह्न 2.46 बजे

[अनुवाद]

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक*—पुरःस्थापित

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुडी) : महोदय, मैं श्री अरुण जेटली की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजीव प्रताप रुडी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.47 बजे

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक—विचाराधीन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं, मेरे वरिष्ठ साथी श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के अधिनियमन से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के साथ संलग्न कारण और उद्देश्यों के विवरण में दिए गए हैं। मैं संक्षेप में दोहरा दूं कि श्री के. संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुरूप 1964 में केन्द्रीय सतर्कता

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–2, दिनांक 21-02-2003 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[श्री हरिन पाठक]

आयोग का गठन किया गया था। आयोग की परिकल्पना संघ लोक सेवा आयोग की भांति ही एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

सितम्बर, 1997 में सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देने के लिए सर्वश्री बी. जी. देशमुख, एस. वी. गिरी और एन. एन. वोहरा की सदस्यता वाली एक स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों और विनीत नारायण और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 18 दिसंबर, 1997 को दिए गए निदेशों के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा देने का निर्णय लिया।

महोदय, इस प्रतिष्ठित सदन के विचाराधीन केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 को 20 दिसंबर, 1999 को पुनः लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। पुरःस्थापित होने के पश्चात् इस विधेयक के निरीक्षण और इस पर प्रतिवेदन हेतु इसे श्री शरद पवार की अध्यक्षता वाली संसद की दोनों सदनों की संयुक्त समिति को अग्रेषित किया गया था।

महोदय, इस समिति के समक्ष उपस्थित हुए विशेषज्ञों और अधिकारियों के विचारों को सुनने, विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों आदि के सुझाव/टिप्पणियों का अध्ययन करने और इस विधेयक के प्रावधानों पर खंडवार विचार करने के पश्चात् संयुक्त समिति ने 22 नवम्बर, 2000 को अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया।

महोदय, संयुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में विभिन्न सुझाव दिए और जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा सूचित किया गया, उसने 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999' भी प्रस्तुत किया। महोदय, संयुक्त समिति ने कुछ सामान्य सिफारिशों के अतिरिक्त इस विधेयक के 29 खंडों में से 12 खंडों में बड़े परिवर्तन करने का सुझाव दिया था।

महोदय, संयुक्त समिति की विभिन्न सिफारिशों का गहन निरीक्षण करने के बाद सरकार ने संयुक्त समिति की सभी सिफारिशों और जैसा कि उसके द्वारा सूचित किया गया था केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 को स्वीकार कर लिया है।

महोदय, इस विधेयक में भारत सरकार के 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प को जिसे बाद में 13 अगस्त, 2002 को संशोधित किया गया था, भी निरस्त करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग वर्तमान में एक गैर–वैधानिक निकाय के रूप में कार्यरत है।

महोदय, मैं यहां यह भी बता दूं कि क्रियान्वयन सूत्र और केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के वर्ष में परिवर्तन के संबंध में आवश्यक आधिकारिक संशोधन भी पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त विधेयक पर, जैसा कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सूचित किया गया है, विचार किया जाए व प्रस्तावित अधिकारिक संशोधनों सहित सर्वसम्मति से इस प्रतिष्ठित सदन द्वारा पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत है :

"कि केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक हमारे सामने है। इस विधेयक में संयुक्त समिति द्वारा दिए गए सुझाव सम्मिलित हैं। हमें इस विधेयक को पारित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

इसी के साथ मैं इस माननीय सदन में उपस्थित कुछ लोगों के विचारों को भी व्यक्त करना चाहूंगा। इस विधेयक के संबंध में एक बात तो यह हो रही है कि हम उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुरूप एक कानून बना रहे हैं। हमें इस मुद्दे का बहुत जिम्मेदारी से निर्वाह करना पड़ेगा।

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि कार्यपालन संबंधी निर्णय कार्यपालिका द्वारा लिए जाएंगे; विधायिका द्वारा कानून बनाए जाएंगे; और न्यायपालिका इन कानूनों की व्याख्या करेगी।

जहां तक इन कानूनों की व्याख्या का संबंध है जो कुछ भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या न्यायपालिका द्वारा कहा जाता है वही अंतिम होता है। निश्चित रूप से विधायिका कानून को बदल सकती है परन्तु वह निर्णय को नहीं बदल

सकती। यदि कानून नहीं बनाए जाते हैं तो भी निर्णय कायम रहेगा। कार्यपालिका कार्यपालन संबंधी निर्णय और निदेश जारी कर सकती है।

हमने उच्चतम न्यायालय के निदेशों का सम्मान किया है और हमें उच्चतम न्यायालय के निदेशों का सम्मान करना चाहिए। जब तक हम उच्चतम न्यायालय के निदेशों, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का सम्मान नहीं करते, तब तक हमारे लिए समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखना कठिन होगा। लेकिन बहुत जिम्मेदारी से इसे करते हुए हमें किसी न किसी समय इस पर भी विचार करना होगा कि क्या न्यायपालिका इस स्थिति में है कि वह विधायिका को कोई कानून बनाने या कोई कानून न बनाने या किसी विदोष तरीके से कानून बनाने का निदेश दे सके।

वह निर्णय जन प्रतिनिधियों को ही लेना पड़ेगा। वह निर्णय विधायिका के क्षेत्राधिकार में है। अतः एक ओर न्यायपालिका की कानून की व्याख्या करने की शक्ति और प्राधिकार का सम्मान करते हुए दूसरी ओर यह कहूंगा कि क्या न्यायपालिका, सांवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधायिका या कार्यपालिका को किसी कानून को किसी विदोष प्रकार से बनाए जाने का निदेश देने की स्थिति में है? मेरे लिए इस विषय पर विस्तार से जाना और किसी निर्णय विशेष पर पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत चर्चा हुई है और हमें एक निश्चित समय पर इस पर विचार करना ही पड़ेगा। ऐसा हम न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेशों का मजाक उड़ाने की दृष्टि से नहीं करेंगे अपितु हम ऐसा संविधान भी मूल भावना को कार्यान्वित करने की दृष्टि से करेंगे, जिसके अनुसार विधायी शक्ति विधायिका के पास है न कि किसी अन्य प्राधिकारी के पास। इस मुद्दे पर अत्यधिक सावधानी से विचार करना पड़ेगा।

हमने जिस दूसरे मुद्दे पर विचार करना है वह यह है। कार्यपालिका और जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। यदि वे आरोप सही हैं तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन यदि वे आरोप सही नहीं हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं हैं तो उनसे राजनैतिक कठिनाइयां पैदा होती हैं न केवल राजनैतिक कइिनाइयां पैदा होती हैं अपितु प्रशासनिक कठिनाइयां भी पैदा होती हैं और इससे निर्णय लेने में भी रुकावटें आती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी मंत्रालय के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है और वह आरोप मीडिया में प्रकाशित हो जाता है और उस पर सदन में और उसके बाहर भी चर्चा होती है तो जिन अधिकारियों को निर्णय लेना है वे निर्णय लेने की अपेक्षा इसे टालना पसंद करेंगे। होता यह है कि जब कोई फाइल किसी अधिकारी के सामने आती है और यदि वह एक ईमानदार अधिकारी है और यदि उसे ऐसी आशंका होती है कि उसके विरुद्ध आरोप लगाए जा सकते हैं तो वह उस फाइल पर निर्णय लेने के बजाय यह देखेगा कि वह फाइल एक मेज से दूसरी मेज पर घूमती रहे।

मैंने ऐसी फाइलें देखी हैं जो न केवल एक मेज से दूसरी मेज पर घूमती रहीं बल्कि वे एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में घूमती रहीं। यदि रक्षा मंत्रालय को कोई निर्णय लेना है तो वह मामला वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किया जाता है। वित्त मंत्रालय की राय ली जाती है और वित्त मंत्रालय भी अंतिम राय नहीं देता वह कहता है कि इसे उद्योग मंत्रालय को भेजा जा सकता है और उद्योग मंत्रालय को यह निर्णय लेने दें कि क्या कोई वस्तु विशेष आयात की जाएगी या उसका देश में ही उत्पादन किया जा सकता है। यदि उद्योग मंत्रालय यह कहता है कि इसे आयात किया जा सकता है या देश में ही उत्पादित किया जा सकता है तो वे कहेंगे कि उन्हें इसके कानूनी पहलू की भी जांच कर लेनी चाहिए। इसलिए मामला विधि मंत्रालय जाता है जहां वह इस पर अपनी राय देता है और फिर यह वापस रक्षा मंत्रालय में आता है। तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय फिर कहता है कि उन्होंने अपने कार्यालयों में बैठकर इस पर अलग–अलग निर्णय लिये हैं, लेकिन अभी इस पर एक संयुक्त बैठक बुलाकर उन्हें संयुक्त निर्णय लेना है। एक बार फिर फाइल वापस जाती है और फिर अधिकारीगण एक साथ बैठकर इस पर निर्णय लेते हैं।

यह जो प्रक्रिया अपनायी जाती है इसका परिणाम यह होता है कि अंतिम निर्णय लिए जाने के पहले इसमें महीने नहीं, अपितु वर्षों बीत जाते हैं। इस तरह जब इसमें वर्षों बीत जाते हैं, तो उपकरण खरीदने की कीमत अथवा किसी परियोजना को लागू करने की कीमत 25 प्रतिशत या 30 प्रतिशत या कभी–कभी 50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। इनमें विलंब होता है, और समय की भी अपनी कीमत होती है। यदि आप अभी समय का सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कीमत बढ़ेगी। इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए शासन और प्रशासन संभालते समय, एक संतुलित दृष्टिकोण को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, और वह संतुलित दृष्टिकोण यह है

[श्री शिवराज वि. पाटील]

कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और साथ ही इसमें ऐसे अनावश्यक विलंब नहीं होने चाहिए जिससे इनको करने की लागत में वृद्धि हो।

अपराह्न 3.00 बजे

इस तरह, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन आरोप को साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। सरकार के रूप में इसका यह दायित्व बनता है कि यह देखे कि कोई भ्रष्टाचार न हो और इसे रोकने के लिए हर आवश्यक उपाय किया जाए। साथ ही सरकार का यह दायित्व भी है कि वह यह देखे कि इनमें होने वाले विलंबों से बचा जा सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें यह सावधानी पूर्वक देखना होगा कि इसमें भ्रष्टाचार न हो, विलंब न हो और बेगुनाह लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो।

इस मामले पर चर्चा हुई थी और तब एक प्रश्न उभर कर सामने आया था कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पूरी तरह से केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधीन कार्य करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस मामले पर सरकार का मत यह था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि मामले की जांच करने वाली पुलिस को, मामलों की जांच करते समय केन्द्रीय सतर्कता आयोग से दिशा–निर्देश प्राप्त करने चाहिए। इस पर सभा के अंदर और बाहर मतभेद हो सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण पूरी तरह से संतुलित है। हो सकता है उनकी राय इससे भिन्न हो फिर भी कुल मिलाकर यह विचार स्वीकार करने योग्य है।

इस बारे में मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि मैंने कई मामलों में यह देखा है कि नामांकित व्यक्तियों की अपेक्षा जनप्रतिनिधियों पर विश्वास कम किया जाता है। कभी–कभी तो यह सोचा जाता है कि जन–प्रतिनिधि, जो यहां सरकार के एक भाग के रूप में, मंत्री अथवा सांसद के रूप में उपस्थित हैं, उचित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते, इसीलिए निर्णय लेने के लिए दूसरे व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है। कुछ मामलों में तो जिन्हें निर्णय लेना होता है उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे न्यायपालिका के सदस्यों को निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यदि जनप्रतिनिधियों के क्षेत्राधिकार से सभी मामले नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, तो यह हमारे हित में है और लोकतांत्रिक कदम होगा। आपने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों को जवाबदेह बनाया है। आपने यह प्रावधान भी किया है कि यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जा सकती है और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन हमें पता है कि यह कितना मुश्किल होता है। मंत्री हमारे प्रति हर वक्त जवाबदेह होते हैं। हम उसकी खिंचाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वह जो कुछ भी कर रहा है ठीक नहीं है। उस पर एक या दो लोगों की निगाहें नहीं होतीं अपितु उस पर लगभग 1000 लोगों की निगाहें होती हैं। इस सभा में 545 सदस्य हैं और दूसरी सभा में 245 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य, चाहे वह सत्तापक्ष से हो या विपक्ष से, और सरकार के मंत्रियों से उनकी जवाबदेही का हक रखता है। यदि हमें निर्वासित सदस्यों की इस क्षमता में विश्वास न हो और केवल यह सोचें कि नामित सदस्य ही ऐसा कर सकते हैं तो यह लोकतंत्र से कुलीनतंत्र की ओर जाना होगा। इसलिए, लोकतंत्र से कुलीनतंत्र की ओर जाने से बचा जाना चाहिए।

पूर्व में, जब किसी आपराधिक मामले में कोई निर्णय दिया जाना होता तो उस पर एक पंचायत बैठती थी, और पंचायत, जिसमें सामान्य व्यक्ति होते थे कोई विधि विशेषज्ञ नहीं, जो भी निर्णय देती थी उसे सही और विधिसम्मत माना जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि एक व्यक्ति पर निर्भर करना अच्छा नहीं माना जाता अपितु कई लोगों के निर्णय को ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। जब हम लोकतंत्र से कुलीनतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं तो यह प्रक्रिया पूरी तरह से उलटी होती जा रही है। हम ज्यादा लोगों के निर्णय पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और वह भी नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के निर्णय पर, ऐसे व्यक्तियों पर जो हमारी तरह प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से जवाबदेह भी नहीं हैं। इस विचार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मैं इस बात को बार–बार दोहराना चाहूंगा कि बहुत से लोगों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले तंत्र को, इसकी निगरानी करने वाले तंत्र को और उन पर निर्णय देने वाले तंत्र को हर तरह से सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी तंत्र आवश्यक हो उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए, लेकिन यह सिक्के का एक पहलू मात्र है। लेकिन ऐसा करते समय सिक्के के दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस पर मुझे कुछ और बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरी समझ से यह विधेयक स्वागत योग्य है। आइए, हम इसका अनुमोदन करें।

श्री अनादि साहू (बहरामपुर, उड़ीसा) : मैं इस केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक का समर्थन करता हूं। निष्क्रिय मानसिकता और नैतिकता का अभाव, ये दो बातें इस देश का अभिशाप हैं। हमारे यहां लोकतंत्र है, एक जीवंत लोकतंत्र जहां पूरे जोर–शोर से कार्यकलाप होते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के साथ, दो और बातें भी आ गई हैं। पहली है जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि और दूसरी है—काला धन। काला धन पिछले 50–55 वर्षों में अधिनियमित किए गए कई सामाजिक कानूनों के परिणामस्वरूप है। मैं यह नहीं कहता कि इस सकरार ने या उस सरकार ने ऐसा किया है अपितु कई सरकारों ने सामाजिक कानून बनाए हैं। एक बार सामाजिक कानून बन जाने के बाद स्वाभाविक रूप से निर्णय लेने का कार्य कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है। जब निर्णय लेने का सवाल उठता है अथवा निर्णय के लिए सही या उचित रास्ता अपनाए जाने में एक मनमाने तरीके पर अमल हो, तो उसमें भ्रष्टाचार तो होना ही है। इस देश में भ्रष्टाचार ने बड़े व्यापक रूप से अपनी जड़ें जमायी हुई हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पर प्रहार करना आवश्यक है। इस तरह के भ्रष्टाचार कोई आज नहीं अपितु 1964 में ही देखने में आया था।

अपराह्न 3.07 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको पता है कि 1964 में ही भारत सरकार ने श्री संथानम द्वारा उचित जांच के बाद एक संकल्प प्रस्तुत किया था। श्री संथानम ने ऐसे विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार से संबंधित एक रिपोर्ट सौंपी थी जिनमें बेईमान लोग शामिल थे और जो रातोंरात धनाढ्य बनने की सोचते थे। यह भी एक तथ्य है कि राजनीतिज्ञों और प्रशासन तंत्र के बीच एक तरह की सांठगांठ है और इसी सांठगांठ की वजह से अब भ्रष्टाचार का पहले से भी अधिक बोलबाला है।

अब, भ्रष्टाचार के बारे में जांच करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोकसेवकों के कदाचर, भ्रष्टाचार और दुराचार पर नजर रखी जा सके। इसीलिए, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। जैसा कि आपको पता है, पहले केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जानी थी। लेकिन बाद में 1995, इस प्रस्ताव को अज्ञात कारणों से वापस ले लिया गया। अब यह आवश्यक हो गया है कि यदि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से उखाड़ नहीं फेंका जा सकता तो इस पर प्रहार करने के लिए किसी प्रक्रिया को अवश्य अपनाया जाना चाहिए।

मैं श्री शिवराज पाटील की बात में इतना और जोड़ूंगा कि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संकल्प प्रस्तुत कर और उस पर कानून बनाकर कार्यपालिका अपने अधिकारों के प्रयोग में पूरी तरह से असफल रही है। वर्तमान में, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1947 किसी तरह से उपयोगी नहीं रहा है और इसी को आधार बनाकर संसद द्वारा 1988 में एक अधिनियम बनाया गया था। लेकिन उसके बावजूद, सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने में सफल नहीं हो सकी है।

जैसा कि कार्यपालिका इसमें असफल रही है, या यों कहें कि अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पायी है, तो ऐसे में स्वाभाविक है इस कमी को न्यायपालिका द्वारा भरा जाता। विनीत नारायन बनाम केन्द्र सरकार के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने जो पहला काम किया वह है विधायिका की शक्तियों को हड़प लेना। यह कोई शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत इसलिए नहीं है क्योंकि, संविधान के अनुसार न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना है, निर्देश देना नहीं। यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से संयुक्त समिति ने 1999 के विधेयक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों को अपवादस्वरूप लिया है। यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, फिर भी इस विधेयक के निर्माताओं के मन में क्या बातें थीं, मैं उन बातों की पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं।

महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह राजग सरकार यह बताती रही है—और इसी दिशा में कार्य करती रही है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए और सरकार तथा इसके विभिन्न अंगों के प्रशासनिक कार्यकरण में कुछ न कुछ पारदर्शिता अवश्य होनी चाहिए। इसलिए उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश जारी किए गए क्योंकि कुछ कठिनाइयों के चलते विधेयक पारित नहीं हो सका। तब से यह विधेयक ब्रह्मपुत्र नदी की तरह चक्कर काटता रहा है, एक समिति से दूसरी समिति के पास भेजा गया, बार–बार इधर–उधर होता रहा फिर अध्यादेश प्रख्यापित किया गया और फिर पुनः समिति को भेजा गया और यह सब इसी तरह होता रहा। यह आवश्यक हो गया था कि पहले इस बारे में अध्यादेश प्रख्यापित किया जाए और फिर विधेयक को पेश किया जाए। इस विधेयक को पहले तो संयुक्त समिति को भेजा गया और फिर संयुक्त समिति ने इसमें कुछ संशोधन सुझाए। हम सरकार के आभारी हैं कि उसने

[श्री अनादि साहू]

समिति की संशोधन से संबंधित सभी सिफारिशों को पूरी तरह मान लिया है।

[अनुवाद]

महोदय, आज के समाज में एक मुश्किल है। वह मुश्किल यह है कि कोई ईमानदार व्यक्ति या ईमानदार प्रशासक भ्रष्ट प्रशासकों अथवा लोकसेवकों के आगे टिक नहीं पाता। आपकी अनुमति हो तो मैं ऑलीवर गोल्डस्मिथ की कविता का एक अंश उद्धृत करना चाहूंगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने जनता को इस बारे में एक बहुत अच्छा संदेश दिया था कि किस तरह ईमानदार लोगों पर वह न कहने का दबाव होता है जिसे वह कहना चाहते हैं या कहने की इच्छा रखते हैं। मैं उद्धृत करता हूं, "कंसियेंश इज ए कावर्ड एंउ दोज फाल्ट्स इट हैज नाट स्ट्रेंथ एनफ टु प्रवेन्ट, इट सेल्डम हैज जस्टिस एनफ टु अक्यूज" (कहां शक्ति है भीरु चेतना में, जो अवगुण अपने रोक सके, न्याय भाव है क्षीण बहुत दोषारोपण कर न सके)। दोषों को रोकने की इसमें क्षमता नहीं और न ही यह उन दोषों के लिए दोषारोपण कर सकती है। इसलिए, अब हमें यह सोचना होगा कि किस तरह से भ्रष्ट लोगों पर दोषारोपण हो सकता है और इसके लिए हमें भयमीत होने की आवश्यकता नहीं है। कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर दोषारोपण करने के लिए यह आवश्यक है कि इस बारे में कानून होना चाहिए।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं किसी अच्छे प्रशासक में सात बातें होनी आवश्यक हैं अर्थात् निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, तटस्थता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व। जब तक उसमें नेतृत्व का गुण नही होगा, तो दूसरी छह बातें जो उसमें बताई गई हैं, वे व्यर्थ जाएंगी। वर्तमान शासन में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उससे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बल मिलता है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं और जो नौकरशाह हैं उनमें ईमानदारी सत्यनिष्ठा और कुछ हद तक निःस्वार्थता बनी रहे। जैसा कि हर कोई जानता है, इस देश में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की बहुत कमी है। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि प्रशासनिक अधिकारियों में एक हद तक ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बरकरार रहे। इसके लिए कुछ न कुछ दंडात्मक कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई न कोई ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि जो लोग भ्रष्ट हैं और अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उन्हें व्यवस्था में से निकाल बाहर किया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और उन नियमों को अमल में लाने के लिए कुछ कार्याधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक का यही उद्देश्य है।

जैसा कि आप जानते हैं, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक में चार प्रमुख बातें हैं। पहली, जब हम भ्रष्ट लोगों को निकालने की बात सोचते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पानी से जब हम अवांछित चीजें निकालते हैं जो उनको निकालने वाला जाल बहुत मजबूत होता है। इसलिए, यह बात महत्वपूर्ण है कि उस जाल का धागा किससे बना है। इसलिए अब सवाल यह उठता है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किन लोगों को नियुक्त किया जाएगा। आयुक्त की नियुक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। विधेयक में इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए कौन से लोग पात्र होंगे और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति की पात्रता के बारे में कौन निर्णय लेगा। उन्हें कौन नियुक्त करेगा? उन्हें भारत के प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस नियुक्ति तंत्र की संरचना बहुत अच्छी है।

आरंभिक चरण में, यह सोचा गया था कि यह एक पांच सदस्यीय आयोग होगा—इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। लेकिन काफी विचार–विमर्श के बाद सरकार ने निर्णय किया है कि इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे अर्थात् एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और दो अन्य आयुक्त। यह एक अच्छी बात है। विभिन्न सेवाओं के एक ईमानदार व्यक्ति को नियुक्त करना पहली आवश्यकता है। यह आवश्यक नहीं है कि अध्यक्ष सहित सभी सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा से ही होने चाहिए। इसमें एक खंड जोड़ दिया गया है कि जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही सेवा के दो से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भ्रष्टाचार कई तरह का होता है। व्यभिचार की तरह, भ्रष्टाचार के भी कई मायने होते हैं। भ्रष्टाचार दो समूहों के बीच सहमति का मामला है। इसलिए, किसी प्रशासनिक कार्याधिकारी के भ्रष्ट कार्यों पर निर्णय लेने के पहले कई बातों को ध्यान में रखना होगा। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों अथवा लोकसेवकों को आयोग में लेना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि केवल आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारियों को ही इसमें लिया जाएगा। यह भी आवश्यक नहीं है कि सीमाशुल्क अथवा राजस्व सेवा के अधिकारियों को भी लिया जाए। इसके लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का भी कोई अधिकारी पात्र हो सकता है।

जैसी कि मुझे जानकारी है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। ऐसा किया जाना चाहिए ताकि हमें विभिन्न विभागों, विभिन्न निगमों और विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी हो सके। जैसा कि मैंने कहा इसके लिए पहली आवश्यकता यह है कि हम जिन लोगों को नियुक्त करें वे कुछ हद तक दंड निरापद रखने का विधान हो।

इसके बाद पद से हटाने की बात आती है। पद से हटाने की बात को बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। आयुक्तों द्वारा कदाचार के मामले में, एक निश्चित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति उसे निलंबित कर सकते हैं और भारत के उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह जांच के बाद उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही का निर्णय करे। पहली धारा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति और उसको पद से हटाने से संबंधित है। मैं विधेयक की सारी धाराओं के बारे में बात नहीं करना चाहता।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अपने कार्यों में स्वतंत्र हो इसका निर्णय कर लेने के बाद, अब यह जानना आवश्यक है कि इस आयेाग के क्या दायित्व होंगे। जब आयोग किसी से संबंधित किसी मामले पर कार्यवाही करता है तो उस अधिकारी के विरुद्ध कुछ न कुछ टीका–टिप्पणी की जाएगी। जैसा कि श्री शिवराज पाटील ने कहा है कि प्रत्येक निर्णय के दो पहलू हो सकते हैं। तीन–चार वर्षों बाद यदि कोई अधिकारी कोई निर्णय विशेष लेता है, तो लोग उस पर संदेह कर सकते हैं। संबद्ध अधिकारी मुख्य जांच एजेंसी अथवा जांच प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में नहीं हो सकता है। इसलिए सतर्कता आयोग के लिए एक विशद् प्रक्रिया प्रदान की गई है। जैसा कि वर्तमान में, सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार में 605 विभाग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आते हैं। आयोग इन्हें अकेले नहीं कर सकता। यदि अकेले करना भी चाहे तो गंभीर प्रयास नहीं कहे जाएंगे।

इसलिए, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निगमों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि में दूसरे सतर्कता अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे। यदि ये लोग केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो इस विधेयक का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा। हम जो भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे वह निरर्थक हो जाएगा, और हम इसे पुनः उच्चतम न्यायालय के पास भेजेंगे कि वह इसकी व्याख्या करे। जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा है हमने अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं किया है। विधायिका ने अपनी शक्तियों को त्याग दिया है। इसलिए, इस रिक्तता को न्यायपालिका द्वारा भरा गया। हमें बहुत अधिक सतर्क रहना है। जो भी आवश्यक है उसे संसद द्वारा ही किया जाना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार संसद को इसकी शक्ति प्राप्त है।

उदाहरण के लिए, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को क्या शक्तियां दी जानी चाहिए। विधेयक में कहा गया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी। यहां तक तो अच्छी बात है। इसमें लोगों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने, शपथ–पत्र दायर करने अथवा सम्पत्ति जब्त करने और इसी तरह की शक्तियां निहित हैं। जब तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शक्तियां नहीं दी जातीं, उसके लिए कार्य करना बहुत मुश्किल होगा।

लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहायता के लिए दो कार्याधिकारी होंगे। सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क निदेशालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है जो करों, धनराशि इत्यादि की वसूली करता है और लोगों के संपर्क में रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण निकाय है–केन्द्रीय जांच ब्यूरो निदेशालय। इसका एक भाग है उत्पाद और सीमाशुल्क निदेशालय तथा वित्त मंत्रालय के कार्याधिकारी और दूसरा है दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यकरण के लिए इन कार्याधिकारियों की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पाद और सीमशुल्क निदेशालय अथवा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्ति को स्वयं विधेयक में स्पष्ट किया गया है। विधेयक के खंड 26 में विस्तार से बताया गया है कि किन व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा और उन्हें कौन नियुक्त करेगा।

आरंभिक चरण में, मुख्य सतर्कता आयुक्त को दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर निर्णय लेना था लेकिन बाद में यह तय किया गया कि शेष दो सदस्य भी अपने आपको इस निर्णय से संबद्ध करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित मामलों की अध्यक्षता कौन करेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि प्रवर्तन निदशोलय से तरह–तरह के लोगों का संपर्क रहता है और इसमें कमाई बहुत आसान है। कोई उल्टी–सीधी व्याख्या हो जाए तो लोगों को इससे हानि या लाभ हो सकता है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है।

जैसा कि आप जानते हैं हम प्रवर्तन एजेंसियों की वजह से बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था कि विभिन्न तरह के सामाजिक कानूनों,

[श्री अनादि साहू]

कर सुधारों और दूसरी बातों के कारण प्रशासनिक तंत्र के कार्य करने का ढंग अत्यधिक जटिल हो गया है।

दूसरी जांच एजेंसी है—केन्द्रीय जांच ब्यूरो निदेशालय। हमारे दिमाग में जो एक बात आती है वह है सीबीआई निदेशालय के कार्यकरण का निरीक्षण करना। महोदय, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 में स्पष्ट किया गया है कि निरीक्षण कार्य के लिए उच्च न्यायालय को काफी व्यापक शक्तियां दी गई हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकारियों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है। निरीक्षण एक दुधारी तलवार है। यह दोनों तरफ से वार कर सकती है। इसलिए जब केन्द्रीय सतर्कता आयोग को निरीक्षण की शक्ति प्रदान करने का प्रश्न आता है, इस बारे में बहुत अधिक सतर्क होना चाहिए।

ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि विगत में हमने देखा है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अपनी सीमाएं ही भूल गए थे। उन्होंने इस तरह से निदेश देना शुरू किया था जैसे कि वह किसी विशेष मंत्रालय अथवा विभाग या सरकारी क्षेत्र उपक्रम की नीति के बारे में निर्णय ले रहे हों। यह तो हद हो गई। नीतिगत निर्णय तो भारत सरकार या उस समय विशेष में सत्ता में आसीन व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हैं। यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग नीति संबंधी निर्देश देना शुरू कर दे, तब तो पूरा सरकारी तंत्र ही निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए, निरीक्षण की बात पर ढंग से विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 में निरीक्षण शक्तियां सरकार को दी गई हैं क्योंकि विभिन्न विभागों के सभी कार्याधिकारियों के निरीक्षण की शक्ति सरकार के पास है। अब, जब हमने केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया है तो सरकार के प्रशासनिक कार्यकरण में इसके दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि यह ज्यादातर भारत सरकार—केन्द्रीय सरकार—से संबंधित कार्यों को देखेगा इसीलिए निरीक्षण से संबंधित मामलों पर उचित ढंग से विचार करना चाहिए।

इसके बाद हम इस विधेयक के खंड 27 पर आते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक इस बात का संबंध है क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम या सीबीआई पर निरीक्षण का संपूर्ण अधिकार होगा। सीबीआई आपराधिक मामलों की या भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और कतिपय छोटे अधिनियमों से संबंधित मामलों की तहकीकात करती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित विशेष प्रकार के मामले केवल केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए। इसके अलावा, कुछ नहीं होना चाहिए और इसे दिमाग में रखा जाना चाहिए। जब हम यह कहते हैं कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग सीबीआई का निरीक्षण करेगा तब इसका अर्थ केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामले और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए अन्य मामलों की जांच से है। न कि इसके अलावा किसी अन्य मामले से। यदि इस नियम का उचित ढंग से पालन नहीं किया गया तो हमारी व्यवस्था ठप्प पड़ जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है, सीबीआई का निदेशक एक ईमानदार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। खंड 27 में ही कतिपय प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है। इसमें सावधानी बरतने संबंधी नोट है। और यह चेतावनी भरा नोट एकल निदेशक प्रणाली से संबंधित है

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है मान लीजिए कोई संयुक्त सचिव या अपर सचिव किसी विशेष मामले पर निर्णय देता है और पांच या दस वर्ष बाद वह मामला दुबारा उठाया जाता है और प्रवर्तन निदेशालय या सीबीआई से कोई यह सोचता है कि निर्णय सही नहीं था या केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्वयं सोचता है कि निर्णय सही नहीं था—हालांकि, पूर्व लिए गए निर्णय से अनभिज्ञ नहीं होगा—और यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग तत्काल जांच आरंभ करता है या सीबीआई को तहकीकात के निर्देश देता है तो यह न्याय और निष्पक्षता की विडंबना होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कुछ अधिकारियों के ग्रुप को किसी निश्चित स्तर पर जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ग्रुप पांच के अधिकारी या संयुक्त सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारी या अपर सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों जैसा भी मामला हो, को अवश्य संरक्षण देना चाहिए। इसलिए, जब हम केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की तहकीकात करने के लिए अधिकार देते है तो एकल निर्देशक प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं कहता कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है। यह बुराई समाज में सर्वत्र व्याप्त है। परंतु कतिपय अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने धन, मानसिक और दिमागी यातना जैसे विभिन्न प्रकार के सभी दबावों के बावजूद दबावों का डटकर मुकाबला करने का प्रयास किया है और निर्णय दिए हैं। ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। यदि हम उनका संरक्षण उचित ढंग से करेंगे यदि हम उन्हें आश्वासन देंगे कि उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता तब ही हम उस प्रवाह का मुंह मोड़ सकते हैं

जिसने स्वतत्रता के बाद पिछले पचपन सालों से इस समाज के लिए बहुत सी परेशानियां पैदा की हैं।

इसलिए, एकल निर्देशक प्रणाली सर्वथा आवश्यक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अधिकारी अपनी राय निर्भीकता और मुक्त रूप दे सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनादि साहू आप अपना भाषण अगले कार्य दिवस अर्थात् सोमवार को भी जारी रख सकते हैं।

श्री अनादि साहू : धन्यवाद, महोदय, मैं अगली बार इसे जारी रखूंगा।

अपराह्न 3.30 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा 20 फरवरी, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 20 फरवरी, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयेक–पुरःस्थापित

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 323 का संशोधन)

श्री कोलुर बसवनागौड (बेल्लारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कोलुर बसवनागौड : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31½ बजे

[अनुवाद]

(दो) व्यापक हिंसा और अन्याय से पीड़ित व्यक्तियों को राहत तथा प्रतिकर और उनका पुनर्वास विधेयक*

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यापक हिंसा और अन्याय से पीड़ित व्यक्तियों को राहत तथा प्रतिकर दिए जाने और उनका पुनर्वास करने तथा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए एक आयोग का गठन तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यापक हिंसा और अन्याय से पीड़ित व्यक्तियों को राहत तथा प्रतिकर दिए जाने और उनका पुनर्वास करने तथा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए एक आयोग का गठन तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 21.2.2003 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 21.2.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.32½ बजे

[अनुवाद]

(तीन) नियोजन केंद्र (रिक्तताओं की अनिवार्य अधिसूचना) (संशोधन) विधेयक*
(धारा 3 का संशोधन)

श्री कोलुर बसवनागौड (बेल्लारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियोजन केन्द्र (रिक्तताओं की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नियोजन केन्द्र (रिक्तताओं की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कोलुर बसवनागौड : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32½ बजे

[अनुवाद]

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 171 का संशोधन)

श्री कोलुर बसवनागौड (बेल्लारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कोलुर बसवनागौड : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 21.2.2003 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.33 बजे

[अनुवाद]

(पांच) दयाभूत प्राणांत (विनियमन) विधेयक*

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि असाध्य रोग या किन्हीं अन्य कारणों से पूर्णतः और सर्वदा के लिए अशक्त तथा/या शय्याग्रस्त व्यक्तियों के जीवन का अनुकंपाशील अंत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि असाध्य रोग या किन्हीं अन्य कारणों से पूर्णतः और सर्वदा के लिए अशक्त तथा/या शय्याग्रस्त व्यक्तियों के जीवन का अनुकंपाशील अंत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33½ बजे

[अनुवाद]

(छह) भू-संरक्षण विधेयक*

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मिट्टी के कटाव से भू–संसाधनों के संरक्षण तथा अन्य प्रयोजनों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मिट्टी के कटाव से भू–संसाधनों के संरक्षण तथा अन्य प्रयोजनों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 21.2.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.34 बजे

[अनुवाद]

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 83 का संशोधन)

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.34½ बजे

[अनुवाद]

(आठ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 21.2.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.35 बजे

[अनुवाद]

(नौ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (संशोधन) विधेयक*
(धारा 2 का संशोधन)

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

[अनुवाद]

(दस) सांस्कृतिक विरासत संरक्षण विधेयक*

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा अंगीकृत विशवा सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेन्शन को लागू करने तथा इसके उपबंधों को विधि का बल प्रदान करने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में और अधिक सतर्कता बरतने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन करने, सांस्कृतिक विरासत को क्षति पहुंचाने के अपराध के दोषियों को भयप्रतिकारी दंड देने और इससे संसक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा अंगीकृत विशवा सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 21.2.2003 में प्रकाशित।

[श्री जी. एम. बनातवाला]

विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेन्शन को लागू करने तथा इसके उपबंधों को विधि का बल प्रदान करने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में और अधिक सतर्कता बरतने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन करने, सांस्कृतिक विरासत को क्षति पहुंचाने के अपराध के दोषियों को भयप्रतिकारी दंड देने और इससे संसक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

[अनुवाद]

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक–*विचाराधीन*
(अनुच्छेद 44 आदि का लोप)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 28 लेते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव 19 जुलाई, 2002 को पेश किया गया था, नामतः

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

पिछले अवसर पर गणपूर्ति के अभाव में सभा को स्थगित करना पड़ा। इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष मतदान के लिए रखने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान विभाजन के द्वारा होगा। दीर्घाएं खाली कर दी जाएं :

माननीय सदस्यो, मैंने दीर्घाएं खाली किए जाने का आदेश दिया है। अतः इस समय आप लोगों द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, वह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं, मैं फिर भी रिकार्ड के लिए यह कहना चाहूंगा कि यह सदन की परम्पराओं का अपमान है। यदि कोई सदस्य कोई विधेयक पुरःस्थापित करता है तो यह देखना उसका कर्तव्य है कि कम से कम 50 सदस्य सदन में उसका समर्थन करें। यह देखना सत्ता पक्ष और संबंधित सदस्य, जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया है, का कर्तव्य है कि सदस्य सदन में उपस्थित हों और कम से कम सदन में गणपूर्ति हो।

महोदय, यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, नियमों के अनुसार जिसको पारित किए जाने के लिए सदन के 50 प्रतिशत सदस्यों का समर्थन तथा सदन में उपस्थित सदस्यों में से दो–तिहाई का समर्थन और मत प्राप्त होना भी आवश्यक है। लेकिन यहां इस समय 50 सदस्य भी उपस्थित नहीं हैं। तो इसका परिणाम क्या है? अब श्री अहमद के विधेयक को लिया जाना चाहिए। सदन में गणपूर्ति नहीं है, सदन को स्थगित करना पड़ेगा। सदन का समय बर्बाद होगा और उनका विधेयक नहीं लिया जाएगा। यह पहली बार नहीं हुआ है बल्कि तीसरी बार हुआ है और यह सोच–समझकर किया जा रहा है। अतः मैं संसदीय कार्यमंत्री से सहायता के लिए आग्रह करूंगा। हम सरकार को विधयेक परित करने में सहायता कर रहे हैं। हमें ऐसी स्थिति नहीं बनानी चाहिए, जिसमें विपक्षी दल ऐसा करने की स्थिति में न हो। कम से कम सदन में गणपूर्ति होनी ही चाहिए और इस पर मतदान होना चाहिए।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, में इनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस मामले में गतिरोध उत्पन्न हो गया है जिसे सुलझाना अति आवश्यक है। नहीं तो गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य प्रभावित होगा।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शिवराज पाटील द्वारा किए गए निवेदन का सम्मान करता हूं। फिर भी मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमने सदस्य को विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी और अब यह सदन की संपत्ति बन गया है। अतः सदन में पर्याप्त सदस्यों की उपस्थिति न होने के कारण हम इस प्रक्रिया की अनदेखी कैसे कर सकते हैं। यह न तो राजग के सदस्यों और न ही सरकार का दायित्व है कि यह देखे कि सदन में पर्याप्त संख्या में सदस्य उपस्थित हों।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मैं दूसरी तरफ बैठे अपने मित्र का बहुत सम्मान करता हूं...*(व्यवधान)* यदि कोई सदस्य सदन में 50 सदस्यों को उपस्थित रखने में असमर्थ है तो उसे विधेयक वापिस ले लेना चाहिए। कम से कम संसद की सहायता के लिए वह इतना तो कर ही सकता है...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : अन्य सदस्य अपना विशेषाधिकार क्यों छोड़ दें?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मुझे संसदीय कार्यमंत्री की बात सुनने दें।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिवराज पाटील जी का बहुत सम्मान करती हूं। उन्होंने जो चिंता इस बिल के संबंध में, खास तौर से प्रोसिजर के बारे में रखी है, मैं उससे स्वयं को संबद्ध करती हूं।

महोदय, मुझे सिर्फ दो बातें कहनी हैं, जिनका इन्होंने उल्लेख किया। उन टिप्पणियों पर मुझे काफी दुख है। पहले तो इन्होंने कहा कि "यह सत्तापक्ष का कर्तव्य है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि प्राइवेट मेम्बर बिजनेस के समय सदन दल निर्पेक्ष हो जाता है, उस समय सदन दल की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं रहता और जो भी व्यक्ति यहां रेजोल्यूशन या बिल लेता है वह किसी पार्टी के नाते नहीं देता। इसलिए यह अपेक्षा करना कि रूलिंग पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह कोरम जुटाए, कम से कम 50 लोग जुटाए, यह अपेक्षा करना सही नहीं है। दूसरी इन्होंने एक अनचेरीटेबल टिप्पणी की–"यह जानबूझकर किया जा रहा है।"

महोदय, यह सही नहीं है, पहली बार मेरी आंखों के सामने यह बात आई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप उन्हें क्यों टोक रहे हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : जहां तक प्रोसिजर का ताल्लुक है, किसी भी संविधान संशोधन संबंधी बिल के लिए 50 फीसदी कुल संख्या का और दो–तिहाई उपस्थित सांसदों की संख्या जरूरी होती है। प्रोसिजर में यह चीज आई है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि अगल शुक्रवार प्राइवेट मैम्बर्स रेजोल्यूशंस का है लेकिन उससे अगला शुक्रवार फिर विधेयक का आएगा। निश्चित तौर पर जो मेम्बर्स हमारी पार्टी से और बी.जे.पी. से संबंधित हैं, इसलिए पार्टी के नाते हम लोग यह कोशिश जरूर करेंगे कि कोई रास्ता निकले और जो मेम्बर्स दूसरी पार्टियों, सत्ता पक्ष या विपक्ष के, दूसरे विधेयक लाए हैं, वे विधेयक अड़े नहीं और यह विधयेक उसके लिए अड़चन न बने।

महोदय, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे देखूंगी, लेकिन यह कहना कि ऐसा किसी डिजाइन के साथ किया जा रहा है या यह कहना कि सत्ता पक्ष के लोग इसे कर रहे हैं, यह सही नहीं है। मैं पाटील जी से इतना कहना चाहूंगी कि हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और बाकी सांसदों ने जो विधेयक दिए हैं, उनके विधेयकों के समय यह विधेयक अड़चन न बन जाए। इसके लिए हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं फिर बात साफ कर देना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री, श्रीमती सुषमा जी ने जो कहा है कि इसके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी पार्टी का मेम्बर होने की वजह से उनकी शायद यह जिम्मेदारी हो सकती है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं मानूंगा, मगर जिस माननीय सदस्य ने यह बिल लाया है, उनकी भी 50 मेम्बर्स रखने की जिम्मेदारी है।...*(व्यवधान)* अगर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है इसे आप अगली बार जरूर ले लीजिए, मगर हमारे जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दीजिए। अगर यहां कोरम है तो आप दूसरे सब्जैक्ट को ले लीजिए।...*(व्यवधान)* मगर यह क्या बात हुई कि एक दफा नहीं बल्कि तीन दफा ऐसा हुआ है। यह बिल डिफीट होने वाला है, इसमें मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। बिल डिफीट होने वाला है, इसलिए आप उसके ऊपर वोटिंग नहीं होने देंगे तो हम क्या समझें। मैं सुषमा जी और गवर्नमेंट को नहीं कह रहा हूं, मगर जिस माननीय सदस्य ने यह बिल लाया है क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तीन दफा ऐसा होने के बाद भी वे पास नहीं करा पा रहे हैं तो क्या हम नहीं कह सकते कि यह डिजाइन से हो रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैंने इन तीनों अवसरों पर पीठासीन रहने और इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी ली थी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

कार्यसूची में से अगली मद लेने से पहले मुझे कुछ कहने दीजिए। इस विधेयक के कारण, गणपूर्ति न होने की वजह से सभा को स्थगित करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि सभी माननीय सदस्य, जिन्होंने अपने विधेयक विचारार्थ और पारित करने के लिए दिए हैं, वे आ रहे हों परन्तु किसी कार्य की वजह से अटक गए हों। तो इसके लिए कोई तंत्र आवश्यक रूप से होना चाहिए ताकि हम इस स्थिति से उबर सकें। संसदीय कार्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि अगली बार संकल्प लिये जाएंगे। आगे, वे यह भी सुनिश्चित करेंगी कि ऐसा संकट फिर खड़ा न हो। हम ऐसी ही आशा करते हैं। श्री अहमद और बहुत से अन्य माननीय सदस्यों के विधेयक हैं। यह स्वाभाविक ही है कि वे सभी परेशान हों। इसके साथ ही सदन का समय भी व्यर्थ हुआ। मैं इसमें कुछ भी जोड़ने नहीं जा रहा हूं। न ही मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। लेकिन मुझे पता है कि सदन में गणपूर्ति नहीं है। अतः श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर मत–विभाजन रोकना पड़ रहा है। इसे गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत अगले दिन लिया जाएगा।

सदन में गणपूर्ति नहीं है। अतः गणपूर्ति के अभाव में सभा स्थगित की जाती है। अब सभा 24 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 3.51 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 फरवरी, 2003/ 5 फाल्गुन, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।